राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 9] बारहवीं विधान सभा के नवें सत्र का पन्द्रहवां दिवस [संख्या : 10

सोमवार;

3 मार्च, 2008

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोतर

सेवानिवृत्त राज्य कार्मिकों की चिकित्सा परिचर्या व्यवस्था में सुधार

श्री उपाध्यक्ष: डा. चन्द्र शेखर बैद।

87. **डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के पेंशनभोगी राज्य कर्मचारी अधिकारी को उपभोक्ता संघ की सहकारी दवा दुकानों पर चिकित्सक द्वारा लिखी दवा के स्थान पर वैकल्पिक दवा उपलब्ध कराई जाती है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पेंशनभोगियों को अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त बिलों का भुगतान निश्चित समयावधि में नहीं किया जाता? यदि हां, तो क्यों व सरकार उक्त व्यवस्था में सुधार हेतु क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त पेंशनधारियों को दवा लेने हेतु कई घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार व्यवस्था सुधार कर शीघ्र दवा उपलब्ध कराने का विचार रखती है?

(4) क्या यह भी सही है कि राज्य की अनेक तहसीलों, नगरपालिका क्षेत्रों में उपभोक्ता संघ की दुकान न होने से पेंशनधारियों को जिला मुख्यालय पर जाकर दवा लेनी पड़ती है? यदि हां, तो क्या सरकार इस हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(5) क्या यह भी सही है कि पेंशनधारियों को दवा लेने हेतु चिकित्सालय से संबंधित उपभोक्ता संघ से ही दवा प्राप्त करना आवश्यक है? यदि हां, तो क्यों तथा क्या सरकार उक्त नियम में शिथिलता प्रदान करने का विचार रखती है?

सहकारिता मंत्री (डा. एन. एस. गुर्जर) : उपाध्यक्ष महोदय, (1) जी नहीं। उपभोक्ता संघ द्वारा अपने विक्रेताओं को चिकित्सक द्वारा लिखी दवाइयां ही देने के निदेश हैं।

(2) पेंशनर्स को एनएसी के विरूद्ध क्रय की दवाइयों के बिलों के पुनर्भुगतान हेतु कोई समयावधि निश्चित नहीं है। यह सही है कि उक्त पेंशनर्स को एनएसी के विरूद्ध क्रय की गई दवाइयों के पुनर्भरण में कई बार देरी होती है क्योंकि संघ द्वारा कोष कार्यालय से प्राप्त फण्ड्स के आधार पर इन बिलों का पुनर्भुगतान किया जाता है। भुगतान की व्यवस्था सुधारने हेतु वांछित राशि उचित समय पर उपलब्ध हो, इसके लिए समुचित वित्तीय बजट के प्रावधान कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) यह सही है कि मरीजों की संख्या अधिक होने पर बड़े चिकित्सालयों, यथा एसएमएस में स्थित सहकारी दवा केन्द्रों पर दवा लेने हेतु पेंशनरों को कुछ समय लगता है। इसके निराकरण हेतु संघ द्वारा विक्रय केन्द्रों पर कम्प्यूटर लगाये गये हैं। एसएमएस अस्पताल परिसर में अतिरिक्त विक्रय केन्द्रों के आबंटन हेतु निवेदन किया गया है। इसके अतिरिक्त जयपुरिया, सेठी कालोनी में अतिरिक्त विक्रय केन्द्र खोले जाना प्रक्रियाधीन है।

(4) जी नहीं। राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम, 1971 के भाग 5 के नियम 10(2) में जिन स्थानों पर सहकारी उपभोक्ता दवा विक्रय केन्द्र संचालित नहीं हैं, उन स्थानों पर पेंशनर्स को दवा उपलब्ध कराने के लिए अनुज्ञापत्रधारी निजी मेडिकल स्टोर को अनुमोदित करने के लिए बोर्ड आफ ट्रस्टी अधिकृत करते हैं।

(5) जी नहीं। पेंशनर उपभोक्ता संघ की किसी भी दवा की दुकान से दवा प्राप्त कर सकता है।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 2 में माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया कि समयावधि निश्चित नहीं है। आज की तारीख में स्थिति यह है कि जो राज्य के तीन लाख पेंशनधारी कर्मचारी इस दवा उपभोक्ता संघ से लाभ उठाते हैं उनको जब वह दवा संघ पर उपलब्ध

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

नहीं होती तो उनको एनएसी नान एवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है। और इस नान अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट को लेकर वह किसी प्राइवेटन दुकान पर खर्चा करके वह दवा लेते हैं। जब कि सरकार में यह नियम बना हुआ है कि वह अपने मापदण्डों के आधार पर किसी एक ऐसी दुकान को निर्धारित कर सकते हैं जहां से इन पेंशनधारियों को नि:शुल्क दवा मिल जाए तो ऐसी व्यवस्था की पालना क्यों नहीं की जा रही है? दूसरा, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि जब इन पेंशनधारियों को, तीन लाख पेंशनधारियों को, जब सरकार में कोष बना हुआ है और उस कोष के अन्तर्गत जब भाभड़ाजी की समिति ने सिफारिश की थी और उस सिफारिश के अन्तर्गत जो राज्य कर्मचारियों की तनख्वाह में से फण्ड काटा जाता है उसके कोष के अनुरूप इनको सहायता क्यों नहीं दी जाती? एक एनएसी लेकर वह पेंशनधारी जो रिटायर आफिसर है, जो 80 साल का घूमता रहता है उसको 6 महीने बाद उसका भुगतान होता है ऐसा क्यों? जब पर्याप्त राशि आपके कोष में है तो उस राशि को आप इधर ट्रांसफर क्यों नहीं करते? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, प्रश्न नम्बर 2 मेरा, कि जो दवाइयों की खरीद इस उपभोक्ता संघ द्वारा की जाती है उनके अलग मापदण्ड क्यों बना रखे हैं? इसमें इतना भ्रष्टाचार है कि इस भ्रष्टाचार के चलते जो दूसरे डीएमएचएस में दवा खरीदी जाती है उससे कहीं अधिक मूल्य पर इन दुकानों पर दवा खरीदी जाती है और उसके एवज में बड़ी-बड़ी कम्पनियों से हजारों रुपये की रिश्वत ली जाती है। यह मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो माननीय सदस्य ने जो कहा कि पेंशनर्स को दूसरी जगह दवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां पर जो दवा उपलब्ध नहीं होती है, भण्डार की दुकानों पर, तो उनके लिए हम एनएसी जारी कर देते हैं और उसको छूट होती है कि वह किसी भी दवा की दुकान से खरीद सकता है और उसका पुनर्भुगतान बाद में कर दिया जाता है।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): प्रश्न यह है ही नहीं, प्रश्न यह है कि जब सरकार में कानून बना हुआ है कि जो दवा आपके भण्डार पर उपलब्ध नहीं है उस दवा के लिए सरकार अपने मापदण्ड के आधार पर किसी बाहर की दुकान को निश्चित कर दे जहां से बिना पैसे दिये इस पेंशनर को दवा मिल जाए। अब आप एनएसी देते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर आपने क्या व्यवस्था कर रखी है, डिस्ट्रिक्ट के अन्दर तो सीधी दवा मिलती है उससे पैसे नहीं लिये

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

जाते। जयपुर के अन्दर ऐसा सिस्टम क्यों कर रखा है आपने कि पहले आप भुगतान करो? अब वह पेंशनर जिसको दवा भण्डार से उपलब्ध नहीं हुई, वह बाहर से दवा की दुकान से पैसे देकर 4 हजार, 5 हजार जब कि कानून आपका यह कहता है आप एक दुकान को निर्धारित कर दें और उस दुकान से बिना पैसे दिये वह दवा ले ले और उसका भुगतान आटोमेटिकली उसके पेंशन के खाते के अन्दर हो जाए, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है? यह दो मापदण्ड क्यों, डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग और शहरी क्षेत्र के लिए अलग?

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): देखिए, उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में 61 हमारी उपभोक्ता भण्डार की दुकानें हैं और बाहर हम अथोराइज कर देते हैं, जहां हमारे भण्डार नहीं है, ...(व्यवधान) अथोराइज करते हैं, आपके कहने से थोड़े ही है। और जहां तक एनएसी देने का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहूंगा सदन को कि हम 91.32 परसेंट को पूर्ण दवाइयां देते हैं। मात्र, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं 2005-06 इसमें 25 परसेंट एनएससी देते थे उसकी तुलना में 2007-08 में केवल 8 परसेंट पर हम आ गये। एनएसी देने में तो पूरी दवाइयां ही हम हमारी दुकानों से देते हैं, दिक्कत वहां आ रही है जो, माननीय सदस्य तो चिकित्सक हैं पेशे से, जेनेरिक दवाइयां हमने लिखने के निर्देश दे रखे हैं डाक्टर्स को। सरकार ने बार बार निर्देश दिये हैं उसके बाद भी जेनेरिक दवा नहीं लिखते हैं, जिनकी कीमत 40 से 80 परसेंट तक कम होती है, जो बाकी मेडिशन से कम होती है। चिकित्सक वह दवाइयां नहीं लिखते इसलिए हमारे सामने परेशानी यह आ जाती है कि जो दवा वहां उपलब्ध नहीं होती उसके लिए उनको एनएसी देनी पड़ती है और यह उनकी सुविधा के लिए है। अभी मैंने आपको फीगर्स दिये हैं। और इसके अलावा सरकार ने मेचिंग ग्रांट भी, अगर आप देखें उपाध्यक्ष महोदय, 2002-03 में केवल 7 करोड़ रुपये सरकार की तरफ से मेचिंग ग्रांट दी जाती थी हमने इसको बढ़ा कर 2007-08 में 20 करोड़ रुपये कर दिया। तो आप यह समझते हो कि हमको चिंता नहीं है पेंशनर्स की, उनकी पूरी चिंता है। और इसके अलावा हमने इसको कम्प्यूटराइज कर दिया। पहले लाइनें लगती थीं, हमने कम्प्यूटराइज कर दिया और कम्प्यूटराइज करने के बाद में तुरंत उनको हमारे उपभोक्ता भण्डार से दवाइयां देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि हम इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए या इसको एक्सटेंड करने के लिए गांवों में भी सब जगह सुविधा हो। हमने कलक्टर और वहां का ट्रेजरी आफिसर इनकी उसमें कमेटी

(डा. एन. एस. गुर्जर)

बना रखी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो हमारे उपभोक्ता भण्डार हैं लेकिन नीचे के लेवल पर हमने उनको अथोराइज कर रखा है कि वह एनएसी लेकर के वहां पर किसी भी डीलर को अथोराइज कर सकता है। उसको निविदाएं आमंत्रित करते हैं, और उसके बजाय जैसे 75 पेंशनर्स भी हैं और तहसील हैड क्वार्टर से 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं तो हमने यह पावर दे रखे हैं उनको कि वह अथोरराइज किसी भी दुकान को कर सकते हैं जहां से पेंशनर आसानी से दवाई ले सकता है। दिक्कत यह आ रही है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जितनी मेडिशंस हैं जेनेरिक फार्म में नहीं लिखते हैं। जिसके कारण यह जरूरी थोड़े ही है कि सारी दवाई उस जगह उपलब्ध हो जाए। अब यह कहते हैं कि पर्टिकुलर आप उसको अथोराइज करिए जहां से वह दवाई ले ले। तो एक दुकान को हमने पर्टिकुलर अथोराइज कर दिया तो उसकी क्या गारंटी है कि उस दुकान पर भी सारी दवाइयां उपलब्ध हो जाएंगी? इसलिए हमने यह व्यवस्था कर रखी है कि वह किसी भी दुकान से दवा उपलब्ध नहीं होती वह किसी भी दुकान से ले ले। यदि हमने एक ही दुकान को अथोराइज कर दिया और उसको दवा नहीं मिलेगी तो पेंशनर भटकता फिरेगा। इसलिए हमने यह व्यवस्था की है।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब आपने यह मान लिया कि डिस्ट्रिक्ट में आपने यह व्यवस्था कर रखी है कि किसी दुकान को आपने निर्धारित कर दिया अपने मापदण्डों के आधार पर, तो शहर में क्यों नहीं कर सकते? जब आपका कानून कहता है कि शहर में भी आप निर्धारित करते हैं। ये कह रहे हैं कि दवा की दुकान पर उस पर भी नहीं मिलेगी तो आपने डिस्ट्रिक्ट में क्यों कर रखा है, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैंने मूल प्रश्न पूछा आपकी दवाइयों की खरीद में इतना व्याप्त भ्रष्टाचार है और उस भ्रष्टाचार का एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा डीएमएचएस में जो दवा एक रुपये में खरीदी जाती है वही दवा उपभोक्ता संघ अलग से एनआईडी निकाल कर डेढ़ रुपये में खरीदता है और उसके अन्दर जो भ्रष्टाचार है वह एक जगह नहीं है, पूरे राज्य के अन्दर व्याप्त भ्रष्टाचार है। और इस भ्रष्टाचार का एक नमूना भी प्रस्तुत करना चाहूंगा कि कोटा के अन्दर जो उपभोक्ता संघ की दवाई की दुकान है उस पर एक बार नहीं, अनेक बार छापे पड़े लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस तरह जयपुर के अन्दर भी जो हजारों-लाखों रुपये की रिश्वत देकर अपनी दवाइयों को एप्रूव करवाकर के पेंशनर्स को दिक्कत पहुंचा रहे हैं वह कहां तक उचित है? जब

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

एक बार नहीं, अनेक बार यह मौके आये कि ये कार्यवाही कर सकते थे लेकिन कार्यवाही नहीं की गई। अन्ततः नतीजा यह निकलता है कि पेंशनधारी दवाई के लिए दर-दर भटकता फिरता है। आपने इसके अन्दर एक कानून बना रखा है कि पेंशनधारी को तीन हजार रुपये तक की दवा दी जाएगी और तीन हजार रुपये खर्च हो जाने के बाद में उसको दस हजार किया जाएगा। दस हजार करवाने के लिए उसको कम से कम एक महीने तक दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं उसके बाद उसको वो दस हजार रुपये सैंक्शन होते हैं। इसलिए अगर आपके पास उचित राशि उपलब्ध है तो आप पूरे प्रोसीजर को सुगमता से नहीं कर सकते जिससे इन पेंशनधारियों को तकलीफ नहीं उठानी पड़े?

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि हमारे यहां पर 61 दुकानें आलरेडी हैं। अब ये बार-बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आप अथोराइज क्यों नहीं करते, मैंने आपको बता दिया कि कारण क्या है, अथोराइज क्यों नहीं कर सकते क्योंकि गारंटी नहीं है कि उस पर मिले। जहां तक ये बात कर रहे हैं...

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आप 4-5 दुकानों को अथोराइज कर सकते हैं, एक को ही क्यों करते हो? सिटी के अन्दर उसको उसमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): आप किस दुकान में इंटरेस्टेड हैं? आपका किस दुकान में इंटरेस्ट है? आप किस दुकान में इंटरेस्टेड हैं यह बता दीजिये। लेकिन यह नहीं हो सकता, इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश है। (व्यवधान) इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का यह कहना कि आप किस दुकान में इंटरेस्टेड हैं, यह ठीक नहीं है, अनुचित है और इस प्रकार की बात माननीय मंत्री महोदय को नहीं करनी चाहिए।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): एक के लिए थोड़ी कह रहे हैं, आप 10 दुकानों को करो न। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वो यह नहीं कह रहे थे कि किसी पर्टिकुलर दुकान को करो, वो एक नीतिगत बात आपसे करना चाहते हैं और आप झल्लाकर उट-पटांग जवाब देते हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। ये बार-बार कह रहे हैं, मैंने यह कहा कि हमारे सामने एक व्यावहारिक कठिनाई है कि यदि हम जयपुर शहर में किसी पर्टिकुलर दुकान को अथोराइज कर देंगे....

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): एक को नहीं, आप 10 दुकानों को कर दीजिये, आप 10 दुकानों को कर दीजिये। एक दुकान के लिए कौन कह रहा है? उसमें पेंशनधारी को पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, हम जब तक सक्षम हैं, आप अब सुन लीजिये... (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): हमारा कहने का मतलब यह नहीं है कि आप एक को करो, आप 10 को कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम सक्षम हैं, 61 दुकानें हमने खोल रखी हैं। इतने कितने पेंशनधारी हैं जिनको नहीं मिल रही हैं, सब को मिल रही है और हमारे पास कोई शिकायत नहीं मिली है। हमारे पास केवल एक शिकायत है। आप कोटा की बात कर रहे हैं, हमारे पास जयपुर की एक शिकायत आई थी उस पर हमने तुरन्त कार्यवाही की है और जहां तक ये कहते हैं कि महंगी दवाई मिलती है.....

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): कोटा की शिकायत एक बार नहीं, अनेक बार आई है।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): आप कोटा के लिए अलग से शिकायत करिये, हम जांच करेंगे।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): चूंकि कोटा के अन्दर माननीय संसदीय सचिव जो हैं उनके रिश्तेदार इन्वाल्व हैं इसके लिए आज तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई, आज तक कार्यवाही नहीं की गई।

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान उपभोक्ता संघ का चेयरमैन रहा। मैं आपके माध्यम से, माननीय सदस्य ने जो कहा है उसको प्रमाणित करे नहीं तो इस तरीके की असत्य बात नहीं कहें। कोई भी जैसा भी आरोप आप लगाना चाहें लगा देते हो। मैं तीन साल उपभोक्ता संघ का चेयरमैन रहा उसके बाद कांग्रेस का पांच साल शासन रहा, कोई माननीय सदस्य कांग्रेस के राज में एक इंक्वायरी बता दें, एक बार

(श्री ओम बिरला)

बता दें, सदन के पटल पर किसी भी तरह की घटना बता दें उपभोक्ता संघ के अन्दर कि हमारे कार्यकाल में हुआ। उसके बाद आपका पांच साल का कार्यकाल रहा, लगातार आपके कार्यकाल में कोई बात हो तो बता दें नहीं तो मर्जी हो जो आरोप लगाते रहे तो, हवा में बातें कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): ऐसे तो मैं भी लगा दूं कि आपके दुकान खोल रखी है, काहे को सेंटर खोल रखा है, इस वास्ते कोई विधान सभा है क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब आ चुका है कि दुकानों को ज्यादा खुली नहीं कर सकते। प्रश्न का जवाब आ चुका।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट आपकी इजाजत से। टोटल 340 दुकानें उपभोक्ता संघ, उपभोक्ता भण्डार और के वी एस एस की राजस्थान भर में खोल रखी हैं। इसके अलावा 101 तहसीलों में हमने शाप्स को अथोराइज कर रखा है इसलिए कहीं कोई कमी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, एक आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ये कहते हैं कि महंगी दवाइयां बेचते हैं तो हमारे सभी दवाइयां एम.आर.पी. से दो प्रतिशत कम दर पर दी जाती है और जेनेरिक दवाइयां एम.आर.पी. से 40 से 80 प्रतिशत कम कीमत पर दी जाती है। एक-एक दवाई का मेरे पास रिकार्ड है और आप चाहेंगे तो मैं एक-एक दवाई का रिकार्ड भी बता दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आप पूरा सुन लीजिये, जवाब सुन लीजिये, बीच में क्यों खड़े हो जाते हैं?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब सुनिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): .....उपभोक्ता संघ में महंगी दी जा रही है, ऐसा क्यों? (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): एक मिनट सुन लीजिये आप। आप खड़े हो रहे हैं और सुन नहीं रहे हैं। विराजिये। आप बाद में पूछ लेना। फ्लूड्स एण्ड सर्जिकल आइटम एम.आर.पी. से 24 से 70 प्रतिशत कम दर पर दे रहे हैं। विशेष रोग जैसे किडनी, कैंसर, हृदय आदि रोगों की दवा पर केवल 2 से 5 प्रतिशत मार्जिन लेकर के विक्रय कर रहे हैं तो यह कहां महंगी दवाई का जिक्र आ गया? फिर भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम यह कोशिश कर रहे हैं कि इस सारी व्यवस्था में क्या सुधार हो

(डा. एन. एस. गुर्जर)
सकता है। और इस सुधार के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि दवा खरीदने की एक सैण्ट्रलाइज्ड व्यवस्था हो और सैण्ट्रलाइज्ड व्यवस्था के आधार पर दवाई खरीदी जा सके ताकि कहीं भी इसमें कोई गड़बड़ होने की गुंजाइश नहीं रहे। और हम कोशिश कर रहे हैं, मैं रिव्यू कर रहा हूं कि फूलप्रूफ सिस्टम इस मामले में बनाया जाए। मैं खुद चिंतित हूं इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जितने पेंशनर्स और कर्मचारियों के आप हितैषी हैं उससे ज्यादा हम भी हितैषी हैं।

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन श्री रामचन्द्र सराधना। श्री रामनारायण मीणा। सारी, श्री भरत सिंह। सारी।

श्री भरत सिंह (दीगोद): पहले भी मेरा एक क्वेश्चन टाल दिया था, अब की बार भी टालने का विचार है क्या?

श्री उपाध्यक्ष: आप थे नहीं उस समय। उस रोज आप गैर हाजिर थे। माननीय सदस्य, मीणा साहब, आप स्थान ग्रहण कीजिये। भरत सिंहजी का नम्बर आपसे पहले है।

नगरपालिका सांगोद (कोटा) के कार्यवाहक सभापति के पद पर मनोनयन प्रकरण

88. **श्री भरत सिंह** (दीगोद): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका सांगोद जिला कोटा के सभापति का पद ओ.बी.सी. महिला के लिए आरक्षित है? यदि हां, तो इस वर्ग से कुल कितनी पार्षद नगरपालिका सांगोद में हैं?

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका सांगोद की अध्यक्ष श्रीमती बसन्तीबाई सुमन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था व इस कारण उनको पदमुक्त कर दिया गया था? यदि हां, तो किस तारीख को तथा कार्यवाहक सभापति किस तारीख को नियुक्त किया गया?

(3) क्या यह सही है कि नियमानुसार आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित पद पर उसी वर्ग के सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष या निर्वाचित सदस्य के रूप में पदस्थापित किया जा सकता है?

(4) क्या यह सही है कि श्रीमती बसन्तीबाई के पदमुक्त होने पर किसी ओ.बी.सी. महिला को कार्यवाहक अध्यक्ष मनोनीत नहीं करके, उपाध्यक्ष

(श्री भरत सिंह)

श्री देवकीनन्दन राठौड़, सामान्य वर्ग के सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया? यदि हां, तो यह कब से कब तक कार्यरत रहे व ओ.बी.सी. महिला को पदभार नहीं संभलाने के क्या कारण रहे?

(5) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, कोटा व निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब-कब, किस-किस स्तर पर शिकायतें प्राप्त हुईं तथा इस पर अमल नहीं करने के क्या कारण रहे?

राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन (श्री सुरेन्द्र गोयल) : (1) जी हां। ओ.बी.सी. महिला वर्ग की कुल 5 पार्षद हैं।

(2) जी हां। दिनांक 17.9.2007 को श्रीमती बसन्तीबाई को अध्यक्ष पद से मुक्त किया गया। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26.2.2008 को कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा श्री देवकीनन्दन को अध्यक्ष पद का कार्यभार नहीं सौंपा गया। जिला कलक्टर के प्रतिनिधि की हैसियत से उपखण्ड अधिकारी, सांगोद द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर मत विभाजन की मतगणना के पश्चात् प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्ष का कार्य श्री देवकीनन्दन, जो अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से सम्बन्धित हैं, को दिनांक 17.9.2007 को सौंपा गया। श्री देवकीनन्दन के पास दिनांक 26.2.2008 तक कार्यभार रहा। इसकी जांच जिला कलक्टर से करवाई जा रही है।

(5) जी हां। एक पार्षद द्वारा प्रेषित शिकायत जिला कलक्ट्रेट में दिनांक 23.1.08 को प्राप्त हुई। निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग में दिनांक 07.02.08 को जिला कलक्टर को सम्बोधित पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायतों पर जांच कार्यवाही विचाराधीन है। नियमानुसार अध्यक्ष का कार्यभार अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला को सौंपा जा चुका है।

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, इन्होंने यह तो स्वीकारा है कि जो पद महिला के लिए आरक्षित था उस पर 6 दिन नहीं, 6 महीने तक ओ.बी.सी. की महिला के पद पर पुरुष ने काम किया।

श्री उपाध्यक्ष: इसमें थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था।

श्री भरत सिंह (दीगोद): विधान सभा में यह प्रश्न लगने के बाद इन्होंने उस उपाध्यक्ष को, जो पुरुष वर्ग का था, उसको पद से हटाया और ये अपने उत्तर में देते हैं कि कलक्टर इसकी जांच कर रहे हैं। जो अनियमिता हुई, जिसको हटा दिया उसमें जांच का तो कोई विषय रहा ही नहीं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं इस सम्बन्ध में मैंने दो पत्र विभाग को लिखे उनका मंत्री महोदय ने उत्तर दिया इसमें कोई उल्लेख नहीं किया। इनके पास 27.9.2007 को वहां के ई.ओ. द्वारा एक तो निर्वाचन आयोग को लैटर लिखा अनियमितता के बारे में और दूसरा इसकी कापी डिप्टी डायरेक्टर, स्वायत शासन विभाग के पास भेजी जिसका भी इन्होंने उल्लेख नहीं किया। उसके बाद डी डी आर, कोटा से मैंने टेलीफोन पर वार्ता की और उन्होंने निदेशक, लोकल बाडीज को जयपुर में इसके बारे में इत्तिला की कि यह अनियमितता हो रही है जिसका इन्होंने उल्लेख नहीं किया और असत्य उत्तर दिया है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि 6 महीने तक इस पद पर पुरुष बैठा हुआ था उसमें किस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की, किसको आपने जिम्मेदार माना है? संविधान के तहत एक महिला वर्ग का आरक्षित पद था उस पर जान-बूझकर के 6 महीने तक बिठाये रखा। और विधान सभा में अगर यह प्रश्न नहीं लगता तो जब तक नये चुनाव नहीं होते तब तक वो पद पर बैठा रहता। जब यह अनियमितता सामने आई तो आपने किसको जिम्मेदार ठहराया? उस अधिकारी को जिम्मेदार माना है जिसने निर्वाचन के बाद पुरुष को नियम विरुद्ध पद संभलवाया या आपके लॉकल सेल्फ बाडी के सर्वोच्च अधिकारी को, जिसकी जानकारी में यह पूरा प्रकरण था? जिसको जिम्मेदारी माना है उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? कलक्टर इसमें क्या जांच करेगा जिसकी जांच आपने करके उसको हटा दिया? उसकी कलक्टर क्या जांच करेगा? आपने क्या एक्शन किया, पहले तो आप यह बतायें ताकि फिर मैं आपको दूसरा प्रश्न करूं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन यह है कि जिस दिन 17.09.2007 को अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और उसी दिन जो कलक्टर ने एस.डी.ओ. को अधिकृत किया था अध्यक्षता करने के लिए, उसने नगरपालिका अधिनियम की धारा 69(क) के तहत उपाध्यक्ष को अध्यक्ष का चार्ज दे दिया। मेरा इसमें निवेदन है कि उसको यह जानकारी नहीं थी कि एक अक्टूबर, 2003 को इस एक्ट में संशोधन हो

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

गया और उसमें जिस वर्ग की महिला या जिस वर्ग का व्यक्ति है... (व्यवधान) आप मेरी बात सुनिये। जिस वर्ग का व्यक्ति है, उस वर्ग को चार्ज देना चाहिए था, वह चार्ज नहीं दिया। इस कारण मैंने कलक्टर को निर्देशित कर दिया है कि आप इसकी जांच करें और जांच करके मेरे पास रिपोर्ट पेश करें कि उसने मेलाफाइडली किया है या बोनाफाइडली किया है। एक तो यह बात है। दूसरा मेरा निवेदन है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... मेरी बात सुनिये पहले आप। दूसरी बात मेरी यह है कि...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आप सुन लीजिये, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): साढ़े पांच महीने जिसके पास चार्ज रहा देवकीनन्दन के पास में, तो मैंने डिप्टी डाइरेक्टर को निर्देश दे दिये हैं कि आप इस बात की जांच करें कि जो प्रशासनिक आदेश हुए हैं, जो वित्तीय निर्णय हुए हैं...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नो। नो, नो।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): उन निर्णयों की समीक्षा करके रिपोर्ट करें। अगर इसमें कोई भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा, नम्बर एक। (व्यवधान) नम्बर दो, अगर बोर्ड की बैठक हुई है और बोर्ड की बैठक में भी कोई गलत निर्णय हो गये, उसकी भी समीक्षा करके आप मेरे पास रिपोर्ट करें। अगर उसमें कोई गलत पाया गया तो उस प्रस्ताव को निरस्त करूंगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंट्री सवाल है मेरा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): मंत्रीजी का जवाब होने दें पहले। मंत्रीजी को जवाब देने दें पूरा। मंत्रीजी को जवाब देने दें पहले। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आ गई बात।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): मंत्रीजी को जवाब देने दें। मंत्रीजी को जवाब देने दें पहले पूरा। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपको क्या मतलब है? He has allowed me. He has allowed me..... (व्यवधान) He has allowed me.

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, वे आसन की परमिशन से बोल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरकार राजनैतिक आधार पर....

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब तो सुन लें, उसके बाद ही ये सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ लें। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): मंत्रीजी का जवाब होने दें पहले। आप जवाब तो पूरा होने दें साहब।

श्री उपाध्यक्ष: वे प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): जवाब तो पूरा होने दें। फ्लोर इनके पजेशन में है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): जवाब हो गया पूरा, जवाब हो गया, मंत्रीजी बैठ गये तब खड़ा हुआ हूं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): नहीं, पहले खड़े हुए हैं आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मंत्रीजी बैठ गये तब खड़ा हुआ हूं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): मंत्रीजी इसलिए बैठ गये कि आप सीनियर माननीय सदस्य हैं, आप खड़े हो गये इसलिए मुझे बैठना पड़ा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अब आप बैठ गये तो बैठे रहें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): जवाब पूरा आने दें, जवाब आने दें पहले। (व्यवधान) बिलकुल सही बात है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हां हां हां।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): हां हां की क्या बात है? जवाब की बात है, जवाब तो आने दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देखिये, ये हल्ला मचाकर एक महत्वपूर्ण सवाल को दबाना चाहते हैं। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि सरकार ने राजनैतिक आधार के ऊपर... पहली बात तो माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कही कि...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): पहले मंत्री महोदय का जवाब आने दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एस.डी.ओ. को नियमों की जानकारी नहीं थी। (व्यवधान) आप एक मिनट मेरी बात सुनिये। (व्यवधान) मोटा कानून है कि ignorance of law is no excuse. नम्बर एक।

श्री उपाध्यक्ष: Action will be taken against him.

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप एस.डी.ओ. को सस्पैण्ड कीजिये। उसने राजनैतिक आधार पर सारे काम किये हैं। आप क्या एस.डी.ओ. को सस्पैण्ड करेंगे? इतना महत्वपूर्ण काम है उसमें जो नेग्लीजेंसी बरती है, यह तो संविधान के नियमों में प्रावधान है, उनका हनन किया गया है और जान बूझकर राजनैतिक आधार पर किया हुआ है। महिला की जगह पुरुष को कैसे लगा देंगे और आप कहते हैं कि कलक्टर उसकी जानकारी कर रहा है। कलक्टर काहे की जानकारी कर रहा है? उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मामला है। सरकार की आपाधापी की पराकाष्ठा है।

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब सुनिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इन्होंने यह प्रकरण इतना गम्भीर उजागर होने के बाद एक्शन किसके खिलाफ किया?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): जांच चल रही है।

श्री भरत सिंह (दीगोद): इस सदन में मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि हम 50 प्रतिशत महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे और यह उस रिजर्वेशन की धज्जियां उड़ रही हैं। क्या एक्शन ले रहे हैं यह? इसमें क्या एक्शन लिया इन्होंने? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ये 33 प्रतिशत को कम कर रहे हैं। ये 33 प्रतिशत को कम कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका प्रश्न है।

श्री भरत सिंह (दीगोद): ये इनके बगल में जो बैठे हुए हैं...

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न आ गया आपका। (व्यवधान) आपने सप्लीमेंट्री में पूछ लिया, जवाब दे रहे हैं वे। जवाब दे रहे हैं। सुनिये जवाब, सुनिये जवाब, सुनिये आप।

श्री भरत सिंह (दीगोद): जवाब ही तो नहीं दे रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी इस बात का जवाब दें, मेरा पाइंटेड प्रश्न है। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि ये डिनाई करें अगर मैं गलत बता रहा हूं। लोकल बाडीज डिप्टी डाइरेक्टर हैं कोटा के, क्या उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को लिखा है इसके बारे में या नहीं? उसका जवाब दें और अगर लिखा है तो उसको क्यों दबाकर बैठे हैं? उसके ऊपर सरकार ने मंत्रीजी पर कोई एक्शन लिया है कि मंत्रीजी उस घोटाले के लिए पूरे राजस्थान में जिम्मेदार हैं, उसको विभाग से हटाकर दूसरे मंत्रीजी को विभाग दे दिया है, वह तो मैं स्वीकारता हूं। अगर...

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई बात नहीं है।

श्री भरत सिंह (दीगोद): मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरा पाइंटेड प्रश्न है, डिप्टी डाइरेक्टर, लोकल बाडीज कोटा ने ऊपर चिट्ठी लिखी क्या और उस चिट्ठी के ऊपर क्या कार्यवाही हुई? मैं आपकी जानकारी में यह भी लाना चाहता हूं कि महिला पार्षद के नाम चार्ज देने के आदेश हो चुके थे, उन आदेश को इस देवकीनन्दन ने वहां जाकर रूकवाया है, क्या यह सही है कि नहीं, बतायें? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं नहीं उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: जवाब आने दीजिये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अब ये तो वीरगति को प्राप्त हो गये हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): वीरगति को कैसे प्राप्त हो गये, ये तो मौजूद हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब आने दीजिये। जवाब सुनिये आप।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगाया है।

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब सुनिये उनका। (व्यवधान) उस प्रश्न का जवाब आने दीजिये। जवाब सुनिये आप। (व्यवधान) वे दे सकते हैं जवाब। जवाब दे सकते हैं। (व्यवधान) हां, जवाब दे सकते हैं।

श्री अमराराम (धोद): ये जवाब कैसे दे सकते हैं? मंत्रीजी बैठे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नो नो। ये जवाब कैसे दे सकते हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इनके खिलाफ चार्ज की बात कही है। ये जवाब दे सकते हैं ...(व्यवधान) वे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। पूर्व मंत्री का नाम लिया है इसलिए जवाब दे सकते हैं। (व्यवधान) पूर्व मंत्री का नाम लिया है, वे दे सकते हैं। (व्यवधान) आप जवाब नहीं सुनना चाहते? जवाब नहीं सुनना है? (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाया है।

श्री उपाध्यक्ष: अपना वे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। पहले सुनिये आप। एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वे। (व्यवधान) आप एक्सप्लेनेशन सुनिये। आप इनको नहीं सुनना चाहते हैं तो अलग बात है। (व्यवधान) विभाग बदलते रहते हैं हमेशा, कोई नई बात नहीं है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं होगा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): xxx

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये पहले। आप स्थान ग्रहण कीजिये पहले। आप बीच में नहीं माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं होगा। माननीय लोढ़ा साहब, बैठिये पहले। (व्यवधान) माननीय लोढ़ा साहब बैठिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, आप काफी वरिष्ठ हैं और मैं तो समझता था कि काफी सीजंड और समझदार आदमी हैं, पर इन्होंने कितनी... मेरे ऊपर जो व्यक्तिगत आरोप है कि जो पूर्व स्वायत शासन मंत्री हैं... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह बीच में क्या है? ये बाद में दे दें अपना स्पष्टीकरण। अपना स्पष्टीकरण बाद में दे दें। वे मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब दीजिये। (व्यवधान) उनकी परमिशन से जवाब दे रहे हैं। मंत्रीजी की परमिशन से जवाब दे रहे हैं। He is the relevant person.

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): प्रश्नकाल में स्पष्टीकरण नहीं होता है। आप कौनसी परम्परा डाल रहे हो? (व्यवधान) आप कौनसी परम्परा डाल रहे हो? नहीं होता है प्रश्नकाल में। प्रश्नकाल में स्पष्टीकरण नहीं होता है। काहे की बात कर रहे हो आप? आप नई-नई परम्परा डाल रहे हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपके सदस्य ने...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर आरोप किस आधार पर लगाया? मेरे ऊपर आरोप क्यों लगाया? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ने पूर्व मंत्री के ऊपर आरोप लगाया है इसलिए वे इसका जवाब दे सकते हैं। (व्यवधान) नहीं, क्यों नहीं दे सकते हैं। एलीगेशन लगाया है, जवाब दे सकते हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं होता है, नहीं होता है। (व्यवधान) आप बाद में दे दें। आप गलत परम्परा डाल रहे हैं। प्रश्नकाल में नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष: तो पूर्व मंत्री के खिलाफ में कैसे कह दिया? (व्यवधान) मैंने परमिशन दे दी, मैंने परमिशन दी है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, सदन नियमों से चलता है। आप नियम बताइये। (व्यवधान) नहीं होता है, प्रश्नकाल में नहीं होता है। आप नियम बताइये, आप नियम बताइये।

श्री उपाध्यक्ष: सदन नियम से ही चल रहा है। आप जवाब सुनिये। नियमों में है। नियमों में है। (व्यवधान) आपने पूर्व मंत्री का नाम लिया है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): काहे का नियम है, क्या बात कर रहे हो आप? (व्यवधान) बाद में बोलिये, क्या तकलीफ है?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): नहीं नहीं, अभी बोलेंगे। ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकाल में कोई मना नहीं है। आप जवाब नहीं सुनना चाहते?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): किसका जवाब?

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न का।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जवाब नियमों के अन्दर होता है, जवाब नियमों के अन्दर होता है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ने इनके ऊपर एलीगेशन लगाया है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): और लगायेंगे आरोप। एलीगेशन लगायेंगे और।

श्री उपाध्यक्ष: तो ये जवाब देंगे। जवाब देंगे। (व्यवधान) आप नियमों को देख लीजिये। (व्यवधान) आप सुन लीजिये। वे जवाब दे रहे हैं। जवाब देंगे। (व्यवधान) नहीं नहीं, गलत बात है। जवाब दे सकते हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सदन बिना नियम नहीं चलेगा। यह नियमों में सदन चलेगा। (व्यवधान) यह बीजेपी का आफिस नहीं है। यह बीजेपी का आफिस नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप नियम सुन लें। नियम सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 272 में है। (व्यवधान) मैं बताता हूं नियम।

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये। आप बैठिये। यह ऐसे नहीं होगा। इस पर व्यवस्था दी जायेगी। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): प्रश्नकाल में कुछ नहीं होता है। क्या बात कर रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सब होता है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): गलत परम्परा डाल रहे हो आप। सदन नियमों से चलता है।

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनना नहीं चाहते हो। (व्यवधान) होता है, होता है, सब होता है। कोई प्रश्नकाल में मना नहीं है। कोई प्रश्नकाल में मना नहीं है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): प्रश्नकाल में बताइये, कहां होता है?

श्री उपाध्यक्ष: आप नियम सुनिये पहले। पहले सुनिये आप। पहले सुनिये आप। (व्यवधान) माननीय सदस्य, पहले आप सुनो तो सही। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): प्रक्रिया के नियम 272 में यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये तो सही। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाये जा रहे हैं इसलिए यह अपनी खीझ उतार रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पहले आप सुनिये। माननीय सदस्य, पहले आप सुनिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, पहले आप सुनें तो सही। आप सुनिये पहले। माननीय सदस्य, सुनें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप बहुत गलत परम्परा डाल रहे हैं, सदन के अंदर बिलकुल...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: गलत परम्परा नहीं है बिलकुल। नहीं, कोई गलत परम्परा नहीं है। (व्यवधान) आप चलते रास्ते, आप किसी के, आप चलते रास्ते प्रश्न में पूर्व मंत्री के खिलाफ चार्ज लगायेंगे, जवाब देंगे वह। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय सदस्य दीगोद से आने वाले ने अपने गांव कुंदनपुर, सांगोद में शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के लोगों की जमीन दबा रखी है उसके मामले में भी यह सुन लें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में बोलते समय पालनीय नियम...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह उपाध्यक्षजी, यह कौन सा आरोप है? यह अदालत लगा रहे हैं। यह क्या जवाब दिला रहे हैं। यह आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह एस.सी. एस.टी. का मामला आ गया...(व्यवधान) यह मंत्री, मौजूदा मंत्री...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप लोग शांति से...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक कि इन्होंने इनके गांव में....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: तो जवाब तो सुनें उनका भई। उनका जवाब तो सुनिये। जवाब तो सुनिये आप। जवाब सुनिये। (व्यवधान) नो-नो, तो दे रहे हैं जवाब। नहीं, पर उनका नाम आया है, पूर्व मंत्री मौजूद हैं..(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सक्षम मंत्री हैं, जवाब दे रहे हैं वह, जवाब दे देंगे, लेकिन यह क्या है..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वह अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो क्या एतराज है इसमें? (व्यवधान) नहीं, आपने नाम क्यों लिया फिर? आपने एलीगेशन लगा दिया। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार के जिला कलक्टर को रूल में अमेण्डमेंट...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मुख्य सचेतक। माननीय मुख्य सचेतक बोल रहे हैं, माननीय सदस्य। (व्यवधान) नहीं, आप इनका...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जवाब नहीं देने दें, आप यह तो व्यवस्था करें, मंत्रीजी को जवाब तो देने दें, इनके मंत्री ही इनके मंत्री को जवाब नहीं देने दे रहे हैं। (व्यवधान) यह कोई व्यवस्था का है। यह इस तरह की व्यवस्था से सदन नहीं चलेगा उपाध्यक्ष महोदय। इसलिए मंत्रीजी, जिनसे संबंधित प्रश्न है, वह अपना जवाब दे रहे हैं उनको जवाब दे देने दीजिये, बीच में ही अनावश्यक खड़े होकर के...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया तो यह भी तैयार हो जायें आरोप सुनने के लिए। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी प्रश्नकाल का समय व्यर्थ नहीं गंवाये, आप उनसे कह दें अपना स्पष्टीकरण बाद में दे दें। (व्यवधान) प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से कहो अगर अपना स्पष्टीकरण देना है तो प्रश्नकाल के बाद में शून्य काल में दे सकते हैं वह। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कैसे दे देंगे, जब आरोप..(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप सीनियर आदमी हैं...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): देखिये, प्रश्नकाल में...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या होता है?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): प्रश्नकाल में स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पचास साल के इतिहास में नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: बता देंगे। (व्यवधान) होता है, क्या बात है। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण है, और भी प्रश्न हैं, मंत्रीजी को स्पष्टीकरण देना है यदि, तो प्रश्नकाल के पश्चात दें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बोलिये, बताइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पढ़कर सुनाता हूं। मैं सुनाता हूं पढ़कर। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): भ्रष्ट सरकार है, क्या सुनें नियम का, भ्रष्टों की बात सुनें, क्या बात सुनेंगे यहां। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो नियम और प्रक्रिया कार्य संचालन संबंधी नियमावली...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, आप नियमों में आकर प्रश्नकाल के पश्चात् अपना स्पष्टीकरण दे दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। माननीय सदस्य, आप अपना स्थान तो ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) आपने कोई आपत्ति की है उसका कोई समाधान तो होगा। (व्यवधान) आप पहले सुनिये तो सही यह।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप नहीं करना चाहते, यह क्या मतलब है, आप जवाब नहीं सुनना चाहते। आपको जवाब सुनना नहीं है तो मर्जी है आपकी, मत सुनिये। यह कोई बात नहीं है। (व्यवधान) व्यवस्था दी जायेगी, सब होगी बात। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के पश्चात् मंत्रीजी अपना स्पष्टीकरण...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जब संबंधित मंत्री बैठे हैं...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर केवल..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सुनना चाहिए उनको, वह सुनने के लिए बाध्य हैं...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्वेश्चन आवर में?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): क्या बात कर रहे हैं आप? (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, आप अपना प्रश्नकाल के पश्चात् स्पष्टीकरण दे दें।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): सुनना पड़ेगा, सुनने के बाद में... (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आप 276 को देख लीजिये...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कोई प्रश्न न हो किन्तु सदस्यों द्वारा कोई लम्बा विषय नहीं उठाया जायेगा...(व्यवधान) कोई वाद विवाद नहीं होगा। यह 276 में तो है स्पष्टीकरण देने का और 272 में है कि कोई भी सदस्य आरोप नहीं लगायेगा। यह 272 में है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): भूतपूर्व मंत्री का जवाब आना चाहिए, आपकी व्यवस्था हो चुकी है। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय दीगोद से आने वाले सदस्य पर आरोप लगाता हूं, मैं खुला आरोप लगाता हूं...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, आप अपना स्पष्टीकरण प्रश्नकाल के पश्चात् दें, हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): माननीय उपाध्यक्षजी, इनके खिलाफ जांच करवाइये, इन्होंने एससी, एसटी की कितनी जमीन दबा रखी है। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): इन्होंने एससी, एसटी के लोगों की जमीन पर कब्जा कर रखा है और इनके आतंक से अनुसूचित जाति के लोग इनके घर के आगे से जूते निकाल कर निकलते हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह आप आरोप, स्पष्टीकरण दिलवा रहे हैं? यह स्पष्टीकरण है इनका? (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, यह कौन सा स्पष्टीकरण है? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): चार्ज लगा रहे हैं वह, काहे का स्पष्टीकरण है, काहे का। (व्यवधान) इस तरीके से आप हाउस...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप नहीं सुनना चाहते। आप प्रश्न नहीं सुनना चाहते। नहीं-नहीं..(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप आसन की व्यवस्था भी, आपको एतराज है क्या इसमें? आपने चलते रास्ते कोई एलीगेशन लगाया, आपने चलते रास्ते..(व्यवधान) नहीं-नहीं, ऐसा नहीं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप वन बाई वन, एक-एक आदमी। प्रश्नकर्ता को पूछने दीजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आप पहले, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सदस्य के ऊपर चार्ज लगा रहे हैं वह..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपने लगा दिया न, उन्होंने लगा दिया। माननीय सदस्य ने भी, माननीय सदस्य..(व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आप, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य लगातार व्यवधान कर रहे हैं, लगातार व्यवधान कर रहे हैं। नाथद्वारा से आने वाले सदस्य और सिरोही से आने वाले सदस्य अव्यवस्था कर रहे हैं, लगातार व्यवधान कर रहे हैं, लगातार उपाध्यक्षजी के ऊपर, अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं प्रस्ताव करता हूं, यह सदन में बैठने लायक नहीं हैं, इनको आप निकाल दें या तो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिये, बैठिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य अब आप। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिये, माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये, आपकी आ गई बात। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय.. (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आ जाओ, आ जाओ। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आरोप लगाया तो आरोप सुनने के लिए भी तैयार रहें। (व्यवधान) आरोप लगाया तो आरोप सुनने के लिए भी तैयार रहें। कैसे लगा दिया आरोप? (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य सदन कूप में आकर जोर-जोर से बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना देखो, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य (व्यवधान) माननीय सदस्य, यह फालतू बात, देखो, आप.. (व्यवधान) वह कोई, आप किसी को पाबंद नहीं कर सकते माननीय सदस्य। नहीं-नहीं, आप किसी को पाबंद नहीं, आप नहीं कर सकते पाबंद किसी को। जो कुछ आप कहेंगे वही सत्य होगा, उनको भी अपनी बात कहने का हक है। आप उनकी जबान बंद नहीं कर सकते, ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) यह तमाशा आपने, तमाशा आपने बना रखा है। आप मर्जी आये जैसे बोले जायेंगे। जवाब देने का हक है उनका। नहीं, आप मर्जी..(व्यवधान) नहीं-नहीं, उनका जवाब देने का हक है, ऐसे नहीं होगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मिर्चियां लग गई...

श्री उपाध्यक्ष: आप किसी पर कैसे एलीगेशन लगा दोगे, आप चलते रास्ते एलीगेशन लगा दो, जवाब नहीं देंगे? नहीं, गलत बात है यह। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): विधान सभा में भी धमका रहे हैं तो गांवों में क्या हालत कर रखी होगी? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जिस तरह का आचरण दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सदन में किया, जिस तरह का आचरण दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने किया..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपनी सीटों पर जाइये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): सदन में रहने के लायक नहीं हैं जिस तरह का आचरण आज इन्होंने किया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: इनको सदन के बाहर निकाला जाय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप कह रहे हैं, जवाब ही नहीं सुनेंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बाहर निकालिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सदन के एक दिन के लिए। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): आप प्रस्ताव रखिये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भरत सिंहजी ने...

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। आपने अपनी नाराजगी..(व्यवधान) आपने रख दी अपनी बात, सब करेंगे स्पष्टीकरण, आपने सुना ही नहीं स्पष्टीकरण, आपको माननीय सदस्य, स्पष्टीकरण सुनना नहीं चाहते आप..(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) यह अब बाहर निकालो। (व्यवधान)

सदस्य का निलम्बन

श्री भरतसिंह (दीगोद) का निलम्बन

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य श्री भरत सिंहजी ने पहले तो गाली गलौच किया और अपशब्दों का प्रयोग किया और फिर माननीय सदस्य को मारने के लिए आ गये। मैं प्रस्ताव करता हूं, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय भरत सिंहजी को 292 के तहत शेष अवधि के लिए सदन से बाहर निकाला जाय। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय सदस्य पर किस प्रकार टूट कर पड़ते हैं यह...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) बाहर निकाला जाय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बाहर निकालो। (व्यवधान)

डा. ओ.पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): यह सदन में किस प्रकार का आचरण माननीय सदस्य ने किया है...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): दादागिरी इस सदन में नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, मुख्य सचेतक महोदय की तरफ से, मुख्य सचेतक महोदय की तरफ से प्रस्ताव रखा गया है, माननीय सदस्य..(व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, प्रस्ताव पर, मुख्य सचेतक की तरफ से प्रस्ताव आया है कि माननीय सदस्य को सदन से बाहर निकाला जाय। जो पक्ष में हों, हां कहें।

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

माननीय सदस्य, अब हाउस में प्रस्ताव पास हो चुका है, आप हाउस से बाहर चले जाइये, आपके व्यवहार से। ...(व्यवधान)

(सदन में भारी हंगामा)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोर-शराबा)

श्री उपाध्यक्ष: आप हाउस से चले जाइए? आपके व्यवहार से... (व्यवधान) मैं कहता हूं आपको बाहर चले जाइए आप...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: अन्याय आप कर रहे हो, यहां मारने के लिए आ रहे हो, अन्याय आप कर रहे हो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप हाउस से बाहर जाइए, नहीं प्रश्न है क्या, जवाब आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनना ही नहीं चाहते। नहीं चाहते आप सुनना, आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए, मैंने निर्णय दे दिया है। मैंने निर्णय दे दिया है आप इसमें...(व्यवधान) आसन का निर्णय हो चुका है। कोई बात नहीं सुनना...(व्यवधान) आप ऐसा ही करोगे तो नहीं चलेगा हाउस, आप अगर ऐसे ही करोगे तो हाउस नहीं चलेगा, किसको जरूरत पड़ी है? आप चलाना नहीं चाहते हाउस, नहीं यह क्या बात हुई फिर यहां इज्जत कर दी। आपने गलती से ही करा है...(व्यवधान) कोई सब देते हैं जवाब, बात करते हो, जवाब आ रहा है, फालतू बातें नहीं, कुछ नहीं...(व्यवधान) आपके कहने से होगा क्या? आप अब अफसोस जाहिर कर रहे हो...(व्यवधान) यह क्या बात हुई? जब मेरी मंशा नहीं थी...(व्यवधान) यह क्या बात हुई?

(सदन में भारी हंगामा)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अंदर प्रतिपक्ष का ऐसा घटिया आचरण...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य इनका जो व्यवहार था...(व्यवधान) इनका व्यवहार ठीक था क्या? सबसे संजीदा सदस्य है।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री):...(व्यवधान) निकाल दिया अब आप सदन से बाहर पधारो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: तो सुनो तो सही, जवाब हाथों-हाथ कहते हैं, जवाब आना चाहिए था, जवाब दे रहे हैं, जवाब ही नहीं सुनना चाहते हो, जवाब

(श्री उपाध्यक्ष)

सुनना नहीं...(व्यवधान) सब आया है...(व्यवधान) तो आप उनकी बात तो पूरी सुनते, पूरी बात सुनते माननीय सदस्य अभी हाउस में, सदन ने प्रस्ताव ले लिया है माननीय सदस्य बाहर जाएंगे। और हम इसका...(व्यवधान) माननीय सदस्य तो चर्चा होकर के कोई नतीजा निकलता है। माननीय सदस्य आप...(व्यवधान) तो यह उसके खिलाफ एक्शन होता है, यह बात आपको कहने का मौका मिल रहा था...(व्यवधान) तो जवाब भी आ रहा था। माननीय सदस्य ने एक बात...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले आप अपने आदेश की पालना करवाएं, जो सदन ने प्रस्ताव पारित किया है।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही...(व्यवधान) सबको बाहर निकालने का सवाल नहीं है, नहीं यह नहीं है...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सबको बाहर निकाल दें। चलाइए हाउस को, बाहर निकाल दें...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सबको बाहर क्यों निकालें? शांतिपूर्ण बात हो रही है...(व्यवधान) नहीं यह कोई बात है क्या? (व्यवधान) ऐसा नहीं है। देखो सदन तो नियमों से, कायदे से चलेगा, बाहर क्यों निकालें? क्यों निकाल दें बाहर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधान सभा में आज जिस तरह का दृश्य पैदा हुआ है, मैं समझता हूं कि चाहे पक्ष के या प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के लिए शर्म की बात है...(व्यवधान) किसी भी विधान सभा की परम्पराओं को...(व्यवधान) दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य के साथ नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य जो इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सबका जवाब आ रहा था...(व्यवधान) माननीय सदस्य फालतू की बात नहीं यहां पर...(व्यवधान) माननीय सदस्य यह कोई हुई क्या...(व्यवधान) क्वेश्चन आवर का क्या है...(व्यवधान) कोई मतलब नहीं। कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी, हुआ है, होती रहती है बहुत सी बातें। कई बार क्वेश्चन आवर में हंगामा करें...(व्यवधान) नियमों में आप सुनना नहीं चाहते हो, आप हाउस चलने नहीं देना चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं, यह कोई

(श्री उपाध्यक्ष)

बात नहीं है...(व्यवधान) माननीय सदस्य सबको बाहर क्यों निकालें बाहर... (व्यवधान) यह गलत बात है, यह कोई बात नहीं है, यह गलत बात है, नहीं, आप हाउस नहीं चलने देना चाहते हो...(व्यवधान) आप हाउस नहीं चलने देना चाहते हो माननीय सदस्य अब देखो प्रस्ताव पास हो चुका है माननीय सदस्य से निवेदन है कि आप एक बार बाहर चले जाइए, हाउस को चलने दीजिए और अगर हाउस नहीं चलने देना चाहते हो तो सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.45 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुई)

(समय : 12.49 बजे)

(पुन: समवेत् होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 12.49 बजे, 13.49 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समय : 13.49 बजे)

(पुन: समवेत होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आपस में बातचीत चल रही है कि यह सदन शांतिपूर्ण किस प्रकार चले इसलिए आधे घंटे के लिये और सदन की बैठक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 13.49 बजे 14.19 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(समय : 14:19 बजे)

(पुन: समवेत् होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि अभी जो वातावरण हाउस के अंदर हुआ वह तो खेदजनक है और माननीय सदस्य भरतसिंहजी ने मेरे चैम्बर में आकर कहा कि मेरी ऐसी कोई मंशा किसी की तोहिन करने की नहीं थी और मेरे से कोई ऐसी बात कही गई तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। ऐसी स्थिति में मेरी तरफ से यही कहना है कि मुख्य

(श्री उपाध्यक्ष)
सचेतक महोदय ने जो प्रस्ताव पेश किया था, माननीय सदस्य को सदन से बाहर निकालने का वह अब छोड़ा जाए। (व्यवधान) वह प्रस्ताव वापस लिया जाए। (व्यवधान) वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, खेद प्रकट करने की कोई बात उन्होंने नहीं की है। (व्यवधान) नहीं, आप गलत कोट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं आयें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप बिलकुल गलत कोट कर रहे हैं। (व्यवधान) नहीं, बीच में नहीं, कैसे, मैं मौजूद था मीटिंग में।

श्री उपाध्यक्ष: तो बीच में नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आसन पैरों पर है और माननीय सदस्य खड़े हैं, आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: उनकी मेरे चेम्बर में बात हुई है। आप बीच में कौन होते हैं दखल देने वाले, आपको नहीं करना चाहिए। (व्यवधान)

निलम्बन निरस्तीकरण

श्री भरतसिंह, माननीय सदस्य के निलम्बन का निरसन

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो उदारतापूर्वक और हम सबकी यह इच्छा है कि यह सदन ठीक प्रकार से चले, नियमों से चले और आसन का सम्मान हो। इस बात को हम सब स्वीकार करते हुए, और मैंने जो शेष सत्र के लिये माननीय सदस्य भरत सिंहजी के लिये जो बाहर निकालने का अपना प्रस्ताव रखा है, आपके आदेशानुसार और पूरे सदन की भावनाओं के अनुसार मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है कि....(व्यवधान) निलम्बन निरस्त किया जाये? ...(व्यवधान)

(स्वीकृत)

माननीय सदस्य को सदन से बाहर निकालने के आदेश के प्रस्ताव को निरस्त किया जाता है।

अनुपस्थिति के लिये अनुमति

श्रीमती स्नेहलता, सदस्य को दिनांक 29 फरवरी, 2008 से 15 दिन तक के लिये

श्री उपाध्यक्ष: मुझे सदन को सूचित करना है कि श्रीमती स्नेहलता, सदस्य, विधान सभा ने अपने पिताजी के अस्वस्थ होने के कारण दिनांक 29 फरवरी, 2008 से 15 दिन के लिये सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 3 मार्च, 2008 को अनुमति प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से गांवों में जोड़ों में बी.पी.एल. अन्य गरीब बसे हुए लोगों की फाइल जमा होने के उपरान्त भी विद्युत कनेक्शन नहीं देने के सम्बन्ध में।

दिनांक 15 मार्च, 2008 को सदन में बिजली पर विस्तृत चर्चा रखी गई है। अत: माननीय सदस्य को अपने विचार रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। अत: स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(2) श्री संयम लोढा, सदस्य की ओर से सिरोही जिले के रेवदर में 1 मार्च, 2008 को नवजात गमनी देवासी की नरबलि के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसा नहीं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाय। साथ ही दिनांक 10 मार्च, 2008 को पुलिस की मांग विचारार्थ रखी गई है जिसमें उन्हें अपने विचार रखने का अवसर उपलब्ध है। अत: अनुमति देने में तो असमर्थ हूं, फिर भी घटना को देखते हुए माननीय सदस्य श्री संयम लोढा को अपने प्रस्ताव के विषय पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की ग्राम पंचायत बालेसर सत्ता में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(2) श्री प्रभुलाल वर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्राम खातोली में स्टेट बैंक आपु बीकानेर एण्ड जयपुर की शाखा खोलने के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती राजकुमारी शर्मा, सदस्य की ओर से जिला सीकर के ग्राम सकराय में नीमड़ी घाटी में पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री मोहन मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर की राजीव गांधी कच्ची बस्ती, पाल लिंक रोड का नियमन करने के सम्ब्न्ध में।

(5) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से सम्पर्क सड़क फोकानाड़ा से मांडपुर रोड के निर्माण की वन विभाग से इजाजत दिलाने के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से बहुमूल्य खनिज डोलोमाइट के व्यवस्थित खनन के सम्बन्ध में।

(7) डा. सुरेश चौधरी, सदस्य की ओर से उपखण्ड भादरा की उप तहसील छानीबड़ी को पूर्ण तहसील का दर्जा देने के सम्बन्ध में।

(8) श्री धर्मेन्द्र मोची, सदस्य की ओर से देश के विभाजन के नाम पर विस्थापितों को आबंटित जमीन का मालिकाना हक देने के सम्बन्ध में।

(9) श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की ओर से जहाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बेड की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से राजकीय सुभाष माध्यमिक विद्यालय, अजमेर के निजी भवन का अधिग्रहण शिक्षा विभाग में करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री राकेश मेघवाल, सदस्य की ओर से परबतसर में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय को यथावत रखने के सम्बन्ध में।

(12) श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर, सदस्य की ओर से महवा के ग्राम टुडियाना/पाली में बाण गंगा नदी के सरफेस बेरियर्स की ऊंचाई 2 मीटर बढ़ाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन करना यह है कि आज के समय को देखते हुए ये सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई हैं।

(295 के अन्तगर्तगर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 295 में मेरा भी लगा हुआ था। उस पर कोई सूचना नहीं आई कि लगाया कि नहीं लगाया। मेरा भी 295 लगाया हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष: आज की दो सूचनाएं लग गईं। आपका नम्बर आ जाएगा। आप सचिवालय से पूछ लेना।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): जी, धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन था कि पर्ची के बारे में भी आप व्यवस्था फरमा देते तो...। इसके साथ ही फरमा देते।

श्री उपाध्यक्ष: इसके बाद फरमा देंगे।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सिरोही जिले के रेवदर में नवजात की नरबलि विषयक

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी आपके माध्यम से सिरोही जिले में लगातार चौपट होती हुई कानून व्यवस्था की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ राजस्थान की मौजूदा सरकार महिला सशक्तिकरण के नये दावे और नये कीर्तिमान स्थापित करने का लगातार एलान करती रही है। लेकिन आज आपके माध्यम से मैं जिस हृदय विदारक घटना की ओर मैं राजस्थान सरकार के माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करने के लिये खड़ा हुआ हूं, उसने न केवल सिरोही जिले के बल्कि आसपास के पूरे इलाके के लोगों को झकझोर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, 29 फरवरी को दिन में 12 बजे एक महिला, एक खास पहचान वाली पोशाक में, उसने रेवदर के टीला रेबारी के घर में प्रवेश किया और वहां उसके परिजनों को यह कहा कि मैं तो अपने बच्चे का तुलसी हास्पिटल में इलाज कराने के लिये आई हूं और मुझे हास्पिटल का पानी नहीं भा रहा है। इसलिये मैं आपके यहां पर आई हूं। उस परिवार ने उसको अतिथि मानकर पूरा मान-सम्मान दिया, पानी पिलाया, खाना खिलाया और उसको पूरा आतिथ्य सत्कार दिया। इसी दौरान टीला रबारी की पत्नी अपने नियमित कार्य करने के लिये गुवाड़ी में चली गई और उसकी सास उस महिला के साथ रह गई। उसकी सास अंधी थी। वह जो पालना झूलते हैं, उस पालने में वह बच्ची लेटी हुई थी। तो वह उस पालने को झुलाती रही और कब वह महिला उस बच्चे को लेकर चम्पत हो गई, उसको कोई मालूम नहीं पड़ सका। जब टीला रबारी की पत्नी अपने नियमित कार्य से करीब आधे घण्टे बाद वापस आई तो

(श्री संयम लोढ़ा)

उसने देखा कि वह नवजात शिशु उस पालने में नहीं है। आसपास के इलाके में ढूंढने की कोशिश की गई, रिश्तेदारों के यहां पता करने की कोशिश की गई। और अन्ततः जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई। लेकिन उसके बावजूद 29 तारीख का पूरा दिन निकल गया, उस बच्ची के बारे में कुछ भी मालूम नहीं पडा। लोगों में लगातार रोष फैलता रहा और एक तारीख को जंगल के अन्दर एक मन्दिर की थोड़ी दूरी पर उस बच्चे का शव मिला जिस पर से उसका गला कटा हुआ था। और उसके ऊपर कुमकुम के टीके लगाये हुए थे और, जिसको राई कहते हैं, वह राई भी वहां पर बिखरी हुई थी। सैकड़ों की तादाद में वहां पर लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति की। लोग उस लाश को उठाने के लिये तैयार नहीं हुए। लेकिन जब उनको यह भरोसा दिलाया गया कि पूरी तत्परता के साथ कार्यवाही करके जो भी उसके लिये जिम्मेदार हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, तब उन्होंने उसका पोस्ट-मार्टम कराना मंजूर किया। मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष डाक्टर दिनेश शर्मा ने स्वयं ने यह राय व्यक्त की है कि जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं, उससे यह मामला बलि का लगता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के उस क्षेत्र के विधायक ने हजारों लोगों के जनाक्रोश को देखते हुए यह टिप्पणी की जो अख़बार में भी छपी है कि अगर हमें यह अपराधी मिल गया तो हम उसको जिन्दा जला देंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में तत्परता से कार्यवाही करे। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको गिरफ्तार करायें। पूरे इलाके के अन्दर लोगों में एक डर फैल गया है और पुलिस के उच्चाधिकारियों की टीम लगाकर अलग-अलग दल गठित करके उनको गिरफ्तार करने की चेष्टा करें। जिससे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सके और सूचना देने के बाद भी उसी कस्बे में थाना भी है, डीवाई.एस.पी. का आफिस भी है। उसके बाद भी थोड़ी सी दूरी के अन्दर उसकी लाश मिली है। जो लोग इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही करने की घोषणा करें। मैं आपके माध्यम से यह माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह घटना हृदयविदारक है। इसे कोई नकार नहीं सकता। एक, बारह बजे का, उस महिला का जो अंजान थी, उसका प्रवेश हुआ और एक बजे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
उसकी मां लौट कर आयी और पालने में बच्चा नहीं मिला तो उसने अपने परिवार के लोगों को, आस-पास के लोगों को, लोगों ने भी ढूंढने की कोशिश की। और लगभग डेढ़ और पौने दो बजे के बीच में पुलिस थाने पर इसकी सूचना गयी। दो बजे हमारा एस.एच.ओ. वहां पहुंच गया। ढाई बजे हमारा डिप्टी भी वहां पहुंच गया। लोगों ने, सबने मिलकर प्रयास किया लेकिन कहीं भी बच्चे का पता नहीं लगा। दूसरे दिन, जैसा आप कह रहे हो बिलकुल सही है कि लगभग साढ़े छह बजे शाम को उस लड़की का वह कटा हुआ शव मिला। उसका मेडिकल भी हुआ, पोस्टमार्टम हुआ। यह बात सच है कि वह किसी धारदार हथियार से काटा है। लेकिन मेरा जो अभी तक का अपना अनुभव है, आपका भी हो सकता है, कभी भी महिला की नरबलि नहीं होती है। पुरुष नरबलि तो होती है। जानवरों की भी होती है तो मेल की होती है, फिमेल की नहीं होती। मैं इसको इस रूप में नहीं लेकिन यह मेरी जिम्मेदारी है कि जब इतनी बड़ी घटना हुई है तो मैं यहां से एस.ओ.जी. की टीम गठित करके इस केस के लिए अलग से ही लगाकर, निश्चित रूप से इसमें जो भी अपराधी होगा उसको ढूंढना मेरे और मेरे विभाग के लिए भी एक चुनौती है।

मैं यह विश्वास दिलाता हूं, ईश्वर भी मदद करेगा और निश्चित रूप से क्योंकि इसमें कोई न कोई और तरीका, राज निकलना चाहिए। किसी महिला के थ्रू शायद बच्ची का अपहरण कराया हो लेकिन इसकी कोई घटना करने वाला और कोई साथ जुड़ा हुआ हो, उन सब तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार से पुलिस के पहुंचने में और कार्यवाही करने में मैं सोचता हूं कि 15-20 मिनट का जरूर समय लगा है लेकिन उस एंगल पर भी अगर मुझे देखना होगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस एंगल पर भी देखूंगा लेकिन मैं इस सदन को यह विश्वास दिला रहा हूं कि इस जघन्य अपराध का दोषी निश्चित रूप से पुलिस पकड़ेगी। उसके लिए मेरा विभाग और मेरी एस.ओ.जी. की टीम जितनी भी मेहनत सम्भव होगी, वह करेगी।

व्यवस्था

पर्ची के माध्य से उठाये जाने वाले विषय पर

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय।

श्री केशर देव बाबर राजस्थान राज्य सहकारी आवासन का एस.सी., एस.टी. एवं पिछड़ों का कर्जा माफी करने बाबत

श्री प्रभुलाल वर्मा- कोटा-टोंक वाया इटावा-सवाईमाधोपुर बस सेवा पुनः शुरू करने बाबत।

श्री रामप्रताप कासनिया- हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले में डी.पी.ई.पी. एवं एस.एस.ए. के निर्माण कार्यों में हुई वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में।

श्री मदन राठौड़- राजनीति एवं राजनेताओं के प्रति सम्मान बनाये रखने की आवश्यकता पर।

माननीय सदस्यों से यही निवेदन करना है कि इन चारों पर्ची प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्यों को इस विषय में कल बोलने का मौका दिया जाएगा।

श्री राकेश मेघवाल, सदस्य विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

याचिका का उपस्थापन

परबतसर की ग्राम पंचायत गच्छीपुरा को उप-तहसील घोषित करवाने बाबत

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र परबतसर की ग्राम पंचायत गच्छीपुरा को उप तहसील घोषित करवाने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मदन राठौड़, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

सुमेरपुर में भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण करने बाबत

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण करने बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

किशनगढ़ (अजमेर) में नवीन उप परिवहन कार्यालय खोलने बाबत

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से किशनगढ़ (अजमेर) में नवीन उप परिवहन कार्यालय खोलने बाबत् तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

श्री उपाध्यक्ष: पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक।

सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुंझुनूं) विधेयक, 2008

श्री कालीचरण सर्राफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुन्झुनूं) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुन्झुनूं) विधेयक, 2008

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुन्झुनूं) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुन्झुनूं) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुन्झुनूं) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री अध्यादेश को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुन्झुनूं) अध्यादेश, 2007 (2007 का अध्यादेश संख्या 6) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कालीचरण सर्राफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि एमिटी विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

एमिटी विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एमिटी विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि एमिटी विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एमिटी विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री अध्यादेश को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत एमिटी विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर अध्यादेश, 2007 (2007 का अध्यादेश संख्या-9) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

व्यवस्था

अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष: अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर व्यवस्था।

अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस संबंध में कुछ वर्षों से अपनायी जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

(श्री उपाध्यक्ष)

इस सदन की यह परम्परा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव जिस दिन की मांग आती है, जो प्रस्तुत होते हैं वह यह मान लिये जाते हैं कि सदन में पेश हो गये हैं और बोलने के लिए उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती है, जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत किये जाते हैं। विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय बोलने के लिए प्राथमिकता उन्हीं माननीय सदस्यों को दें, जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं, ऐसा मेरा अनुरोध है।

जब मांग मतदान के लिए आती है तो उस समय भी स्वत: यह मान लिया जाता है कि वह कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किये गये हैं, वे वापस ले लिये गये हैं। यह परम्परा इस सदन की रही है।

जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाए, वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहे, वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जाएंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के संबंध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके, उनके लिखित उत्तर संबंधित माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से मिल जाए, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री अनुदान की मांग संख्या-26, श्री प्रभुलाल सैनी, कृषि मंत्री अनुदान की मांग संख्या 37 एवं 39, श्री राजेन्द्र सिंह राठौड।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी, वह शिरोधार्य है, लेकिन मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप सरकार को यह भी निर्देशित कर दें कि कटौती प्रस्ताव के जवाब कितने दिन में आ जायेंगे। पिछली बार शिक्षा मंत्रीजी ने तो जरूर तीन दिन के लिए कहा

(मोहम्मद माहिर आजाद)

था और तीन दिन के अंदर जवाब चले गये थे, बाकी चार-चार महीने तक कटौती प्रस्तावों के जवाब नहीं आते हैं फिर बाद में उनका कोई औचित्य ही नहीं रहता है, उनका कोई मतलब ही नहीं रहता है। एक अवधि निर्धारित हो जानी चाहिये कि एक सप्ताह में या इतने दिन में उनके जवाब चले जायेंगे, उसकी रेलेवेंसी नहीं रहेगी तब जाकर उसके जवाब आयेंगे, फिर उसका तो कोई मतलब नहीं निकलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो भावना है, उससे सहमत हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैंने उपाध्यक्ष महोदय से इस पर व्यवस्था चाही है, उस पर आसन को व्यवस्था देनी हे।

श्री उपाध्यक्ष: वह नहीं, व्यवस्था ठीक है और सरकार की तरफ से हमारा भी यही अनुरोध है कि जवाब जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिये। माननीय सदस्य, आप बोलें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सुनाई नहीं दिया, कब पहुंच जायेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक सप्ताह के अंदर।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कितने दिन में पहुंचने के निर्देश दिये आपने?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक सप्ताह में।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एक सप्ताह में, यह कमिटमेंट है, तब ठीक है। (व्यवधान) यह कोई जवाब थोड़े, जितनी आपकी संख्या है, उतने आयेगी क्या आपकी? आपकी तो उससे भी कम आयेगी।

अनुमान की मांग

मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई की प्रस्तुति

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-26 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 17 अरब 47 करोड़ 35 लाख 04 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाए।

(कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रभुलाल सैनी, कृषि मंत्री अनुदान की मांग संख्या 37 एवं 39 के लिए प्रस्ताव करेंगे।

मांग संख्या-37 कृषि, मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा की प्रस्तुति

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 37 के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5 अरब 76 करोड़ 57 लाख तक राशि प्रदान की जाए।

(कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2 अरब 21 करोड़ 4 लाख 43 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रभुलाल वर्मा। श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मौजूद हैं, आप बोलिये। बोलने दें, पहले इनको बोलने दें।

अनुदानों की मांगों पर विचार

मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 37-कृषि एवं 39-पशुपालन पर विचार

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): हां, मैं बोल रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिनायका एक गांव है। हर तरह से सारी सुविधाएं हैं। पानी, बिजली, सड़क अच्छी तरह से है। बिनायका हैड क्वार्टर है, पंचायत हैड क्वार्टर है, लेकिन यहां पर केवल उप स्वास्थ्य केन्द्र है, 10-12 गांव इसके आस-पास पड़ते हैं। जो छोटी-छोटी ढाणियां हैं, इलाज का कोई साधन नहीं है। जो भी बीमार हो जाता है वह उप स्वास्थ्य केन्द्र में कभी ए.एन.एम. मिले, कभी नहीं मिले तो नीम-हकीम के पास इलाज करवाना पड़ता है। इलाज ढंग से ना होकर और ज्यादा बीमार हो जाते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि बिनायका गांव में जो पंचायत हैड क्वार्टर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कृपा करें जिससे आम आदमी को अच्छा इलाज मिल सके। दूसरा, इटावा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में काफी पद रिक्त चल रहे हैं, बल्कि यूं कहिये कि एक्स-रे मशीन के तो जंग भी लग चुकी है। कई बार निवेदन करने के बाद भी वहां पर आज दिन तक टैक्निशियन नहीं लगाया। यहां करीब डेढ़-दो साल से टैक्निशियन की पोस्ट खाली पड़ी है। ए एन एम की भी काफी पोस्टें खाली पड़ी हैं। कहने का मतलब है कि जो निचला स्टाफ है, वह सारा करीब-करीब खाली है। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने डाक्टर के पद तो सारे भर रखे हैं लेकिन नीचे का स्टाफ नहीं होने के कारण

(श्री प्रभुलाल वर्मा)

वहां असुविधा रहती है। तीसरा, मैं एक छोटा-सा निवेदन और करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम हतोली, जो स्वास्थ्य केन्द्र से करीब 20 किलोमीटर दूर है, यहां पर कोई इलाज का साधन नहीं है। उप स्वास्थ्य केन्द्र भी नहीं है, इसलिए ग्राम हतोली तहसील पीपल्दा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कृपा करें। जय भारत, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-26 में अपने आपको सम्मिलित करते हुए वर्तमान सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसने पिछले चार सालों के कार्यकाल में जो प्रदेश की जनता की चिकित्सा की व्यवस्था थी, उसको सुदृढ़ करने के लिए बहुत बड़े-बड़े कदम उठाये हैं। हमारा जो चिकित्सा का बजट था, पिछली सरकार की तुलना में इस सरकार ने तीन गुना ज्यादा किया। और जो हमारी आवश्यकताएं थीं कि हमारी ग्रामीण चिकित्सा बहुत ही मजबूत और सुदृढ़ हो, ग्रामीण क्षेत्र के जितने सब-सेंटर थे, एड-पोस्टें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे, सामाजिक स्वास्थ्य केन्द्र थे, हमारी सरकार वहां तक भी पहुंची। और इस बात का प्रयास किया कि गांव के इलाके में जो भी हमारे चिकित्साकर्मी हैं, किन कारणों से वहां नहीं रूक पाते, किन कारणों से वहां नहीं रह पाते, हमारी सरकार ने उन कारणों को ढूंढकर कि वहां नर्स कैसे ठहरे, डाक्टर कैसे ठहरे। पिछली सरकार के कार्यकाल में कहीं भी डाक्टर का एक भी क्वार्टर ग्रामीण क्षेत्र में नहीं बना। डाक्टर को आवास सुविधा मिल जाये और डाक्टर वहीं ठहरना शुरू कर दें। हजारों की संख्या में क्वार्टरों का निर्माण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर करवाया। यही नहीं, अगर आवश्यकता हो तो बजट का प्रावधान भी किया कि डाक्टर को आवश्यकता महसूस हो किसी गरीब के इलाज के लिए एक राशि भी उनको दी ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी गरीब को दवाई के अभाव में नहीं मरने दिया जाये। हमारे प्रयास बहुत अच्छे हैं जो सुदूर इलाके में चिकित्साकर्मी लगे हैं, जहां कोई जाना पसन्द नहीं करता था, वहां भी अतिरिक्त भत्ता देकर, ताकि राशि के कारण वहां कुछ लोग चले जायें और वहां के लोगों को भी चिकित्सा सुविधा मिल जाये, यह प्रयास भी हमारी सरकार ने किये। इसके अलावा चिकित्सा सुविधा और सुदृढ़ हो, क्योंकि विभाग तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत बढ़ गया और एक सी एम एच ओ के बस का नहीं कि वह पूरे जिले को सम्हाल सके तो ब्लॉक स्तर पर इसका बंटवारा करके, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से ठीक चल सके तो ब्लॉक सी एम एच ओ के पद भी सृजित किये। हमने जितने प्रयास किये, उसके काफी अच्छे परिणाम भी अब आने चालू हुए हैं।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

जननी सुरक्षा योजना हमारी सरकार ने लागू की, मातृ मृत्यु दर में 34 प्रतिशत की कमी आई। यह हमारी सरकार का बहुत बड़ा काम है। हमने कोई जो हमारी बहिन थी, जो प्रसव के दौरान मर जाती थी, इस जननी सुरक्षा योजना के कारण हमने उनको मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। 34 प्रतिशत की कमी करके हमने साबित कर दिया कि हमारी जो योजना है वह कारगर साबित हो रही है। साथ ही जितने भी बड़े चिकित्सालय हैं या जिला चिकित्सालय हैं, जहां उपकरण की बहुत बड़ी कमी थी, अभाव था, किन उपकरणों की किस अस्पताल में कमी है और रोगी को उपकरण की कमी से क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है, इसके लिए भी हमारी सरकार के प्रयास बहुत अच्छे रहे हैं। हमारे जो चिकित्सा मंत्री थे, पहले मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उपकरणों की बौछार की जिला अस्पतालों में। एक पाली जैसा छोटा अस्पताल, वहां भी सीटी स्केन मशीन है जो बड़ी मशीन है और लगभग करोड़ों रुपये के उपकरण जो भी मांगे, मरीज को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उपकरणों के अभाव में मरीज जांच कराने के लिए कोई बड़े सेण्टर पर जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए और जो भी उपकरण चाहिए, उन्होंने उपलब्ध करवाए।

जो हमारे हालात पहले थे और पहले जैसे हम चिकित्सा के क्षेत्र में पिछड़े हुए थे उसमें हमारे इतने सारे प्रयास के बावजूद भी आज गुजरात की तुलना में हम चिकित्सा क्षेत्र में कुछ पिछड़े हुए हैं। हमारे कई रोगी चाहे आर्थोपेडिक्स हैं, चाहे हार्ट के हैं, आज राजस्थान में इतनी अच्छी सुविधा उन्हें नहीं मिल पा रही है इसलिए उनको मजबूरण गुजरात या दिल्ली की ओर जाना पड़ता है। हमने प्रयास किये हैं लेकिन कुछ और प्रयास करने की आवश्यकता आज हम खुद महसूस कर रहे हैं। मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से बिलकुल निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी सुपर स्पेशलिटी है उनकी आवश्यकता आज बढ़ गयी है। एस.एम.एस. देख लो, आप न्यूरो सर्जरी वार्ड में चले जाओ क्या हालत है? जितने बैड हैं उससे कई ज्यादा मरीज वहां भर्ती, वहां भर्ती मरीज को लेने के लिए बैड उपलब्ध अभी नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहां इतने अच्छे चिकित्सा है न्यूरो सर्जरी के कि बाहर के प्रान्तों के भी जो मरीज हैं, दिल्ली जैसे बड़े शहर के भी कई मरीज एस.एम.एस., जयपुर में अपनी न्यूरो सर्जरी कराने के लिए भर्ती होते हैं। इतने अच्छे सर्जन यहां मौजूद, जब आपके पास सर्जनों की अच्छी टीम है तो मात्र बैड का विस्तार करना है, यदि हम बैड का विस्तार कर दें और आवश्यकता हो तो और यूनिट और बढ़ा दें तो हम और कई मरीजों को लाभान्वित कर पायेंगे।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

इसके साथ-साथ ओपन हार्ट सर्जरी है, इसके मरीज राजस्थान में बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं। एक बार नवभारत टाइम्स में आया भी था कि ओपन हार्ट सर्जरी कराने के इन्तजार में दो लाख मरीज खड़े हैं। दो लाख मरीज, हिन्दुस्तान का आंकड़ा था यह। हमारे यहां भी ओपन हार्ट की यूनिट है और इतनी सस्ती और इतनी अच्छी चिकित्सा होती हे, अगर कोई बाइपास करवाना चाहे तो मात्र 30 हजार में बाइपास एस.एम.एस. की कार्डियक सर्जरी यूनिट में हो जाता है लेकिन वही, कि जितने मरीज हैं उसकी तुलना में हमारे पास संसाधन बहुत कम हैं। हमने जब इस यूनिट को खड़ा किया था तो उस समय जो प्लान बना था उसमें है कि 200 आपरेशन प्रतिवर्ष हो जाएं और उसकी तुलना में हमने संसाधन उपलब्ध कराये, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे उन डाक्टर्स को कि संसाधन 200 के और करीब 600 से ज्यादा आपरेशन वे प्रति वर्ष कर रहे हैं। कम संसाधनों में इतने ज्यादा आपरेशन कर रहे हैं वो।

मैं चिकित्सा मंत्रीजी से विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि हृदय रोगियों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है और बाहर की जो चिकित्सा है वो बहुत ज्यादा महंगी है। बहुत ज्यादा महंगी, चाहे वाल्व सर्जरी है, चाहे कोई भी ओपन हार्ट सर्जरी है, बाहर की तुलना में यहां जब एक तिहाई राशि में आपरेशन हो जाता है। तो हमारा यह बिलकुल मानवी फर्ज बनता है कि हम इसकी ओर पूरा ध्यान दें और कोई भी रोगी इस कारण कोई प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए मजबूर न हो कि उसको आपरेशन के लिए समय या तारीख नहीं मिली। यह तारीख वाला सिस्टम खतम हो जाए, मरीज जब चाहे पैसा जमा कराये और उसका आपरेशन हो जाए, इस तरह के संसाधन वहां उपलब्ध करायें। यह मेरा माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से विशेष आग्रह रहेगा।

मैं यह भी बताना चाहूंगा चिकित्सा मंत्रीजी को कि हमने उपकरण बहुत उपलब्ध कराये, जहां जो आवश्यकता थी हमने उस अस्पताल को वो उपकरण दे दिये। लेकिन जो हमारा सिस्टम है कि एक बार कोई उपकरण खराब हो गया तो उसको ठीक होने में बहुत वक्त लगता है। एक ड्रिल मशीन थी न्यूरो सर्जरी वार्ड की, मुझे अच्छी तरह से पता है, बहुत मामूली सा उपकरण और ठीक होने के लिए दिल्ली गया, लगभग डेढ़-दो साल तक लौट कर भी नहीं आया और उसके कारण कई मरीज जयपुर से अहमदाबाद शिफ्ट किये गये या उनको वहां मजबूरन जाना पड़ा। चाहे बच्चों की एन्ज्योग्राफी का कोई उपकरण था तो मामूली हजार-दो हजार का खर्चा लेकिन ठीक होने में एक

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

सकल के करीब समय लग गया। यह हो हमारी कमियां हैं, उपकरण हमारे पास मौजूद और खराबी होने के बाद समय पर ठीक नहीं हो, इस कमी को कैसे हम ठीक करें, इस व्यवस्था को कैसे ठीक करें तब तो उपकरणों का लाभ मिल पायेगा वरना उपकरण आपने करोड़ों रुपये के दे दिये और वो बेकार पड़े रह गये तो उसका लाभ मरीज को नहीं मिलेगा।

साथ ही हमारे राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना लागू की और उसमें एक राशि का प्रावधान भी कर दिया गया कि जो भी महिला यहां प्रसव करायेगी तो ग्रामीण क्षेत्र की महिला को 1400 रुपये, शहरी क्षेत्र की महिला को 1000 रुपये। और इसके बाद में आपने देखा होगा कि सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने वाली महिलाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी, अब अस्पताल तो छोटा पड़ने लग गया, वार्ड छोटे पड़ने लग गये और महिलाओं की संख्या बढ़ गयी। हमने योजना लागू कर दी तो हमारी जो महिला है, जो प्रसव अस्पताल में कराने आ रही है उसको वार्ड की समुचित व्यवस्था मिल जाए, उसको बैड मिल जाए, मंत्री महोदय, यह मेरा आग्रह रहेगा कि हम जितने भी मैटरनिटी वार्ड हैं उनमें बैड की संख्या बढ़ा दें ताकि उनको पूरी सुविधा मिल सके।

साथ ही मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी की जानकारी में टीबी के मरीजों की बात लाना चाहूंगा। हम कहते हैं, यहां सदन में हमने पिछली बार भी कहा था कि हम यह कहते हैं कि हमने राजस्थान में डोट लागू कर दिया और हम सरकार की ओर से जितने भी टीबी के मरीज हैं उन सब को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं। यह हमारी सरकार कहती है, चिकित्सा विभाग कहता है। पर डोट लागू होने के बाद में जिस मरीज ने डोट का पूरा कोर्स ले लिया उसके बाद कितने मरीज पूरी तरह से ठीक हो गये। अगर यह आंकड़ा देखोगे ना आप तो आप खुद महसूस करोगे कि यह डोट का जो इलाज है वह अपर्याप्त है। इसमें अधिकांश मरीजों में टीबी के जिवाणु पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी रह जाते हैं और उसके बाद में उनको कैटेगिरी सेकिण्ड की दवाइयां दी जाती हैं। और उसके बाद कई मरीजों को तो टीबी एम.डी.आर. का सामना करना पड़ता है, उनको इतना हो जाता है कि उनका उस रुटीन दवाई से ठीक भी नहीं होता। तो उस डोट का एक बार वापस आप परीक्षण करावाएं क्योंकि राजस्थान की जनता की जो सारी क्षमता है उसमें यह डोट कारगर नहीं लगे तो टीबी के मरीज को कह दो कि यह दवाई बाहर से ले आएं। वरना हम पाबंद करते हैं डाक्टर को कि आप बाहर की दवाइयां नहीं लिखोगे, डाक्टर

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

चाहे तो भी उसके हाथ बंधे हुए हैं, बाहर की दवाइयां लिख नहीं सकता। और जो निर्देश दिये गये हैं वो दवाइयां उसको लिखनी पड़ती है और उसका परिणाम यह आता हैं। कि टीबी का मरीज ठीक नहीं होता और आखिर में जाकर धीरे-धीरे कैटेगिरी सेकण्ड, कैटेगिरी सेकिण्ड से एम.डी.आर. और एम.डी.आर. से मौत के मुंह में जाना पड़ता है। एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण आपको राजस्थान में मिल जायेंगे। इसलिए मेरा बिलकुल आग्रह रहेगा कि इसका एक बार वापस परीक्षण कराएं और टीबी, जिसका इलाज सम्भव है उन मरीजों को हम किस प्रकार से जीवित रख सकें वो चिकित्सा पद्धति हम राजस्थान के हमारे सरकारी अस्पताल में लागू करें।

(14.59 बजे)

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़, सभापति, पदासीन)

साथ में मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें हैं। हमारा जो अस्पताल है वह पिछले 25 वर्षों से 300 शैयाओं वाला अस्पताल है। 25 वर्षों में उसके एक बैड की क्षमता भी नहीं बढ़ी और मरीजों की संख्या उससे तीन-चार गुना बढ़ गयी। अस्पताल छोटा और मरीज ज्यादा तो मेरा चिकित्सा मंत्रीजी से आग्रह रहेगा कि पाली बांगड़ चिकित्सालय को 300 से 400 बैड में क्रमोन्नत करने का श्रम करें।

दूसरा, हमारा पाली दो नेशनल हाई-वे के बीच में स्थित है, नेशनल हाई-वे नम्बर 14 और नेशनल हाई-वे नम्बर 65, यह दोनों पाली में आकर मिलते हैं। दो नेशनल हाई-वे हाने के कारण वहां दुर्घटनाओं की संख्या दूसरे जिलों की तुलना में कुछ ज्यादा होती है। प्रतिदिन, हमारे यहं ट्रोमा वार्ड बना हुआ है उसमें तीस से पैंतीस दुर्घटनाग्रस्त रोगी भर्ती होते हैं। हमारे डाक्टर प्रयास करते हैं कि उनको अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले, उनको सारे साधन, सुविधाएं, जो भी उपलब्ध कराना है, कराएं लेकिन जितनी आवश्यकता है उतनी वह डाक्टर करा नहीं पाते। अगर पाली में ट्रोमा सैण्टर खुल जाय तो हम उन दुर्घटनाग्रस्त रोगियों को और अच्छी चिकित्सा और बेहतर सुविधा दे सकेंगे। इसलिए मेरा चिकित्सा मंत्रीजी से यह भी आग्रह है कि आप पाली में ट्रोमा सैण्टर तत्काल मंजूर करने का श्रम करें।

आपने पिछली बार हमारे यहां सिटी डिस्पैंसरी स्वीकृत की, उसके लिए मैं अपनी ओर से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। आपने राजस्थान में दस

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

सिटी डिस्पैंसरी, जिसमें से एक पाली में दी लेकिन पाली की दो आवश्यकताएं और हैं वह भी आप स्वीकार कर पाली की जनता के ऊपर थोड़ा उपकार करें। साथ ही मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे पाली के बहुत बड़े दानदाता हैं जिन्होंने बांगड़ अस्पताल में भी बहुत बड़ा भवन बनवाया, उन्होंने बालोतरा में भी नाहटा चिकित्सा के नाम से अस्पताल का निर्माण करवाया था, आपने वहां सौ से डेढ़ सौ शैय्याएं कर दीं, उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री चन्द्रशेखरजी बैद।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-26 के ऊपर आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत आभार। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो वर्तमान सरकार के शासनकाल में 2004 के उपरांत आयी उसके अन्दर जो 2004 से 2008-09 के बजट का अवलोकन करें तो जो बढ़ोतरी हैल्थ के बजट में होनी चाहिए थी वह बढ़ोतरी नहीं हो पाई। 2004-05 के अन्दर राज्य सरकार द्वारा जो एक्चुअल एक्सपैंडिचर किया गया, 892 करोड़ का दिया जो बढ़कर 2005-06 में 9779 करोड़ हो गया, 2006-07 में 1080 करोड़, 2007-08 का आर ई 1309 करोड़ और 2008-09 का बजट आपने रखा है 1502 करोड़ रुपये का।

इस सन्दर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से केन्द्र सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में निरन्तर अपना बजट एलोकेशन बढ़ाती जा रही है, राज्य सरकार द्वारा उस अनुपात में बजट एलोकेशन नहीं बढ़ाया। यह एक नेगेटिव सोच हैल्थ के प्रति दर्शाता है। आजकल जो बजट एलोकेशन होता है वह जी एस डी पी के आधार पर किया जाता है। और जैसा कि राज्य सरकार ने अपने जो नेशनल रुरल हैल्थ स्कीम में केन्द्र सरकार को अपना कमिटमैंट दिया उसके अन्दर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपने एजट का एलोकेशन जी एस डी पी के आधार पर तीन परसैंट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन लगातार जो बजट एलोकेशन किया गया 2004 के उपरांत उसमें जी एस डी पी भी अनुपात में पाइंट नाइन पर्सेण्ट ही बजट का एलोकेशन किया गया जो कि अपर्याप्त है। इसी का नतीजा है कि आज राजस्थान के अन्दर रूरल हल्कों में जो हैल्थ व्यवस्था है उसमें सुधार नहीं हो पा रहा बल्कि इसमें निरन्तर गिरावट आती जा रही है।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

मैं यह केन्द्र सरकार को जो आप द्वारा लिखा गया "The mission is an articulation of commitment of the Govt. to raise public spending of health from .9% of GSDP to 3% of the GSDP." तो यह जो कमिटमैंट है, यह पूरा किया जाना चाहिए था। दूसरा, अगर नजर डालें तो राजस्थान की छह करोड़ चालीस लाख जनसंख्या जो आज की तारीख में है उसका तकरीबन सत्तर बहत्तर परसेंट लोग रुरल एरिये में, ग्रामीण हल्के में निवास करते हैं। अब एक तो बजट का एलोकेशन कम हुआ दूसरा शहर अरबन और रूरल एरिया के अन्दर इस बजट के डिवीजन को देखा जाए तो आपने शहर में खर्च करने के लिए अनुमोदन किया है छह सौ बीस करोड़ रुपये का और रूरल एरिये में अनुमोदन किया है 496 करोड़ रुपये का जो कि पूरे बजट का सिर्फ तैंतीस परसेंट है। जब कि आवश्यकता इस चीज है कि रूरल एरिये में हैल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए शहर के अनुपात में गांवों का बजट ज्यादा रखा जाना चाहिए था। ग्रामीण इलाके के अन्दर जो पापुलेशन आज निवास करती है वह है चार करोड़ नब्बे लाख और आपने वहां पर विभिन्न प्रकार की दवाइयां, जिसमें सारी दवाइयां शामिल हो गईं, यह एक छोटा सा उदाहरण है जो यह बताता है कि आपकी सीरियसनैस रूरल एरिया के प्रति कितनी है। आपने सारी दवाइयां जिसमें एलोपैथी, आयुर्वेद और इंडियर ट्रेडिशनल मेडिसन को सब को शामिल कर लिया जाए तो बजट रखा है चार करोड़ दस लाख रुपये का। एक साल में ग्रामीण इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति के लिए एक रुपये से भी कम का आपने प्रावधान किया है। इसको आप पर्याप्त कैसे कह सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, राज्य में वैट कानून जब लागू हुआ तो वैट कानून लागू होने के पहले कुछ ऐसी जीवन रक्षक दवाइयां थीं, असेन्शियल मैडिशंस जिनके ऊपर राज्य सरकार द्वारा कोई सैल्स टैक्स नहीं लगाया जाता था। अब वैट प्रणाली लागू हुई, सारे राज्यों ने मिलकर निर्णय लिया उसमें अधिकार राज्य सरकार का ही होता है कि किस पर वैट लगाना है और किस पर वैट नहीं लगाना। लेकिन जिन दवाइयों के ऊपर वैट प्रणाली लागू होने के पहले टैक्स नहीं लिया जाता था उन दवाइयों पर आज की तारीख में चार परसेंट के हिसाब से टैक्स लिया जा रहा है जो कि अनुचित है। रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविजन पर सुनते हैं कि फलां पर वैट कम कर दिया, किसी पर वैट ज्यादा कर दिया। कई कारण हो सकते हैं उसके पीछे लेकिन इन असेन्शियल ड्रग्स के ऊपर जैसी कि एक स्पेशल केटेगरी सैल्स टैक्स के कानून कायदों में बनी हुई है इनके ऊपर जीरो परसेंट से चार परसेंट सैल्स

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

टैक्स लगाना उचित नहीं है क्योंकि इनमें वह दवाइयां शामिल हैं जो इमरजैंसी के समय में काम में आती हैं, जो कैंसर के पेशेण्ट के काम में आती हैं, जो एड्स की बीमारी के काम में आती हैं। और अन्य प्रकार की गम्भीर बीमारियों के अन्दर गरीब मरीज को चार परसैंट ज्यादा टैक्स देकर वहीं दवाइयां लेनी पड़ रही हैं, यह कहां तक उचित है?

साथ में मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज राज्य के अन्दर जिस कदर स्पयुरीअस, नकली दवाइयों का प्रचलन बढ़ गया है और राज्य सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कि इन स्पयुरीअस मेडिसन्स को पकड़ा जा सके और आज भी जो देश का औसत अनुपात है उस अनुपात में स्पयुरीअस मेडिसन राजस्थान में ज्यादा बिक रही हैं और यह स्थिति और भी ज्यादा बदतर है ग्रामीण इलाके के अन्दर जहां कि स्पयुरीअस मेडिसंस को पकड़ने का कोई तरीका अख्तियार नहीं कर रखा है, राज्य सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है कि गांव के अन्दर एक छोटा सा कैमिस्ट जो अपनी दवाइयां दे रहा है वह पता नहीं कहां से ला रहा है, गुजरात से ला रहा है, कोई दिल्ली से ला रहा है, कोई गुडगांव से ला रहा है। नाम मेडिसन के ऊपर वही है अन्दर दवाइयां कुछ और हैं। उसके ऊपर राज्य सरकार का कोई चैक नहीं है।

तो एक गरीब आदमी जो गांव के अन्दर रहता है उसके लिए बजट कम रख दिया और जो थोड़ी बहुत व्यवस्था थी उसके अन्दर भी सुचारू रूप से सुधार नहीं किया गया। जब कि होना यह चाहिए कि पूरे राजस्थान के अन्दर इस चीज के ऊपर कड़ी नजर रखी जाय जो भी स्पयुरीअस मेडिसन राजस्थान में मिलती हैं। आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि इन दवाइयों की पीरियोडिकली जांच करवाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि राजस्थान की जनता को, चाहे वह शहर में रहती है चाहे गांवों में रहती हो उसको कम से कम नकली दवाई तो न मिले। मैं आशा करता हूं कि माननीय चिकित्सा मंत्रीजी जब जवाब देंगे तब इस व्यवस्था के सुधार के बारे में जो भी उनके विचार हैं या योजना बनायी है आगे आने वाले समय में उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बार राज्यपाल के अभिभाषण में, बजट के आन्सर के अन्दर हमेशा यह कहा कि हमको तो राजस्थान को नम्बर वन पर लाना है। बाकी दूसरी चीजों में नम्बर

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

वन आया हो चाहे नहीं आया हो लेकिन कन्या भ्रूण हत्या के अन्दर तो पूरे विश्व में, पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर अलग-अलग मैगजीन में प्रमाणिक संस्थाओं द्वारा यह तय हो गया है कि राजस्थान कन्या भ्रूण हत्या के मामले में नम्बर वन है आज। पहले भी यह प्रश्न उठा अपने सदन के अन्दर। यह मालूम किया गया कि सैक्स रेश्यो किस हिसाब से राजस्थान में डिस्टार्ट हो रहा है। उस समय एक महत्वपूर्ण बिन्दु चर्चा में आने से रह गया कि सैक्स रेश्यो से ज्यादा इम्पोर्टेंट है चाइल्ड सैक्स रेश्यो। जीरो से पांच से छह साल के बीच की उम्र के बच्चों में लिंगानुपात कितना है? यदि उस पर आप दृष्टि डालेंगे तो मालूम पड़ेगा कि वह लिंगानुपात राजस्थान में बहुत तेजी से बिगड़ रहा है। यह मैं नहीं कह रहा, यह बड़ी-बड़ी इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड मैगजीन के अन्दर बार-बार कहा गया और यह प्रश्न लोक सभा में भी उठा। लोक सभा में भी राजस्थान का उद्धरण दिया गया और जो इंडो-केनेडियन रिपोर्ट है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो राजस्थान के अन्दर एक साल में तीस हजार फीमेल फिटिसाइड कन्या भ्रूण हत्या के मामले होते हैं। अगर उसको दिन के हिसाब से देखा जाए तो प्रतिदिन 82 कन्या भ्रूण हत्या के मामले उजागर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कन्या भ्रूण हत्या इतनी बड़ी तादाद के अन्दर राज्य के अन्दर हो रही है और मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पिछले चार साल के कार्यकाल को अगर देखें, मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे-कैसे प्रकरण क्या-क्या हुए। उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कन्या भ्रूण हत्या रोकने के मामले में राज्य सरकार उदासीन रही है।

मैं आपकी अनुमति से सबसे पहले यह जवाब जो दिया गया उसमें सरकार ने माना कि शुरू के दो साल में, गत दो वर्षों में कन्या भ्रूण हत्या का एक भी मामला, प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। यह हालत है 2005-2006 की, जब एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। इसी पवित्र सदन के अन्दर तत्कालीन चिकित्सा मंत्री ने यह जवाब में बोला है। प्रश्न संख्या थी 2277, उसके बाद में स्टिंग आपरेशन हुआ। पूरे देश के अन्दर हल्ला मचा। स्टिंग आपरेशन यह नहीं है कि सिर्फ राजस्थान में ही हुआ, अन्य राज्यों में भी स्टिंग आपरेशन किया गया। राजस्थान के अन्दर 62 मामले प्रकाश में आए। राज्य सरकार ने बड़ी तत्परता से एफ आई आर दर्ज की और ऐसा महसूस किया गया कि आने वाले समय में शायद सरकार पूरी मुस्तैदी से कन्या भ्रूण हत्या के मामले के अन्दर जागरूक रहने का प्रयास कर रही है। लेकिन जैसा लोगों को आशा थी उसके

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

अनुरूप हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? जैसा कि मैं एक तो यह बताना चाहता हूं कि लोक सभा के अन्दर जो कहा गया कि 62 मामले कन्या भ्रूण हत्या के प्रकाश में आए हैं, कन्या भ्रूण हत्या के मामले में राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने बड़ा हैरत भरे निर्णय लेते हुए कन्या भ्रूण हत्या की साजिश के अभियुक्त 30 चिकित्सकों की प्रेक्टिस पर रोक हटा दी। क्यों हटा दी? रोक क्यों हटा दी? उसका कारण भी आगे लिखा गया है माफी की वजह में। काउंसिल ने कहा कि इन डाक्टर्स के खिलाफ कन्या भ्रूण हत्या की शिकायत दुबारा नहीं आयी। इसका मतलब यह हुआ कि कोई व्यक्ति यदि किसी नाबालिग बालिका के साथ अवैध रूप से बलात्कार कर लेता है तो उसको आप यह कहकर छोड़ दोगे कि छह महीने तक इसने दुबारा बलात्कार नहीं किया। उसको छोड़ दो, यह क्या लॉजिक हुआ? और सारे कानून कायदे इसके अन्दर आपने पलट कर और उन डाक्टर्स को, उन सोनोग्राफी मशीन को जिनको आपने बुक किया था उन सब को रिलीज करके यह संदेश देने का प्रयास किया कि कन्या भ्रूण हत्या के मामले में हमको यह मत सोचना कि हम गम्भीर हैं, हम अभी भी उतने ही लापरवाह हैं और उतने ही उदासीन रहेंगे। नतीजा क्या निकला? उसके ठीक बाद जब माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं उदयपुर में भी उस समय की बात है कि कन्या भ्रूण वहां सड़कों के ऊपर फतेहसागर के किनारे पाये गये। यह इसी का नतीजा था और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तत्परता से इस कन्या भ्रूण हत्या के मामले को गम्भीरता से लेते हुए एक कमेटी बनायी। तो राजस्थान की जनता तो यह जानना चाहती है कि कन्या भ्रूण हत्या के मामले में जिस प्रकार की शिथिलता आप प्रदान कर रहे हैं सारे कानूनों को नजरंदाज करते हुए तो आपकी मंशा क्या है? आप कन्या भ्रूण हत्या को रोकना चाहते हैं या कन्या भ्रूण हत्या को प्रोत्साहन देना चाहते हैं? जब लोक सभा में राजस्थान का नम्बर नम्बर वन पर पुकारा जाता है जो इंटरनेशनल लीडिंग मैगजीन है मेडिकल जनरल लेंसेट उसके अन्दर कहा जाता है कि राजस्थान नम्बर वन है। मैं आपको रेफरेंस भी दे दूंगा जिसके अन्दर कहा गया है।

ऐसी स्थिति में मैं यह समझता हूं कि सरकार का यह दायित्व बनता है कि कन्या भ्रूण हत्या के मामले में पी सी पी एण्ड डी टी एक्ट को सख्ती से लागू करे। माननीय चिकित्सा मंत्री ने अभी दो दिन पहले यह कहा था कि डाक्टर्स को भी अपनी भावना में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो सारे अपराध को रोकने के लिए सारे अपराधियों को अपनी भावना में परिवर्तन करना पड़ता है।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

उसका मतलब यह नहीं है कि सरकार जो 1994 के अन्दर कानून बना पी सी पी एण्ड डी टी एक्ट जिसके अन्दर 2002 के अन्दर अमेंडमेंट किया गया, ऐसे कानून को सख्ती से लागू करे और बताने का प्रयास करे राजस्थान की जनता को। उसके लिए जो आपने कहा वह भी गलत नहीं है कि भावना में भी परिवर्तन जरूरी है। उसके लिए अलग-अलग जगह कैम्प लगाये जा सकते हैं। लोगों को जागरूक किया जा सकता है। एन जी ओ को एक्टिवेट किया जा सकता है जिससे इस तरह के कन्या भ्रूण हत्या के मामले से बचाया जा सके।

एक जो पूरे देश में प्रचलित हुआ, इस बारे में समाचार, कोख पर कालिख। तो वह कोख पर कालिख तो वैसी पुती रह गयी, उसको मिटाने का प्रयास, मानस तो आपने बनाया था लेकिन वह सफल नहीं हो पाया।

माननीय सभापति महोदय, मैं जो ग्रामीण इलाके की बात कर रहा था एक यह सूची जिसके अन्दर यह लिस्ट है कि राज्य के चिकित्सालयों में पिछले तीन माह से कोई चिकित्सक नहीं है। राज्य में ऐसे चिकित्सालय जहां गत तीन माह से एक भी चिकित्सक नहीं है उसके सूची, तो आप उसकी सूची पर नजर डालें तो यह विदित होगा कि यह पूरी फ़ेहरिस्त जिसके अन्दर अधिकांश जिले शामिल हैं। कई चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं, कई उप स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं जहां कोई मेडिकल परसोनल नहीं है। ऐसी स्थिति के अन्दर अगर हम यह बात करें कि हम आई एम आर कम कर देंगे और एम एम आर कम कर देंगे तो यह कैसे कम कर देंगे? जो थोड़ा-बहुत सुधार यह एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण की बात नहीं है कि हमने यह किया, आपने वह किया, यह तो निरन्तर प्रक्रिया है जो चलती रहनी चाहिये। आज एन एफ एच एस की जो रिपोर्ट आयी है उसमें सम्पूर्ण योगदान सिर्फ आपका ही नहीं है, पुरानी सरकार का भी है। उससे पुरानी सरकार का भी है। तो इस निरन्तर प्रक्रिया में जागरूक रहकर यदि लोगों को आई एम आर और एम एम आर के अन्दर इम्प्रूवमेंट करना है क्योंकि यह दो वह इम्पोर्टेंट इंडिसेज हैं जो आपको यह कहने के लिए मजबूर करते हैं कि आप अभी भी स्वास्थ्य के मामले में बीमारू राज्यों की श्रेणी में हैं। तुलनात्मक रूप से जब आप अन्य राज्यों से या नेशनल एवरेज से तुलना करते हैं तो मालूम पड़ता है कि आप तो कहीं भी नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह सवाल जो शुरू सै उठ रहा है और तत्कालीन चिकित्सा मंत्री ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा कि राजस्थान के

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

अन्दर बहुत सारी प्राइवेट लैब्स हैं। शहरों के अन्दर और छोटे शहरों के अन्दर तो they are mushrooming like anything. हर गली नुक्कड़ पर एक डाइग्नोस्टिक लैब बन गया। आपने कहा था। मैंने यह प्रश्न पहले भी दो बार उठाया था। इन्होंने कहा इसको रेगुलराइज करने के लिए इनकी गुणवत्ता को निश्चित करने के लिए हम जल्दी ही कोई कानून बनायेंगे। इन्होंने लिखकर भी दिया कि इस तरह का कोई कानून बनेगा जिसमें कि एक आदमी पैसे देकर प्राइवेट लैब पर जो इनवेस्टीगेशन करवा रहा है, कम से कम उसके मन में तो यह विश्वास हो कि जो पैसे देकर वह टैस्ट करा रहा है उसकी रिपोर्ट, उसकी गुणवत्ता सही होगी। लेकिन आज तक, हमने भी हो सकता है नहीं किया होगा लेकिन वर्तमान सरकार ने इस तरफ कोई पहल नहीं की। न तो इस चीज पर रेगुलेशन है कि वह कौनसा टैस्ट कर रहा है? उसके उपकरण उसके पास हैं या नहीं हैं? क्या वह जो टैस्ट कर रहा है वह सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है? वह सही कैमिकल का इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं? वह जितनी राशि एक मरीज से वसूल कर रहा है, उसका निर्धारण करने की कोई नीति बनी हुई नहीं है। कोई आदमी एक जांच के पचास रुपये ले रहा है और दूसरा आदमी सौ रुपये ले रहा है। कोई नीति निर्धारण नहीं किया हुआ है। यह राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि सरकारी अस्पतालों के अलावा भी आपको सारी प्राइवेट लैब्स पर भी कोई अंकुश लगाना पड़ेगा जिससे वाजिब दामों के अंदर और सही गुणवत्ता की रिपोर्ट उस मरीज को मिल सके। यही कारण है कि कई मरीज आपको कहते हुए मिल जायेंगे कि मैंने फलां लैब में जांच करायी तो रिपोर्ट यह आयी और उसी दिन दूसरी लैब में करायी तो उसकी रिपोर्ट दूसरी आयी। यह अनुचित है और आपको इन सारी चीजों पर अंकुश लगाकर के यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि राजस्थान की जनता जो प्राइवेट लैब में टेस्ट कराती है उसको गुणवत्ता के साथ उसकी रिपोर्ट मिल सके।

सभापति महोदय, एक कानून बना हुआ है कि आर.एम.आर.एस. में यह तय किया गया है कि गरीब मरीज है, उनको राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी से 25 प्रतिशत जो आमदनी होती है, उसका पैसा गरीब मरीजों पर खर्चा किया जायेगा। सबसे पहले तो मैं सवाई मानसिंह चिकित्सालय का उदाहरण दे दूं, जो आमदनी आर.एम.आर.एस. के अंदर 2004 में होती थी, वह 2005 में नहीं है, जो 2005 में होती थी वह 2007-08 के अंदर नहीं है।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

आर.एम.आर.एस. से होने वाली आमदनी में निरंतर गिरावट आ रही है और आपने यह भी कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर हम आर.एम.आर.एस. की स्थापना करके यह सुनिश्चित करें कि जो गरीब बी.पी.एल. मरीज है, जो यहां नहीं आ सकता है, उसका 25 प्रतिशत पैसा वहीं खर्च करेंगे, उसकी फ्री में जांच कर दें और वहीं से उसको दवा उपलब्ध करा दें।

सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए बड़ा दु:ख है कि आज 90 प्रतिशत से ज्यादा प्राइमरी हैल्थ सेन्टर एंड कम्युनिटी हैल्थ सेंटर ऐसे हैं जहां पर यह आर.एम.आर.एस. आज भी डी-फैक्ट है, कोई मीटिंग ही नहीं होती है। बड़ी चेष्टा करने के बाद में, कई लोगों के कहने के बाद में वह मीटिंग चलती है, ना तो उसकी कोई आमदनी है, जब आमदनी नहीं होगी तो आप उसका 25 प्रतिशत पैसा बी.पी.एल. परिवारों पर कैसे खर्च करेंगे, यह तो सुनिश्चित हो। आपने कई कानूनों में तब्दीली भी की है। आर.एम.आर.एस. के नये कानून बनाये हैं। उसके अंतर्गत जिला प्रशासन को यह निर्देश दिये जाना जरूरी है कि नियमित रूप से उनकी मीटिंग हों, उनकी आमदनी बढ़े। उनको अधिकृत किया जाये कि दानदाताओं से भी वह पैसा ले जिससे कि गरीब मरीजों के लिए जिला स्तर पर 25 प्रतिशत पैसे का सदुपयोग करते हुए उनकी जांच भी की जा सके और उनको दवाइयां भी उपलब्ध करायी जा सकें।

सभापति महोदय, एक चीज जिसके लिये बहुत हिम्मत की जरूरत होगी, पता नहीं आदरणीय चिकित्सा मंत्रीजी उसको कर पायेंगे या नहीं? लाइफ लाइन स्टोर जो सवाई मानसिंह चिकित्सालय में चल रहे हैं, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यहां पर दवाइयां 25 से 50 प्रतिशत जो बाहर केमिस्ट रिटेल की दुकानों पर दे रहे हैं, उससे सस्ती मिलती हैं और उसमें सरकार को इतनी सस्ती दवाइयों के उपरांत भी आमदनी होती है तो यह लाइफ लाइन स्टोर आपने एक ही जगह क्यों सीमित कर रखें हैं। मेडिकल कालेजेज से अटैच हास्पिटलों में ही लाइफ लाइन स्टोर क्यों हैं। कम्युनिटी हैल्थ सेंटर में भी होने चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भी होने चाहिंए। क्या आप यह नहीं चाहते हैं कि जहां 76 प्रतिशत पापुलेशन रह रही है वहां पर जो दवाइयां मिलती हैं वह दवाइयां 25 से 50 प्रतिशत कम दामों में मिलें। वहां भी कम दामों पर दवाइयां मिलनी चाहिए जब आप यहां दे रहे हैं। अनेकों दवाइयां ऐसी हैं, लम्बी फेहरिस्त है, कोई तीन हजार से ज्यादा दवाइयां होंगी सवाई मानसिंह

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

चिकित्सालय के अंदर लो तो वह दवाइयां सौ रुपये में मिलती हैं वही दवाइयां अगर आप बाहर लेंगे तो वह 150 रुपये में मिलेंगी। तो यह सस्ती दवाइयों का जो लाइफ लाइन स्टोर का कंसेप्ट आया है और जो कंसेप्ट सक्सेसफुली सवाई मानसिंह चिकित्सालय के अंदर और मेडिकल कालेजों से जुड़े हुए अस्पतालों में सफलता पूर्वक चलाया जा रहा है, तो इस कंसेप्ट को आगे भी रूरल एरिये में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर संचालित करके यह सुनिश्चित करें कि गरीब आदमी को भी सस्ते दामों में दवाइयां मिलें।

सभापति महोदय, एक बार नहीं, अनेकों बार यह सवाल उठा कि जो सरकार उपकरण खरीदती है, विभिन्न प्रकार के उपकरण जो कि जीवन रक्षा उपकरण भी हैं। उनमें एक बार सरकार के द्वारा यह कमिट किया गया था कि अनेक उपकरण ऐसे हैं जो कि कंडम हो चुके हैं, लेकिन अभी भी न तो उनका कोई रिप्लेसमेंट किया गया है, ना उनको अभी रिपेयर किया गया है। ऐसे जीवन रक्षा उपकरण, इनकी लम्बी सूची थी उस समय माननीय अध्यक्षजी भी बिराजी हुई थी उन्होंने भी चिकित्सा मंत्रीजी को यह कहा कि आप यह बिलकुल एंश्योर करें हाउस को कि इन उपकरणों को जल्दी ठीक करवा लिया जायेगा। अब यह लम्बी लिस्ट है, इसमें वेंटिलेटर भी हैं, कार्डियक मानिटर भी है, डायलेसिस की मशीन भी है और इमेज इंसेंटिव फायर भी है। कई तरह की मशीनें हैं। यह आज तक डी-फंक्ट पड़ी हैं। या तो इनको कंडम करके आप नयी मशीनें खरीदें या अगर इनकी रिपेयरिंग करवानी है तो उनको शीघ्रता से रिपेयर करावें। और आइंदा से जो मशीनें खरीदें उनका एक अनुबंध साइन कराया जाये तीन साल का कि जिससे जो लोग यह मशीनें दे रहे हैं वह लोग इन मशीनों को तीन साल तक ठीक करने की गारंटी भी लें।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2004 के बजट भाषण में घोषणा की थी टेली मेडिसिन की कि एक टेली मेडिसिन विभाग भी शुरू कर दिया गया, इसरो से अनुबंध भी किया गया। ग्रामीण इलाके में यह प्रयास किया गया था कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज है उससे जोड़ दिया जाये जिससे कि विशेषज्ञों की राय गांव में बैठे आदमी ले सकेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमजोरी मैं कहना चाहूंगा कि जो वैन आपको लेनी चाहिए थी, जिस वैन के जरिये ग्रामीण इलाके में जाकर वह वैन खड़ी हो जाये और वहां के लोगों को जयपुर में बैठे हुए या मेडिकल कॉलेजेज में बैठे हुए चिकित्सकों की राय मिल सके। यह वैन अभी तक नहीं आयी है। पहले तो

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

आर्डर किया ही नहीं और किया तो उसमें विलम्ब कर दिया गया और विलम्ब करने के बाद वह वैन अभी तक नहीं आयी है। जैसी मुझे जानकारी मिली है कि इसके आने में 6 से 8 महीने और लग जायेंगे, तो आप इसकी भी कोशिश करें। अपना जो पूरा हैल्थ सिस्टम है वह रूरल सेन्ट्रिक हो सकेगा रादर दैन मेकिंग इट सिटी सेन्ट्रिक।

सभापति महोदय, इसी के कंटिनिवेशन में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जो बजट अलाट हुआ है और जिस तरीके से रूरल हैल्थ मिशन और आर.एच.एस.डी.पी. की शुरूआत आपने की थी 2004 में और ओवरऑल प्लान यह बनाया गया था कि पांच साल के अंदर जो 405 करोड़ रुपया राजस्थान में खर्च किया जाना है वह खर्च हो जायेगा। लेकिन आर.एच.एस.डी.पी. विलम्ब से चल रहा है, आल रेडी यह गाड़ी दो साल लेट चल रही है और आपने वर्ल्ड बैंक से परमिशन भी मांगी है कि इसको आगे एक्सटेंड कर दिया जाये। आप यह सुनिश्चित करें कि जो पैसा आपको उपलब्ध हो गया, जिस पैसे में आपका भी हिस्सा है, केन्द्र सरकार का भी हिस्सा है, अनुदान भी है। कुछ पैसे के ऊपर ब्याज भी आप दे रहे हैं, आप इसको सही तरीके से शीघ्र पूरा करें ताकि इसका लाभ ग्रामीण जनता तक पहुंच पाये और नेशरल रूरल हैल्थ स्कीम जो 2005 से 2012 चल चलनी है। उसका भी जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया कि रूरल जनता को जैसे एसएसए है, उसका भी काफी हिस्सा पैसे का, आपकी मैचिंग ग्रांट तो कम होती है, काफी हिस्सा जो केन्द्र सरकार देती है, उस पैसे का तो समय पर सदुपयोग करें जिससे कि उनकी इंस्टालमेंट समय पर आये और समय पर जब इंस्टालमेंट आयेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा बीपीएल के बारे में कि मेडिकल रिलीफ के कार्ड आपने अभी तक नहीं बनाये। कोई बात नहीं अगर नहीं बनाये, लेकिन आपने एक बार नहीं अनेकों बार यह एडमिट कर लिया कि हमने बीपीएल के रिलीफ कार्ड नहीं बनायें, धीरे काम चल रहा है क्योंकि 2006 की घोषणा के बाद अब तक बीपीएल के कार्ड कई जिलों के अंदर नहीं बने हैं। हमारे सारे माननीय विधायक बैठे हैं, आप सब से पूछ लें, कई जिलों के अंदर नहीं बने हैं। नहीं बनने के कारण कम से कम जो बड़े मेडिकल कॉलेजों से अटैच हास्पिटल हैं, उनको तो यह निर्देशित करें कि बीपीएल कार्ड अगर किसी का नहीं बना है तो पुराने बीपीएल कार्ड के आधार

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

पर उनका इलाज कर दें। यहां तो कहते हैं कि नये बीपीएल कार्ड लाओ, फोटो लगा हुआ होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में आप जिले के अधिकारियों को भी बोलें कि सभी के बीपीएल कार्ड फोटो सहित जल्दी उपलब्ध करवा दें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): यह बात हो चुकी है डाक्टर साहब।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): जिससे कि उन ग्रामीणों को जो बीपीएल कार्ड लेकर के यहां आते हैं, उनका नि:शुल्क इलाज किया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, आखिर में मैं एक चीज और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने एक सरकूलर निकाल कर यह आर्डर दे रखा है कि जिन बी पी एल लोगों को यहां पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होती है उनको हायर सेंटर में रैफर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाले मेडिकल कॉलेज में करेंगे, मेडिकल कालेज वाले बाहर करेंगे। जब आपने वी वी आई पीज पर एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर दिया, एक भी बी पी एल को, एक भी बी पी एल को इन्होंने ऐसा नहीं समझा जहां पर अपने 26 लाख बी पी एल परिवार रहते हैं, एक बी पी एल को कहीं हायर सेंटर पर आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट या जयपुर के बाहर रैफर कर दिया हो। नहीं किया। आपने ही यह सरकूलर निकाला है कि जो बी पी एल परिवार इस चीज की मांग करेंगे, मैं यह पढ़कर सुनाता हूं आपका, ...संचालित राजकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध कॉटेज वार्ड, क्यूबिकल वार्ड की सुविधा राज्य कर्मचारियों, राज्य सेवा के पेशनर्स, स्वतंत्रता सेनानी, वरिष्ठ नागरिक, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को तथा भूतपूर्व विधान सभा सदस्यों को भी चिकित्सालयों में उपलब्धता के आधार पर आबंटित किए जाएंगे, आप मुझे एक उदाहरण दे देना 2004 के बाद कि किसी बी पी एल के आदमी को आपने प्राइवेट वार्ड दे दिया हो तो। मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि ज्यादा ध्यान देने की जरूरत गरीब बी पी एल परिवार के लोगों को और ग्रामीण एरिया के अंदर जब तक आप चिकित्सा सुविधाओं में सुधार नहीं करेंगे तब तक खाली शहर के अंदर थोड़ा बहुत पैसा आपने खर्च कर दिया तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। आज भी गांवों में जाओ तो लोग कहते हैं कि साहब जापो कराणे वास्ते माचा पर घाल क औरत न तीन किलोमीटर बाहर ले जाणो पड़े, तो कितनी शर्मनाक बात है। मैं आपको दोष

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

नहीं दे रहा, अपनी पूरी व्यवस्था को दोष दे रहा हूं कि कितनी शर्मनाक बात है कि आज भी डिलीवरी करवाने के लिए जब सारी व्यवस्था मौजूद है, औरत को कंधों पर लेकर तीन किलोमीटर, चार किलोमीटर दूर तक ले जाना पड़ता है। पर्याप्त कर्मचारी हैं नहीं, चिकित्सा की सुविधाएं हैं नहीं, प्राइमरी हैल्थ सेंटर के स्टेण्डर्ड आप देख लो एक तरफ और दूसरी तरफ कोई भी प्राइमरी हैल्थ सेंटर देख लो जिसमें वह पूरी सुविधाएं या मेडिकल पर्सनेल अवेलेबल कराए हों, नहीं कराए। ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि मेडिकल पर्सनेल भी आप एडमिट करो, उनको समुचित मात्रा में लगाओ, उपकरणों की देखरेख के लिए और 24 घण्टे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि हम ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डवलप करेंगे जहां 24 घण्टे प्रसूति हो सके। तो ऐसे स्वास्थ्य केन्द्र कौन-कौन से हैं, हमें तो बताओ, हम तो पांच-छह जिलों के अंदर जाते हैं, हमने तो कोई एक भी प्राइमरी हैल्थ सेंटर ऐसा नहीं देखा जिसके अंदर इस तरह की व्यवस्था हो। तो इस तरह की व्यवस्था में सुधार करने का आप भी प्रयास करो, हमें भी सहयोग करेंगे। और यह जो इण्डिसेज हैं हैल्थ के वह हमने नहीं बनाएं हैं, पूरी दुनिया में बने हुए हैं, इसके अंदर राजस्थान राज्य बीमारू की श्रेणी से बाहर आ जाए तो यह सारी जनता इस पवित्र सदन को बधाई देगी और आभार व्यक्त करेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापतिः मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि सभी अपन समान रूप से विधायक हैं। एक तो समय का ध्यान रखें, आप मन मंथन कर लें कि आपको दस से बारह मिनट बोलना हैं और जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाए वह अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ ही बोले, अलग से किसी के प्रस्ताव पर समय नहीं दिया जाएगा।

माननीय सदस्य, श्री शांतिलालजी चपलोत।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। हमारे शास्त्रों में कहा है, 'प्राणिनाम् आर्त नाशनम्' प्राणि मात्र का हम दुःख दूर करेंगे और उसके लिए हमारी सरकार ने इस विषय में पूरे प्रयत्न किए हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मैं बहुत ज्यादा उस बारे में नहीं जाना चाहता हूं कि 95 आयुर्वेद, 65 होम्योपैथी, 24 यूनानी हॉस्पिटल, और मुझे प्रसन्नता है कि 29 तारीख को जिस दिन मुख्य मंत्रीजी ने बजट

(श्री शांतिलाल चपलोत)

भाषण का उत्तर दिया, उस दिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में सालेरा कला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा की, जो पहले से लम्बित थी। उसके लिए मैं पूर्व चिकित्सा मंत्रीजी को, मुख्य मंत्रीजी को और वर्तमान मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

हमारे यहां चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी हैं, ऐवरेज ऐज भी बढ़ी है। पहले आदमी की ऐवरेज ऐज बहुत ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, 29 साल थी जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ और आज की तारीख में ऐवरेज ऐज बढ़ी है। चिकित्सा सुविधाओं की वजह से बढ़ी है, सभी संभागों में आपरेशन थियेटर अच्छा बनाने के लिए अभी इस बजट में जो प्रावधान रखे हैं उसके लिए उन्हें बहुत-बहुत बधाई। मेरा इतना सा निवेदन है कि जहां-जहां पर भी मेडिकल कॉलेज हैं, वहां पर कम से कम सभी पोस्टें फिल अप की जाएं, कैसे भी, उनकी या तो भर्ती की जाए, यहां एस एम एस में भी काफी पद रिक्त होंगे, हैं, हमारे उदयपुर मेडिकल कालेज में भी हैं, इससे आपरेशन में काफी दिक्कतें आती हैं, कम से कम उन स्थानों को जल्दी भरा जाए। जैसे अभी रेडियोलाजी डिपार्टमेंट में उदयपुर में दो-दो, तीन-तीन पद रिक्त चले आ रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय स्तर की जो संस्था है, आई एम सी उसने यह कह दिया कि यदि पद नहीं भरे तो आपकी मान्यता रद्द की जा सकती है, आप एम डी नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार की वार्निंग सभी जगह मिल रही है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से भी और मुख्य मंत्रीजी से भी अनुरोध है कि इन पदों को भरने का आप प्रयत्न करें। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी चिकित्सा सुविधाएं हैं, अभी बी पी एल परिवारों की लिस्टें बननी हैं। आदरणीय वैदजी ने अभी जिस बात को उठाया है, उसको मैं फिर दोहराना चाहता हूं, यदि अभी पूरी लिस्टें नहीं बन पाई हैं नए बी पी एल परिवारों की तो आप 1997 की जो लिस्टें हैं उसी के अनुसार उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का काम करने का प्रयत्न करें जिससे सारे के सारे लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल सके।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आप भर्तियां कर रहे हैं, सात-आठ हजार पद भरेंगे। डाक्टर्स के भी ए एन एम्स के, नर्सेज के, उसके लिए तो आपको बहुत बधाई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे उदयपुर डिवीजन में सभी जगह मेडिसन प्लांट्स बहुत हैं, उनका भी कोई न कोई तरीका तो निकालें कि आप उनका क्या उपयोग कर सकते हैं। मुख्य

(श्री शांतिलाल चपलोत)

मंत्रीजी कोटड़ा और झाड़ौल पधारी थीं, वहां पर इस प्रकार की दवाएं और औषधियां हैं कि उनसे बहुत जल्दी हड्डी जुड़ जाती है। कई इस प्रकार के पौधे हैं जिनको लगाने से जहर उतर जाता है, वह जहर खींच लेते हैं, इस प्रकार के पौधों को वहां मुख्य मंत्रीजी को भी दिखाया गया था। मेरा आपसे अनुरोध है कि हम एलोपैथी का तो विकास कर ही रहे हैं, करें। लेकिन यह जो आयुर्वेद की हमारी संस्था है उसको भी कहीं न कहीं जीवनदान दिया जाना चाहिए, उसमें भी किसी प्रकार से रिसर्च हो, जिससे उसके साइड इफैक्ट नहीं आए। एलोपैथी के साइड इफैक्ट तो आते ही हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बारे में आप गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आज आवश्यकता है।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं और कृषि के हिसाब से काफी काम किया भी जा रहा है। पर आज की तारीख में भी काश्तकारों को यदि आपने हर्बल प्लांट्स बढ़ाने के लिए, उसकी खेती करने के लिए कहें, उसको कुछ ज्यादा इन्टेंसिव दें तो मैं समझता हूं कि लोग उसके लिए भी तैयार होंगे।

मैं कृषि मंत्रीजी का आभारी हूं कि उन्होंने काफी भण्डारण इस साल खाद का किया और काश्तकारों को समय पर मिला। आज भी आवश्यकता है वरना यहां धीरे-धीरे लोग कम करना प्रारम्भ कर देंगे। यह अलार्मिंग सिचुएशन धीरे-धीरे आ जाएगी। काश्तश्कार यदि वह काश्तकारी करेगा तो 35 रुपये किलो से कम गेहूं उसको घर में नहीं पड़ सकता। किसी भी हालत में नहीं हो सकता। क्यों वह इस अनार्थिक काम को करेगा? इसलिए दूसरी गवर्नमेंट को भी विचार करने की जरूरत पड़ेगी और दुनिया के देश इस पर विचार कर रहे हैं। आपको गेहूं पर उनको ज्यादा सब्सिडी देनी पड़ेगी, नहीं तो वे धीरे-धीरे बोना कम कर देंगे, दूसरी चीज बोना प्रारम्भ कर देंगे। इसलिए इस बारे में गंभीर चिन्तन करने की आवश्यकता है। आज नहीं तो 30 साल बाद हमको यह महसूस होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं विशेष रूप से कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाए ऐसी मेरी आपके माध्यम से मांग है।

पशु चिकित्सालय आप खोल रहे हैं, परन्तु कुछ और पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता है और पशुओं की संख्या में वृद्धि हो, उन्नत किस्म के हमें पशुधन मिलें उसके लिए आपको प्रयत्न करने की आवश्यकता है। मूर गाय है, भैंस है और दूसरी नस्ल की बकरियां हैं, जो सिरोही साइड में मिलती हैं उसका बहुत अच्छा पालन होता है और उसमें बहुत

(श्री शांतिलाल चपलोत)

ज्यादा दूध की गुंजाइश होती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी और पशुपालन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं आप इस बारे में विचार करके उनका एरिया और ज्यादा बढाएं, और विस्तार करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा होगा।

आपने बहुत कुछ किया है, हम यह नहीं कहते, पर आज की तारीख में पशु चिकित्सालय कहीं खुले हुए भी हैं तो उनकी बिल्डिंग बनी हुई नहीं है। मैं अपने क्षेत्र में ही, मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में मावली सेंटर पर पशु चिकित्सालय की बिल्डिंग नहीं बनी हुई है। तहसील का सेंटर है, तहसील का सबसे बड़ा होस्पिटल भी वहीं है, परन्तु बिल्डिंग नहीं है। इसी प्रकार से कृषि भवन नहीं है। मैं चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, मैंने कट मोशन भी दिया है, फतेहनगर इस राजस्थान की अच्छी मण्डियों में से एक है। 8-10 मण्डियों में से एक मण्डी है, वहां पीएचसी तो खुली हुई है, पर पीएचसी की बिल्डिंग नहीं बनी हुई है। उसको भी आप स्वीकृत कराएं। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

''सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिदुख भागवेत।''

सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी बनें उसके लिए हम सब को इन सब माध्यमों से प्रयत्न करने की आवश्यकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापतिः माननीय रामलालजी शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26 चिकित्सा और मांग संख्या 37 कृषि में अपने आपको सम्मिलित करते हुए कुछ निवेदन आपके सम्मुख करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र में इस सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किये हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां 2004-05 के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में 722 करोड़ रुपये का प्रावधान था वर्तमान में यह बजट प्रावधान दुगुना लगभग 1575 करोड़ रुपये का बजट सत्र 2007-08 के अंदर रखा गया। इस बजट के आंकड़ों के आधार पर हम सब कह सकते हैं कि पिछले चार साल के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, जहां कई उप स्वास्थ्य केन्द्र खुले हुए थे, लेकिन वहां पर भवन बने हुए नहीं थे, लेकिन इस सरकार ने पहली बार सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर भवन बनाने का और जिन ग्राम पंचायतों में उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खुले हुए थे उनमें राजस्थान में एक साथ सभी ग्राम पंचायत स्तर पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की जो घोषणा की वह एक सराहनीय कदम था और मैं समझता हूं ऐसा पहली बार किसी सरकार ने एक साथ और नीतिगत निर्णय करके पूरे राजस्थान के अंदर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले।

सभापति महोदय, मात्र उप स्वास्थ्य केन्द्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का काम इस सरकार ने नहीं किया वरन उस स्वास्थ्य केन्द्र के रख-रखाव की व्यवस्था की, वहां पर कौन चिकित्सक और कौन नर्सिंग स्टाफ काम करेगा उसकी व्यवस्था की। उसके साथ उसके बजट का प्रावधान सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के ऊपर किया गया।

सभापति महोदय, जहां मैं आंकड़ों की बात करूं विगत चार सालों के अंदर 816 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये, 94 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये, 66 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये, 2 सेटेलाइट हास्पिटल खोले गये।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा कि आज भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सा काम करना बाकी है और जहां पूर्व चिकित्सा मंत्री सम्माननीय दिगम्बर सिंहजी ने और इनकी पूरी टीम ने जिस उत्साह के साथ इस क्षेत्र में काम किया मैं मेरी तरफ से, मेरे विधान सभा क्षेत्र की तरफ से इनको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि वर्तमान चिकित्सा मंत्री महोदय भी इस क्रम को जारी रखते हुए चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करेंगे।

सभापति महोदय, आज जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय के अंदर सबसे ज्यादा दबाव है और पिछली बार भी मैंने एक सुझाव दिया था कि इस दबाव को कम करने के लिए जयपुर को केन्द्र मानकर लगभग 30 किलोमीटर की परिधि में जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं उनका सुदृढ़ीकरण नहीं किया गया और वहां पर आपरेशन की व्यवस्था नहीं की गई तो दिन-प्रतिदिन इस सवाई मानसिंह चिकित्सालय के ऊपर भार बढ़ेगा। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि जयपुर को केन्द्र मानकर 30 किलोमीटर की

(श्री रामलाल शर्मा)

परिधि में जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जो नेशनल हाइवे के ऊपर स्थित हैं जिनमें चौमूं, बगरू, चाकसू, बस्सी, शाहपुरा हैं यदि इन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधाएं नहीं बढ़ायी गईं तो दिन-प्रतिदिन एसएमएस के अंदर मरीजों की बढ़ोतरी होगी।

मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं। जितने भी हाइवे के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं उन सब सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जो दुर्घटनाएं हो रही हैं..(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप सभापति और जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनके बीच में खड़े हैं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, हाइवे के ऊपर आये दिन दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं और उन दुर्घटनाओं के अंदर कई दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं कि घायल अवस्था में व्यक्ति के आगे-पीछे कोई नहीं रहता और हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उस सामाजिक व्यवस्था के नाते परिवार का मुखिया ही पूरे परिवार के भरण-पोषण की व्यवस्था करता है, लेकिन दुर्घटना में घायल व्यक्ति जो परिवार का मुखिया होता है यदि उसका समय पर इलाज नहीं हुआ तो उस परिवार की क्या स्थिति होगी इसकी कल्पना हम सब कर सकते हैं।

सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव और है। जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जो नेशनल हाइवे पर स्थित हैं उन सब सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को एक एम्बुलेंस सेवा से जो कि पुलिस और चिकित्सा विभाग दोनों को टेरिफ करके पुलिस के माध्यम से संचालित हो तो मैं समझता हूं घटना की सबसे पहले सूचना पुलिस के पास आती है कि उस स्थान के ऊपर दुर्घटना घटित हुई है। इसलिए एम्बुलेंस पुलिस के माध्यम से यदि संचालित होगी तो आये दिन सड़कों पर दुर्घटना होने के बाद में जनता का आक्रोश, रास्ता रोकने या तोड़फोड़ करने की जो घटना होती हैं मेरा मानना है कि उस आक्रोश से भी बचा जा सकता है और घायल अवस्था में व्यक्ति को निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र जो भी है उस तक पहुंचाया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, एक और सुझाव आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। रिलीफ सोसाइटियों को अपने को मजबूत करने की आवश्यकता है। कई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं जहां पर आउटडोर अधिक होने की वजह से सीमित रूप से संचालित करने वाला स्टाफ है। उनकी संख्या की कमी होने

(श्री रामलाल शर्मा)

की वजह से यदि रिलीफ सोसाइटी के माध्यम से कुछ प्रशिक्षण प्राप्त स्टाफ कांट्रेक्ट पर रखते हैं तो मैं समझता हूं कि वहां पर उस सामुदायिक केन्द्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन आसानी से हो सकता है। इसलिए इन रिलीफ सोसाइटियों के माध्यम से कांट्रेक्ट बेस पर जहां पर स्टाफ की कमी है उसके काम में इनको ले सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सुझाव और मंत्री महोदय को देना चाहूंगा कि सबसे पहले किसी भी दुर्घटना में घायल कोई व्यक्ति होता है या किसी परिजन का कोई पेशेंट भर्ती होता है। तो सबसे पहले उसकी अपेक्षा रहती है कि किसी भी चिकित्सालय के अन्दर चिकित्सक मुझे तुरंत अविलम्ब उपस्थित मिले। अधिकांश में काल की व्यवस्था रहती है कोई भी इमरजेंसी के अन्दर व्यक्ति हास्पिटल में जाता है तो काल के ऊपर चिकित्सकों को बुलाने की व्यवस्था है। मेरा एक सुझाव है कि सामुदायिक ऐसे चिकित्सालाय जो नेशनल हाई-वे के ऊपर स्थित हैं उन चिकित्सालयों में रात्रिकालीन सेवाओं के लिए, क्योंकि एक ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 4-5 डाक्टरों की व्यवस्था रहती है, इसलिए क्रम से एक चिकित्सक की रात्रिकालीन ड्यूटी उस सामुदायिक चिकित्सालय में रहेगी तो एक जनता का या उसके परिजन का जो आक्रोश कि डाक्टर समय पर नहीं मिलते, यदि वह रहेगा तो इसके अन्दर एक ग्रामीण क्षेत्र की सेवाओं के अन्दर अच्छा लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी से भी मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। कृषि के क्षेत्र के अन्दर माननीय मंत्रीजी ने उल्लेखनीय काम किये हैं और मैं तो इनको धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मेरे चौमूं विधान सभा क्षेत्र में पैक हाउस भी खोला। और आंवला की विशेष मंडी भी इन्होंने खोली और फल सब्जी मंडी थी उसको अलग से कृषि उपज मंडी से अलग करके विशेष मंडी का दर्जा भी इन्होंने दिया। इसलिए उसके लिए तो मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं लेकिन इस पैक हाउस के संचालन के लिए इतना निवेदन मंत्री महोदय से जरूर करूंगा कि उसके संचालन की व्यवस्था तुरंत करें ताकि हमारे क्षेत्र के अन्दर जो टमाटर फल सब्जी जो अधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र है और हमारे किसानों को इस बात का लाभ मिल सके कि हमारे क्षेत्र के किसानों की सब्जियां विदेश के अन्दर जाकर उनको अच्छा मूल्य मिलेगा। तो इसके संचालन की व्यवस्था भी जल्दी करने का काम करें।

(श्री रामलाल शर्मा)

दूसरा, मिसिंग सड़कें। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर कई सड़कें ऐसी थी जो आधा-आधा एक-एक किलोमीटर की वजह से बीच में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनी या मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से सड़कें बनी लेकिन बीच में आधा एक किलोमीटर की मिसिंग सड़कें छूट गई थीं। माननीय मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 10 किलोमीटर की मिसिंग सड़कें भी मिलें तो चुनावी वर्ष के अन्दर इसका लाभ भी मिलेगा। (व्यवधान) आप सहमत हो न? सब सहमत हैं।

सभापति महोदय, आने वाले समय के अन्दर माननीय डाक्टर साहब, जैसे अभी चर्चा कर रहे थे, भ्रूण हत्या की, सभापति महोदय, कानून के शिकंजे से इसको रोका नहीं जा सकता। जहां तक मेरा मानना है, माननीय सभी सदस्य इस बात को लेकर सामाजिक कार्यक्रमों में इस विषय को जोर शोर से उठाकर मन को बदलने की आवश्यकता है। और यह एक ऐसा विषय एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, यह मात्र सरकार से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, कानून के सामने भ्रूण हत्या के कितने मामले सामने आते हैं और मुकदमे दर्ज होने के बाद में कितनों के ऊपर कार्यवाही हो पाती है। इसके अलावा, मेरा मानना है कि जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए चिकित्सक हों, जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके मन को बदलने की आवश्यकता है। और मन को बदलने के लिए जन जागृति फैलाने की आवश्यकता है। और हर व्यक्ति यदि यह संकल्प ले कि मैं ऐसे कार्यों को बढ़ावा नहीं दूंगा या मैं किसी लाभ या प्रलोभन के अन्दर आकर ऐसे कृत्यों को सहयोग नहीं करुंगा तो मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा अपराध है जो मानव अपराध भी जिसको नहीं कह सकते। मेरा मानना तो यह है कि भगवान को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। सभापति महोदय, यह एक ऐसा अपराध है। इस दुनिया में सभी प्राणियों को जीवन जीने का अधिकार है और जीवन जीने के अधिकार को कोई व्यक्ति वंचित करता है तो उसकी सज़ा तो निश्चित रूप से मिलती है लेकिन हो सकता है कि इस युग के अन्दर वह सज़ा नहीं मिले लेकिन ईश्वर की दैवीय शक्ति के अन्दर वह सज़ा निश्चित रूप से मिलेगी। आपने मुझे समय दिया, बिना घंटी बजाए, समय दिया, मैं माननीय मंत्री महोदय को जो 2-3 सुझाव दिये हैं मैं अपेक्षा करूंगा कि वे उन सुझावों को स्वीकार करेंगे। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: देखिए, माननीय दो सदस्यों ने भ्रूण हत्या पर अत्यन्त गम्भीर, अपने विचार रखे हैं। मुझे लगता है कि अपन इस संसार में आने वाली मां की हत्या कर रहे हैं। जिस मां के गर्भ से दुनिया की पूरी सभ्यताएं

(श्री सभापति)

पलती हैं, सारे भगवान पलते हैं, सारे साधु-संत पलते हैं तो सभी माननीय सदस्यों को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। अगर संसार में मां ही नहीं रहेगी तो पूरा संसार समाप्त होने वाला है। माननीय सदस्य, भरत सिंहजी।

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य, कृषि और पशुपालन पर सदन में चर्चा हो रही है। आपकी अनुमति से मैं कृषि मंत्री का ध्यान दिलवाना चाहूंगा। कृषि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिलाना चाहूंगा स्वास्थ्य के संबंध में जो मैंने प्रस्ताव दिये हैं उन पर तो मैं स्वास्थ्य मंत्री से इतना ही अनुरोध करूंगा कि आप उसको गम्भीरता से लें और आपका action should speak और यहां आप सदन में चाहे उसके बारे में उत्तर दें या नहीं दें, मगर यह व्यवस्था करें कि ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टर पहुंचे।

कृषि और पशुपालन, इसके संबंध में दो मैं कोट करना चाहूंगा। जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है और उसके बाद में मेरी बात रखूंगा। मानव संसाधन विकास पेज 13 सड़क, बिजली, पानी यह तो अति महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन सीमित सोच नहीं हो तो समाज के विकास के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है मानव संसाधन विकास। राज्य में अब भी 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है लेकिन इस क्षेत्र में अब राष्ट्रीय स्तर पर औसत वृद्धि दर 3 प्रतिशत से भी कम है। यह कृषि के बारे में उन्होंने कहा है और आगे अपने भाषण में कह रही हैं कि पेज 37, जय जवान जय किसान, जहां अन्य क्षेत्रों में आजीविका के अवसर और उनके लिए योग्यता बढ़ाना आवश्यक है, वहां यह चिंतन भी आवश्यक है। फिर भी अगले कई दशकों तक कृषि क्षेत्र राज्य में आजीविका का एक मुख्य हिस्सा रहेगा। अफसोस की बात है कि जय जवान, जय किसान का नारा देने वाले इसे भुला चुके हैं। लेकिन मेरी सरकार के लिए यह केवल एक भूला हुआ नारा नहीं, किसान और जवान हमारे दिलों में, हमारी आत्मा में वास्तव में हमारे जहन में सर्वोपरि हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं, उनकी इस सोच का पिछले वर्ष माननीय कृषि मंत्रीजी, इसी सदन में कृषि के संबंध में मैंने मेरे विचार रखे थे और अच्छा होता कि आप जैसे योग्य मंत्री उन सुझावों को अपना जब उत्तर देते तब उन पर प्रकाश डालते और उन पर अमल करते। 365 दिन गुजर चुके हैं, मैं पुनः कुछ बातें आपके समक्ष रखूंगा जिससे राजस्थान के विकास में खासकर के कृषि क्षेत्र में व्यापक बढ़ोतरी हो सकती है। और मैं आपसे यह भी उम्मीद करूंगा कि जब आप उत्तर दें उन पर प्रकाश डालें, मैं कृषि की समस्या

(श्री भरत सिंह)

के बारे में बहुत लम्बी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता हूं। क्योंकि आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन है कि हमारी अर्थव्यवस्था जहां बढ़ रही है, कृषि क्षेत्र में अभी ग्रोथ तीन परसेंट से कम है। और यह बात, पूरे, प्रधानमंत्री चिंतित हैं उन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़ा पैकेज दिया है, 60 करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया है। विभिन्न योजनाएं हार्टिकल्चर, मिशन और विभिन्न आपकी योजनाएं जो इस पुस्तिका में हैं और जो आप अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मगर जो जिस चीज पर हम। कर रहे हैं 60 परसेंट पापुलेशन जिसको मुख्य मंत्री कहती हैं और हम जानते हैं कि 60 परसेंट से ज्यादा है। 1951 में हमारी जो पापुलेशन देश की 35 करोड़ थी उस टाइम 85 परसेंट पापुलेशन कृषि पर आधारित थी, आज वह परसेंटज गिरा है। मगर क्योंकि पापुलेशन का परसेंट इतना बढ़ा है जो उस अनुपात में गांवों में लोग-बाग़ रहते थे उससे कहीं अधिक लोग-बाग़ गांव में हैं और कृषि लाभ का सौदा नहीं है। कर्ज माफ कर देना तो बहुत अच्छी बात है कि कर्ज माफ कर दिया मगर जब तक किन कारणों से किसान कर्ज में गया है उसको दूर नहीं करेंगे तो अब पुन: कर्ज में जाएगा। क्योंकि पहले देवी लालजी ने माफ किया था, आगे कोई और माफ करने की बात करे तो इन बातों को ध्यान में रख कर हमें कुछ बातें अपने स्टेट के तहत में करनी पड़ेंगी। कृषि एक स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट और सेंटर के बीच में अनेक चीजों में उलझा हुआ है। मगर जो विषय राज्य सरकार से संबंधित हैं उसके बारे में तो स्टेट को ही चिंतन करना पड़ेगा। अभी स्वास्थ्य का जो आपने उसका जो वार्षिक खर्चा है उसका लेखा-जोखा अभी मंत्री जी ने रखा। और आपने जो एग्रीकल्चर का रखा, मैं समझता हूं एग्रीकल्चर और हेल्थ और एजुकेशन, यह इतने ही इम्पोर्टेंट हैं मगर उनका जो बजट एलोकेशन है उसमें व्यापक अंतर है। आपका पशुपालन और कृषि का जो बजट है, वह हेल्थ के आधे से भी कम है और जब कृषि का हेल्थ ही अस्वस्थ रहेगी, खेती ही अस्वस्थ रहेगी तो मानव शरीर और उसका दिमाग वह भी स्वस्थ नहीं रह सकता।

यह जो इनका, आत्महत्याओं का विवरण आता है, विभिन्न प्रदेशों में, आप कह सकते हैं कि साहब, हमारे यहां पर आत्महत्या नहीं है। मगर आपने कभी गहराई से जानाने की कोशिश नहीं की कि इतने लोग बाग़ जो विभिन्न कारणों से विभिन्न जगह पर आत्महत्याएं होती हैं, उसके पृष्ठ में, बैकग्राउण्ड में उसकी आर्थिक स्थिंति का बहुत बड़ा हाथ है। और जब खेती पर आदमी है

(श्री भरत सिंह)

तो निश्चित रूप से इस बात में उलझना नहीं चाहता क्योंकि यहां पर इस राज्य में आत्म हत्या हो गई और पोलिटिकल डिबेट हो गई, उस पोलिटिकल डिबेट को हमको दूर रखना पड़ेगा। आपके इस प्रदेश में जहां 60 परसेंट से अधिक लोग बाग़ खेती पर आश्रित हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है?

(समय : 16.00 बजे)

एक छोटी सी बात है कि इतनी सारी योजनाएं आ रही हैं, इतना पैसा आ रहा है उसको समेटने के लिए, लोगों को उसका रिजल्ट देने के लिए आपके पास इन्फ्रास्ट्रक्चर क्या है? आपका इन्फ्रास्ट्रक्चर है क्या? आप अगर खाने में जाते हैं और पंगत में बैठते हैं तो वह पत्तल लगाता है और कटोरियां परोसता है उससे मालूम पड़ता है कि तीन प्रकार की सब्जी है या कोई तीन प्रकार के सामान आपको परोसने वाले हैं। आपके पास इतनी योजनाएं आ रही हैं उनको झेलने के लिए बर्तन ही नहीं है, आपका इन्फ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आपकी ग्राम पंचायतें हैं उनमें आधे में तो ग्राम सेवक ही नहीं हैं। आप दुनियाभर के एक्स्टेंशन का काम करना चाहते हैं और उन आदमियों से कैसे काम लेंगे? आपकी कुल ग्राम पंचायतों की तुलना में आधी ग्राम पंचायतों में तो ग्राम सेवक ही नहीं हैं और उन आधी ग्राम पंचायतों के अन्दर 10 हजार कृषकों के ऊपर एक ग्राम सेवक है अगर वह उपस्थित है तो। जब आपका इन्फ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, आपने 50 हजार टीचर्स की भर्ती की है, 15 हजार टीचर्स की आप और करेंगे पर मैं यह नहीं समझता कि शिक्षा विभाग में उससे क्रांतिकारी तब्दीलियां हो जाएंगी मगर आप 5 हजार कृषि ग्राम सेवक, ट्रेंड अगर गांवों में पहुंचायेंगे और ग्राम पंचायतों में देंगे, हार्टिकल्चर की देंगे तो फायदा होगा। यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स, वो ग्रेजुएट्स हैं उनका कोई उपयोग नहीं है। आज जो काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में उनको सिर्फ तनख्वाह देने के अलावा उसके रिसर्च का लाभ लोगों के पास पहुंच ही नहीं रहा है। इसकी अकाउंटेबिलिटी कहीं नहीं है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। स्टेट अगर इस पर ध्यान नहीं देगी तो कौन देगा? इसलिए इसमें मेरे कुछ मुद्दे हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप उन पर ध्यान देंगे।

आपके यहां कृषि विभाग में कुल स्वीकृत 7237 पदों में से वर्तमान में 1214 पद रिक्त हैं। आपकी टोटल टास्क फोर्स 10 हजार से ही कम है और उसके अन्दर भी आपके रिक्त पद हैं और विभाग ने 15 साल से भर्ती नहीं की। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि क्योंकि आप कृषि मंत्री के रूप में सामने बैठे हैं, इससे पूर्व वाली सरकार और आगे की सरकार आयेगी उसको इस

(श्री भरत सिंह)

बुनियादी प्रश्न को एडजस्ट करना पड़ेगा। केवल इसको यह कर लिया या इतने लगा दिये, अभी जब मैं यहां सदन में था तो मेरे टेलीफोन आया कोटा से कि कल कृषि मेला है। 4 तारीख को कोटा में विशाल कृषि मेला है। अब मैं मंत्री जी, आपसे पूछना चाहता हूं कि ये कृषि मेला क्यों लग रहे हैं? राजस्थान में जगह-जगह लग रहे हैं। क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है, बजट का पैसा खर्च करना है, किसान तो फसल काट रहा है और यह कृषि मेला लग रहा है। राज का तेल और झोली में झेल वाली पुरानी कहावत है। उस पैसे को खर्च करने से ही थोड़ा चलेगा, जब आपके पास आदमी नहीं हैं। 30 लाख आपने अच्छी पुस्तकें छपा लीं, अगर पुस्तकों से ही पढ़ाई हो जाती तो शिक्षा विभाग में टीचर्स की ही क्या आवश्यकता है? पुस्तकें तो वहां भी छपती हैं। वहां तो आप 40 के ऊपर एक अध्यापक रख रहे हैं। इसलिए जब तक आप इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि आपका चाहे पशुपालन विभाग हो चाहे दूसरा विभाग हो, पशुपालन विभाग में आज राजस्थान आगे बढ़ने के बजाय मिल्क के प्रोडक्शन में आप आंकड़े कुछ भी दें मगर पशुओं की संख्या घट रही है। उसका ग्रेजिंग क्षेत्र, राजस्थान के अन्दर चरागाह धीरे-धीरे खतम हो रहा है, लोगों को मवेशी चराने की जगह नहीं है। एक गाय का सम्मान ही समाप्त हो गया है। राजस्थान जैसे प्रदेश के अन्दर गायों की कोई कदर नहीं है। एक हमारे माननीय सदस्य बार-बार कहते हैं कि आप तीन साल के बछड़े पर बैन हटाइये। या तो आप कहें कि नहीं हटायेंगे, वो इसलिए कहते हैं कि इकोनामी से जोड़ रखा है। तो जो चीज इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, अगर इकोनॉमिकली वायबल ही नहीं रहेगा तो पशुओं को पालेगा क्यों।

इसलिए वायबिलिटी और प्रोडक्टिविटी से खेती आवश्यक है और खेती वायबल और प्रोडक्टिव नहीं रहेगी तो उसके ऊपर किसी का रूझान नहीं है। आज वैसे भी मार्केट सर्वे से, किसानों के सर्वे से यह बात सामने आई है कि 40 प्रतिशत युवक तो खेती करना ही नहीं चाहते, उनका रूझान ही नहीं है, उनकी मजबूरी है। अगर किसी गांव के लड़के से जिसके पास जमीन है उसको यह मिल जाए कि उसको चपरासी बना देंगे तो वह रिश्वत देकर के चपरासी बनना चाहेगा बनिस्पत खेती जो कि एक सम्मानजनक पेशा था उसको करने के। उसकी इच्छा नहीं है। आज खेती के क्षेत्र में हो क्या रहा है? खेती में आपको देखना पड़ेगा कि 1947 के बाद, इंडिपेंडेंसी के बाद पूरे देश और प्रदेश के अन्दर क्या हुआ है। हमारा प्रोडक्शन एक टाइम बढ़ा जब नई मैक्सिकन

(श्री भरत सिंह)

वैरायटीज आईं और उसके अनेक कारण थे। इर्रिगेशन के प्रोजेक्ट आये, दूसरी चीज आई। उसके साथ-साथ लैण्ड अण्डर कल्टीवेशन भी बढ़ा। आज लैण्ड अण्डर कल्टीवेशन कम हो रहा है। कभी आपके दो विभागों में तालमेल नहीं है। एग्रीकल्चर, इर्रिगेशन और अरबन डवलपमेंट में तालमेल नहीं है। मैं कोटा में देख रहा हूं कि आपकी जो प्राइम एग्रीकल्चर लैंड है, चम्बल कमांड की जमीन जिसको विकसित की हुई है, सरकार के पैसे से, राजस्थान की गरीब जनता के पैसे से जो विकसित की हुई है, सैकड़ों बीघा जमीन ओवर नाइट धीरे-धीरे कल्वर्ट, हाउसिंग की आवश्यकता है। यह भी आवश्यकता है कि मकान बनेंगे, कॉलोनाइजेशन होंगे, विभिन्न एक्ट के तहत होंगे मगर कंटीन्यु असली जमीन आपकी धीरे-धीरे कम हो रही है। एक दिन आयेगा कि सड़क के सहारे जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर लैण्ड है, चाहे वह इर्रिगेटेड हो चाहे अन इर्रिगेटेड हो, वो खेती की नहीं रहेगी। वर्ल्ड सीन तो आप देखिये, आपकी पापुलेशन बढ़ रही है। आपका प्रोडक्शन स्टेगनेंट है, वर्ल्ड सीन के अन्दर फ्यूल के प्राइसेज बढ़ने लगी। अमेरिका जैसे, मलेशिया जैसे देश जिनसे हम इम्पोर्ट करते हैं इटेबल ऑयल इम्पोर्ट करते हैं वो बायोफ्यूल की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका बायोफ्यूल की तरफ जा रहा है तो उस प्रकार जब हम इम्पोर्ट करते थे, आज एक समय आयेगा कि अगर हम हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ायेंगे तो बाहर से आने वाला जो अनाज मिलता है वह भी नहीं मिलेगा।

इसलिए आपके इस प्रदेश के अन्दर इर्रिगेशन की बात होगी तो उसके मंत्री अलग जवाब देंगे मगर जो आपका पोटेंशियल इर्रिगेटेड एरिया है जिसको बढ़ाया जा सकता है उसको आप बढ़ायें।

दूसरी चीज मैं आपसे अनुरोध करूंगा, पहले भी मैंने कहा है और जो आदमी कुर्सी पर है, कटौती के प्रस्ताव के माध्यम से हम आपका ध्यान दिलाते हैं और जो आदमी सेंसेटिव है उसके लिए तो ध्यान का मतलब है मगर जो थिक-स्किंड हो जाए और अच्छी बात भी कहे उसको नहीं सुने, आपकी सेंसेटिविटी नहीं है तो फिर हमारे कहने और सुझाव देने का कोई मतलब नहीं है। यह जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैं पहले कह चुका। मैं आपको निवेदन कर चुका हूं कि कृषि उपज मण्डी का सड़कें बनाने का काम आप बन्द करें। अभी मैंने कटौती प्रस्ताव देखे हैं, अनेक कटौती प्रस्ताव कृषि मण्डी को विकसित करने के बारे में हैं। सड़क बनाने का काम आपका नहीं है। उस समय एक आवश्यकता थी कि पैसा आ नहीं रहा था, प्रधान मंत्री सड़क योजना जैसी योजनाएं थीं नहीं। प्रदेश में एक लाख बाइस हजार किलोमीटर सड़कें पी डब्ल्यू

(श्री भरत सिंह)

डी बना रही है, नेशनल हाई-वे वाली गवर्नमेंट आफ इण्डिया बना रही है। आप 14400 किलोमीटर सड़क के मालिक बनकर बैठे हो और आपके जो अधिकारी हैं वो इसको छोड़ना नहीं चाहते। आप इसको छोड़ें और पी डब्ल्यू डी को ट्रांसफर करें। जब एक लाख बाईस हजार किलोमीटर की सड़क की वो देखरेख कर रहे हैं। कृषि उपज मण्डी की जिस विधान सभा में सड़कें हैं उससे गई बीती सड़कें हैं नहीं। वह आपका काम ही नहीं है। आपका एग्रीकल्चर मार्केट के ऊपर थ्रस्ट होना चाहिए। आप जिस समाज से आते हैं उनका तो पेशा ही सब्जी पैदा करके बेचना है और आज क्या स्थिति है सब्जियों की? क्यों नहीं आप हर म्युनिसिपल एरिया में नगरपालिका हैं उनसे क्लब करें। आपकी ही तो है, जब आप सड़कों का पैसा दे रहे हैं तो उनको क्लब करें ताकि कम से कम एक आदमी जो सब्जी पैदा कर रहा है उसके बैठने के लिए जगह नहीं है। कृषि उपज मण्डी उस पर ध्यान दे सकती है। आपकी छोटी मण्डियों की क्या हालत है? छोटी मण्डियों की यह हालत है कि उसके अन्दर उनकी दुर्दशा इतनी है कि कोई जाकर के देखता ही नहीं है। आपको अभी गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने वेयरहाउसेज के लिए पैसे दिये। मैं कोटा के अन्दर जाता हूं तो देखता हूं कि नेशनल हाई-वे के सहारे वेयरहाउसेज बन रहे हैं। जो व्यापारी किसान है उसने तो उस योजना का पूरा लाभ ले लिया। आपका जो सहकारी क्षेत्र है जिसके माध्यम से गरीब किसानों को मदद मिलती है, क्या प्रोग्रेस है हाउसिंग के अन्दर? स्टोरेज के अन्दर जब एक बार सरसों की दिक्कत आई थी, कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है? नहीं हुआ है। आपकी ये जो योजनाएं आ रही हैं, गवर्नमेंट आफ इण्डिया देना चाहती है, हम लेने के लिए तो तैयार होवें। इसलिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तो उससे खड़ा करें।

मैंने आपसे कटौती प्रस्ताव के माध्यम से एक मांग रखी थी, पहले रखी थी, इसमें भी रखी है, चिट्ठी भी लिखी है, वह राजनीतिक मांग नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कटौती प्रस्ताव के माध्यम से कि एक समय था कि जो सांगोद आज उपखण्ड है वह रामगंजमण्डी तहसील का भाग था। आपके उप निदेशक का वहां पर कार्यालय होता है, सब-डिविजनल हैडक्वार्टर पर होता है। हमारे यहां कोटा में रामगंजमण्डी माइनिंग एरिया है। अगर मैं किसी माइनिंग मिनिस्टर से कहूं कि माइंस का आफिस सांगोद कर दें तो उसको समझ में नहीं आयेगी क्योंकि हमारे यहां माइंस एरिया है ही नहीं। मैं कृषि मंत्री के रूप में आपसे कह रहा हूं कि आप आंकड़े लें। मैं आपको लिखकर दे रहा हूं। आपके अधिकारी जवाब देते हैं उसमें बोलते हैं कि औचित्य नहीं है। मैं

(श्री भरत सिंह)

आपको आंकड़े दे दूं कि यहां माननीय सदस्य जितने भी मौजूद हैं या अधिकारी मौजूद हैं, इसका उत्तर वो नहीं दे पायेंगे क्योंकि यह जो चीज है, मैं आपको बता रहा हूं कि सांगोद के अन्दर 70921 हैक्टेयर कृषि भूमि है और वहीं रामगंजमण्डी में जहां आफिस है वहां पर 50436 हैक्टेयर कृषि भूमि है। 20 हजार हैक्टर कृषि भूमि सांगोद में ज्यादा है और सांगोद वो तहसील है जो पूर्ण रूप से कृषि के ऊपर ही है। हम आपसे कह रहे हैं कि या तो आप सब जगह खोलिये पर सब जगह खोलने के लिए बजट में एलोकेशन है नहीं इसलिए आप खोलेंगे नहीं। मगर जो अधिकारी है वो रामगंजमण्डी में बैठा है, सांगोद आता नहीं है उसको आप सांगोद भेजें। इसी प्रकार हाड़ौती का जो एरिया है, हाड़ौती एक बहुत बड़ा सम्भाग है, उसमें राजस्थान का 90 प्रतिशत धनिया होता है। पूरा धनिया रामगंजमण्डी में होता है। हम आपसे मांग कर रहे हैं, यहां पर जोबनेर में इसका रिसर्च कहां तक कराओगे तुम धनिये का? वहां पर अधिकारी है क्योंकि उनको सुविधा है जोबनेर में रिसर्च आपका हो। काम वहां कर रहे हैं। धनिया पैदा कहां होता है? जयपुर के अन्दर धनिया पैदा करें तो हो ही नहीं सकता। यहां ठंड से यूं ही निपट जायेगा। 90 प्रतिशत प्रोडक्शन उसका वहां हो रहा है, आप उसका रिसर्च यहां कर रहे हो। हम आपको कह रहे हैं कि इसको वहां शिफ्ट करें। निर्णय आपको करना है क्योंकि आप उससे पूछेंगे, आपके अधिकारियों को पूछेंगे तो वे बोलेंगे कि नहीं साहब, इसका कोई भी जवाब देंगे, निर्णय तो आपको लेना है।

मैंने एक बात पहले कही थी आपसे, पिछले साल मैंने आपसे यह भी अनुरोध किया था और फिर आपसे अनुरोध करता हूं, कृपा करके जो सरकार में आपके विभाग के अधिकारी हैं, उनसे आप पूछ लीजिये कि आपकी खेती में रुचि है या नहीं? जिस अधिकारी की खेती में रुचि नहीं है, केवल उसकी पोस्टिंग होने से वह गांव तक और किसान के खेत नहीं जाएगा और मैंने एक प्रशंसा की है पिछली बार होर्टिकल्चर के सम्बन्ध में एक अधिकारी की, आपके यहां कुछ बहुत अच्छे अधिकारी हैं। विधान सभा समाप्त हुई, 15 दिन बाद समाचार-पत्रों में पढ़ा कि जिसकी प्रशंसा की थी, उसका पत्ता ही कट गया। तबादलों में मैं नहीं पड़ना चाहता। मैं तो आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसको थ्रस्ट देने वाले अधिकारियों को आप लगायें और मेरे कटौती प्रस्ताव के अन्दर बहुत सारी बातें हैं।

(श्री भरत सिंह)

मैं एक आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा। आपके अनेक जगह सरकारी फार्म हैं। आपने इजरायल कृषि ज्ञान प्राप्त करने के लिए डेपुटेशन भेजे हैं, काश्तकारों को भेजा है। आउट आफ स्टेट भेजते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से इतना ही निवेदन करूंगा कि इसको यह पोलिटिकल फार्म नहीं बनायें और मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। मगर जो आदमी जिसको खेती में रुचि है, वह कोई सी भी पार्टी का हो, आप उसको भेजें। मगर यह नहीं कि क्योंकि आज राज इस पार्टी का है तो इसके कार्यकर्ता ही इजरायल घूमने चले जायें, इजरायल का नोलेज वही देखकर आये, उसको उन तक पहुंचायें और आपके पास जो टैक्नीकल जितना नोलेज है, आपके सरकारी फार्म में क्या हो रहा है? क्या एक भी फार्म ऐसा है? हर जिले में फार्म हैं, कुछ फार्म पंचायत समिति के पास है। आपके वह एग्जाम्पलरी होना चाहिए क्योंकि खेती एक ऐसी चीज है। आज खेती में आदमी ज्ञान कहां से प्राप्त कर रहा है, यह आपको सोचना पड़ेगा। खेती का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, वह पूछता है या तो जिससे अपना बीज खरीदता है या जिससे पेस्टीसाइड लेने जाता है, उससे पूछता है कि कौनसा बीज लूं? वह उसको जो आदमी अपना व्यापार कर रहा है वह किसान को नोलेज प्रदान कर रहा है। आपके ग्राम सेवक कितनी जगह पहुंच पाते हैं, कितनी जगह नहीं पहुंच पाते हैं, उसकी जानकारी आपको स्वयं को नहीं है। काश्तकारों को जानकारी वह दे रहे हैं जो पेस्टीसाइड में डील कर रहे हैं, जो सीड में डील कर रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं। दूसरा, उससे प्राप्त करते हैं, अगर किसान को कोई अच्छी खेती करने वाले गांव के अन्दर अच्छा प्रदर्शन कर रखा है, उसको तो उस गांव के किसान अपने आपको मानने लगते हैं। इससे गांव में बात फैलती है कि अमुक किसान के यहां अच्छी वैरायटी है चाहे वह आलू की हो या जो भी फसल हो, सरसों की हो, इसकी फसल अच्छी है। वह बीज वहां से लेगा तो लोग-बाग़ उसको देखते हैं तो आपके जो सरकारी फार्म है, क्या आप कह सकते हैं कि ठेके पर देने की प्रणाली बन्द कीजिये। आपसे अगर नहीं संभलती है तो लैण्डलेस को जमीन ही अलाट करें। मगर आप उस फार्म को एग्जाम्पलरी फार्म तो बनायें ताकि काश्तकार जाकर बोलेगा कि यह बग़ीचा लगा है, इसमें इतना फायदा हुआ है। वहां से दिल्ली से किसी ने फरमान किया कि आंवला लगाओ। हो सकता है डाबर वाले को आंवला नहीं मिल रहे हो। उसने कह दिया है कि आंवले की कमी नहीं है, सरकार के इस हार्टीकल्चर के माध्यम से ही आंवले

(श्री भरत सिंह)

लगवा लें, इस तरह से लगवा लें। मगर इनकी मार्केटिंग का क्या होगा, खरीदेगा कैसे, बेचेगा कैसे? सबसे बड़ी प्रोब्लम किसान की यही है कि अपने माल को बेचने की आवश्यकता है और आप इस तरह लोगों को यह चीज कहें कि यह फेसेलिटी है, चोइस उसकी क्या है, वह किसान के ऊपर रहने दें। ये आंवले जो खड़े हैं, ये काटने पड़ेंगे और अगर नहीं काटोगे तो उसके पहले प्रोसेसिंग प्लांट की बात पर है। लगे तो कहीं नहीं है। फूड प्रोसेसिंग प्लांट पर पूरी सब्सिडी दीजिये इनको ग्रामीण क्षेत्र में। सरकार टैक्स-फ्री करके इसको लगाये।

आपने मण्डियां खोलीं। मैं स्वागत करता हूं। विशेष मण्डी लहसुन की बात करता हूं। मैं आपको झालरापाटन की बात बताता हूं। अश्वगंधा की मण्डी खोली। एक बोरी अश्वगंधा वहां नहीं बिक रही क्योंकि आपने टैक्सेज मध्य प्रदेश से ज्यादा कर रखे हैं। सारा माल नीमच में जा रहा है। आपको आर्थिक लोस हो रहा है। मण्डी की आपने घोषणा करा दी, हमने तालियां भी पीटी, स्वागत भी करते हैं और अभी भी स्वागत कर रहे हैं लेकिन जो हमारी विसंगतियां हैं, उनको तो दूर करें। मण्डी है झालरापाटन अश्वगंधा के नाम से। आपकी इन किताबों के अन्दर पिछले साल अश्वगंधा की मण्डी आपने बताया है। मगर उसके अन्दर माल तो बिक ही नहीं रहा है तो ये अनेक बातें हैं जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। मेरे पास बहुत कुछ है मगर मैं अपने आपको समय सीमा में रखते हुए माननीय सभापतिजी को धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, मेरा भी है।

श्री सभापति: बिलकुल, आपका नाम लिखा हुआ है, आपको टाइम देंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 26, मांग संख्या-37 और मांग संख्या-39 के उपलक्ष में मैं मेरे विचार रखना चाहती हूं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): मेरा भी नाम दे रखा है।

श्री सभापति: बिलकुल आपको भी समय दूंगा। (व्यवधान) बोल तो दिया साहब, आपको भी समय देंगे। एक बात को 20 बार क्यों कहते हो?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में राजकीय चिकित्सालय में रिक्त पदों के बारे में मेरे विचार रखना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे जोधपुर शहर में बड़े-बड़े तीन अस्पताल हैं। महात्मा गांधी अस्पताल है, उम्मेद अस्पताल है और मथुरादास अस्पताल है। वहां पर इतना बढ़िया काम हुआ है और इस सरकार ने जिस तरीके से काम किया है और जिस तरीके से अस्पतालों में सुधार किया गया है इसके लिए मैं सदन की नेता, मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई दे रही हूं और पूर्व चिकित्सा मंत्रीजी को बधाई दूंगी और वर्तमान चिकित्सा मंत्रीजी को बधाई देना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, इस क्रम में मेरा निवेदन है कि जोधपुर मेडिकल कालेज में कार्डियोथोरोसिक सर्जरी हेतु नियमित सर्जन का पद स्थापित करने की अत्यन्त आवश्यकता है। हालांकि इस सरकार ने एक महीने में तीन दिन के लिए यहां जयपुर से चिकित्सक भेजने की सुविधा उपलब्ध कराई है, मगर यह सुविधा से जोधपुर शहर के लिए पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि वह नहीं के बराबर होता है। डाक्टर तीन दिन आता है और चला जाता है। डाक्टर मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि जोधपुर मेडिकल कालेज में कार्डियोथोरोसिक सर्जरी हेतु दो सर्जन को नियमित पदस्थापित करें। जयपुर के बाद दूसरा नम्बर जोधपुर का है। अगर जयपुर में 10 हैं तो चार तो जोधपुर में भी पदस्थापित करें। जो कुछ भी हो, कुछ संख्या तो जोधपुर में करें।

मैं जोधपुर के बारे में ही बात करूंगी। इसके अतिरिक्त जोधपुर मेडिकल कालेज में शल्य चिकित्सा में आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, वरिष्ठ प्रोफेसर के काफी पद रिक्त हैं इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जितने भी पद रिक्त हैं, उनको तुरन्त भरने की व्यवस्था करें ताकि जोधपुर के अस्पताल सुचारू रूप से चल सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं जोधपुर की बात कहना चाहूंगी। स्वर्गीया राजमाता विजयाराजे सिंधिया साहब जोधपुर आई थीं। जोधपुर में जब वे अस्पताल देखने चलीं तो मैं आपको कहूं, वे इतनी खुश हुईं कि क्या तो अस्पताल बनाया हुआ है, क्या वहां चिकित्सा की व्यवस्था है, डाक्टर्स से बहुत प्रसन्न हुई और यह जरूर कहा था उन्होंने कि इस अस्पताल में काफी सुधार की आवश्यकता है। आज भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनकी पुत्री आज

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

राजस्थान की मुख्य मंत्री हैं और वे अस्पताल का सुधार करने जा रही हैं, इससे ज्यादा खुशी की जोधपुर शहर के लिए कोई भी बात नहीं हो सकती।

माननीय सभापति महोदय, इस अस्पताल के सुधार के बारे में इस सरकार ने अरबों रुपये दिये हैं कि किसी तरीके से अस्पताल में सुधार हो, मगर अस्पताल में चिकित्सक नहीं होंगे तो अस्पताल में सुधार होने का कोई मायना नहीं रहेगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी और मंत्रीजी से भी यह निवेदन करना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी वहां पर जो कोई भी जगह खाली हैं, उनको तुरन्त भरें और विशेष रूप से ए.एन.एम. और नर्सेज की भी व्यवस्था करें क्योंकि जब मरीज अगर अस्पताल में जाता है तो वह डाक्टर को बाद में याद करता है, पहले कहता है कि सिस्टर मेरे को यह दो, सिस्टर मेरे लिए यह व्यवस्था करनी है। वह पहले उनकी मांग करेगा। चूंकि आपके पास इनके नोर्म्स हैं कि जितने पलंग होने चाहिए, उससे थोड़े कम हैं। मैं चाहती हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने काफी घोषणाएं की हैं नर्सेज भरने की, आप इनको तुरन्त लागू करके जोधपुर शहर के अस्पतालों में यह व्यवस्था करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे जोधपुर शहर के बारे में मेरी जो मांग है, वह भी बताना चाहूंगी। मैं सबसे पहले तो राजस्थान की मुख्य मंत्री और सदन की नेता को बधाई दूं। दूसरा, मैं पूर्व मंत्री रहे माननीय डाक्टर दिगम्बर सिंहजी को बहुत-बहुत बधाई और वर्तमान में मंत्रीजी हैं, चिकित्सा मंत्रीजी, उनको भी बधाई दूं कि महिला बाग़ अस्पताल को इन्होंने जिला अस्पताल घोषित किया, इसलिए मैं इनको बहुत-बहुत बधाई देती हूं और इन्होंने 8 मई, 2007 के आदेशों से जिला अस्पताल का दर्जा देने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की, मगर अब इसके अंदर मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि महिला बाग अस्पताल जहां स्थित है वह जोधपुर शहर का भीतरी हिस्सा है और भीतरी हिस्से, जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आती हूं, वह शहर इतनी छोटी-छोटी तंग गलियां हैं, कहीं चौड़ी आ गई, कहीं छोटी आ गई, तो इस वजह से मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोग उधर हैं जहां पर इस जिला चिकित्सालय की घोषणा हुई है, अब इसका विस्तार कैसे करें, मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि कम से कम इस अस्पताल के अंदर सौ बेड की परमिशन दें और सौ बेड की व्यवस्था करें, उधर के लोगों को काफी कुछ सुविधाएं हो जायेंगी और शहर के अंदर से बाहर जाने में बहुत तकलीफ रहती है तो वह हो जायेगा तो बहुत अच्छा होगा। और उसी तरीके से

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

वहां पर जितने भी कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जो पोस्ट खाली हैं वह उसके साथ ही भरवाने की व्यवस्था करें। सरकार द्वारा यह जो कदम उठाये इसलिए मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। अब आवश्यकता इस बात की है कि इस अस्पताल में जिला अस्पताल के अनुरूप चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो तो ओपीडी और अन्य वार्ड उपलब्ध हों, इसके लिए इसमें भवन विस्तार की अति आवश्यकता है, जमीन खूब है मगर काम कराने की आवश्यकता है। हमारे जोधपुर के अंदर कई ऐसे दानदाता भी हैं, वह भी सहयोग करेंगे, सरकार भी करेगी और अभी-अभी हाल ही में नगर सुधार न्यास से पचास लाख की स्वीकृति हो गई है काम करने की, पच्चीस लाख मैंने मेरे फण्ड में से दिये हैं, जयपुर से यह स्वीकृति तुरंत जारी होने के बाद हम चाहते हैं कि इसका काम तुरंत शुरू हो, साथ ही राज्य सरकार भी भवन विस्तार हेतु एक करोड़ की राशि स्वीकृत करे यही मेरा आपसे निवेदन है। मैं चिकित्सा मंत्रीजी एवं मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि इस महिला बाग़ को आपने जिला अस्पताल घोषित किया। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के तीन वरिष्ठ विशेषज्ञ, सात कनिष्ठ विशेषज्ञ और चार चिकित्सा अधिकारी व इसी के अनुरूप नर्सिंग स्टाफ को पदस्थापित करने के आदेश जारी करावें। माननीय सभापति महोदय, इसी श्रृंखला में मथुरा दास माथुर हास्पीटल के अंदर एक बहुत बड़ी भारी समस्या हर समय आती है। जोधपुर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, पूरे पश्चिमी राजस्थान की बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति यहीं की जाती है। जोधपुर में उम्मेद राजकीय चिकित्सालय एकमात्र प्रसूति एवं विशिष्ट रोग चिकित्सालय है, बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण मैं यह चाहूंगी कि उम्मेद हास्पीटल में जगह कम होने के कारण भवन विस्तार की सम्भावना नहीं है। इसलिए मथुरादास माथुर हास्पीटल में दो यूनिट वहां पर स्थानान्तरित की जावे तो मैं समझती हूं कि जोधपुर की जनता को काफी कुछ राहत मिल सकेगी। माननीय सभापति महोदय, जो मथुरादास माथुर अस्पताल है जहां चिकित्सा सुविधा विस्तार की असीम सम्भावना है, उसमें प्रसूति विभाग की दो नई इकाइयों की स्थापना की जावे।

माननीय सभापति महोदय, जोधपुर के अंदर मथुरादास माथुर हास्पीटल के अंदर आये दिन सी.टी. स्केन खराब हो जाती है और वहां के लोगों को इतनी असुविधा होती है उसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि यह सी.टी. स्केन खराब होने से लोगों को असुविधा होती है और लोगों को बाहर जाना पड़ता है, पश्चिमी राजस्थान का पूरा दायित्व

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

जोधपुर है, तो वहां कई गांवों से भी लोग आते हैं, उनको तकलीफ होती है। तो मैं यह चाहूंगी कि इसको तुरन्त ठीक करवाया जाये एवं जो लोग, दानदाता अपना सहयोग करें, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वहां के अधिकारियों को ऐसे आदेश दें कि जो कोई भी दानदाता वहां कार्य करें, उनको पूरी मदद करें और उनके वहां बैठने की व्यवस्था करें, तो कई ऐसे दानदाता हैं जो करोड़ों रुपये खर्च करने के लिए तैयार हैं, उन दानदाताओं को काम में लें और वह करें।

माननीय सभापति महोदय, दो-एक सुझाव मेरे हैं जो मैं कहकर मेरी बात समाप्त करूंगी। जोधपुर शहर के अंदर जब से जोधपुर शहर बसा है उस समय से एक तो नवचौकिया डिस्पेंसरी और एक महिला बाग़ है। महिला बाग़ का काम तो हो गया है मगर जो नवचौकिया डिस्पेंसरी है उसके अंदर पूर्व में और आज के दिन वह सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं, पहले आप हेल्थ मिनिस्टर थे तब यह खुद आये थे और इन्होंने घोषणा की मगर वह अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मैं यह चाहूंगी, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी, उसके अंदर ज्यादा नहीं दें तो कम से कम बीस बेड की अगर आप व्यवस्था कर दें। उधर के लोग, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि जोधपुर में बहुत संकड़ी भी गली है, कहीं चौड़ी आती है, तो उसमें यह सारी सुविधा हो जायेगी। और जो काम किये हैं राज्य सरकार ने चिकित्सा के अंदर, उसके लिए तो वह बधाई की पात्र हैं। इसके साथ, माननीय सभापति महोदय, और मैं एक कहना चाहूंगी कि जोधपुर शहर के अंदर एक जमाने में सीएमएचओ आफिस था, वहां पर इतनी कारें, बसें खराब पड़ी हैं और करीब-करीब यह पच्चीस साल से तो मैं देख रही हूं, उनकी ऐसी दुर्दशा है मगर न तो अधिकारी लोग उनके ऊपर विचार करते हैं, न कोई बात। उनको या तो नीलाम करें, बेचें, जो कुछ भी करें, वह बरसात से खराब हो गईं, सड़ी-गली पड़ी हैं। आज भी कोई भी जाकर देख सकता है कि उनकी क्या स्थिति है। इसी तरीके से जोधपुर महात्मा गांधी अस्पताल के अंदर एक्स-रे मशीनों का भी यही हालत है। अगर सरकार इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी वहां यह असुविधा होती है तो जनता को बहुत भारी तकलीफ रहती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अब थोड़ा मांग संख्या 37 पर कुछ कहना चाहूंगी। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय की आवश्यकता है, राज्य के सभी संभागों में कृषि महाविद्यालय चल रहे हैं, एकमात्र जोधपुर ही ऐसा संभाग है जहां कृषि महाविद्यालय नहीं है। जोधपुर संभाग शुष्क क्षेत्र है जहां थोड़े से क्षेत्र

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

में ही सिंचाई सुविधा है, बाकी क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। अतः वहां के किसानों को सिंचित एवं शुष्क कृषि, दोनों का ही तकनीकी ज्ञान आवश्यक है। माननीय सभापति महोदय, मैं पांच मिनट में कर रही हूं। वर्तमान में जोधपुर में मण्डोर में एक कृषि अनुसंधान केन्द्र कार्य कर रहा है जहां पर्याप्त शैक्षणिक स्टाफ के साथ ही उन्नत प्रयोगशाला और अनुसंधान के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। पास ही ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र स्थित है जो कि प्रायः बंद ही रहता है, अतः यहां कक्षाओं का संचालन किया जाना चाहिए। इसलिए मेरा माननीय कृषि मंत्रीजी से पुरजोर आग्रह है कि उक्त दोनों ही सुविधाओं का उपयोग करते हुए मण्डोर में कृषि महाविद्यालय खोले जाने का प्रावधान रखें और मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में ही कहा है, जोधपुर का ही नाम है, तो मैं यह चाहूंगी कि वहां हो। माननीय सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्रीजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूं कि जोधपुर में मंडी के अंदर, जीरा मंडी का प्रावधान रखा और जीरा मंडी बननी भी शुरू हो गई। मण्डोर मंडी के अंदर काफी कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सारी सुविधा है, मगर मेरा आपसे, कृषि मंत्रीजी से अनुरोध है कि जोधपुर में व्यापारियों के लिए संघ कार्यालय की भी व्यवस्था करें, यह काफी लम्बे अरसे से उनकी मांग चली आ रही है, उसके ऊपर विचार करें ताकि व्यापारियों को काफी कुछ राहत मिल सके। आपने मेरे को बोलने का मौका दिया और मैं आप सब की, सभापति महोदय, मैं आपकी आभारी हूं और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं कि मेरी बात को आपने सुना।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बत्ती लाल मीणा। कम समय में आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, कृषि, चिकित्सा और पशुपालन की मांगों में अपने आपको सम्मिलित करते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे ही केन्द्र सरकार का बजट आया और उसमें 60 हजार करोड़ रुपये ऋण की माफी की घोषणा की तो हमारे विपक्षी बन्धुओं ने जय-जयकारे मचा दिये। लेकिन, मान्यवर, आपको बताना चाहूंगा कि ये किसानो के हितैषी हैं। इन्होंने किसान के बारे में क्या किया है? इन्होंने किसान की नीति इस तरह की बना दी, आर्थिक जोतों को, अनार्थिक जोतों को..(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सारी पोल खोल दो आज।

श्री बतीलाल (टोडाभीम): किसान के हाथ में एक तरह से भीख का कटोरा मान्यवर, इन्होंने थमा दिया। इस तरह की इनकी नीति रही। इनके राज में इन 60 सालों में भारतीय किसान की ऐसी दुर्दशा हुई है, शायद ही किसी की हुई हो। मान्यवर, जितना किसान के साथ धोखा किया है, उतना किसी के साथ नहीं किया। आज आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने किसान की कीमत का उचित मूल्य देने का कभी प्रयास नहीं किया। मान्यवर, आर्थिक सिद्धान्त के अनुसार भूमि, श्रम, पूंजी और साहस, इन चारों उपायों से, साधनों से व्यापारिक कोई करता है तो पूंजीपति अपना लाभांश उसमें जोड़ देता है। लेकिन किसान का कितना प्रोडक्शन, उसका मूल्य उसको कितना लाभ मिल रहा है, आज तक इन्होंने कभी जोड़ने की कोशिश नहीं की। आपकी सरकार का मैं बताता हूं ये बाहर से 22 रुपये किलो गेहूं खरीदने के लिए तैयार हैं और इसका सौदा कर लिया और हमारे गेहूं को यह 10 रुपये में लेने को तैयार नहीं हैं। आज क्या है उनका चेहरा, किसानों के प्रति मान्यवर, आप अदांजा लगा सकते हैं क्योंकि हमारा किसान संगठित नहीं है। हम उनको कमीशन नहीं दे सकते। बाहर वाले इनको कमीशन देते हैं और कमीशन के बेसिस पर यह गेहूं खरीदते हैं। जब हमने बहुत ज्यादा हंगामा किया तो बड़ी मुश्किल से 18 रुपये पर लेकर आये। अब बताइये इनका असली चेहरा यह है। इनका चेहरा दिखाने का और है और करने के लिए इनका और है और कहने को कुछ और है। अब यह कहते हैं हमने 60 हजार करोड़ का कर्जा माफ किया। मान्यवर, जब तक पूर्व सरकार इनकी सेंट्रल में रही, इन्होंने एक पैसे का कभी ध्यान 1977 से नहीं दिया। पहली बार हमारी सरकार आई। हमने मान्यवर किसान की बारानी जमीन का लगान माफ किया, हमने इनका लोन माफ किया। जब इनका जो लोन है, इन्होंने माफ किया है वह किस तरह का है, जैसे कोई आदमी मरणासन्न शैय्या पर पड़ जाये और बहुत लोभी हो जिन्दगी में और उससे अंत में कहे उसकी नाजायज पत्नी कि मान्यवर, आपको स्वर्ग प्राप्त करने के लिए दान करना पड़ेगा और दान किस तरह का? मान्यवर, अब वामपंथी दल इनकी नाजायज पत्नी है, वह लड़ती बहुत है, झगड़ती बहुत है पर इनको तलाक नहीं दे सकती। और उन्होंने दबाव डाला कि मान्यवर, आप सिकुड़कर केवल 145 पर आ गये, पहले 300-300 सीट लिया करते थे और अब आप मरे जा रहे हैं, आप कौमा की स्थिति में आ गये तो आप कुछ दान-पुण्य कर दीजिये। अब इनके कहने से दान-पुण्य किया और

(श्री बत्तीलाल)

जब किया दान-पुण्य तब बिलकुल मरने लगे। इनका सूपड़ा साफ होने लगा। हिन्दुस्तान में 34 राज्यों में से 4 सीटों पर आ गये, जब इन्होंने दान करना शुरू किया है। अब किसान की जैसी स्थिति इन्होंने बनाई है, अब बताइये हमारे मुख्य मंत्रीजी यह मांग करती हैं (व्यवधान) ....आप सुन लीजिये मेरी बात...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, कटौती प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है या किस बात पर चर्चा हो रही है? यहां कटौती प्रस्ताव दिया गया है।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): हमारे माननीय सदस्य को बोलने दो। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य, आपका..(व्यवधान)

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): इनका क्या मूल्य कभी बाजार..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, बत्तीलालजी के मौलिक विचार आ रहे हैं, तब इनको दर्द हो रहा है। मौलिक विचार हैं। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): दर्द आपको हो रहा है। कटौती प्रस्ताव पर बोलूंगा।..(व्यवधान) कटौती प्रस्ताव पर बोलें। कटौती प्रस्ताव दिया हुआ है क्या? (व्यवधान)

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): आप तो अच्छी तरह जानते हैं मान्यवर।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): कटौती प्रस्ताव दिया है क्या?

श्री सभापति: मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है आपका सब का नाम मेरे पास है। सब को बोलने का समय दिया जायेगा। जब आपका समय आये, तब आप लोग बोलें। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सदस्य..(व्यवधान) आपका सूपड़ा साफ हो जायेगा। यहां आप इधर बैठने की तैयारी कर लो, आपका सूपड़ा साफ ही है। आप यहां आने की तैयारी कर लो। (व्यवधान) जो ख्वाब आप दिखा रहे हो तो आपका पक्ष इधर आने की तैयारी कर रहा है।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): आपने राजस्थान की जनता के साथ, किसानों के साथ धोखा किया है। हमने कभी भी... (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये आप लोग, बैठिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): सभापति महोदय, बत्तीलालजी को कहो कि धीरे बोलें, धीरे।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): सभापति महोदय, हमारे रामस्वरूप जी भी कम नहीं थे पर इनके ही गुरु हैं यह।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): सभापति महोदय, बत्तीलालजी महान अर्थशास्त्री हैं और इनके प्रवचन और बातें श्रवण करने की हैं। बहुत बढ़िया इकोनोमिस्ट हैं।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): (व्यवधान) आप सदन के निष्पक्ष आदमी हो, आप मेरी बात सुन लीजिये। आप किसान के हिमायती हो, आपकी बात कर रहा हूं। हम किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, पक्ष-विपक्ष में, लेकिन हमारे उद्देश्य तो एक हैं और वह है किसान का हित। अब मैं किसान का बेटा बोल रहा हूं, किसान की बात बोल रहा हूं। मेरी बात सुनिये आप। आपको समर्थन करना चाहिये मेरी बात का। मुझे पता है कि आप प्रशंसा इसलिए नहीं कर सकते कि आपकी सीमा है। लेकिन आप हकीकत को तो अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे साथ में, किसानों के साथ में कितना धोखा हुआ है। किसान को कभी इन्होंने मुख्य मंत्री नहीं बनने दिया। और आप हृदय पर हाथ रखकर बता दीजिये कि किसान का नेता किसको मानते हो? किसानों का नेता जाटों को मानते हो। कभी इन्होंने जाट मुख्य मंत्री बनने दिया? पहली बार है सदन में जब जाट मुख्य मंत्री बनाया वसुन्धरा जी के रूप में, नहीं तो इन्होंने किसान को मुख्य मंत्री नहीं बनने दिया। आप सुनिये रामलालजी...(व्यवधान) आप समझिये, आपके समझ के बाहर की बात है। यह चीजें आपकी समझ से बाहर की बात है। हम किसान हैं, इस सदन में हम भी किसानों को अपनी बात कह लेने दीजिये। कृपया मैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: लूणी से आने वाले माननीय सदस्य, अपनी सीट पर बैठें।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): किसान की बात कह लेने दीजिये। इनका निष्पक्ष कौन है, पार्टी इनके बस में नहीं। इनका कौन है निष्पक्ष? इनके प्रधान मंत्रीजी हैं। अब प्रधान मंत्रीजी को देखिये, अपनी कांग्रेस की नीतियों का अनुसरण करते हुए 50 प्रतिशत डीजल के भाव बढ़ा दिये। अब डीजल का भाव

(श्री बत्तीलाल)

बढ़ गया तो उसका बोझ किस पर पड़ेगा? मान्यवर, अब हर आदमी अपने भार को दूसरी जगह डाइवर्ट कर सकता है, लेकिन किसान का भार सीधे जोतों पर पड़ता है, उसके ऊपर पड़ता है। अब वह अपना मूल्य निर्धारित किया, आपने जैसे डीजल बढ़ाया, अब डीजल बढ़ाते..(व्यवधान)

एक माननीय सदस्यः यह आपके समझ के बाहर की बात है। (व्यवधान)

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): आप रामनारायणजी सुनिये किसान की बात। सभापति महोदय, मुझे अपना समर्थन दीजिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): सभापति महोदय, 13 किलोमीटर रह गये आपके फार्म..(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): सभापति महोदय, बत्तीलालजी, कौन से विषय पर बोल रहे हैं? बत्तीलालजी कौन से विषय पर बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): यह तो अंधे हो गये अपने स्वार्थ में, टिकट मिल जायेगा आपको। कोई बात नहीं, किसान की बात तो कहने दीजिये। सच को स्वीकार करिये आप। (व्यवधान) आप सत्ता को स्वीकार नहीं..(व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, जो बीच-बीच में खड़े हो रहे हैं, उनका सब का नाम मेरे पास सूची में है, वह अपने समय पर बोलें तो ज्यादा ठीक रहेगा।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, विषय क्या है, यह बताओ। (व्यवधान)

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): सभापति महोदय, मेरा विषय है किसान। किसानों की हमने मदद की। आप सारा विषय जान रहे हो..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): किसान का हित ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्यः यह विषय-वासना से दूर हैं। (व्यवधान) बत्तीलालजी विषय-वासना से दूर हैं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): यह हमारे आदरणीय सोहन लालजी (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह किसान के हित की बात है, किसान का अधिकार है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): किसानों को क्या देना है, किसानों के साथ जो चार साल से अत्याचार हुआ है आप..(व्यवधान) आपने जो किसानों के साथ किया (व्यवधान) आप नहीं कर पाये, आप वाक आउट कर गये जब बात आई और कहते हो कि हम किसान हैं। आप वाक आउट कर गये सदन से।

एक माननीय सदस्य : बी जे पी का एक भी हिन्दुस्तान में हो.. (व्यवधान) तो मुझे बता दो। अगर हिन्दुस्तान में बी जे पी एक भी.. (व्यवधान)

श्री सभापति: यह जो माननीय सदस्य बिना अनुमति के बोल रहे हैं, इनका बिलकुल भी अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): xxx

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): शोषण किया है। आपने किसानों को परमानेन्ट गरीब बनाने का तरीका निकाला है। 60 हजार करोड़ की खैरात बांट दी। आप नदियों को जोड़ देते तो बाढ़ आने से बच जाते, हर खेत को पानी मिल जाता। हमारी योजना है उसको तबाह कर दी। आप यह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कि चलो खैरात बांट दो और मिलना कुछ नहीं। छोटे-लघु किसान कितने हैं, 15 प्रतिशत और उनमें जानते और नहीं बेचारे। यह जो किसान हैं, किसान की परिभाषा होनी चाहिये। अब आप एक हाथ से देना चाहते हो और दूसरे हाथ से लेना चाहते हो। अब यहां हो-हुल्लड़ में मान्यवर, यह मुझे मेरे सब्जैक्ट से डाइवर्ट कर देते हैं। भारतीय कृषि मानसून का जुआ है और भारतीय किसान का भाग्य प्रकृति के हाथ का खिलौना है और हम ऐसी स्थितियों में जी रहे हैं कि किसान का खेत भरा है तो बणिये की दुकान भरी है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माइक के स्वास्थ्य का ध्यान रखें आप।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): टाइम का पूरा ध्यान है मान्यवर। (व्यवधान) केन्द्र में तो वह बैठे हैं, जो किसान के सबसे ज्यादा विरोधी हैं और 22 रुपये कमीशन पर भी गेहूं खरीद रहे हैं, यह है केन्द्र आपका। और उसकी क्वालिटी कितनी है, मान्यवर, इनके गेहूं के 60 प्रतिशत सैम्पल चैक करवाये गये तब 46 प्रतिशत नकारा पाये गये, जिसको जानवर खाकर बीमार हो जाये।

(श्री बतीलाल)

ऐसा वह गेहूं हिन्दुस्तान को आप खिलाना चाहते हो। और फिर कहते हो हम किसान के हितैषी हैं। आप विदेशी कम्पनी से क्यों खरीद रहे हो। जब मान्यवर, मार्केट में मूल्य समर्थन मूल्य से ज्यादा होगा तो लोग मार्केट में बेचना चाहेंगे। अब यह हमारी जितनी क्षमता है, उतना यह गेहूं खरीदते नहीं और किसान मजबूरी में जाकर मार्केट में बेचता है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): xxx

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री बतीलाल (टोडाभीम): आपने कुछ दिया नहीं, आप वास्तव में देना नहीं चाहते। आपका दिया हुआ होता तो आप किसान अमरीका, जापान और इंग्लैण्ड के जैसा किसान होता। आप देते तो किसान की यह हालत नहीं होती।

श्री सभापति: इनको बता दें बिना मेरी अनुमति के अंकित नहीं होगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): xxx

श्री बतीलाल (टोडाभीम): हम किसानों का नेता जाटों को मानते हैं, लेकिन हमारे नेताओं के साथ आपने कुठाराघात किया है। कभी कोई कर नहीं सकता राष्ट्र में। हमारे नेताओं को आपने कभी प्रधान मंत्री बनने दिया? चौधरी चरण सिंह बने थे उनको आपने लोक सभा ही नहीं देखने दी। कभी राजस्थान का मुख्य मंत्री बनाया आपने? हमने पहली बार एक किसान और जाट गृहिणी को मुख्य मंत्री बनाया है। यह पूरा हिन्दुस्तान देख रहा है। आप बता दीजिये हृदय पर हाथ रखकर। हमारा किसान है, किसान क्या राजा नहीं हो सकता (व्यवधान) मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा।

एक माननीय सदस्य: xxx

श्री महीपाल मदेरणा: xxx

श्री जोगेश्वर गर्ग: xxx

श्री बतीलाल (टोडाभीम): यह राजस्थान की जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि हम गेहूं खरीदना चाहते हैं बाहर से। (व्यवधान) आप बैठिये।

श्री महीपाल मदेरणा: xxx (व्यवधान)

श्री बतीलाल (टोडाभीम): आप यादव साहब, इतने सीनियर आदमी हो, किसानों की बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापतिः कृपया सदन में गोपनीय सूचनाओं को उजागर न करें।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): अब पांच मिनट में बात कहनी है सभापति महोदय, घंटी बजाने वाले हैं तो मुझे किसानों के बारे में निवेदन कर लेने दीजिये। मेरा आपसे यह निवेदन है कि किसान का जहां मामला हो, चाहे पक्ष का हो, चाहे प्रतिपक्ष का हो, हमको एक मत हो जाना चाहिये। आज सवाल यह है कि हमारी मुख्य मंत्री साहिबा ने जब 12 रुपये की मांग की है, किसान का 12 रुपये किलो गेहूं खरीदा जाये और वह कह रहे हैं मजबूरी 10, खरीदना है बाहर से, हम 22 में लायेंगे तो इसको हमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करना चाहिये कि नहीं करना चाहिये। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आप किसान के पक्ष में नहीं हो कि हमारे किसान को उसकी कीमत का उचित मूल्य मिले? यह हिन्दुस्तान की विडम्बना है कि जो हमारे खेत में रखवाली करता है, नंगे पैर घूमता है वह तो आज भूखा मर रहा है और जो ए.सी. में बैठे हुए हैं, मान्यवर, हमारे नमक का भाव यह तय करते हैं। हमारे जो बड़ी कीमती जिन्स है या तो बोली लगती है बाजार में लावारिस माल की, जिसका कोई धणी-धोरी नहीं हो या हमारे वहां कह दिया जाता है एक, दो, तीन और कहते हैं जाओ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): हां, मैं एक मिनट में समाप्त करना चाहूंगा। हम बणिया का, सेठ का माल खरीदने जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से किसान कहता है कि सेठजी क्या भाव लगाओगे, छोटा सा रूमाल, हमारी रूई का बनाया हुआ, तो वह कहता है 15 रुपये लूंगा। हम कहते हैं कि 14 ले लो तो वह कहता है फूट। हम किसान उसे बेचते हैं और बोली लगाते हैं दूसरे लोग मंडी में कि एक, दो, तीन। यह कौन हैं हमारी कीमत का, हमारे गाढ़ी खून पसीने की कीमत का भाव कौन तय करता है? यह करते हैं एयरकंडीशनर वाले लोग, अपनी सुविधा के लिए करते हैं। हम सदन में यह मांग करते हैं कि हमारे मुख्य मंत्री महोदया ने जो अभियान छेड़ रखा है किसान को सक्षम बनाने का और उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का, मैं चाहूंगा कि यह सारा सदन एकमत होकर किसान की बात का समर्थन करे और मुख्य मंत्री का समर्थन करे। मुख्य मंत्री महोदया, अगर किसान की आत्मा सही है और परमात्मा के घर न्याय है तो मुझे पूरा विश्वास है कि वसुन्धरा राजे के नेतृत्व में हमारी दुबारा सरकार बनेगी। हम किसान की मदद करेंगे और उसके गेहूं को खरीदेंगे। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्री रिछपाल जी मिर्धा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): सम्माननीय सभापतिजी, आज सदन में मांग संख्या 37 कृषि, 39 पशुपालन और 26 चिकित्सा पर चर्चा हो रही है। उसमें मैं भी मेरे विचार सम्मिलित करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): लाल बत्ती तो बत्तीलालजी की चली। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): मिर्धाजी, जुबेर खानजी ने कहा था कि किसानों की बात जाटों और मीणा में रहने दो, इसका मतलब क्या है?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): आप जाट और मीणा को लड़ाने का काम मत करो। सम्माननीय सभापति महोदय, आज सदन में जो चर्चा हो रही है, उसमें मैं अपने विचार रखना चाहूंगा और राजस्थान में 70 प्रतिशत लोगों का जीवन-यापन करने का जरिया है वह कृषि और पशुपालन है। आज राजस्थान में सबसे ज्यादा दु:खी हैं तो जो इस धरती से सीना फाड़कर धरती का अनाज पैदा करता है, इसको देश का अन्नदाता कहा जाता है, वह सबसे ज्यादा दु:खी है। मैं जिस इलाके से आता हूं, नागौर जिले से, विशेषकर वहीं की बात मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। हमारे नागौर जिले में सभापति महोदय, अधिकांश तहसीलों का पानी खराब है या सिंचित जो खेती है, वह इतनी मंहगी हो गयी है कि उस खेती को करने में अब किसानों को कोई फायदा नहीं रहा। डेगाना, मेड़ता, परबतसर, कुचामन, नावां और नागौर के अधिकांश इलाकों में ऐसा पानी है जो न तो खेती के लायक बचा और न पीने के लायक है। सभापति महोदय, वहां की जमीन भी अब जवाब देने लग गयी है और काश्तकार उसमें जिप्सम डाल-डालकर हर साल काश्त करने के लिए मजबूत हो गये हैं। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से इस बात की तो उनको जानकारी है कृषि के संबंध में, मुझे इस बात की तो शंका नहीं है। पर इस संबंध में एक दो बातें उनसे निवेदन करना चाहूंगा। अगर नागौर जिले में आप कुछ करना चाहते हैं तो सिंचाई विभाग से मिलकर ऐसे एनीकट बनायें, जो किसानों के खेतों से पानी बहकर बाहर जाता है, उसको रोकने के लिए कोई एनीकट बनाने में उनको सब्सिडी दी जाये। जिन लोगों के खेत खराब हो रहे हैं उनमें कोई हौद बनाये जायें, उनको सब्सिडी दी जाये, इस बात पर आप जरूर

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

विचार करें। हमारे जिले में मुख्यतया खेती और पशुपालन का ही धंधा है। सभापति महोदय, आज खेती की यह हालत है जब किसान अपनी फसल देखकर राज़ी होने लगा, उस समय राजस्थान में भयंकर शीतलहर और पाले का प्रकोप हुआ और शीतलहर में राजस्थान करीब 10 लाख हैक्टेयर भूमि पर पाला पडा और एक हजार करोड़ रुपये से भी अधिक का नुकसान हुआ था। इस संबंध में राज्य सरकार ने जो घोषणा 126 करोड़ के पैकेज की की, उस संबंध में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा हमारे जिले के काश्तकारों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? लघु सीमान्त कृषक का जो राइडर लगाया, इससे हमारे जिले में किसानों के पास छोटी जोत की जमीन नहीं है। बीस-पचास बीघे से छोटी जोत की जमीन नहीं है और इसका लाभ नहीं मिलेगा। न बिजली के बिल माफ होंगे, न काश्तकार को इसका मुआवजा मिलेगा तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी और इस संबंध में अभी मेरे से पूर्व जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, क्या किया? भारत सरकार ने 60 हजार करोड़ का कर्जा तो माफ किया, यह उदारता तो दिखाई इसके लिए तो आप धन्यवाद देते। मैं आपको इस समय यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में 10 हजार तक के कर्जे माफ या तो जनता दल की सरकार आई थी, उसने किये थे या अब भारत सरकार ने 60 हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया।

माननीय सभापति महोदय, हमारे जिले में विशेषकर पशुपालन का महत्व है और नागौर की नस्ल के पशु हिन्दुस्तान में मशहूर हैं और अब वह हमारी नस्ल खतम होने के कगार पर है। मुझे इस संबंध में बहुत दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि लम्बे समय से मैं इस संबंध में मांग कर रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक कमेटी बनाई थी जिसके माननीय कटारियाजी चेयरमैन हैं, उसमें यह रखा गया कि नागौर की नस्ल पर 2000 में कोर्ट ने जो रोक लगाई बछड़ो की निकासी पर तीन साल तक के लिए, उसको घटाकर दो साल या डेढ़ वर्ष कर दिया जाये। मुझे पता नहीं इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है। यदि सरकार इस संबंध में कार्यवाही करती है और दो साल कर देती है तो उस बछड़े की उम्र को, तो हमारे नागौर जिले की नस्ल व नागौर के बछड़े बच जायेंगे। माननीय सभापति महोदय, आज इस बात का दु:ख है, आजादी के 60 वर्ष बाद भी 4.50 रुपये में जो बीड़ी का

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

बंडल बनाता है, वह अपना मूल्य खुद तय करता है और किसान जो अपनी चीज का उत्पादन करता है, उस उत्पादन को लेकर जो मंडी में उस चीज की नीलामी होती है एक, दो, तीन के जरिये, वह बोली लगाते हैं। उसको अधिकार नहीं है तो इस संबंध में राज्य सरकार को विचार करना चाहिये, सदन को विचार करना चाहिये। सर्वप्रथम अगर किसान को बचाना है और किसान की अपन चिन्ता करते हैं। मैं भी बीस सालों से इस सदन में लम्बे समय से यह सारगर्भित चर्चा सुनता आया हूं और उसका कोई ज्यादा सार निकला हो, मेरा ऐसा मानना नहीं है। सभापति महोदय, इस संबंध में सब को चर्चा करनी चाहिये चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, राजस्थान का किसान कैसे बचे, राजस्थान के किसान की अपनी खेती और पशुपालन का जरिया है, जो अपने राजस्थान की रीड की हड्डी है, उसको कैसे बचाया जाए, उस पर विचार करना चाहिये। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, मेरे इलाके में अभी जिस क्षेत्र में पाले से, शीतलहर से नुकसान हुआ। डेगाना क्षेत्र के अनेक गांव सांजू, खिरताणा, खैरवा, चौसली, भादवासी, डांडरिया कला, नीमड़ी चांदवता, डावली मिठी, राजलोता, निमड़ी कला कोठारिया, बाडीघाटी किला, टहला, गुढ़ा जगमालोता, राता-डूंडा, ढ़ाणीपुरा इन सब गाँवों में 60 से 80 प्रतिशत फसल जो जीरा की, ईसबग़ोल की, रायड़े की, सौंप की सब तरह की सब्जियां प्राय: मटर भी वहां बोया जाता है, सब तरह की फसल नष्ट हो गई सभापति महोदय। और किसान बेकार हुआ उस खेत में, उस पड़ी फसल को देख रहा है और उसके आंसू निकल रहे हैं। राज्य सरकार को इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्रीजी के यहां चर्चा करके कैसे किसानों को राहत दी जा सके? उस बारे में कोई कदम उठाकर जल्दी से जल्दी किसानों को राहत देनी चाहिए। अब पशुपालन के लिए जो सभापति महोदय हमारे नागौर में बड़े मेले लगते हैं परबतसर का, नागौर का, मेड़ता का, अब आप देखो। नागौर के मेले के आंकड़े कहां 70 हजार पशु आते थे, कहां 22 हजार पर आंकड़ा आ गया तो यह नस्ल खतम होने के कगार पर है।

सभापति महोदय तो मैं माननीय कृषि मंत्रीजी और पशुपालन मंत्रीजी से यह मांग करुंगा कि हमारे नागौर की तरफ आप विशेष ध्यान देकर नागौर की गाय को बचाने का प्रयास करें, नागौर के बछड़े को बचाने का प्रयास करें। हमारे किसान जो बैंक से या अन्य साहूकारों से कर्ज लेते थे, उस समय यह

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

वादा करते थे कि हम आपके पशु मेले पर पैसे वापस लौटा देंगे। वह पशु मेले ही खतम हो गये। सभापति महोदय तो अब किसान कर्जदार हो चुका है, आत्महत्या करने के कगार पर है, किसानों की हालत यह हो गई है। आज खेती जुआ है सभापति महोदय खेती जुआ नहीं होता तो इस तरह फसल पकी हुई जिस तरह पाले और शीतलहर की मार पड़ी वह बर्बाद हो गई। तो मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस खेती और पशुपालन को बचाने के लिए, भेड़ भी हमारे ज़िले में हैं, बकरियां भी हैं, समय-समय पर इन पशुओं में कई तरह की बीमारियां आती हैं। सभापति महोदय, मुंहखुरपक्का, गलघोंटू, फिडकिया रोग आता है भेड़ों में लगड़ा बुखार, खून इत्यादि बीमारियों के टीके उपलब्ध नहीं है। तो माननीय पशुपालन मंत्री जी से मैं निवेदन करुंगा कि सभी जो अस्पताल हैं वहां इनके उपलब्ध मात्रा में टीके पहुंचाया जाए और पशुओं को इस बीमारी से बचाया जाए। और सभापति महोदय, उत्पादन कम हो रहा है खेती का, इसकी वजह मैंने बताई, हमारी जमीन खराब हो रही है और जमीन खराब होने से उत्पादन कम हो रहा है लोग इस खेती को भूल जाएंगे। कृषि मंत्रीजी मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं जो सच्चाई है वह दिल से बयान कर रहा हूं सदन में, यह काश्तकार राजस्थान का नहीं तो हमारे ज़िले का इस खेती से अब तंग आ गया है। क्योंकि खेती में कोई लम्बा-चौड़ा फायदा नहीं है। खेती में जैसे एक परिवार में 15 आदमी हैं तो वह अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं बाकी खेती में कोई नफे वाली बात नहीं है कि खेती से कोई कमाई करके अन्य तरीके की वह उन्नति कर ले यह खेती का हाल है।

सभापति महोदय, मैं अब चिकित्सा मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में चिकित्सा मंत्रीजी की एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी है। अभी दो दिन पहले माननीय मंत्रीजी ने सदन में खड़े होकर यह कहा कि मेरे विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है, यह कहा है, उस समय किसी भी सदस्य ने यह नहीं कहा कि भ्रष्टाचार है, अन्य विभाग के मंत्री भी यह कहते तो हमारे को बहुत खुशी होती। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक सांजू कस्बा बड़ा कस्बा है और उस क़स्बे के चारों तरफ करीब 30 गांव लगते हैं। ग्रामीण इलाक़े के और उसमें एक दानदाता भी है जो भवन बनाने के लिए तैयार है। अगर आप कृपा करके वहां पब्लिक हेल्थ सेंटर खोल दें तो आपकी बड़ी कृपा

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

होगी। वहां ग्रामीण लोग आपका यह उपकार मानेंगे कि हमारे 30-40 गांव के लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल गई। डेगाना तहसील पर जो हास्पिटल है मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें कई तरह की अव्यवस्थाएं हैं। नागौर ज़िले पर जो जिला मुख्यालय पर अस्पताल है उसमें भी कई तरह की अव्यवस्थाएं हैं। उनको आप ठीक करवाएं और जो खाली पोस्टे हैं, रिक्त पद हैं उनको भरे। सभापति महोदय मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। आपने समय दिया इसके लिए आभारी हूं। जय हिन्द, जय भारत।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 2 घंटे बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय दो घंटे बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 2 घंटे बढ़ाया गया।

माननीय डा. सुरेश चौधरी। पांच मिनट बोलेंगे।

मांग संख्या-26, 37 एवं 39 पर विचार

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 37 कृषि और 39 पशुपालन। इस पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए मुझे अनुमति दी आपका धन्यवाद।

चिकित्सा, कृषि और पशुपालन पिछला 2003 के बाद का जो चार सवा चार साल का वक्त रहा है यह तीनों ही महकमे इस तरह के हैं इसमें अभूतपूर्व काम हुए हैं, चाहे चिकित्सा का मामला हो, चाहे कृषि का हो, किसान हित का हो, पशुपालन का हो, पशुपालकों की सुविधा का हो, आपदाओं में पशुपालकों का संबल प्रदान करने की राज्य सरकार की योजना हो तो यह नहीं कहा जा सकता कि ठीक है। एक तुलनात्मक आंकड़े इस तरह के प्रस्तुत किए जिस तरह के विरोध के नाम पर या आलोचना के नाम पर आलोचना करने की बात हो। आप चाहे राजस्थान का चिकित्सा के मामले में ले तो सवाई मानसिंह चिकित्सालय हो, किसी भी दृष्टि से यह नहीं लगता कि जो अन्य अस्पताल है निजी क्षेत्र के फाइव स्टार, थ्री स्टार हास्पिटल टाइप के हैं उसमें

(डा. सुरेश चौधरी)

से किसी भी दृष्टि से उसकी व्यवस्था में उन्नीस हो, हां उस पर जो पेसेंट लोड है, पूरे राजस्थान का है। राजस्थान इस समय देश का सबसे बड़ा प्रांत है। हमारे पास लगता हुआ गुजरात है, हमारे पास लगता हुआ हरियाणा है तो इन राज्यों से भी यहां पर मरीज इतने ज्यादा आने लग गये कि उस वजह से एक वर्क लोड वहां के चिकित्सकों पर और वहां की व्यवस्था पर पेसेंट लोड इतना ज्यादा हो गया। लेकिन मैं इसी सवाई मानसिंह अस्पताल से पास आउट हूं, मैंने खुद ने देखा है उस समय इस चिकित्सालय की क्या स्थिति थी और आज इसमें क्या स्थिति है? चिकित्सा के क्षेत्र में इस सरकार ने और इसी बजट में इस तरह की घोषणाएँ की हैं और इस तरह के प्रावधान किए हैं, मेरे ख्याल में पूरे हिन्दुस्तान के तमाम राज्यों को इसका अनुसरण करना चाहिए। उसमें उदाहरण प्रस्तुत किया है राजस्थान ने। जैसे धन्वंतरि एम्बुलेंस योजना कहीं सुदूरवर्ती गांव में जहां आने-जाने का साधन नहीं हो और वहां यह स्थिति कर दी इस राज्य सरकार ने यह प्रावधान कर दिये, यह व्यवस्था कर दी कि सूचना देने के 45 घंटे के अंदर एम्बुलेंस जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में तो नि:शुल्क जाएगी। और इसलिए मेरा चिकित्सा के मामले में सुझाव है कि हमारे राजस्थान के प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर मतलब जो एक तरह से कंसटेंसी हैडक्वाटर हो जाता है वह तो वहां पर जो भी सीएससी है वहां कम से कम 50 बैड का अस्पताल होना चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र भादरा की सीएससी को 30 से बढ़ाकर 50 बैड का किया मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद करना चाहता हूं। इसमें और प्रत्येक गांव में जहां आबादी 100 घरों से ज्यादा है, मेरा एक सुझाव है माननीय चिकित्सा मंत्रीजी माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सब-सेंटर वहां कम से कम हो, वहां एएनएम या जीएनएम कोई बैठने की व्यवस्था हो। क्योंकि चिकित्सक के पास 5-7 महीने या 8-10 महीने रहकर कोई 8वीं पास और वहां जाकर के प्रेक्टिस कर लग जाए, माल प्रेक्टिस करने लग जाए। और जिस तरह से डा. बैद साहब ने बताया कि पूरी स्पूरियस मेडिसिन वाला वहां सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, स्पूरियस मेडिसिन का वह इन गांवों में और इन लोगों द्वारा होता है जो अनट्रेंड

(17.00 बजे)

होते हैं, जो क्वालिफाइड नहीं होते हैं। और मैंने बजट में बहस में हिस्सा लेते हुए भी यह बात कही थी और अब भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान के तमाम नि:शक्तजनों के हित की बात है यह। हर जिला चिकित्सालय पर प्रत्येक सोमवार को नि:शक्तजनों को प्रमाण-पत्र दिया जाता है नि:शक्तता का। वहां

(डा. सुरेश चौधरी)

एक फिजीशियन होता है, सर्जन होता है, एक आर्थोपिडिक होता है। मेरा यह मानना है कि फिजीकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस तरफ कि फिजीकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन सवाईमानसिंह मेडिकल कालेज अस्पताल में काफी टाइम पहले चालू हो गयी है। और मेरे ख्याल में तीन दर्जन के आसपास इस तरह के पोस्ट ग्रेजुएट डाक्टर्स तैयार हो गये हैं जिन्होंने इस फेकल्टी में सबसे ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन यहां किया है और राजस्थान में एकमात्र सेन्टर है यह। मेरा यह कहना है कि वो नि:शक्तजनों के हित में होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर और सेटेलाइट अस्पताल में एक जे.एस. की पोस्ट नयी क्रियेट करके और उस जे.एस. की पोस्ट पर फिजीकल एंड रिहेबिलीटेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन जिसने किया है उसको पदस्थापित किया जाए उससे न केवल, आज, ठीक है, प्रमाण पत्र वो दे देते हैं हेण्डीकैप्स का। लेकिन आर्थोपिडिक सर्जन प्रमाण-पत्र न्यूरोलाजिकली कोई अगर हेण्डीकेप्ड है तो उसका नहीं दे पाएगा उसके लिए उसको आना पड़ेगा सवाई मानसिंह चिकित्सालय में। अब जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में इतनी दूर का वो विकलांग व्यक्ति, सबसे कमजोर होता है समाज में बीपीएल लेकिन बीपीएल के भी दो हाथ दो पैर तो होते हैं वो कमा कर तो खा सकता है। उस बीपीएल में भी बीपीएल सबसे ज्यादा अगर कोई है तो समाज का यह जो उपेक्षित तबका है नि:शक्तजन है। तो वो वहां इतनी दूर चार-पांच सौ किलोमीटर दूर चलकर आये उसको बड़ी असुविधा होती है। अगर फिजीकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन की एक जो एम.ओ. की पोस्ट है और एक तरह से डाइंग केडर की पोस्ट है उसमें प्रमोशन की व्यवस्था नहीं है। वहां जे.एस. में उसको करने से आर्थिक वज़न भी राज्य सरकार के खजाने पर नहीं पड़ेगा क्योंकि आज वो मेडिकल आफिसर के रूप में उतनी ही स्केल ले रहा है जितनी एक जे.एस. को मिलनी चाहिए। और उससे एक चीज और है न केवल प्रमाण-पत्र वहां मिल सकेगा अपितु इलाज के लिए उनको जहां एसएमएस में आना पड़ता है। रिहेबिलिटेशन का अगर स्पेशियलिस्ट वहां होगा तो निश्चित रूप से वहां उसको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है तो उस नि:शक्तजन को इतनी दूर भी नहीं आना पड़ेगा।

कन्या भ्रूण हत्या माननीय सभापतिजी, आपने भी इस पर चिंता जताई है मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा एक मेडिको होने के नाते। इसमें मेरा यह मानना है कि कहीं भी यह आता है कन्या भ्रूण हत्या अभिशाप है, पाप है। कन्या भ्रूण हत्या महा अपराध है और जब तक 'भय बिना प्रीत नहीं'

(डा. सुरेश चौधरी)

वो कहते हैं, जब तक कन्या भ्रूण हत्या में शामिल चाहे वो कपल हो, चाहे वो मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ हो, चाहे डाक्टर हो उसके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज करके और उसके ऊपर मुकदमा चला कर उसको सज़ा नहीं दी जाएगी तब तक यह चीज ठीक नहीं हो पाएगी। और उसमें मेरा एक सुझाव है इसमें एक सामाजिक दृष्टिकोण के हिसाब से अपन देखें तो जैसे हरियाणा अपने पड़ोसी राज्य में यह चालू किया है कि सातवें फेरे के बाद आठवां फेरा इसी चीज का दिलाते हैं। वचन जो भरवाते हैं, फेरों के टाइम, शादी के टाइम मंडप में, तो वहां जो वचन है एक वचन यह भी दिलवाते हैं कि हम कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): जो फेरे नहीं लेते हैं उनके लिए चलेगा क्या यह?

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): नहीं, उनको वचन दिलवा दो न। उनको वचन दिलवाया जा सकता है। दूसरा मेरा इसमें यह है कि कन्या भ्रूण हत्या पर इफेक्टिव मॉनीटरिंग इसमें तभी की जा सकेगी जब एक तो जो स्टेट लेवल की अप्रोप्रियेट आथोरिटी है जिसमें डाक्टर हैं, एनजीओ हैं, और भी हैं। उनके लक्ष्य निर्धारित किये जाएं कि हर महीने आप कम से कम इतने सेन्टर इतने होस्पिटल्स चैक करेंगे, उनको लक्ष्य दिये जाएं और मानीटरिंग की जाए महीने वाले दिन उनकी समीक्षा भी की जाए। दूसरा नीचे के स्तर पर सीएचसी स्तर पर, पीएचसी स्तर पर, गांव के लेवल पर वहां पर किया जा सकता है कि वहां अभी नयी व्यवस्था ब्लॉक सीएमएचओ की की है वहां ब्लाक सीएमएचओ को अप्रोप्रियेट अथोरिटी बना दिया जाए तो ब्लाक सीएमएचओ वहां की पीएचसी और सीएचसी है, और वहां के जो प्राइवेट सेन्टर हैं, जहां सोनोग्राफी मशीन हैं, और उनको लाइसेंस दिया हुआ है उनको आराम से जाकर चैक कर सकते हैं। अभी सीएमएचओ को काफी लंबा चौड़ा एरिया दिया हुआ होता है वो सीएमएचओ पूरा चैक नहीं कर पाता है। इसमें तीसरा मेरा सुझाव है कन्या भ्रूण हत्या पर ही कि सोनोग्राफी हेतु भरा जाने वाला जिस टाइम लिंग परीक्षण होता है सोनोग्राफी करते हैं तो जो एफ फार्म होता है वो अभी तक की व्यवस्था हमारी यह होती है कि वो निजी चिकित्सालयों में ही भरा जाता है जब कि जहां सोनोग्राफी मशीन सरकारी चिकित्सालयों में है वहां भी दबे छिपे यह लिंग परीक्षण वाला काम होता है। तो वहां भी एफ फार्म भराने की, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी मेरा सुझाव है कि व्यवस्था की जाए। और एक हर

(डा. सुरेश चौधरी)

उपखंड मुख्यालय पर एनेस्थेटिस्ट क्योंकि वहां सर्जन है सीएचसी है सर्जन है, गरीब लोग सरकारी अस्पताल में जाते हैं पैसे वाले तो सक्षम होते हैं कहीं भी इलाज करा लेते हैं प्राइवेट सेक्टर में जाकर। लेकिन अगर यह निश्चेतना विशेषज्ञ एनेस्थेटिस्ट वहां होगा तो निश्चित रूप से सर्जन वहां थियेटर में काम कर सकेगा।

मेरा एक सुझाव यह भी है और मेरी कांस्टीट्युएंसी के बारे में है मेरे वहां एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय भादरा उपखंड मुख्यालय है जो पचास बैड अभी अस्पताल हुआ है उसी में एक छत के नीचे के हिसाब से उसी परिसर में बना हुआ है। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी मेरा निवेदन है, आपसे अनुरोध है कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय को जो कि उपखंड मुख्यालय पर है कांस्टीट्युएंसी हैडक्वार्टर पर है उसको 'अ' श्रेणी का आयुर्वेदिक चिकित्सालय बनाया जाए।

कृषि के बारे में मेरा निश्चित रूप से सुझाव देना चाहूंगा। उसमें कुछ खामियां हैं जिसमें मेरी कंस्टीट्युएंसी में भी हुआ रायसिंहनगर उस साइड में गंगानगर जिले में भी हुआ। किसान जीवन कल्याण योजना इसमें दुर्घटना में मौत होने पर पचास हजार रुपये का कंपेंसेशन उनको दिया जाता है खेतीहर मजदूरों को। उसमें यह है कि काश्तकार खेतीहर मजदूर कृषि प्रयोजनार्थ ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी आदि पर घर से खेत जाते या आते समय दुर्घटना होने पर मृत्यु या अंग भंग होने पर सहायता राशि देय है। मेरी कांस्टिट्युएंसी में एक सूरतपुरा गांव है वहां की थी एक कमला। और गंगानगर जिले की कालिया गांव है वहां की भी एक थी एक कमला। (व्यवधान) उन दोनों की जो भादरा का मेरी कांस्टिट्युएंसी का केस मैं बता रहा हूं, उसमें वो महिला खेत में मूंग मोठ की खेती का अपना काम कर रही थी, समेट रही थी। और उस समय काम करते-करते तूफान इतना जोर से आया कि उस तूफान से, ओलों से बचने के लिए उसने एक खेजड़ी के पेड़ के तने की आड़ ली, शैल्टर ली और वो पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से उस महिला की मृत्यु हो गयी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि यह खेत में काम करने के कृषि के जो किसान जीवन कल्याण योजना के 13-14 पाइंट हैं उनमें यह नहीं आता। पेड़ के ऊपर से गिर जाए काश्तकार या कोई भी काम करने वाला वो इस किसान जीवन कल्याण बीमा योजना में आता है लेकिन खेत में काम करते हुए खेत के पेड़ की आड़ ली और वो पेड़ गिर गया वो उसमें नहीं आया। तो मेरा यह कहना है कि उसको भी खेती के काम में शामिल किया जाए। इसी तरह गंगानगर जिले के कालिया गांव की एक कमला थी पति-पत्नी दोनों खेत में जा रहे थे काम

(डा. सुरेश चौधरी)

करने के लिए सड़क के ऊपर जा रहे थे। रास्ते पर जा रहे थे और दुर्घटना हो गयी और उस कमला की मौत वहीं हो गयी। जा तो वो भी खेती का काम करने के लिए रही थी अगर वो ऊंटगाड़ी पर होती या अगर वो ट्रैक्टर पर होती और वहां से गिर जाती या वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती तो उसको कंपेसेशन मिलता। लेकिन इस कमला को नहीं मिल रहा है। तो मेरा कृषि मंत्रीजी से यह अनुरोध है कि इसमें जो किसान जीवन कल्याण योजना है इसके प्रावधानों में थोड़ा संशोधन करके इस तरह की चीजों को और शामिल कर लिया जाए तो जिन गरीब परिवारों में जो एकदम अँधेरा हो गया उनकी जिन्दगी में निश्चित रूप से कुछ न कुछ राहत उनको मिलेगी।

दूसरा मैंने यह मामला भी उठाया था कि कृषि स्नातक और स्नातकोत्तरों को जो आज कहीं इतने ज्यादा भर्ती नहीं हो रहे हैं और बेरोजगारी उनके अन्दर चर्म पर है। हताशा में हैं, कुंठा में हैं। मेरा एक सुझाव है माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से राज्य सरकार के माननीय कृषि राज्य मंत्रीजी यहां बैठे हैं कि जो आदान है, खाद बीज है या कृषि कार्य में आने वाली अन्य जो भी चीजें हैं, उनके लाइसेंस इन कृषि स्नातक और स्नातकोत्तर को ही दिये जाये, ताकि जो किसान इनके पास खाद बीज लेने आयेंगे, पेस्टीसाइड लेने आयेंगे उसको ज्यादा बेहतर जानकारी अच्छी तरीके से यह दे सकते हैं बजाय इसके कि कोई भी लाइसेंस लेने आये और उसको लाइसेंस दे दें, यह ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा कृषि स्नातक और स्नातकोत्तर को पिछले साल राज्य सरकार ने प्रक्रिया चालू की थी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के फेज सैकिण्ड में मुरब्बा अलाट करने की जो बेरोजगार कृषि स्नातक हैं। वह अभी गति नहीं पकड पाई है तो उसमें आप अगर रुचि लेकर करेंगे तो निश्चित रूप से इन कृषि स्नातकों का कल्याण होगा। एक विभाग द्वारा प्राकृतिक आपदाओं वाला है इसमें जोत को, खेत को, काश्तकार को इकाई माना है। इसमें मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार को सुझाव है कि फसल को यूनिट माना जाये। हमारे गंगानगर, हनुमानगढ जिले में सबसे ज्यादा खराबा हुआ है। मेरा यह मानना है कि मान लो एक काश्तकार के पास 8 बीघा जमीन है और उसने 4 बीघा में सरसों बो रखी थी तो सरसों में तो 80 परसेंट खराबा हो गया, 2 बीघा में उसके गेहूं थे आज की तारीख में हम गेहूं और चने के नुकसान का आंकलन नहीं कर सकते। गेहूं में आज की तारीख में 5-10 परसेंट खराबा मान लो, चने में आज की तारीख में 5-7 परसेंट खराबा मान लो और टोटल काश्तकार का एवरेज देखेंगे तो 80 परसेंट फसल खराब हुई सरसों की, 5 परसेंट खराब हुई चने की, 5 परसेंट हुई गेहूं की, टोटल 90 परसेंट, एवरेज पडेगा 30 परसेंट। 50 परसेंट से कम हो गया तो उसको वह

(डा. सुरेश चौधरी)

रिलीफ नहीं मिल पायेगी। मेरा यह मानना है कि सरसों में अगर 50 परसेंट से ऊपर खराबा हुआ है तो सरसों का उसको मुआवजा दिया जाये। चने का अलग काउंट किया जाये, गेहूं का अलग किया जाये।

पशुपालन में एक चिकित्सक के रूप में मैं कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, मैं गांव में रहता हूं पशुओं का दूध निकालने के लिये पशु पासता नहीं है तो उसके ओक्सीटोसीन का इंजेक्शन लगाते हैं। उस ओक्सीटोसीन के इंजेक्शन का सिक्रिएशन निश्चित रूप से दूध में आयेगा। ओक्सीटोसीन इस तरह की दवाई है जो अगर आदमी लगातार लेता रहे तो यह कार्सिनोजेनिक है। उसमें गम्भीर बीमारियां पैदा हो जायेंगी। बच्चों को दूध पिलाते हैं उससे गम्भीर बीमारियां पैदा होंगी।

कम से कम हर पंचायत मुख्यालय पर पशु उप खंड खोला जाना चाहिये। अगर कोई आदमी बीमार हो जाये तो उसको तो साधन में ले जाया जा सकता है, बस में जा सकता है। लेकिन पशु बीमार हो जाये तो उसको दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता है। तीसरा गौशालाओं का अनुदान बढाया जाना चाहिये। इसमें मेरा यह कहना है कि गाय का जो भी प्रोडेक्शन है, घी है, दूध है वह बिकता है और उससे जो भी रेवेन्यु गवर्नमेंट को कलेक्ट होती है वह गाय के संवर्द्धन और संरक्षण में ही लगायी जानी चाहिये वह किसी और मद में नहीं लगायी जाये। आपने मुझे मांगों पर विचार रखने का समय दिया उसमें अंत में मैं अपने क्षेत्र के लिये निश्चित रूप से कहना चाहूंगा सब डिवीजनल हैड क्वार्टर पर हमारा पशु चिकित्सालय है और पशुपालन मंत्री जी...

श्री सभापति: हां बोलिये आप।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय पशु पालन मंत्रीजी अ श्रेणी का पशु चिकित्सालय है लेकिन वह भी किराये के भवन में चल रहा है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि वहां पशु चिकित्सालय की जगह पड़ी है और वह किराये का मकान भी कहां है एक दम बाजार की भीड में, वहां आदमी को तो ले जाया जा सकता है पशु को दो किलोमीटर तक बाजार के बीच में से नहीं ले जाया जा सकता है। जहां जगह पड़ी है वह खाली और खुली जगह है और वहां पशुपालक आराम से जा सकता है। सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, साथ ही निपटा दो।

श्री सभापति: सुझाव के लिये धन्यवाद। मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि अभी काफी माननीय सदस्यों को बोलना है मैंने पहले भी आग्रह किया था कि 10 से 12 मिनट में आपको अपना सम्पूर्ण विषय रखना है। माननीय सदस्य अनिताजी।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 26 और 39 में अपने आपको सम्मिलित करते हुए वर्तमान सरकार द्वारा जो चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और सुदृढीकरण के लिये अभूतपूर्व कार्य हुआ है उसका धन्यवाद करते हुए यह बताना चाहती हूं कि इस सरकार के चार वर्षो में जिस प्रकार चिकित्सा क्षेत्र में जो बजट रखा गया है जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और सुदृढीकरण के लिये किस प्रकार से कार्य करना चाहिये, कैसे बजट एलोकेशन होना चाहिये। मैं आपको बताना चाहूंगी वर्ष 2003-04 में किये गये प्रावधान की तुलना में यह 147 प्रतिशत अधिक है जो प्रदर्शित करता है सरकार की प्रतिबद्धता को स्वास्थ्य के प्रति। राज्य में पहली बार सभी स्वास्थ्य केन्द्रों को निर्बंध राशि के रूप में आबंटित की गई जिससे वह अपनी डिस्पेंसरियों पर चिकित्सा के लिये आवश्यक संसाधनों को जुटा पाये। ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढीकरण के लिये जो आवास की सुविधा दी गई है उससे यह निश्चित हो पाया है कि डाक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ वहीं निवास करे ताकि 24 घंटे जब भी चिकित्सकों की आवश्यकता हो वहां वह उपलब्ध हो सके। इसी प्रकार जो स्वास्थ्य के सूचकांक है वह भी हमें यह दर्शाते हैं कि शिशु मृत्यु दर में जहां कमी आई है वहीं मातृ मृत्यु दर भी कम हुई हैं। और हमारी जो जन्म दर है उसमें 5.92 प्रतिशत की कमी हुई है जो सुरक्षित प्रसव और सुरक्षित मातृत्व को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त मैं यह बताना चाहती हूं कि सुरक्षित मातृत्व और संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने जो मिनिमम राशि तय की है उसका भी बहुत बड़ा फायदा हमें मिला है इन दरों को कम करने के लिये।

मैं अपने क्षेत्र से संबंधित कुछ चीजें बताना चाहूंगी जो यदि और सुदृढ़ की जाये और उनका विस्तार किया जाये तो हम स्वास्थ्य की सेवाएं प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचाने का जो हमारा एम है उसको हम प्राप्त कर पायेंगे। मोबाइल सर्जिकल यूनिट जो राज्य सरकार ने गठित की है और जिसका उद्देश्य यह है कि कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में हम यदि मोबाइल सर्जिकल यूनिट के माध्यम से शिविर आयोजित करें तो उन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी विशेषज्ञ सुविधाएं

(श्रीमती अनिता भदेल)

उपलब्ध करा पायेंगे जो उनसे वंचित हैं। मेरा एक आग्रह यह है कि इन मोबाइल सर्जिकल यूनिट के माध्यम से जो शिविर आयोजित होते हैं। और शिविर के बाद जब यह यूनिट जिला अस्पतालों पर केन्द्रित रहती है तो उसके बाद उन डाक्टर की सेवाओं का उपयोग वहीं के लोगों को मिले यह सुनिश्चित करने के लिये उनको अन्यत्र पद स्थापित किया जाता है। जैसे अजमेर की जो मोबाइल सर्जिकल यूनिट है उसके सभी डाक्टर कहीं न कहीं पद स्थापित है अगेंस्ट द पोस्ट। उसके कारण उसका लाभ नहीं मिल पाता और जो हमारा जिला अस्पताल है जिसको उसका लाभ मिलना चाहिये था वह वहां नहीं मिल पाता। तो मेरा मंत्री महोदय से यह आग्रह रहेगा कि इस प्रकार के सभी, न केवल अजमेर में बल्कि सभी जो मोबाइल सर्जिकल यूनिट हैं वहां जो डाक्टर पद स्थापित है शिविर के टाइम में वह शिविर में जाये और अन्यथा वह जिला अस्पताल पर अपनी सेवाएं प्रदान करें ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके।

इसके अतिरिक्त हमारे यहां पर कन्या भ्रूण हत्या की जो बात कही है मैं उस विषय में कुछ आग्रह करना चाहूंगी, कुछ सुझाव देना चाहूंगी। जैसा कि पूर्व में जो मंत्री महोदय थे माननीय दिगम्बरजी, उन्होंने यह कहा है कि डाक्टर को अपनी भावनाएं समझनी चाहिये, लोगों की भावनाएं समझनी चाहिये और इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिये। पर हम डाक्टर की भावनाओं की दया पर ही रहकर इस कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते। मेरा यह सुझाव है चूंकि यह हमने देखा है शहरी क्षेत्र में कन्या भ्रूण हत्याएं ज्यादा हुई हैं और शहरी क्षेत्रों में भी वहां जहां पढे-लिखे लोग ज्यादा हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में संतान को लोग ईश्वर की देन मानते हैं। इस कारण से वहां आज भी कन्या भ्रूण हत्याएं नहीं होती हैं। शहर में जो लोग पढ़ लिख गये हैं उनके द्वारा ही कन्या भ्रूण हत्याएं ज्यादा होती हैं तो हम उनकी अवेयरनेस के लिये किसी प्रकार की कैम्पेनिंग शुरू करें एनजीओ के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के शिविर ओर्गेनाइज करके उनको समझाइश करें और उनको कुछ न कुछ प्रोत्साहन जरूर दें। जिनके बेटियां हैं, जिनके एक-दो बेटी है उसको जिस प्रकार से राज्य सरकार ने 10 हजार रुपये जमा कराने का प्रोत्साहन दिया है। इसके अतिरिक्त यदि वो अपनी बेटियों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं तो पूरी शिक्षा उनकी नि:शुल्क रखी जाए। यदि यह प्रोत्साहन हम उनको देंगे तो शायद जो कन्या भ्रूण हत्याएं हैं उनकी दर में कमी आयेगी और हम इस कार्य के लिए उनको और शामिल कर पायेंगे।

(श्रीमती अनिता भदेल)

इसके अतिरिक्त शिक्षा के साथ-साथ जो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बड़े परिवारों में, सभ्रांत जिनको हम कहते हैं, व्यापारी वर्ग कहते हैं या ऐसे वर्ग कहते हैं जहां दहेज की डिमाण्ड बहुत ज्यादा होती है वहां, उन परिवारों में भी यह बड़ी संख्या में कन्या भ्रूण हत्याएं हुई हैं। तो ऐसे समाजों में, ऐसे परिवारों में जहां दहेज डिमाण्ड के आधार पर मांगा जाता है, दिया जाता है वहां इसको चैक करें और दहेज की मांग को कम किया जाए। और शिक्षा के लिए उसको प्रोत्साहित किया जायेगा तो मेरे ख्याल से हम जो कन्या भ्रूण हत्याएं हैं उनको रोक पाने में सफल होंगे।

इसके अतिरिक्त अजमेर में, अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ हास्पिटल की डिमाण्ड करना चाहूंगी। मंत्री महोदय के ध्यान में एक बी.पी.एल. की बात लाना चाहूंगी। जो बी.पी.एल. को रैफर करने की बात है वह अभी वर्तमान में हमारे यहां जरूर इसका कानून है लेकिन इस कानून के माध्यम से हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक घटना माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगी पिछले कुछ दिन पूर्व घटी हुई घटना है। एक बी.पी.एल. परिवार की महिला जो हार्ट पेशेंट थी, जिसको हार्ट की बीमारी थी, जिसका आपरेशन यहां एस.एम.एस. हास्पिटल में होना था लेकिन हमारे अजमेर के जो मेडिकल कालेज के अधीक्षक हैं उन्होंने वहां से उसको रैफर नहीं किया था। लाख कहने के बावजूद भी उन्होंने वहां से रैफर नहीं किया। आखिरकार उसको मैंने डिस्चार्ज कराया, डिस्चार्ज कराने के बाद यहां एस.एम.एस. हास्पिटल में एडमिट कराया, उसके लिए पैसे सैंक्शन कराये। लेकिन जो यह हमारी लम्बी कतार लगी हुई है आपरेशन की, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे और इसी फरवरी माह में पांच तारीख को उस महिला की एस.एम.एस. हास्पिटल में बिना उपचार के डैथ हो गयी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे उपचार के लिए। तो यह बहुत बड़ी घटना। मैं खुद यहां हास्पिटल आयी, डाक्टर साहब को मैंने कहा कि पैसे के अभाव में इस महिला की आपने डैथ कर दी है, कम से कम कहीं से भी आप अरेंज करके इसका इलाज कर देते तो कम से कम डैथ तो नहीं होती उस महिला की। तो इस प्रकार की हजारों घटनाएं हैं, यह एक तो मेरे ध्यान में, मेरे अनुभव की हुई घटना है, यह मैं आपको बताना चाहूंगी। तो पहली गलती उस डाकटर की जिसने उसको यहां से रैफर नहीं किया, मैंने खुद उसको वहां से डिस्चार्ज कराया, डिस्चार्ज कराने के बाद अपनी व्यवस्था से, अपनी गाड़ी से उसको अजमेर से जयपुर भेजा। तो ऐसी स्थितियां हमारे यहां

(श्रीमती अनिता भदेल)

हैं। उस डाक्टर से भी यह पूछा जाए कि आपने उसको डिस्चार्ज क्यों किया, उसको रैफर क्यों नहीं किया? यह आप अपनी बात में, जहां अपने डिपार्टमेंट की बात हो तो आप इसको कहेंगे, पूछेंगे उससे।

इसी प्रकार से हमारे अजमेर में जो जिला अस्पताल है उस हास्पिटल की कुछ व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी। क्योंकि मेडिकल कालेज और जे.एल.एन. हास्पिटल एक संभाग स्तर का हास्पिटल है और इसके ऊपर इतना दबाव रहता है कि आये दिन वहां हड़ताल होती है। आये दिन डाक्टर्स और मरीजों के परिवार के बीच में झगड़ा होता है। इस दबाव को कम करने के लिए जो सैटेलाइट हास्पिटल, आदर्श नगर है उसमें यदि हम कुछ विशेषज्ञों को नियुक्त कर देते हैं, कुछ गायनी की पोस्ट क्रिएट कर देते हैं तो जो जनाना हास्पिटल पर दबाव है उसको कम कर पायेंगे और जे.एल.एन. हास्पिटल के दबाव को भी कम कर पायेंगे। मैं कुछ विशेषज्ञों के जो आवश्यक पद हैं वो मैं आपको यहां बताना चाहती हूं। कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन, शैल्य, गायनी और एनेस्थेसिया, शिशु रोग विशेषज्ञ का एक-एक पद वहां अति आवश्यक है ताकि उस हास्पिटल को 24 आवर्स हम रन कर सकें। इसी तरह से एनेस्थेसिया, पैथोलोजी, रेडियोलोजी और ई.एन.टी., आर्थोपैडिक्स, चर्म रोग विशेषज्ञ और ज्यूरिस्ट के एक-एक पद की आवश्यकता है। पैरा मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ की भी आवश्यकता है। बहुत सारे जो अगेंस्ट द पोस्ट डाक्टर काम कर रहे हैं उनको हटा कर उनकी पोस्ट पर लगाया जाए और जो डेण्टल सर्जन की पोस्ट है वहां उस पर डेण्टल डाक्टर को ही नियुक्त किया जाए। लैब टैक्निशियन, चूंकि लैब टैक्निशियन यदि वहां होंगे तो उनकी जो एम.आर.एस. की इन्कम है वो एम.आर.एस. की इन्कम बढ़ेगी और उसके कारण से बी.पी.एल. परिवारों को हम जो सुविधाएं देना चाहते हैं और चिकित्सा सुविधाओं में जो विस्तार करना चाहते हैं उन सुविधाओं का हम विस्तार कर पायेंगे। यदि यह सारी पोस्टें हम भर देंगे तो जनाना हास्पिटल, जे.एल.एन. हास्पिटल, अजमेर का जो दबाव है वह किसी हद तक कम कर पायेंगे और आये दिन होने वाली हड़ताल और झगड़ों को हम रोक पायेंगे।

मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे जे.एल.एन. हास्पिटल की मेडिकल यूनिट है, क्योंकि पहली बार पेशेंट यदि किसी भी बीमारी से ग्रस्त होता है तो वह मेडिसन में एडमिट होता है। लेकिन वहां की जो आई.सी.यू. है उसमें ना तो वेण्टीलेटर है और ना सेण्टर मानीटर है और न संसाधन, जो आर्टिकल ब्लैड

(श्रीमती अनिता भदेल)

गैस एनेलाइजर है, वो भी वहां नहीं है। इन सब कमियों के कारण से मेडिकल की जो यूनिट है बिलकुल भी साधारण उसको कहें कि एक जिला चिकित्सालय में जो मेडिकल डिपार्टमेंट होता है उससे भी कम सुसज्जित है। इसके कारण से वहां रोज कोई न कोई समस्या खड़ी होती है, कोई न कोई सिफारिश, कुछ न कुछ वहां करना पड़ता है तब जाकर के डाक्टर उनको देख पाते हैं। वेण्टीलेटर नहीं होने के कारण से मरीज या तो एडमिट होता है तो उसकी मृत्यु ही वहां से होकर के फिर वो बाहर आता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जब आप अपनी डिमाण्ड पर कुछ बात कहें तो यह मेडिकल की जो आई.सी.यू. है उसके कुछ संसाधनों की बात भी आप अपने उद्बोधन में कहेंगे।

सभापति महोदय, यहां माननीय पशुपालन मंत्रीजी बैठे हैं, उनको अपने विधान सभा क्षेत्र की भी कुछ बातें बताना चाहूंगी। हमारे अजमेर में नया बाजार में पशु चिकित्सालय है। माननीय सभापति महोदय, लगभग-लगभग मेरा सक्रिय राजनीतिक कार्यकाल आठ वर्ष का है उस आठ वर्ष के कार्यकाल में मैंने हर मीटिंग में, चाहे जिला स्तर की हो, चाहे संभाग स्तर की हो, चाहे और कोई मीटिंग हो इस पशु चिकित्सालय को स्थानान्तरित करने की चर्चा हर मीटिंग में होती है। बहुत बड़ी-बड़ी बैठकें होती हैं, जयपुर से भी अधिकारी आते हैं, उनको भी यह बात बताई जाती है। लेकिन आज तक वह पशु चिकित्सालय स्थानान्तरित नहीं हो पाया। बिलकुल मुख्य बाजार में वह पशु चिकित्सालय है जिसके कारण से यातायात में बहुत असुविधा होती है। जो पशुपालक अपने पशुओं को चैकअप के लिए उस हास्पिटल में ले जाना चाहते हैं वो वहां नहीं ले जा सकते क्योंकि इतने व्हीकल्स वहां होते हैं कि चाह कर भी वो अपने पशु को वहां नहीं ले जा सकते। तो ऐसी स्थिति में क्यों नहीं हम उस पशु चिकित्सालय को अन्यत्र, हमारी जो कुक्कुट शाला की जगह है या हमने जो कान्जी हाउस, नगर परिषद के लिए जो जगह आबंटित की है वहां इसका भवन निर्माण यदि कर दिया जाए तो इस पशु चिकित्सालय की अधिक से अधिक सेवाओं का लाभ हम उठा पायेंगे और उन पशुपालकों को भी हम यह सुविधाएं दे पायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर दूंगी।

इसके अतिरिक्त पुष्कर में जहां एक बहुत बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है। मेरा आग्रह है कि इस अन्तरराष्ट्रीय पशु मेले में राज्य सरकार

(श्रीमती अनिता भदेल)

की ओर से व्यवस्थाएं की जाएं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिस्ट्रेशन तो व्यवस्थाएं करता ही है। लेकिन हमारे यहां से अतिरिक्त इसका बजट मिलेगा, अतिरिक्त हमारी व्यवस्थाएं होंगी तो शायद हम इस मेले से बहुत बड़ी इन्कम पशुपालकों के माध्यम से और दूसरी अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से ले पायेंगे।

इसके अतिरिक्त, माननीय मंत्री महोदय, मैं एक और आग्रह करूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कल्याणपुरा और बालीपुरा, यह दो गांव ऐसे हैं जहां पशुपालक बड़ी संख्या में रहते हैं तो इन दो क्षेत्रों में यदि पशु चिकित्सालय खोल दिया जाता है तो इन लोगों को भी बहत-बहुत सुविधा हो जायेगी।

इसके अतिरिक्त मेरा एक और कहना है कि हम इन पशुपालकों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दे सकें, पशुओं की देखभाल ठीक प्रकार से हो, उनको चिकित्सा ठीक समय पर मिले, टीकाकरण ठीक प्रकार से हो, समय-समय पर हमें यह चाहिए कि हम ऐसी जगह जहां पशुपालक ज्यादा संख्या में रहते हैं, जहां पशु ज्यादा हैं वहां नियमित रूप से कम से कम प्रतिमाह एक शिचिर को आर्गेनाइज करना चाहिए। और उस शिविर में नि:शुल्क पशु चिकित्सा उपचार करें, नि:शुल्क दवाइयों का वितरण हो तब हम इन पशुओं से अधिक से अधिक दूध उत्पादन हमें चाहिए वो हम कर पायेंगे।

इसके साथ, माननीय मंत्री महोदय, जो चिकित्सा मंत्रीजी हैं, मैं एक दो और निवेदन करना चाहूंगी, अपने उद्बोधन में भूल गयी थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नेहरू मिशन के तहत अजमेर में तीन सिटी डिस्पेन्सरी आरम्भ होने की बात बहुत लम्बे समय से चल रही है, उसके प्रपोजल भी राज्य सरकार को प्राप्त हो गये हैं जिला प्रशासन के माध्यम से लेकिन वो आज तक कहां हैं, कहां नहीं हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं चाहूंगी कि इस बार आप उनको प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान करें, उसमें गढ़ीमालियन, नगरा और कुन्दन नगर क्षेत्र में भू-खण्ड भी देख लिये गये हैं, वहां उसका भवन निर्माण हो जायेगा। इसकी भी व्यवस्था कर दी गयी है तो यदि आप यह स्वीकृति प्रदान कर देंगे तो शायद हम इसको प्रारम्भ करने में जो हमारा भवन है वो हम उपलब्ध करा पायेंगे।

तो मैं माननीय मंत्री महोदय को सिर्फ यही कहूंगी कि जो मेरे क्षेत्र की दो-तीन मांगें बहुत लम्बे समय से हैं, सैटेलाइट हास्पिटल की ओर यह सिटी

(श्रीमती अनिता भदेल)

डिस्पेन्सरी की, उनकी ओर ध्यान देकर के उनको पूरा कराने में मेरी मदद करेंगे।

सभापति महोदय, आपने मुझे मेरी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री वीरेन्द्रजी बेनीवाल।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): धन्यवाद, सभापति महोदय। सभापति महोदय, मांग संख्या 26, 37 और 39 पर चल रही चर्चा में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य में काफी कुछ काम किये जा रहे हैं, काफी कुछ काम प्रस्तावित हैं, बजट में भी राशि का प्रावधान किया गया है। लगभग 427 करोड़ के आसपास का। ग्रामीण क्षेत्र क्योंकि हमारा राजस्थान राज्य का एक विशाल भोगौलिक क्षेत्र है, आबादी भी बहुत है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अभी हमारे को बहुत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की मांग है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर्स की कमी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कई हैं उन पर बहुत से पद तो है लेकिन उन पदों पर डाक्टर्स नियुक्त नहीं हैं अगर हैं तो डेपुटेशन पर है यह समस्या हमारे सामने हर समय आती है। वहीं शहर के जो अस्पताल हैं इनमें भंयकर पेशेंट का दवाब और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराये जाने के बावजूद भी उस दवाब को देखते हुए उपकरणों का पूरा उपयोग न हो पाना और नये उपकरणों की समय-समय पर मांग को देखते हुए यह राशि कम प्रतीत होती है।

सभापति महोदय, अभी कुछ दिन पहले ही विधान सभा सत्र शुरू होने से पहले, इसी फरवरी माह को एक आदेश जारी कर दिया जाता है, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी डेपुटेशन निरस्त किये जाते हैं। सभापति महोदय, सत्र शुरू होगा तो डेपुटेशन निरस्त हो जाएंगे और सत्रावसान के साथ में फिर डेपुटेशन कर दिये जाएंगे यह क्या कारण है? जब हमने किसी डाक्टर को किसी क्षेत्र विशेष में पदस्थापित कर दिया तो उसकी सेवा वहां पर क्यों नहीं है? यह एक प्रश्न है। स्थान विशेष पर आम आदमी तो जान ही नहीं पाता कि डाक्टर छुट्टी पर है या डाक्टर पोस्टेड ही नहीं है। यह एक ऐसी समस्या है, एक गुढरहस्य बना रहता है। हमारे अनेकों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की यही स्थिति है जिसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र का सामुदायिक केन्द्र

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

लूणकरणसर भी आता है और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खाजूवाला भी आता है। खाजूवाला में अनेक पद हैं लेकिन अधिकांश डाक्टर वहां पर कहीं न कहीं और जगह पर पोस्टेड होते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का इस पर ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा और बहुत ज्यादा विस्तार में न जाते हुए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लूणकरणसर में तो एक ऐसे डाक्टर जिनके डेपुटेशन को निरस्त करने का प्रयास किया गया तो यह आ गया कि यह बहुत अत्यावश्यक कार्य से इनको पीबीएम अस्पताल में लगा दिया गया है। तो आप उनकी पोस्टिंग ही वहां कर दीजिए। इतना अगर अत्यावश्यक कार्य आप समझते हैं तो, उनके स्थान पर और की नियुक्ति कर दीजिए यह मेरा निवेदन है।

इसके साथ सभापति महोदय मैं कहना चाहता हूं आज सड़कों पर बढ़ता हुआ दवाब और उस दवाब के चलते रोजाना होने वाले एक्सीडेंट और उन एक्सीडेंट में प्राथमिक चिकित्सा के साथ-साथ तत्काल प्रभाव से दुर्घटनाग्रस्त का जीवन बचाने के लिए उसको ऐसे अस्पताल तक पहुंचाया जाना जहां पर न्यूरोसर्जन उसको मिल सके, न्यूरोफिजिशन मिल सके। और उनके पास जो एक लंबा दवाब बना रहता है। उस दवाब को देखते हुए वह हर उस व्यक्ति का प्राथमिकता से उपचार कर सके, यह एक समस्या बनी हुई है। आज हमारे एस एम एस अस्पताल के अंदर पिछले वर्ष की तुलना में यूनिट भी बढ़ी है लेकिन आज फिर भी वहां पर वह व्यवस्था नहीं है। मरीज वहां पर पूरे राज्य से, बल्कि नजदीकी राज्यों से आते हैं। इसके साथ-साथ वहां पर उपकरण भी नहीं है। आज इतनी राशि का प्रावधान किये जाने के बावजूद भी उस डिपार्टमेंट पर्टिकूलर के अंदर एक छोटा सा मिनी सिटीस्केन मशीन उपलब्ध नहीं करवा पा रहे। अगर इसी तरीके की एकाध मशीन हो तो जब कभी भी वहां पर पेशेंट का तत्काल प्रभाव से सिटीस्केन कराना हो तो वहां की वहां अपनी आंतरिक व्यवस्था के तहत कराया जा सकता है, पेशेंट को बार-बार स्थान से मूव नहीं करना पड़े यह मेरा सुझाव आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से है।

इसी के साथ-साथ ओपरेट करने के लिए डाक्टर्स पर इतना प्रेशर होता है कि उनको कई-कई घंटे ओपरेशन थियेटर में खडे रहना पड़ता है। क्यों ना ऐसी चेयर की व्यवस्था कर दी जाए जो चेयर उनको, आजकल बड़े अस्पतालों

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

में लगभग सभी जगह ऐसी उपलब्ध है शायद हमारे एस एम एस अस्पताल और सम्बद्ध कालेज से जो चिकित्सालय है उनमें नहीं है, जिन पर वह बैठकर आराम से लंबे समय तक ओपरेशन कर सके और पेशेंट को अपना और समय देकर उनको अपनी सेवाएं दे सके।

सभापति महोदय, मैं इसके साथ-साथ निवेदन करना चाहता हूं कि समय-समय पर डिपार्टमेंट द्वारा बहुत से ऐसे तजुर्बे किये जाते रहे हैं जिनका कुछ लाभ मिले और अस्पतालों के अंदर काफी कुछ तरक्की हो, प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हो। क्योंकि समय-समय पर दवाब के चलते अनेकों अस्पतालों में घटनाऐं होती रहती हैं कि वहां पर इलाज की सही सुविधा न मिल पाने के कारण मरीजों, उनके परिजनों का अस्पताल प्रशासन से विवाद रहता है। इसी कड़ी में मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि जिला बीकानेर का बीबीएम अस्पताल है उसमें गत वर्ष में एक आदेश हुआ। और आदेश के चलते सुपरिटेंडेंट के पद पर नियुक्ति हुई जिस डाक्टर की, वह डेंटिस्ट है जब कि मेरी जानकारी यह कहती है और मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया के जो दिशा-निर्देश हैं उनके अंदर भी यह बात स्पष्ट होती है और सेलेबस भी यह बताता है कि जो मेडिकल का पाठयक्रम है उसके अंदर डेंटल शब्द कहीं पर भी नहीं है। उसकी पढ़ाई इसमें नहीं होती। वह पाठ्यक्रम की प्रति भी मेरे पास है अगर आप चाहे तो मैं इसको टेबल कर सकता हूं। ऐसे में डेंटिस्ट को वहां पदस्थापित करने का क्या कारण है मेरे समझ में नहीं आया? जब कि हमारे यहां पर एस एम एस अस्पताल का उदाहरण लिया जाए तो यहां से डेंटल विभाग को ही अस्पताल से बाहर करके, एकदम अलग कर दिया गया और डेंटल कालेज भी अलग है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर नजर डालें कि यह व्यवस्था क्या है, इस व्यवस्था का क्या हमें कोई बहुत लाभ मिलने वाला है। अगर हम कोई तजुर्बा करना चाहते हैं तो उस तजुर्बे को करने के लिए हम क्यों नहीं एस एम एस अस्पताल में यह तजुर्बा करते हैं जिस पर हम दिन प्रतिदिन निगाह रख सकें, और जान सकें कि उस तजुर्बे का हमें कितना लाभ मिल रहा है, यह मेरा माननीय सभापति महोदय के माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है।

इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि मेडीकल रिलिफ सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है उनके माध्यम से बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। मरीज की जांच नि:शुल्क की जानी है तो ठीक है, उनको दवाई नि:शुल्क कराई

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

जानी है तो ठीक है। लेकिन इनकी दवाइयों की आपूर्ति और खरीद को लेकर प्रश्नचिन्ह लगे हुए हैं। और विभाग द्वारा समय-समय पर इसके लिए कुछ परिपत्र जारी कर दिये जाते हैं, उन परिपत्रों की आपूर्ति समझ में नहीं आती क्या है, कौनसा सही है और कौनसा गलत है। यह समझ में नहीं आता। इसी क्रम में आज ही मुझे यहीं मेरे एक प्रश्न का जो जवाब दिया गया है। माननीय मंत्री महोदय को मैं इस बात का निवेदन करना चाहूंगा जिसमें यह बताया गया है कि जीएमपी सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है दवाइयों की आपूर्ति करने के लिए, यह हमारी मेडीकल रिलिफ सोसाइटी की तरफ से जो खरीद हुई है उसके क्रम में लिखा गया है। जब कि मेरे ही पूर्व के प्रश्न के जवाब में यह बताया गया है कि जीएमपी सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण ऐसी कम्पनी की दवाइयों की आपूर्ति नहीं हो पाई जो कम्पनियां अपने आप में बहुत नामी कम्पनियां हैं, तो यह विरोधाभास बातें क्यों, यह मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा।

यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि दवाइयों की राशि में भी भारी अंतर होने के बावजूद जीएमपी सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण रोग विशेष की दवाइयों का क्रय नहीं किया जा रहा। और इस सर्टिफिकेट की होने की आवश्यकता जिस व्यक्ति द्वारा बताई जा रही है, दर्शाई जा रही है वह स्वयं और उसके परिजन उस कम्पनी के डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते अपनी दवाइयों की आपूर्ति वहां पर कराकर लाखों रुपये का राज को चूना लगा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, हम कोशिश कर रहे हैं, बार-बार बात कर है जेनरिक मेडीसिन की। हम बार-बार बात कर रहे हैं इलाज को सस्ता करने की। लेकिन आज का हमारा जवाब तो कहता है कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है और कुछ दिनों के पहले जवाब कहता है ऐसी आवश्यकता है। अपनी सुविधा के हिसाब से आदेशों को लागू किया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय, आप, मैं इस बात को और ज्यादा खुलासा न करते हुए आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसकी गहराई में जाएं और गहराई में जाएंगे तो यह पाएंगे कि प्रतिवर्ष लाखों रुपये का घोटाला, न जाने कितने करोड़ रुपये के घोटाले के रूप में परिवर्तित हो गया होगा और गरीब लोगों को कितना चूना लगा होगा।

इसके साथ-साथ सभापति महोदय मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमें एक ओर तो पैसे की कमी और पैसे की कमी के चलते हम इलाज की माकूल व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं वहीं दूसरी ओर हम ऐसी-ऐसी मशीनों की

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

खरीद कर लेते हैं जिन मशीनों को हम अनेक वर्षों तक इन्सटाल नहीं कर पा रहे हैं। जब कि वह मशीन इतनी महत्वपूर्ण है कि आज अगर तात्कालिक आदमी अकाल मृत्यु की ओर अगर जाता है, उसके कारण होते हैं या तो हार्ट फैल्योर या उसके कोई एक्सीडेंट रीजन जो न्यूरो से रिलेटेड होता है। तो एक हार्ट लैग मशीन की खरीद की गयी पी.बी.एम. अस्पताल, बीकानेर में कुछ साल पहले। सभापति महोदय, आज तक उस मशीन को इन्स्टाल नहीं किया गया। अगर इन्स्टाल नहीं किया गया, उसकी आवश्यकता नहीं थी तो खरीद क्यों हुई? और अगर खरीद हुई तो आज दिन तक इन्स्टाल क्यों नहीं हुई? और अगर आप आने वाले समय में इसको इन्स्टाल करेंगे, उसकी उपयोगिता लेना प्रारम्भ करेंगे तो क्या तब तक और एडवांस टैक्नोलोजी की मशीनें नहीं आ चुकी होंगी, यह मेरा प्रश्न है। और ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने स्तर पर जांच करेंगे तो निश्चित रूप से या तो यह बात सामने आयेगी कि उस मशीन को खरीद करने के अन्दर कोई अधिकारी विशेष ज्यादा आतुर थे, हो सकता है कुछ और उनके भी कुछ इसमें इंट्रैस्ट रहे हों। तो क्या स्थिति है, यह स्पष्ट हो और राज्य के धन का सही सदुपयोग हो, मेरा यही मन्तव्य है आपको कहने का।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बीकानेर के पी.बी.एम. अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए दूर-दूर से यहां पर मरीज आते हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के तो सब लोग वहां पर कोशिश करते ही हैं। वहां पर एक रीजनल कैंसर सेण्टर भी लम्बे समय से काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, इलाज भी बहुत अच्छे किये जा रहे हैं। दवाओं का मैंने आपको निवेदन किया ही कि किस प्रकार की वहां पर व्यवस्था चल रही है। लेकिन आज लम्बे समय से वहां पर डाइरेक्टर के पद पर किन्हीं को नियुक्ति नहीं दी गयी। क्या हमारे को एक ऐसा डाक्टर नहीं मिला जो उस पद पर रह कर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके? सालों से वह पद क्यों खाली है? यह एक मेरा प्रश्न है क्योंकि इससे उस अस्पताल की व्यवस्थाएं उतनी सुचारू नहीं चल पा रहीं जितनी कि होनी चाहिए और कैंसर जैसे इलाज के लिए तो हमें कितना मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए, कितनी सेवा की भावना होनी चाहिए यह किसी से छिपी हुई नहीं है। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

इसके साथ-साथ में यह भी निवेदन कर रहा हूं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर नये अस्पताल खुलें, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की बैड क्षमता बढ़े। यह एक अनिवार्य विषय है। इसके साथ-साथ एक अनिवार्यता यह भी है, सभापति महोदय, कि नेशनल हाई-वे के ऊपर हम ऐसी कुछ माकूल व्यवस्था कर सकें जहां पर आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं तो वहां पर तात्कालिक उपचार मिल सके। जिला बीकानेर की सीमाएं कितनी लम्बी हैं, यह मेरे से ज्यादा माननीय मंत्री महोदय स्वयं जानते हैं पर माननीय मंत्री महोदय क्योंकि माननीय मंत्री महोदय का वह गृह जिला है।

(17.12 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

अब आज अगर 125 किलोमीटर दूरी पर अर्जुनसर के पास में कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको बीकानेर तक लाने के लिए कितना लम्बा समय लगे? यही अगर हम अर्जुनसर या उसके पास के महाजन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करके ट्रोमा हास्पिटल कन्वर्ट कर दें, वहां पर कोई क्रिटिकल केयर एम्बूलैंस उपलब्ध करा दें, बेहतरीन और उपकरण उपलब्ध करा के हम और डाक्टर्स के पद सृजित करें। वहां पर अगर तात्कालिक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के इलाज की माकूल व्यवस्था हो सके तो ना जाने हम प्रतिवर्ष कितने लोगों का जीवन बचा सकें। इस बात को आप समझते हुए भी इसके ऊपर कुछ प्रयास करेंगे, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

यही हालत हमारे बीकानेर से जयपुर वाले हाई-वे के ऊपर है। यहां पर भी नजदीक में हमारे को अगर डूंगरगढ़ और बीकानेर के बीच में ऐसी कोई माकूल व्यवस्था इलाज की नहीं हो पाती है जब कि यह भी दुर्घटना संभावित क्षेत्र रहने के कारण यहां पर बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। या तो आप इसके अन्दर अगर हमारा लगभग 27-28 किलोमीटर पहले नोरंगदेसर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है उसको आप अगर क्रमोन्नत करें या गुंसाईसर पर आप कोई इस प्रकार की व्यवस्था करके, क्योंकि वह भी एन.एच. पर पड़ता है लगभग 36 किलोमीटर पहले। वहां ऐसी व्यवस्था करें तो उस व्यवस्था का लाभ आस-पास के 20-30 किलोमीटर की दूरी तक भी अगर इस प्रकार की कोई दुर्घटनाएं होती हैं तो तात्कालिक सहायता के लिए हम उनको उपयोग में ले सकते हैं और बहुतों का जीवन बचा सकते हैं। यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज बहुत सा पैसा भी है, सरकार ने व्यवस्था भी करी, पिछले समय में भी कई एम्बूलैंस की खरीद भी हुई है, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। जो हमारे यहां पर स्टेट कैपिटल में आज तक शायद वो एम्बूलैंस जिनका वितरण डिस्ट्रिक्ट को नहीं हो पाया है। तो आज अनेकों माह से उनको यहां पर रोके रखने का क्या कारण है, मेरे को समझ में बात नहीं आती है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि हमारे ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहां पर आपने अनेकों डाक्टर्स को पद स्थापित भी कर रखा है और डाक्टर्स के आस-पास में कैम्प भी रहते हैं। आज हमारे यहां पर घोषणा भी की गयी है, इसी बजट सत्र में कि फोन करने के साथ ही, अभी वो हमारे साथी माननीय सदस्य यहां पर नहीं हैं जिन्होंने कहा था कि 45 मिनट में एम्बूलैंस पहुंच जायेगी। तो मैं उनकी बात को थोड़ा समझ भी नहीं पाया था। क्या 45 मिनट में फोन करने के बाद 45 मिनट में रवाना होगी या 45 मिनट में गन्तव्य तक पहुंच जायेगी? अगर गन्तव्य तक पहुंचने की बात की जाती है तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, माननीय सभापति महोदय। मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र में ऐसी अनेकों ग्राम पंचायतें हैं जिनकी अपनी दूरी अपने आप में 60-60 किलोमीटर है। तो हम यह कैसे आशा करें कि एक स्थान विशेष से 45 मिनट के अन्दर वहां एम्बूलैंस पहुंच जायेगी? अगर आप पहुंचा देंगे तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैं आशा करता हूं कि ऐसे त्वरित गति के वाहन हमारे यहां पर हों और हम उनको तात्कालिक रूप से पहुंचा सकें और इतना क्लीयरकट वहां पर सिस्टम भी हो कि वहां पर जिस किसी की भी मांग है, मांग तुरन्त दर्ज हो सके और मांग के साथ वहां पर वाहन पहुंच सके। ना भी पहुंच पाये तो मेरा इसके साथ साथ निवेदन है कि कम से कम हम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तो अच्छी किस्म की एम्बूलैंस उपलब्ध करवा दें तो उपयोग तो आना शुरू हो जाए। इसी क्रम में मेरे ही विधान सभा क्षेत्र नापासर सी.एस.सी. के अन्दर आज दिन तक एम्बूलैंस की सुविधा नहीं है वहीं दूसरी ओर लूणकरणसर सी.एस.सी. में अभी एक एम्बूलैंस करायी है जो कि डूंगरगढ़ से ट्रांसफर करा कर करायी है और उसको ठीक कराना अपने आप में कम से कम एक लाख रुपये का खर्चा है। तो, सभापति महोदय, क्यों नहीं वहां एक नया वाहन उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि हम इसकी प्राथमिकता को समझ रहे हैं, अपने बजट के अन्दर भी इसको लेकर के घोषणा की है। यही मेरा निवेदन है।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ आज हमने ए.एन.एम. सब-सेण्टर बहुत खोले हैं, जी.एन.एम. भी हमने अनेकों जगह पर लगायी हैं। और जब हमने इनकी भर्ती करी तब हमने इस बात का भी ध्यान रखा कि जिला विशेष की जी.एन.एम. को जिला विशेष में ही लगाया जाए। लेकिन इसमें कई कमी रह गयीं। और इस कमी के चलते बाड़मेर और जैसलमेर में नियुक्तियां उस समय नहीं हो पायीं जब कि यह तो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आज मेरा यह निवेदन है कि यहां अगर राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन के तहत जो आपने यहां पर जिले मूल की प्राथमिकता को देखते हुए यहां पर भी अगर कोई जी.एन.एम. की नियुक्ति कर दी जाए, जो कि यहां की लम्बे समय की मांग भी है, तो यह उपयुक्त रहेगा।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र का पुन: निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि यह राज्य के विशालतम विधान सभा क्षेत्रों में से एक है। यहां की भी आप ग्रामीण क्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुए यहां पर भी ए.एन.एम. और जी.एन.एम. के पद और बढ़ा करके और नये सृजित करके लगाने का कष्ट करेंगे। नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने का कष्ट करेंगे। क्योंकि ऐसे-ऐसे अनुसूचित जाति बाहुल्य हमारे यहां पर क्षेत्र हैं जहां की आबादी भी बहुत है, कस्बे का रूप ले चुके हैं। लेकिन वहां पर आज दिन तक व्यवस्था नहीं है। मसलन मैं कहना चाहूंगा कि एकदम अंतिम छोर पर स्थित सूई ग्राम है जो कि अनुसूचित जाति बाहुल्य है लेकिन वहां पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा जो मैंने प्रारम्भ में बात कही कि आज हम शहरों की व्यवस्था नहीं बना पाये। शहरों के अस्पतालों के अन्दर इतना लोड है कि वहां पर हम प्रोपर इक्विपमेंट उपलब्ध नहीं करा पाये तो ग्रामीण क्षेत्र की आज हम अगर बात करें तो वह बात अपने आप में पूर्ति कहीं से नहीं करती है। यह मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।

मैं आशा करता हूं कि, माननीय मंत्री महोदय, मैंने यह जो कुछ बातें आपके सामने रखी हैं आप इन पर गौर फरमायेंगे और निश्चित रूप से आप कुछ इस प्रकार की कार्यवाही करेंगे। जिस कार्यवाही का सीधा असर हर व्यक्ति तक पहुंचेगा, हर व्यक्ति को महसूस होगा बदलाव आया है। लेकिन उस बदलाव के साथ कुछ ऐसे काम हुए हैं जो अस्पतालों की दशा को भी सुधारने वाले होंगे चाहे वो अस्पतालों की गंदगी को लेकर के हों। हमारा पी.बी.एम. अस्पताल कभी राज्य का एक नम्बर का अस्पताल होता था सफाई के मामले

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

में। इलाज के अन्दर भी इतने डिवोटेड डाक्टर्स होते थे जिसका मुकाबला नहीं। और आज पी.बी.एम. अस्पताल की स्थिति यह है कि पांच-पांच दिन तक मरीज की बैड शीट तक नहीं बदलती जब कि हम संक्रमण से रोकने की बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम ऐसा वातावरण दें जिस वातावरण में बिलकुल किसी भी तरीके के किटाणु नहीं हों। अगर पांच-पांच, छः-छः दिन तक बैड शीट नहीं बदली जायेगी, टायलेट इतने गंदे होंगे कि उनके पास से गुजरने वाले मरीज का अटेंडेंट तक बीमार हो जायेगा तो हम उस अस्पताल की क्या आशा करते हैं, यह मेरे समझ में नहीं आ रहा।

मैं आशा करूंगा कि इन बातों को ध्यान में रखने के साथ-साथ माननीय मंत्री महोदय इस बात पर भी गौर करेंगे कि हमारे यहां पर बी.ए.डी.पी. की राशि उपलब्ध करवायी गयी थी सी.एम.एच.ओ. को, उस राशि का भी आज दिन तक उपयोग नहीं हो पाया जब कि लगभग दूसरा साल बीत रहा है। टेण्डर की प्रक्रिया के अन्दर उलझा कर उस राशि को आज तक अटकाया गया जो अपने आप में गम्भीर है। मैं आशा करूंगा कि इस पर भी माननीय मंत्री महोदय ध्यान देंगे। और साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मेडिसन डिपार्टमेंट में रेस्पेरेटरी क्लीनिक संचालित किया जा रहा है, यह रेस्पेरेटरी क्लीनिक अगर पी.बी.एम. अस्पताल के मेडिसन डिपार्टमेंट से हटा कर या तो टीबी एण्ड चेस्ट में जाएं क्योंकि वहां सबसे ज्यादा उसकी आवश्यकता होती है या वहां पर एक नया इसके लिए यूनिट खोल दीजिए।

तो वहां पर जो आवश्यकताएं मरीजों को वहां सबसे ज्यादा होती हैं उनकी पूर्ति हो सके, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। और इसी के साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमने डाइबिटिक रिसर्च सेण्टर खोल दिया। बजट में हमने उसकी घोषणा की, लेकिन इसमें आज दिन तक एण्डोक्राइनोलोजिस्ट की नियुक्ति नहीं की है। तो हम जब उपयुक्त डाक्टर नहीं दे रहे हैं, ऐसे टेक्निकल एक्सपर्ट वहां पर नहीं हैं तो उस रिसर्च सेण्टर की उपयोगिता क्या है? यह मेरी समझ में नहीं आ पा रहा है।

सभापति महोदय, मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि चूंकि यह स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें हैं, और हम इसके अन्दर जो कुछ भी कर सकते हैं, इसके अन्दर बहुत संवेदनशील होने की हमको आवश्यकता है। आज यह बात आती है, डाक्टर्स भर्ती के नाम पर किस प्रकार से मरीजों को पीड़ित और प्रताड़ित करते हैं, आपरेशन की डेट नहीं देते हैं। भर्ती है तो डिस्चार्ज होने के नाम पर उसको प्रताड़ित किया जाता है। इन सब पर भी अंकुश लगाने के

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

लिये अगर मंत्री महोदय अपनी तरफ से कोई एक विजिलेंस टीम गठित कर दें जो समय-समय पर विभिन्न जिला मुख्यालयों पर या जिला मुख्यालयों से विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा करे और वास्तव में जाने कि यह क्या हो रहा है, क्या मरीजों को वास्तव में सही इलाज मिल रहा है। राज अपनी तरफ से जो इतनी राशि खर्च कर रहा है उस राशि का सदुपयोग होता है कि नहीं। आपने जो एक लिस्ट बना रखी है कि इस लेवल का डाक्टर इतना पैसा कंसल्टेंसी फीस लेगा, क्या उसकी पालना हो रही है। या हर जगह पर गांधीजी के बड़े-बड़े चित्र वाले नोट ही जा रहे हैं। कहीं छोटे भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। इस पर भी कहीं गौर फरमाने का कष्ट करें। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। सुबह और शाम डाक्टरों के घर पर जो लम्बी भीड़ है, जब तक डाक्टर अपना पर्चा लिखकर नहीं देता रेजीडेण्ट वहां उसको घुसने नहीं देता, उसको भर्ती नहीं करता है। यह एक ऐसा दर्दनाक पहलू है जिससे हर व्यक्ति दो चार हो रहा है। यह आप सब स्वयं इस बात को मानते होंगे। यह मैं आपको याद कराना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में, दो शब्द, चूंकि इसी मांग के साथ में कृषि और पशुपालन भी जुड़ा हुआ है, सभापति महोदय, आप की आज्ञा से दो शब्द और कहना चाहता हूं। हमारे बीकानेर के अन्दर इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, आज वहां पर पशु औषधालय है।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): दो के बजाय चार भी कह दिया होता तो क्या फर्क पड़ता?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): आपकी अनुमति होगी तो चार कह दूंगा। कृषि महाविद्यालय वहां पर है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): हमारा भी ध्यान रखो।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): बिलकुल रखेंगे। आपका तो हो रहा है। आप कृषि विश्वविद्यालय के सदस्य थे। आपकी बात ही कर रहा हूं। कृषि विश्वविद्यालय है वहां। उस कृषि विश्वविद्यालय के पास एक अपना बहुत बड़ा लेण्ड-बैंक है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अब के कुछ नया हो।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): अब के इधर आ जाओ। इधर से उधर चलेंगे तो मंत्री बन जाओगे आप।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

वहां पर लेण्ड-बैंक है। लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। विश्वविद्यालय के अण्डर में हजारों हैक्टेयर भूमि उसमें है। विश्वविद्यालय ने कुछ रिसर्च के काम भी किये लेकिन उनका फायदा भी सीधे किसानों को नहीं मिल पा रहा है। खजूर के ऊपर बहुत बड़ा अनुसंधान हुआ। बहुत अखबारों में उसके बारे में आया। परिसर में ही बहुत से खजूर के पौधे लग गये, जो आज पेड़ बन गये हैं। लेकिन उसको हम आगे तक नहीं पहुंचा पाये। तो मेरा निवेदन है कि आज कृषि मंत्री महोदय यहां पर विराजमान हैं। वे इस पर ध्यान दें। वहां पर पोस्ट खाली पड़ी है, रिसर्च कराएंगे किससे। बजट आपको देते हैं उस बजट का उपयोग केवल बिल्डिंग के निर्माण में हो रहा है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स तो खूब सारी बनती जा रही हैं। आज वह जो आधुनिक तकनीक है, वह किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। मेले भी होते हैं तो केवल नाम के लिये होते हैं। आपकी यह जो रिपोर्टस होती हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्टस, इसके अन्दर शामिल करने के लिये होता है। आप गतिविधियों का जिक्र कर देते हैं। कृषि मण्डियों को विकसित करने की बात है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बीकानेर की जो मण्डी है इसको विकसित श्रेणी में लाने का काम आज दिन तक बकाया है। यह आपकी रिपोर्ट कहती है, जो आपने अभी भिजवाई है कि मूंगफली की विशिष्ट मण्डी के लिये अभी वहां से प्रस्ताव नहीं आ पाये। मैं तो इसी को पढ़ रहा हूं। अगर आपने कर दिया है, इसमें संशोधन, तो आपका धन्यवाद है। और अगर नहीं किया है तो आप कर दें। मैं कोई नाराजगी आपसे व्यक्त नहीं करना चाह रहा हूं। मैं आपका ध्यान ही आकृष्ट करना चाह रहा हूं। यहां हमारे बोलने का मकसद यही है कि आपको परिस्थितियों से अवगत करायें जो हमारी जानकारी में हैं।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाह रहा हूं कि आज कृषि के क्षेत्र में इतना काम हो रहा है, इतना लम्बा-चौड़ा लवाजमा आपके पास में है, मंत्री महोदय, इतने बड़े-बड़े संसाधन हैं आपके पास में लेकिन फिर भी हम आज तक किसान को समय-समय पर जो फसलों में बीमारियां फैल रही हैं उसकी रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं। उन्नत किस्म के बीज हम नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं। जब कि आपके यहां पर सीड कारपोरेशन है। बीजों का, सीड कारपोरेशन की तरफ से जो जगह-जगह पर अनुसंधान कराने के साथ-साथ जो बीज पैदा कराने के कार्य भी किये जाते हैं, उस क्रम में हमारे बीकानेर को अभी बहुत पिछड़ा हुआ मान रहे हैं। वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। राशि का प्रावधान आपने किया है,

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

विपणन बोर्ड की तरफ से सड़कों का जाल तो बिछाने का काम किया गया था और पी.डबल्यू.डी. से बहुत आगे थीं। आज वह पिछड़कर ऐसी स्थिति आ गई है कि जो सड़कें बनीं उनमें इतने गहरे-गहरे गड्ढे पड़ गये हैं। उनके ऊपर चलना मुश्किल है। तो आज आपने जो व्यवस्थाएं और की हैं, उनके साथ में ही इन व्यवस्थाओं को ही आप पुनः करें कि पुरानी सड़कों को रिपेयर कराएं और नई सड़कों को भी, आप नये लिंक्स बनाने की कोशिश करें। यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

पशुपालन के क्षेत्र में सभापति महोदय, इतनी कम राशि का प्रावधान अभी किया गया है, डेयरियों को सुदृढ़ करने के लिये, जो अपने-आप में नगण्य मात्र है। मैंने, अभी पिछले दिनों बोलने का अवसर मिला तो उस बात को रखा था। मैं पुनः इस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन यह जरुर कहना चाहता हूं कि कृषि प्रधान देश और कृषि प्रधान राज्य के अन्दर आज सबसे ज्यादा कष्ट में हैं तो अगर किसान और पशुपालक हैं। आज चाहे भेड़-पालक की बात करें, चाहे गाय-पालक की बात करें। ऊष्ट अनुसंधान केन्द्र तो खुला हुआ है। उसके ऊपर बहुत सारे काम हो रहे हैं लेकिन उसका लाभ किसान को नहीं मिल पा रहा है। हाइ-ब्रीड की जो बात कर रहे हैं। कितनी उन्नत किस्म के कौन-कौन से ऊंट वहां पर हैं, कौन-कौन से ऊंट खरीदे जाने चाहिए, यह हमें नहीं पता है। लेकिन सैलानियों के आने का केन्द्र जरुर वह बन गया है। यह मैं आपको बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं। यह भी मैं कहना चाहता हूं कि आज डेयरियों का और सुदृढ़ीकरण करने के लिये कुछ कार्य करें। दूध का पूरा मूल्य मिले। आपने अभी इसके अन्दर भी कुछ बात अपनी तरफ से रखी है। लेकिन वह कैसे मिले, इसको देखा जाए। प्राइवेट डेयरियां बुरी तरह से हावी हो रही हैं। हमारे बीकानेर के अन्दर राठी नस्ल की गाय है जो पूरी दुनिया में जानी जाती है। उस गाय को बचाने के लिये उसके संवर्द्धन के लिये कोई विशेष योजना नहीं बनी। इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। मैं यह कहना चाहता हूं। साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि आज कृषि के क्षेत्र में बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं।

श्री सभापतिः कृपया समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): लास्ट दो वर्डस हैं मेरे। लेकिन आज के हालात में किसान की फसलें जल रही हैं। पानी की कमी है। कृषि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि एक पानी और अगर हमको मिल जाए तो फसलें बच जाएंगी लेकिन न जाने क्यों प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहा है। करोड़ों

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

रुपये मुआवजा देने की बात की जा रही है। 126 करोड़ रुपये का मुआवजा देने के लिये एक पैकेज बनाये जाने की बात की जा रही है लेकिन उसका लाभ आज खड़ी फसल को बचाने के लिये नहीं किया जा रहा है। पानी उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। इस पर भी मंत्री महोदय, ध्यान देंगे। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। आपने, सभापति महोदय, मुझे समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं दोनों ही मंत्री महोदयों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस पर ध्यान देंगे। जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री केसर देव बाबर।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मेरे को बोलने का समय दिया उसके लिये धन्यवाद। मैं मांग सख्या-26, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई, मांग सख्या-37 कृषि, मांग संख्या 39 पशुपालन एवं चिकित्सा, इनके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले मैं राजस्थान की मुख्य मंत्री और हमारे चिकित्सा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में, मेरे पैतृक गांव जसरासर में पी.एच.सी. खोलने की जो घोषणा की है, उसके लिये इनको मेरे विधान सभा क्षेत्र और मेरे गांव की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आज सुबह से कृषि पर चर्चा हो रही है। किसानों की चिन्ता सब को है। सभी किसानों के भले की बात कर रहे हैं। प्रदेश में जब से वसुन्धराजी मुख्य मंत्री बनी हैं, तब से किसानों को राहत दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे बिजली हो, चाहे फसल नष्ट हो, हर सम्भव मुख्य मंत्रीजी सहायता का प्रयास कर रही हैं। फिर भी मैं, सभापति महोदय, आपसे निवेदन करुं कि किसान इस देश का अन्नदाता है, अन्न पैदा करता है। अभी जैसे आवाज आ रही थी, 60 हजार करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। पहले 10 हजार का कर्जा माफ कर दिया। सभापति महोदय, कर्जा माफ किया, ठीक है, अच्छी बात है। परन्तु किसान की जब तक समुचित व्यवस्था नहीं हो, स्थाई समाधान नहीं हो तब तक अपना किसान मजबूत नहीं होगा। किसान मजबूत हो, इसलिये उसका स्थाई समाधान हो। सभापति महोदय, दीपावली पर कर्मचारियों को बोनस मिलता है। वे अच्छा काम करते हैं, इसलिये कर्मचारियों को बोनस मिलता है। किसान चाहे कितनी ही पैदावार अच्छी करे, उसको कोई बोनस नहीं देता है।

(श्री केसर देव बाबर)

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकारें कर्जा माफ करती हैं। कर्जा किसका माफ होता है, जो किसान चुकाता नहीं है या चुका नहीं पाता है। लेकिन यदि किसी किसान ने अपना कर्जा अपना पेट काट कर भी चुका दिया तो उसको कोई फायदा नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है, आपसे कि कर्जा माफी योजना की जगह उसको बोनस दिया जाए किसान को और प्रत्येक किसान को बोनस दिया जाए। चाहे वह किसान छोटा हो, चाहे बड़ा हो, किसान तो किसान है।

(18.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, यदि किसी के जमीन ज्यादा है तो वह ज्यादा मेहनत कर रहा है। उसके बीज और खाद के पैसे ज्यादा लग रहे हैं। यदि कोई किसान छोटा है तो उसके कम खर्चा आ रहा है। किसान किसान ही है। छोटा हो या चाहे बड़ा हो, माननीय सभापति महोदय, किसान यदि गोबरी खाद गेरेगा या बकरी की मींगनी की खाद गेरेगा तो उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी। मेरा आपसे निवेदन है, मैं सरकार का इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि किसान को चाहे वह खाद किसी भी तरह की डाले, चाहे वह गोबर की डाले, चाहे मींगनी की डाले, चाहे यूरिया डाले, उसको सब्सिडी सीधी मिलनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जो फैक्ट्री यूरिया बनाती है वह यूरिया काम आये चाहे नहीं आये। चाहे यूरिया समुद्र में जाए, चाहे यूरिया कहीं भी गिरे। लेकिन उस फैक्ट्री में जो यूरिया बना रहा है उसको सब्सिडी सीधी मिलेगी और हजारों करोड़ मिलेगी उसको और सरकारें चाहती हैं, अपन सब चाहते हैं कि अच्छा अनाज पैदा करें। चाहे वह गेहूं हो, चाहे चना हो, उसमें रासायन का कम से कम प्रयोग करें और यह कब रुकेगा जब अपन गोबर की खाद पर सब्सिडी जारी करेंगे और अच्छा अन्न पैदा करेगा तो न तो चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी और न डाक्टर की जरूरत पड़ेगी। बीमारी होगी ही नहीं। न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी।

माननीय सभापति महोदय, अपना किसान मजबूत होगा, अपना किसान खुशहाल होगा तो अपन सब खुशहाल होंगे। यदि किसान अन्न पैदा नहीं करेगा तो प्रत्येक प्राणी संकट में आ जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करूं, किसान जब सर्दियों का सीजन होता है तब रात को वह दो बजे काम करता है। उस समय कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलता अपने कमरे से। फिर वह किसान चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो,

(श्री केसर देव बाबर)

चाहे बरसात हो और जैसा अभी माननीय सदस्य चिंता कर रहे थे कि किसान का कृषि के प्रति रुझान कम हो रहा है और कोई भी व्यक्ति कृषि का कार्य नहीं करके चाहे उसको चपरासी की नौकरी लगे, वह तो नौकरी करने में ज्यादा प्रयास करता है। इसलिए ऐसी सुविधा हो कि प्रत्येक व्यक्ति कृषि की ओर भागे, कृषि की ओर आकर्षित हो और कृषि जब अव्वल होगी तो अपना देश मजबूत होगा।

माननीय सभापति महोदय, जैसे अभी फसल खराब हो गयी, गिरदावरी हो रही है। पटवारी और गिरदावर गिरदावरी एक जगह बैठकर करते हैं। जैसे किसी किसान के 100 बीघा खेत है तो वह बैठा-बैठा लिखता है कि 10 बीघा में गेहूं, 20 बीघा में चना और 70 बीघा अड़ाई। उसने जो लिख दिया वह सही। फिर दो महीने के बाद में किसान को पता चलता है कि तेरी तो गिरदावरी खराब हो गयी, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्रीजी का इस ओर ध्यान दिलाऊंगा कि जब गिरदावरी हो तो उस समय इनका ग्राम सेवक, कृषि विभाग में ग्राम सेवक भी होता है। ग्राम सेवक या किसान उसके साथ रहे और उसके सामने गिरदावरी करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताऊं कि जब पुराने राजा-महाराजाओं के टाइम में भी गिरदावरी होती थी तब भी उन किसानों के साथ अन्याय तो होता था लेकिन गिरदावरी उसके सामने ही होती थी। 9 मन का 100 मन करते थे और 100 मन का 9 मन भी करते थे लेकिन करते किसान के सामने थे। आज भी किसान की जब गिरदावरी हो तो वह पटवारी या गिरदावर उस किसान को साथ लें या उस वार्ड के वार्ड पंच को साथ लें या सरपंच को साथ लें या ग्राम सेवक को साथ लेकर उसकी गिरदावरी हो ताकि उसका सही आकलन हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य बात मैंने जो बतायी कि सभी किसानों को, चाहे लोन माफी की योजना हो, चाहे किसी भी तरह की सहायता हो, चाहे बिजली के बिल की माफी हो, सभी किसानों को मिले। ऐसी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि कोई भी किसान इससे वंचित नहीं रहे।

मैं कृषि मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सीकर में, शेखावाटी क्षेत्र में प्याज बहुत पैदा होता है और इतना प्याज पैदा होता है कि राजस्थान एक तरफ और हमारी शेखावाटी एक तरफ। लेकिन जब प्याज पैदा होता है तो

(श्री केसरदेव बाबर)

हमारी मंडी में खरीदने के लिए खरीददार नहीं होते हैं। कई-कई बार किसान को मजबूर होकर सस्ते भाव में प्याज बेचना पड़ता है इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे किसान को उस, या तो स्टोरेज की व्यवस्था हो या उस किसान को बोनस मिले। जितना प्याज पैदा करें वह, उसके हिसाब से उसको बोनस मिले। प्रति मन के हिसाब से, चाहे 100 रुपये प्रति मन हो, चाहे 80 रुपये प्रति मन हो, ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे किसान को प्याज की, उसका लागत मूल्य मिले, यह मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, एक नेशनल हार्टिकल्चर मिशन राजस्थान में चल रहा है और मेरा तो जिला सीकर जिला है। यह डेजर्ट इलाका है। इस जिले में यह योजना लागू नहीं है। इस योजना के तहत किसान जो भी काम करेगा, चाहे वह खड्डे खोद कर पौधे लगा रहा है, चाहे वह ड्रिप सिस्टम लगा रहा है, चाहे उसके वह बाड़ कर रहा है, चाहे तारबंदी कर रहा है तो सब कार्यों में उसको सब्सिडी भी है और एक पैकेज बनता है, उस पर लोन भी मिलता है। माननीय सभापति महोदय, पड़ौस का जिला जो झुन्झुनूं है वह इसमें शामिल है। मेरा कृषि मंत्रीजी से निवेदन है कि हमारा सीकर जिला भी इस योजना में शामिल करके हमारे किसानों को राहत पहुंचाये, ऐसा मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, अभी सभी माननीय सदस्य चिंता जाहिर कर रहे थे भ्रूण हत्या के बारे में। माननीय सभापति महोदय, भ्रूण हत्या होती क्यों है और यह करते कौन हैं? कोई भी गरीब ग्रामीणजन, गरीब आदमी भ्रूण हत्या नहीं करवाते हैं। भ्रूण हत्या या तो अधिकारी लोग या नेता लोग। भ्रूण हत्या क्यों होती है हमारे यहां? दहेज हत्या। दहेज प्रथा जो चल गयी और दहेज का जो दिखावा हो गया, आप सभी शादियों में जाते हैं। हर जगह मंडप में आपको स्कारपियो खड़ी मिलेगी सजी-सजायी तो प्रत्येक के मन में यह इच्छा होती है कि तेरे को भी तेरी बेटी की शादी में यह स्कारपियो देनी पड़ेगी। माननीय सभापति महोदय, यह दिखावा जब तक बंद नहीं होगा और जब तक यह दहेज बंद नहीं होगा तब तक यह भ्रूण हत्या नहीं रुकेगी। यह भावना पैदा करनी होगी और यह जिम्मेदारी लेनी होगी। सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि दहेज के प्रति कानून जो है, उसका सख्ती से पालन हो और यह अगर सख्ती से पालन हो जाएगा तो भ्रूण हत्या अपने आप रुक जाएगी।

(श्री केसर देव बाबर)

माननीय सभापति महोदय, दहेज देते भी हैं और दिखाते भी हैं इसलिए जब दहेज प्रथा रुक जाएगी तब भ्रूण हत्या रुक जाएगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन और करूं। आज-कल एक चीज और चल गयी। पहले तो शादी में दहेज देओ और फिर हमारे ग्रामों में आजकल पैसे वाले लोग जो हैं, बड़े-बड़े लोग, वह सूचक और करते हैं। वह भी उस दहेज से बड़ा दहेज है। तो इस तरह की भावना पैदा की जाए और कम से कम सरकार यह कानून बनाकर इस तरह का नियम बनाये कि दहेज देने वाला सबसे बड़ा अपराधी है। लेने वाले से भी देने वाला बड़ा अपराधी है। जब जाकर यह भ्रूण हत्या रुकेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, एक-दो चीज चिकित्सा के बारे में बताना चाहूंगा। गांवों में पी.एच.सी. भी है, डाक्टर भी है। कम्पाउंडर भी है परन्तु वहां टैस्ट करने का कोई साधन नहीं है। किसी भी तरह की जांच किसी पी.एच.सी. में, ग्रामीणजन में नहीं होती है। यह सुनिश्चित हो कि छोटी-मोटी जांच, कोई खून की, पेशाब की जो जांच वहां हो सके वह साधन जांच के हो तब तो जो असली ग्रामीणजन हैं, उनको लाभ मिलेगा अन्यथा डाक्टर लोग क्या करते हैं कि दवाइयां उसको चाहिए एक गोली और लिखते हैं चार गोली। तो उसको ज्यादा परेशानी होगी, ज्यादा खर्च आता है उसका।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, गांवों में डाक्टर रहते नहीं हैं। चाहे नर्स हो, चाहे डाक्टर हो, रात्रि विश्राम गांव में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह सब डाक्टर लोग, नर्स शहर में आना चाहते हैं इसलिए मेरा चिकित्सा मंत्रीजी से यह निवेदन है कि गांवों में ठहराव सुनिश्चित हो और सुनिश्चित कब होगा जब उस डाक्टर को उस गांव में रहने का कुछ लाभ मिलेगा। जयपुर में यदि कोई डाक्टर रहता है तो उसको मकान किराया, अन्य सुविधाएं ज्यादा मिलती हैं और जो गांव में रहता है अंधेरे में, उसको सुविधाएं कम मिलती हैं। मेरा निवेदन है कि जयपुर में जो डाक्टर रहता है उससे भी ज्यादा सुविधाएं उस डाक्टर को मिलेंगी तब वह गांव में रहेगा अन्यथा उसका जो प्रयास होगा वह शहर की तरफ भागने का होगा। माननीय सभापति महोदय, कुछ ए.एन.एम. संविदा पर है सरकार विचार कर रही है कि उनको परमानेंट किया जाए। बहुत अच्छी बात है लेकिन कुछ आर.सी.एच.ओ. के मार्फत भी ए.एन.एम. काम कर रही हैं, उन ए.एन.एम्स. को भी स्थाई किया

(श्री केसर देव बाबर)

जाए ताकि वह मन लगाकर ग्रामीणजन की सेवा करें और बहुत अच्छी चिकित्सा का लाभ दे सकें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, अभी-अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि उपखंड स्तर के जो शहर हैं, वहां पर कम से कम पचास बेड का अस्पताल होना चाहिए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में भी उपखण्ड स्तर का शहर है। वहां पर जो सी एच सी है उसकी बैड संख्या पचास करके मेरे क्षेत्र को लाभान्वित करें, ऐसा चिकित्सा मंत्रीजी से मेरा निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, नीमाकाथाना क्षेत्र काफी बड़ा है और हमारे जिले से अन्तिम छोर का गांव है। वहां की पंचायत समिति में भी उनसठ ग्राम पंचायतें हैं। मैं चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वहां का जो अस्पताल है उसको पचास बैड से बढ़ाकर सौ बैड का किया जाए ताकि वहां की जनता को राहत मिले।

मेरा चिकित्सा मंत्रीजी से एक निवेदन और है ग्राम नेछवा जो लक्ष्मणगढ़ शहर है उससे काफी दूर है और पांच दस या बड़े कस्बे हैं उनके मध्य का गांव है। नेछवा में फिलहाल पी एच सी है वहां पर सी एच सी बन जाए तो उस क्षेत्र के जो किसान भाई हैं, ग्रामीण जन हैं उनको लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

कृषि मंत्रीजी से मेरा एक निवेदन है कि लक्ष्मणगढ़ में मण्डी नहीं है जब कि फतेहपुर में छोटा यार्ड या छोटी मण्डी है। फतेहपुर में पानी ज्यादा खराब है वहां कृषि की जिंस पैदा नहीं होती और लक्ष्मणगढ़ शहर के आस पास कृषि की जो जिंस है वह ज्यादा पैदा होती है। आदरणीय कृषि राज्य मंत्री जी उधर से गुजरते हैं उनको पता भी होगा,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लक्ष्मणगढ़ में एक मण्डी हो जिससे वहां के किसानों को सीकर आना नहीं पड़े या वह पास की मंडी मुकुन्दगढ़ जाते हैं या नवलगढ़ जाते हैं। इसलिए मेरा कृषि मंत्रीजी से निवेदन है कि आज मण्डी खोलने का आदेश प्रदान करें।

आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामप्रताप कासनिया (अनुपस्थित), श्री बाबूसिंहजी राठौड़...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं कृषि व चिकित्सा पर चर्चा में अपने आपको शामिल कर रहा हूं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमने किसानों को कितनी प्रधानता दी है इस बात पर बल देने की जरुरत है। सभापति महोदय, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी उस समय एक निर्णय यह किया गया था कि हमारे हिन्दुस्तान की जो बंजर भूमि है, रेगिस्तानी इलाका है बहुतायत जमीन जिस पर फसल नहीं होती है। उसको हरी-भरी करने के लिए जो हमारे हिन्दुस्तान का बहुतायत पानी नदियों में बहकर के समुन्द्र में चला जाता है। उस पानी का सदुपयोग हो, हमारे हरित क्रांति आए और किसानों को इसका संबल मिले, नदियों को जोड़कर के यह पानी खेतों और खलिहानों में पहुंचाया जाय, ऐसी भावना से नदियों को जोड़ने का निर्णय लिया गया था। और निर्णय होने के बाद सरकार चली गयी लेकिन मैं कह सकता हूं कि यह राजनीतिक द्वेष भावना है। अभी जब केन्द्र सरकार का बजट आया तो उस बजट के अन्दर नदियों के जोड़ने का किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं रखा गया। इससे बड़ा कोई धोखा नहीं हो सकता।

मैं कह सकता हूं कि अखबारों में आप खबरें पढ़ रहे हैं कि बार्डर बिक रहा है, या हमारी जो सरहद है उसके आस-पास जो जमीन है वह जमीनें बिक रही हैं। वह जमीनें बिकने का कारण यही है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब और उनकी सरकार ने यह निर्णय लिया था तो किसानों में खुशी की लहर थी। सरहद के किसानों में, सरहद के लोगों में वहां की जनता में यह एक आस जगी थी कि अब जब नदियों का पानी आ जाएगा तो हमारी जो जमीनें हैं यह हरी-भरी हो जाएंगी, हरित क्रांति आएगी। खास तौर से जिस विधान सभा क्षेत्र से हम आते हैं, जिस पश्चिमी राजस्थान से हम आते हैं, हमारे सभी किसानों में और वहां की जनता में यह भावना जगी थी कि रेगिस्तान हरा-भरा हो जाएगा और यह जमीन भी उपजाऊ हो जाएगी, इस भावना को वास्तव में ठेस लगी।

इस प्रकार से उस नदियों से जोड़ने वाली योजना को एक ठंडे बस्ते में डालकर यह किसान के साथ इतना बड़ा अन्याय इन्होंने किया है, इसकी वास्तव में भर्त्सना करनी चाहिए।

दूसरा मेरा निवेदन आपसे यह है कि जब पूर्व में चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो इन्होंने अपने घोषणा-पत्र के अन्दर किसानों को मदद करने के लिए फसल बीमा को लागू करने के लिए घोषणा पत्र में यह

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

लिया कि हम सरकार में आए तो फसल बीमा लागू करेंगे। लेकिन पाँच साल इन्होंने निकाल दिये और पांच साल निकालने के बाद जब वापिस अभी चुनाव हुआ तो उस समय वसुन्धराजी प्रदेशाध्यक्ष बनीं। और राजस्थान की मुख्य मंत्री बनने के बाद और उससे पहले उन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के अन्दर यह लिया था कि हम सरकार में आए तो किसानों को फसल बीमा लागू करेंगे। और मैं कहूं कि कथनी और करनी में उनके कोई फर्क नहीं रहा और उन्होंने फसल बीमा लागू किया। आज मैं कह सकता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के अन्दर पिछले दो वर्षो के अन्दर तेईस करोड़ रुपये फसल बीमा दावा के मंजूर हुए हैं, किसानों को मदद मिली है।

आज मैं कह सकता हूं कि जिस पश्चिमी राजस्थान से हम आते हैं, जिस विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ से मैं आता हूं वहां रेगिस्तानी इलाके के अन्दर अब वहां खेती होने लगी है। वहां पानी की उपलब्धता बढ़ी है और लोग अब कृषि की ओर ध्यान देने लगे हैं। वहां पर पाला ज्यादा पड़ता है, दावा ज्यादा पड़ता है। और मैं कह सकता हूं कि हर साल कुछ न कुछ दावा भी पड़ेगा, पाला भी पड़ेगा और वहां नुकसान ऐसा होता है कि रायड़ा भी खतम हो जाता है, मिर्ची भी जलती है। और खास तौर से जिनके खेत जिसमें फसल नहीं है, जहां आकड़े ही आकड़े होते हैं वह भी सारे जल जाते हैं और सारे राख हो जाते हैं। इसलिए इस बार जब बहुत ज्यादा शीतलहर चली और पाला पड़ा तो विधान सभा के अन्दर इसकी चर्चा हुई। और मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का आभारी हूं कि उन्होंने इस प्रकार का पैकेज देकर के पहली बार एक ऐतिहासिक निर्णय किया और किसानों की पाले में मदद की।

उसके बाद यहां से हमारे भाई शिवराजजी पाटील, गृह मंत्री भारत सरकार, उनको पाला पड़ते ही तुरंत 31 जनवरी, 2008 को पत्र लिखा कि सी आर एफ के नार्म्स को बदलते हुए जो राजस्थान में और विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान के अन्दर प्रतिवर्ष पाला पड़ता है और किसानों की कमर टूट जाती है। किसानों के लिए तो, माननीय सभापति महोदय, कहा जाता है कि किसान कभी अमीर नहीं हुआ, किसान कभी धनवान नहीं हुआ। और किसान के लिए कहते हैं कि नेकी कर कुएं में डाल, वास्तव में कुएं की छाया किसानों के लिए तो कुएं में ही रहती है। और ऐसी स्थिति में सी आर एफ के नार्म्स में बदलकर के पाले को जोड़ने की जरुरत थी। लेकिन जब यह पत्र गया तो पत्र जाते ही माननीय शिवराजजी पाटील वापस 21 फरवरी, 2008 को

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

मुख्य मंत्रीजी को दुबारा जवाब देते हैं कि सी आर एफ के नार्म्स को बदला नहीं जाएगा, पाले और दावे को इसके अन्दर जोड़ा नहीं जाएगा। और यह लिखते हैं कि आप तेरहवें वित्त आयोग के पास अपनी अपील दीजिए, वहां जुड़वाने के लिए आप अपनी कोशिश कीजिए।

इस प्रकार का जब निर्णय आता है तो किसानों के हम कहां हितैषी हैं। इस बात की चिंता हम सबको करनी चाहिए, सदन के अन्दर भी सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव लिया जाना चाहिए कि राजस्थान की इस भौगोलिक परिस्थिति के कारण जो पाले और दावे से हमारा नुकसान होता है उस नुकसान के लिए इस सी आर एफ के नार्म्स को बदलकर के इस पाले की व्यवस्था के लिए हमको मुआवजा दिलाने की मदद इस राजस्थान के सदन में से की जानी चाहिए। यह आवाज भारत सरकार के पास जानी चाहिए। ऐसा मेरा निवेदन है और खास तौर से मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि जोधपुर संभाग...

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): पाले की गिरदावरी ठीक करा दो आप, पाले की गिरदावरी ठीक हो जाएगी तो सब का भला हो जाएगा, आज उसमें हेराफेरी हो रही है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अब गिरदावरी की बात चल रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि अभी साठ हजार करोड़ रुपये का किसानों का कर्जा माफी की बात हुई है। और इधर से आने वाले वक्ता अभी कह रहे थे कि आपने लघु एवं सीमान्त के लिए यह घोषणा की है। तो मैं भी यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र से जो घोषणा हुई है उसमें भी लघु और सीमान्त ही हैं, सबके लिए नहीं है। और वह जो दूसरे किसान हैं, जिनकी जमीन ज्यादा है उसके अन्दर भी उनको किसी प्रकार की इसमें मदद नहीं मिलेगी और अभी तो किसान खुश हो रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उनका भी है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): आएगा ना तब पता लगेगा अभी आपको।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): सुनो आप, जो बड़े किसान हैं उन्होंने 75 परसेंट लोन यदि कितना भी है, चुका दिया है तो उसका पच्चीस परसेंट माफ होगा। यह गलत बयानी कर रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): आने दीजिए, आने दीजिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप लोग अपनी-अपनी सीट से बोलें...(व्यवधान) इनको अपनी बात कहने दें।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): बाबूसिंहजी इस राजस्थान में तो नब्बे परसेंट लघु कृषक हो गये हैं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): आप सी आर एफ में पाला और दावा जुड़वा दीजिए...(व्यवधान) यह काम करवाओ तो हमेशा के लिए किसानों का हित हो जाएगा।

श्री सभापति: जब आप बोलें तब आप इस बात को कवर कर लेना।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): एक बार माफ हो जाएगा तो उससे भला होने वाला नहीं है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): लेकिन आप तो राजस्थान सरकार से यह कहो...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्रीमान आप इधर मुखातिब होकर के बात कहें। जरुरी नहीं है कि इनकी बात का आप जवाब दें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मैं मंत्री महोदय से और खास तौर से यशस्वी मुख्य मंत्रीजी से ....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, आप तो खिलाफ हो ना? सी आर एफ के नार्म्स में कोई बदलाव आ जाए और उसमें शामिल हो जाए, आप तो खिलाफ हो ना?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): यह तो खिलाफ ही हैं। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कह दो हिम्मत करके खिलाफ हो।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): यह किसने कहा है आपसे?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): संसदीय कार्य मंत्री बनने के बजाय... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तो हम जब प्रस्ताव पारित कर रहे थे तो भाग क्यों रहे थे?

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): हमने नहीं कहा है...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपसे निवेदन है कि आप बैठ जायें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तो बजट में क्यों कर रहे थे...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): 420 करोड़ रुपये का आप खर्चा पहले काश्तकारों के लिए करो...(व्यवधान) यह प्रस्ताव लाओ पहले आप, बात यह हुई थी...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैं पुन: आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि कृपा करके आप बिराज जाएं। एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं हमको कम से कम उनकी बात को अच्छी तरह सुनना चाहिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री का आभार इस बात के लिए करना चाहूंगा कि उन्होंने पहली बार, गुजरात के अन्दर ऊंझा मंडी है। और ऊंझा मंडी की तर्ज पर ही हमारे राजस्थान के अन्दर बहुत शानदार जीरा मंडी बने। यहां पर जीरे बहुतायत पैदावार की होती है और वह हमारा जीरा ऊंझा मंडी के अन्दर जाता है। यहां पर इसकी सुविधा मिले इसके लिए आपने जोधपुर में जीरा मंडी बनाने का निर्णय लिया है। उस जीरा मंडी की शुरूआत हो गयी है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि मंडी में प्रस्ताव लेकर जब हमने भेजा तो उन्होंने राजमाता विजया राजे सिंधिया के नाम से उसका नामान्तरण कराया है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ऊंझा मंडी की तरह जोधपुर की यह मंडी विख्यात हो और शानदार मंडी के रूप में यह किसानों का भला करे। इसके लिए मैं चाहूंगा कि इसके अन्दर आप टैक्स और वैट में छूट दिला दें और जो ऊंझा मंडी में सुविधाएं हैं उससे ज्यादा सुविधाएं आप जोधपुर की मंडी के अन्दर दिलाएं जिससे चोरी छिपे ऊंझा मंडी के अन्दर जो हमारा जीरा जा रहा है वह सारा जीरा रुक कर जोधपुर के अन्दर ऊंझा से भी शानदार मंडी हमारी आगे बढ़े यह आपको विचार करना चाहिये। उसमें टैक्स और वैट की हमें छूट दिलानी चाहिये जब आप भाषण दें तो यह निर्णय फरमाएं।

मैं आपसे निवेदन यह करना चाहूंगा कि कई जगह राजस्थान के अन्दर पानी नीचा चला गया है, पानी खत्म सा होने लगा है और कहीं पानी बहुत बढ़ा है। जैसलमेर में, शेरगढ़ में, कई इलाकों के अन्दर अब खेती होने लगी है। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को आधुनिक खेती मिले, खेती की जानकारी पूरी मिले इसके लिए आपके दूसरी जगह ज्यादा सुपरवाइजर हैं, ज्यादा आपके कृषि पर्यवेक्षक हैं, आपके कृषि से संबंधित

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

कार्यालय खुले हैं और वहां जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी आपको पत्र दिये हैं कि जहां पर अब कृषि की जरूरत नहीं रही वहां पर खेत खलिहान खाली हो रहे हैं। पानी की वजह से वहां के किसान दूसरे खेतों के अन्दर आ रहे हैं, वहां खेती कर रहे हैं, वहां जमीनें ले रहे हैं। तो आपको कृषि पर्यवेक्षक और सुपरवाइजर जहां जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है वह हटा कर जहां पर खेती बढ़ी है, उत्पादन बढ़ा है वहां पर आपको लगाने चाहिये और वहां पर आपको भर्ती भी खुलवानी चाहिये।

मेरा निवेदन है कि कई बार फसलें ऐसी होती हैं और जग फसलें ऐसी होती हैं तो किसान को उस फसल की कीमत कम मिलती है। तो ऐसे में आपने एक योजना बनायी है कि किसानों के खेत के अन्दर, फार्म हाउस पर एक गोदाम की व्यवस्था हो जहां पर उनकी फसल का स्टाक रखा जा सके। उसके लिए आपने तीस प्रतिशत की सब्सिड़ी शुरू करी है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि गोदाम बहुत बड़े-बड़े बनते हैं और यह तीस परसेण्ट की सब्सिडी कम है। इस सब्सिडी को आप आधी करें, फिफ्टी परसेण्ट कर दें जिससे अच्छे गोदाम वहां बन जाएं।

मेरा निवेदन है कि पाले की और दावे की शिकायतें बार-बार मिल रही हैं, आपने ग्रीन हाउस बनाने का जो निर्णय किया है, पश्चिमी राजस्थान के अन्दर इसमें भी सब्सिड़ी बढ़ाते हुए ज्यादा ग्रीन हाउस अगर बनेंगे तो उसके अन्दर जैसे मिर्च की फसल है या सब्जियां हैं ऐसे उस ग्रीन हाउस के अन्दर पैदावार होगी और आधुनिक खेती की तरफ हमारे किसान बढ़ेंगे। ग्रीन हाउस की सफलता को आगे आपको लेना चाहिये यह खास मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

मैं चिकित्सा पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि पहला सुख निरोगी काया। वास्तव में पहला सुख हमारी काया यदि निरोग है तो वही हमारा सुख है। और राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री यह विचार लेकर आयी हैं कि बीमारू राज्य से उठाकर मैं विकसित राज्य देना चाहती हूं। एक स्वस्थ राजस्थान देना चाहती हूं इसलिए गांवों में जिस प्रकार से उन्होंने चिकित्सा का काम किया है आज मैं कह सकता हूं कि जगह-जगह चिकित्सा का बहुत शानदार काम होने लगा है। इतने सालों से जो चिकित्सा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, जगह-जगह हमने देखा है और खास तौर पर विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में भी देखा है कि हमारे सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र चाहे बालेसर के

(श्री बाबूसिंह राठौड़)
हों, चाहे शेरगढ़ के हों वहां अच्छे डाक्टर्स हैं। डाक्टर्स के भवन निर्माण हो रहे हैं। अस्पताल के सारे अच्छे काम हुए हैं। नयी सी एच सी बनी है, नयी पी एच सी बनी है।

अब मैं खास तौर से यह कहना चाहूंगा कि सन् 1956 से भ्रमणशील चिकित्सा इकाई चल रही है। लेकिन एक बार भी हमारे विधान सभा क्षेत्र में नहीं आयी थी। जब इसकी जानकारी हमने करी तो वास्तव में भ्रमणशील चिकित्सा इकाई बहुत शानदार काम करती है। दस दिन का कैम्प, शिविर लगाकर उसके अन्दर मेडिकल कालेज के अच्छे डाक्टर्स आते हैं। चालीस डाक्टर्स वहां सेवाएं देते हैं और वहां हर तरीके की बीमारी का इलाज होता है। उसके अन्दर सारी दवाइयां मुफ्त दी जाती हैं।

इस प्रकार मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने एक शानदार निर्णय यह किया है कि संजीवनी शिविर हम छह महीने में एक सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र के ऊपर करेंगे। मेरे यहां बालेसर में और शेरगढ़ में छह-छह महीने से यह कैम्प हो रहे हैं वास्तव में यह संजीवनी बहुत ही शानदार सफल हुआ है। इसके अन्दर दवाइयां भी फ्री मिलती हैं और छोटी मोटी बीमारी के मरीजों को यह इंतजार रहता है कि छह महीने के बाद संजीवनी शिविर लगेगा और हम अपना इलाज अपने गांव में, अपने घर में करा लेंगे। यह भी एक शानदार निर्णय आपने किया है इसके लिए भी हम आपका आभार व्यक्त करना चाहेंगे।

खास तौर से मैं चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार बीमारियां फैलती हैं। हमारे पश्चिमी राजस्थान के अन्दर और विशेष तौर से बाड़मेर, जैसलमेर, शेरगढ़, उस इलाके के अन्दर बहुत ज्यादा आंधी चलती है। जब आंधी चलती है तो डस्ट से दमा की शिकायत होती है, बहुत ज्यादा दमे की शिकायत होती है। दूसरा, हमारी महिलाएं गांवों के अन्दर लकड़ी पर खाना पकाती हैं, भोजन पकाती हैं तो उस धुएं से उनकी आंखें चली जाती हैं, वह अंधी हो जाती हैं। कई जगह हमारे यहां अब ज्यादातर माइनिंग का काम चालू हो रहा है। बाड़मेर में भी, जैसलमेर में भी, जोधपुर जिले में भी माइनिंग का काम बहुत ज्यादा चल पड़ा है। अब माइनिंग में भी टीबी की शिकायत ज्यादा होती है तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं और भौगोलिक जो वातावरण है उस वातावरण के हिसाब से जो बीमारियां फैलती हैं उन बीमारियों के हिसाब से इस प्रकार से जो रोगी हैं उनके लिए शिविर लगाने चाहिये।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान के अन्दर हमारे अफीम लेने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। और जब अफीम की कीमत बढ़ी है, डोडा, पोस्त की कीमत बढ़ी है तो उनको अब यह चिन्ता सताने लगी है कि वास्तव में मिलावट भी आती है और सही ढंग का अफीम, डोडा, पोस्त भी नहीं मिलता है। तो लोगों में यह जागृति आयी है कि हमको अफीम, डोडा, पोस्त छोड़ना चाहिये। इसको छोड़ने के लिए लोग आगे आने लगे हैं। सही ढंग से उनको शिविर मिले, उनको अच्छी दवाइयां मिलें, मदद मिले तो आने वाले समय में जो ज्यादातर अफीम लेते हैं वह अफीम छोड़ने के लिए तैयार हैं। दमे के लिए अगर शिविर लगे तो दमे की शिकायत का भी वहां काफी निस्तारण हो सकता है। आंखों के लिए भी शिविर लगे तो शिविर के लिए यह एक व्यवस्था होनी चाहिये। नियमित शिविर लगाकर गांवों के अन्दर जो रोगी हैं उनके रोग के निस्तारण के लिए आगे आना चाहिये ऐसा मेरा निवेदन है।

खास तौर से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी केन्द्र के अन्दर जब बजट पारित हुआ उससे पूर्व माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जब सरकार थी तो राजस्थान के अन्दर जोधपुर संभाग मुख्यालय को चुनते हुए एक एम्स बनाने की घोषणा की थी। मैं राजस्थान सरकार का आभारी हूं कि उन्होंने वहां पर जमीन अलाटमेंट किया। वहां पर उनको पट्टा भी दिया लेकिन इस बार जब बजट आया तो हमें यह विश्वास था कि इस बजट के अन्दर एम्स के लिए बजट प्रावधान होगा और जो पूरे राजस्थान का दवाब आज यहां एस एम एस अस्पताल के ऊपर है, एम्स जब पूरा हो जायेगा तो वह दवाब कम होकर जोधपुर के अन्दर वह फैसेलिटी बढ़ जायेगी। पता नहीं क्यों चिकित्सा के क्षेत्र में इस प्रकार से राजनीतिक द्वेष भावना अपनायी जा रही है। एम्स के अन्दर तुरन्त काम करने की जरूरत थी वह आज भी ढीले बस्ते में चल रहा है। आज एम्स अगर ढंग से जोधपुर के अन्दर तुरन्त तैयार हो जाए तो पूरे राजस्थान को इसका लाभ मिल सकता है लेकिन उसके अन्दर भी मैं अपनी चिन्ता को दर्ज कराना चाहूंगा, खास तौर से मैं आभारी हूं मुख्य मंत्रीजी का कि उन्होंने जोधपुर के अन्दर नया कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय स्थापित किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। खास तौर से अभी जोधपुर जिले के लूणी को सी एच सी, देसू को सी एच सी और आयुर्वेदिक

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

चिकित्सक की भर्ती, 40 नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने, जोधपुर व कोटा में आयुर्वेदिक अस्पतालों के साथ वैलनैस और हर्बल सेण्टर स्थापित करने का निर्णय, 7 आयुर्वेदिक अस्पतालों को ए श्रेणी में क्रमोन्नत, गौ संवर्द्धन पंच है, रसायन व गौ उत्पादों की चिकित्सीय उपादेयता के अध्ययन के लिए आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर के तहत स्थापित करने के निर्णय का स्वागत मैं करना चाहूंगा। जोधपुर के मेडिकल कालेज में लीनियर एस्केलेरेटर की स्थापना जन सहभागिता से की जायेगी। धनवन्तरि एम्बुलेंस सेवा योजना का मैं स्वागत करना चाहूंगा और खास तौर से मैं निवेदन करना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी से और चिकित्सा मंत्रीजी से कि अब गांवों के अन्दर चिकित्सा सुविधा बढ़ाने की जरूरत है और आपने यह बहुत शानदार निर्णय किया कि हमारे जो उप स्वास्थ्य केन्द्र थे, सब सेण्टर। वह सब सेण्टर जीर्ण-शीर्ण थे। वहां पर लेबर रूम की भी स्थिति थी नहीं। अब आपने एक उप स्वास्थ्य केन्द्र के ऊपर दस हजार रुपये देने की घोषणा की है कि दस हजार का काम करा लो और उसकी यू सी देकर फिर दस हजार ले लो। उससे उसका कायाकल्प होने लगा है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि दूरदराज जितने राजस्व गांव हैं वहां कम से कम एक सब सेण्टर खुलना चाहिये। पंचायत मुख्यालय पर एड पोस्ट होनी चाहिये। सब पंचायत मुख्यालयों पर एड पोस्ट हो जाएं तो पांच एड पोस्ट पर एक पी एच सी और पांच पी एच सी पर एक सी एच सी हो जाए तो इस प्रकार से शानदार अच्छी व्यवस्थाएं हो जायेंगी और जो गांव का मरीज शहर की ओर बढ़ रहा है, शहरों में जो दवाब बढ़ रहा है वह दवाब नहीं बढ़ेगा और उसको अपना इलाज गांवों में मिलेगा। मैं उसकी भी प्रशंसा करता हूं कि आपने जननी सुरक्षा योजना के लिए जो गांवों का कायाकल्प किया है इसके लिए भी हम आपके आभारी हैं।

सभापति महोदय, मैं खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में अभी एक शानदार मेगा हाई-वे बना है। उस मेगा हाई-वे पर सेतरावा पी.एच.सी. है तथा वह बहुत लंबा क्षेत्र पड़ता है। उस सेतरावा पी.एच.सी. को सी.एच.सी. करने के लिए और जोधपुर से चलकर तीवरी होते हुए सीधे देथूका जो 120 किलोमीटर का रन है, बाबा रामदेव के पैदल यात्री हमेशा चलते रहते हैं और साल में दो बार पैदल यात्रा चलती है। लेकिन चामू अभी जो उस मेन रोड पर आता है वहां पर बहुत ज्यादा संख्या

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

में मेलार्थी रहते हैं और उनको कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो उस पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में करने का आप निर्णय करें जिससे रामदेवरा जाने वाले तीर्थ यात्रियों को चिकित्सा की सुविधा चामू गांव में मिलेगी। यह मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय, हमारे कई पी.एच.सी. और एड पोस्ट और उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए मैंने लिखित रूप में आपको दिया हुआ है उसको भी आप शामिल करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रघुवीर सिंह मीणा।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): उन्होंने ही व्यवस्था दी है... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बोलना नहीं है?

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): नहीं, नहीं, बोलना चाह रहा हूं... (व्यवधान) सभापति महोदय, मांग संख्या 26, मांग संख्या 37 और 39, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, कृषि और पशुपालन चिकित्सा की मांग पर बहस चल रही है। मैं भी अपने आपको उसमें सम्मिलित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि मैं जिस जिले से आता हूं वह जिला जनजाति बाहुल्य है और वहां संभाग का प्रमुख हास्पिटल एम.बी. हास्पिटल उदयपुर है, वहां केवल 241 पद हैं जिसमें से 80 पद तो टीचिंग स्टाफ के हैं और 5 पद नॉ टीचिंग के हैं... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह क्या बात हुई?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप रोज बातें करते हो, आप संसदीय कार्य मंत्री होते हुए भी रोज बातें करते हो...(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): 224 पद टीचिंग के हैं। सभापति महोदय 241 में से 224 टीचिंग के हैं और 54 अन्य हैं। अब 241 में से 85 पद खाली हैं। इतना बड़ा हास्पिटल है और पूरे संभाग का प्रेशर वहां रहता है, बल्कि मध्य प्रदेश एवं अन्य जगहों से भी वहां लोग आते हैं। और मेडिकल कॉलेज में यह स्थिति है तो हम यह कह सकते हैं कि इस जमाने में जहां त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होवे वहां सरकार नहीं दे रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि निश्चित रूप से इन पदों को भरने के लिए डीपीसी आदि से जो भरते हैं वह डीपीसी से और डायरेक्ट भर्ती से अगर कोई पद भरने हैं तो वह भरें। उस पर आप निश्चित रूप से ध्यान देंगे।

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त हमारा पूरा संभाग जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। उप योजना क्षेत्र के अंतर्गत टीएसपी इलाका है और इस क्षेत्र में बीपीएल की संख्या बहुत ज्यादा है। यह पहाड़ी क्षेत्र है और ऐसा क्षेत्र है जहां चिकित्सा सुविधा समय पर नहीं उपलब्ध होने के कारण कई माताएं जो गर्भवती होती हैं उनका देहांत भी हो जाता है। कई ऐसे मरीज होते हैं जो टी.बी. के पेशेंट होते हैं, समय पर उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। यह सारी चीजें हैं। स्टाफ की कमी की वजह से डाक्टर्स नहीं रहने के कारण से पीएचसी और सीएचसी में दवाइयों की सप्लाई बराबर नहीं होने के कारण से यह होता है। मेरा आपके माध्यम से सुझाव है सरकार को कि टीएसपी इलाका यथा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा...(व्यवधान) सहरिया के लिए तो आप बोलेंगे ना, सहरिया भी आ गया उसमें और प्रतापगढ़ जिला बन गया, सिरोही के, यह टीएसपी एरिया आता है। इस क्षेत्र में मैं कहना चाहूंगा कि पीएचसी और सीएचसी जहां है, ऐसी दवाइयां जो बहुत महंगी होती हैं। जैसे डॉग बाइट, कुत्ता जब काटता है तो ऐंटी रेबीज वैक्सीन जो आता है, वह उपलब्ध नहीं होने के कारण से कई लोग डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर तक जा नहीं पाते हैं। जब कि हमारी मंशा यह रहती है कि पीएचसी और सीएचसी पर कम से कम ऐसे महंगे इंजेक्शन जो 250 रुपये के आसपास की कीमत होगी जो बीपीएल के लोग और गरीब लोग वह इंजेक्शन ला नहीं सकते हैं। सरकार की ओर से सप्लाई होने चाहिए और वहां उपलब्ध होने चाहिए। आज की तारीख में वहां हैं नहीं।

सभापति महोदय, हमने घोषणा कर रखी है कि चलित मोबाइल चिकित्सा सेवाओं के लिए पिछले समय घोषणा की थी परन्तु उसके अनुरूप टीएसपी इलाके में कहीं भी यह व्यवस्था नहीं है। सरकार ने जो घोषणा कर रखी है उसको तो कम से कम इम्प्लीमेंट करें। यह मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय, जो ए.एन.एम. के लिए हमने नार्म्स बना रखे हैं, 1500 की आबादी पर ए.एन.एम. होनी चाहिए, सब जगह नहीं हैं। बल्कि मैं तो यह कहूं कि इन नार्म्स को बदलना चाहिए। परन्तु मेरे एक प्रश्न के जवाब में यह था कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट तय करती है नार्म्स, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी प्रयास करके इन नार्म्स को बदलवाने का प्रयास करना चाहिए।

सभापति महोदय, टी.बी. पेशेंट जैसा एक माननीय सदस्य सुबह अच्छा सुझाव दे रहे थे कि टी.बी. के पेशेंट अगर पूरा इलाज नहीं लें, इर्रेगुलर

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

लें तो उनकी रेजिस्टेंस पावर कमजोर हो जायेगी तो समय पर कम डोज लें तो वह असर करेगी नहीं। मेरा सुझाव यह है, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि टी.बी. का पेशेंट जो भी हो उसको डाट्स की दवा देने के बाद एक प्रोत्साहन दें ताकि वह ट्रीटमेंट पूरा ले। उसके लिये हमें एक पैकेज देना चाहिए, पैकेज का मतलब 1500 रुपये अगर वह पूरा टी.बी. का इलाज ले लें और जांच कराये तो उसको 1500 रुपये समाज कल्याण विभाग से पूरा देय होगा। अगर यह हम लागू करते हैं तो निश्चित रूप से टी.बी. का जो पेशेंट होगा वह यह इलाज पूरा लेकर के उस सहायता राशि को प्राप्त करने की मंशा से पूरा इलाज ले पायेगा। ऐसा मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय, बड़ी कामयाब योजना, मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष पिछली सरकार के समय चालू थी और इस सरकार के समय भी चल रही है। परन्तु हमने जिस तरह से बैरियर्स लगा रखे हैं उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे बीपीएल के लोग जो इलाज नहीं करा सकते हैं। किसी का वाल्व खराब हो गया है, हार्ट का आपरेशन होना है या कोई गम्भीर बीमारी है, जिसका पैसे के अभाव से, गरीबी के कारण वह इलाज नहीं करा सकता है। उन बैरियर्स के कारण नहीं कर पाता है। इसलिए मेरा निवेदन है अभी तक मेडिकल कार्ड जो बनते हैं, बीपीएल वाले, वह अभी तक बने नहीं हैं। उस वजह से क्योंकि पुरानी चयनित लिस्ट और नयी चयनित लिस्ट के बीच में वह गरीब मर रहा है। अभी एग्जाम्पल के तौर पर, मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक बच्चा, आठवीं में पढ़ने वाला बच्चा जिसको डाक्टर की जिद की वजह से, उन्होंने उसका नाम सूरज एवं सुरेश बस, इतना कि आठ महिनों में उसको उदयपुर और यहां घूमता रहा। अंत में यह हुआ थक-हारकर हर बार कोई न कोई बहाना, हर बार कोई न कोई नया अडंगा अड़ाकर उसको वापस भेज देते। यह कराकर लाओ यह कमी है। यह कराकर लाओ यह कमी है। नाम चेंज किया, उसका खुद लिखकर के दिया, फोटो लगाकर के और सर्टिफाइड करके कि यह सुरेश है और सूरज डाक्टर साहब ने लिख दिया सूरज और उसका नाम सुरेश था। बस इतनी बात है, वह कहते कि आडिट आब्जेक्शन हो जाता है, फर्जी है। मुझे तकलीफ के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आठ महीने की बहानेबाजी के कारण वह बच्चा अभी तीन दिन पहले मर गया। चूंकि उसका वाल्व खराब था, आपरेशन होना था, एक नाम मात्र की चीज के कारण, उसका पुरानी चयनित लिस्ट में नाम है, बीडीओ से यह लिखाकर लाओ। बीडीओ से लिखाकर के लाये तो एक

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

फार्म और पकड़ा दिया कि सीईओ, जिला परिषद से लिखाकर लाओ। एक गरीब आदमी पाँच सौ किलोमीटर आने-जाने में कितना समय खराब करता है और कितनी तकलीफ पाता है परन्तु आखिर में असंवेदनशील डाक्टर की वजह से उस बच्चे की मौत हो गयी। उसका एकमात्र बच्चा था, उस गरीब आदमी का परंतु यह हमारा खराबी है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए हमें स्टाफ में बढ़ोत्तरी करनी चाहिए। 24 घण्टे स्टाफ उपलब्ध हो तो संस्थागत प्रसव बढेंगे और निश्चित तौर पर लोगों का रूझान पी एच सी और सी एच सी की तरफ बढ़ेगा और लोग वहां आएंगे।

हमारे आर एच एस डी पी के तहत उदयपुर जिले में मात्र छह जगह शिविर चल रहे हैं। मैं मांग कर रहा हूं कि उन शिविरों को 15 जगह किया जाए ताकि उसका लाभ ज्यादा लोगों को मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, ट्राइबल सब प्लान एरिया में बहुत जगह ऐसी हैं जैसे डूंगरपुर प्रोपर व डूंगरपुर, नेशनल हाई-वे नम्बर आठ पर पड़ता है, उदयपुर और रतनपुर के बीच बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। रतनपुर से लेकर करीब 60-70 किलोमीटर की डिस्टेंस में डूंगरपुर ही प्रमुख अस्पताल पड़ता है। पिछली बार सरकार ने घोषणा की थी कि वहां 50 बैड बढ़ाएंगे परन्तु अभी तक नहीं बढ़ाए, 'ए' श्रेणी का होना चाहिए था वह भी नहीं हुआ। चुनाव में वहां बाइ इलेक्शन हुआ उस समय तत्कालीन मंत्रीजी ने स्वयं ने भी मौखिक आदेश दिया और स्टाफ लगा दिया, ए एन एम्स लगा दी और कहा कि यहां वार्ड चालू कर दो। महिलाओं के लिए एक महिला पी एच सी है उसके ऊपर 24 घण्टे यहां पर महिलाओं की डिलीवरी के लिए एडमिशन शुरू कर रहे हैं, तब से वहां न कोई स्टाफ लगाया और न डाक्टर लगाए, कुछ नहीं किया। किन्तु चुनाव का लाभ लेना था उस वजह से किया परन्तु वह भी हो नहीं पाया। वहां भी आज 19 पद खाली हैं और इसी तरह से बांसवाड़ा आ गया, बांसवाड़ा में भी 50 बैड बढ़ाने की बात थी, वहां भी महिलाओं को बिना बिस्तर के नीचे सोना पड़ता है तो वहां भी सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। वहां 70 के करीब पूरे जिले में डाक्टरों के पद खाली हैं, ऐसी व्यवस्था में हम कैसे सुविधाएं दे पाएंगे यह सोचने की बात है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि हमारा देश कृषि प्रधान है, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है और यहां की आर्थिक स्थिति कृषि से जुड़ी हुई है। और गांवों में जो लोग रहते हैं वे अपना जीवन यापन

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

कृषि से ही करते हैं। सरकार की तरफ से जो-जो स्कीम्स निकलती हैं, प्रोत्साहन के लिए जो प्रयास होते हैं उनके तहत किसान मेहनत करके अपने खेत में कॉमर्शियल क्रॉप्स लगाता है। जैसे आजकल एक ट्रेंड सा चल गया है आंवला लगाने का लेकिन दूसरी ओर हमारे पास मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं, प्रोसेसिंग की व्यवस्था नहीं, इस वजह से वह किसान आज बरबाद हो रहे हैं। जो आंवला मार्केट से हम 20 रुपए किलो खरीद रहे हैं, किसान को वह दो रुपए किलो, तीन रुपये किलो और चार रुपये किलो में ही बेचना पड़े तो उसकी जो लागत है वह भी नहीं आती है। यह तो एक एक्जाम्प्ल है, मैं एक आंवले की बात कर रहा हूं, यही बात सब्जियों में आ गई या दूसरी चीजों में आ गई। ऐसी स्थिति में हमको और प्रयास करने चाहिए ताकि वह आगे बढ़ें।

पशुपालन, वेटेनरी के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उदयपुर जिले से आता हूं, हमारे जिले में गाएं हैं 10 लाख 38 हजार, भैंसें हैं 5 लाख 38 हजार, बकरियां हैं 11 लाख 64 हजार, भेडें हैं 2 लाख, मुर्गे-मुर्गियां हैं 8 लाख 50 हजार। अब इनके लिए व्यवस्था क्या कर रखी है कि भेडों के लिए हमने बीमा की सीमा कर रखी है, वह 25 भेड पर बीमा होगा। जब कि आज के युग में इतनी 25-30 भेडें होती नहीं हैं, कहीं 5 होती हैं, कहीं 10 होती है, किसी की 15 बकरियां होती हैं तो 10-10 का बीमा लागू करना चाहिए। हमारे पास इतना पशु धन है। अभी फरवरी, 2008 में पूरे राजस्थान में 145 पद भरे हैं उनमें उदयपुर में मात्र 2 पद ही दिए, केवल 2 लोग ही लगाए हैं तो ऐसे कैसे होगा जब कि पूरे जिले में कितने पद खाली हैं। आप देखें, कोटड़ा में 5 पद स्वीकृत हैं, 1 भी काम नहीं कर रहा है। खैरवाड़ा में 7 पद स्वीकृत हैं 1 पद भरा है, सराड़ा में 4 में से 1 पर ही काम कर रहा है, सलूम्बर में 6 में से 0, धरियावद में 6 में से 1 तो इस तरह से मात्र 3 डाक्टर हैं जब कि सारे पद खाली हैं। तो सरकार यदि पशुओं के प्रति संवेदनशील है, वैसे भी यह सरकार तो चाहे गाय की पूजा हो चाहे पशु धन की, गाय के मामले में बहुत जागरूक है, लेकिन गायों की, पशुओं की रक्षा के लिए कोई प्रावधान ही नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे, पद भरे और जहां-जहां सुविधाएं नहीं हैं, वहां सुविधाएं उपलब्ध कराए। इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्रीमान् मोहनजी मेघवाल।

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्य मंत्रीजी और चिकित्सा मंत्रीजी और कृषि मंत्रीजी को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि इनके नेतृत्व में...

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):...(व्यवधान) मैं आसन पर आक्षेप नहीं लगा रहा।

श्री सभापति: एक मिनट, माननीय सदस्य, आप विराज जाएं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं बैठ जाऊंगा और मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है।

श्री सभापति: सबसे पहले तो आपने सीधे माननीय सदस्य जो बोल रहे थे, आसन की इजाजत के बिना ही उनको डाइरेक्ट करके आपने बैठाया।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैंने बैठाया नहीं।

श्री सभापति: इस तरह की कोई चीज आसन बर्दाश्त नहीं करेगा। आप कृपा करके विराज जाएं और माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप कोई भी व्यवस्था दें, मैं व्यवस्था के बारे में अर्ज नहीं कर रहा।

श्री सभापति: मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं कि आदरणीय सदस्य, आप विराज जाएं और माननीय सदस्य को बगैर आप रोके-टोके बोलने दें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): हम तो बैठने के लिए ही हैं, लेकिन यह हमारा अधिकार है, उसको तो आपको संरक्षण देना चाहिए।

डा. एन. एस. **गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): व्यवस्था के तहत हैं अधिकार।

श्री सभापति: मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि आप कृपा करके विराजें।

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार के सत्ता सम्भालने से आज तक चिकित्सा के क्षेत्र में जो कार्य किए हैं, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं। वर्ष 2004 और 2005 के अंदर करीब 722 करोड़ रुपये के लक्ष्य रखे, इसी प्रकार वर्ष 2005-2006 के अंदर 850 करोड़ के और 2006-2007 के अंदर 8827 करोड रुपए के और 2007-2008 के अंदर 1515.87 करोड़ रुपये के कार्य जो सरकार द्वारा किए गए थे, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि तीन-चार

(श्री मोहन मेघवाल)

सालों में गत सरकार के प्रावधानों के मुकाबले हमारी सरकार ने लगभग 147 प्रतिशत ज्यादा कार्य किए हैं।

मैं इसी विषय में निवेदन करना चाहता हूं कि आज जोधपुर की गिनती राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर के रूप में होती है। आपकी मेहरबानी से वहां बहुत अच्छे कार्य हुए हैं लेकिन मैं सरकार से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर, खासकर मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में जनाना हास्पिटल की तरह से गाइनिकालोजी और पीडियाट्रिक्स यूनिटों की स्थापना की जाए। महात्मा गांधी हास्पिटल में एक सीटी स्केन मशीन लगाई जाए। मेरा निवेदन है कि नगर सुधार न्यास द्वारा कार्डियो थेरेपी सर्जरी आधारित जो ढांचा तैयार किया जा रहा है उसमें डाक्टरों की पोस्ट और मशीनों की स्थापना करना जरूरी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने कार्य किए हैं वह आने वाले समय में स्वर्णाक्षरों में लिखे जाएंगे। लेकिन मेरा यह निवेदन है कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति यह है कि वहां शहरी क्षेत्र के 22 वार्ड हैं, जोधपुर तहसील पूरी यानि 29 ग्राम पंचायतें हैं। आज सरदारपुरा क्षेत्र में दो सेटेलाइट हास्पिटल हैं और शहर के अंदर भी महिला बाग़ सेटेलाइट है। चिकित्सा क्षेत्र में की गई घोषणाओं, हास्पिटल के लिए यशस्वी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की है वह बहुत ही सराहनीय है।

लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर जो जोधपुर सर्किल से 40 किलोमीटर का दायरा है उसके अंदर वैसे तो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेरे यहां करीब 5-7 हैं, लेकिन उसके अंदर सेटेलाइट हास्पिटल एक भी नहीं है। सेटेलाइट हास्पिटल खोलने के अंदर मैं यह चाहता हूं वैसे तो अगर खोले जाएं तो करीब-करीब पांच सेटेलाइट हास्पिटल खोलने चाहिए। मैं चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके क्या कोई नोर्म्स बने हुए हैं? नोर्म्स के आधार पर सेटेलाइट हास्पिटल खोले जाते हैं या पोपुलेशन के कोई नोर्म्स हैं? मेरा यही निवेदन है कि अगर आप सेटेलाइट हास्पिटल खोलें तो मैंने निवेदन किया कि एक तो नारवा गांव है और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बनाड़, ये दो ग्रामीण क्षेत्र में हैं और शहरी क्षेत्र के अंदर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, मधुबन हाउसिंग बोर्ड, सूरसागर और प्रतापनगर प्रभुतानंद राजकीय अस्पताल है। मेरा आपसे निवेदन है कि इन हास्पिटल्स के अंदर एक नया पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, वहां सारी सुविधा उपलब्ध है। वहां आपको किसी प्रकार का कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं है। भवन निर्माण हो चुका है, उसके अंदर आपरेशन थियेटर, पुरुष/महिला वार्ड, चिकित्सक हेतु कमरे, लेबोरेटरी भवन

(श्री मोहन मेघवाल)
उपलब्ध है। कमी है तो सिर्फ सेटेलाइट होस्पिटल का दर्जा प्रदान करने की या सेटेलाइट हास्पिटल के अनुरूप चिकित्सक व चिकित्सा कर्मचारियों के पद स्वीकृत करने की।

मेरा आपसे निवेदन है कि प्रभुतानंद राजकीय चिकित्सालय, प्रतापनगर और बनाड़, बनाड़ के अंदर पूर्व मंत्रीजी पधारे थे, उन्होंने उस अस्पताल का उद्घाटन भी किया जो मैं शहरी क्षेत्र के अंदर बता रहा हूं उसी प्रकार की सुविधा वहां भी उपलब्ध है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं आप कृपा करके मेरे इस विधान सभा क्षेत्र के अंदर कम से कम ये दो सेटेलाइट हास्पिटल करने की कृपा करें ताकि जनता को इसका फायदा मिल सके।

दूसरा मेरा आपसे निवेदन कृषि महाविद्यालय के लिए है। कृषि महाविद्यालय के लिए मैं हमारे यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक संकाय की घोषणा की है। लेकिन साथ ही मेरे जोधपुर संभाग के जितने भी माननीय सदस्य हैं उनकी तरफ से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि मंत्रीजी थोड़ा इस तरफ ध्यान दें। उस जगह आप लोगों को एक नया पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं और महाविद्यालय खोलेंगे तो करोड़ों रुपये खर्च होंगे।

सभापति महोदय, थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं कि इस संभाग में काफी समय से कृषि महाविद्यालय की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जोधपुर शहर के कृषि महाविद्यालय के अंतर्गत कृषि अनुसंधान केन्द्र, मण्डौर संचालित किया जा रहा है। इस केन्द्र में वर्तमान में विभिन्न कृषि विषय हैं, 6 प्राचार्य, 11 सह प्राचार्य और 10 सहायक प्राचार्य कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त कृषि में स्नातक, स्नातकोत्तर और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण एवं कृषि डाइरेक्टर, तकनीकी सहायक, वरिष्ठ अनुसंधान सहायक सहित अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त भी कृषि महाविद्यालय के लिए आवश्यक अनुसंधान क्षेत्र, आधुनिक प्रयोगशाला, कृषि पुस्तकालय, कृषि हेतु यंत्र आदि उपलब्ध हैं जो कृषि महाविद्यालय के लिए काफी हैं। इस अनुसंधान केन्द्र के अधीन लगभग 75 हैक्टेयर भूमि भी उपलब्ध है। इससे स्पष्ट है कि जोधपुर मुख्यालय पर बिना व्यय के कृषि महाविद्यालय शुरू किया जा सकता है। इसलिए सभापति महोदय, आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से और हमारे यशस्वी मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन है कि हमारे जोधपुर के अंदर यह कृषि महाविद्यालय अवश्य खोलें। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई, मांग संख्या 37-कृषि, मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा के पारण तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

मांगों के पारण तक सदन का समय बढ़ाया गया। श्री टीकमचंदजी कांत।

मांग संख्या-26, 37 एवं 39 पर विचार

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, मैंने कुछ कट मोशंस दिए हैं और इसके अलावा भी मैं चाहता हूं एक-दो चीजें मैं सदन के समक्ष रखूं। वैसे स्वास्थ्य प्राप्त करना, चिकित्सा करवाना और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उसकी चिकित्सा हो यह नागरिक का मौलिक अधिकार है। कल्याणकारी राज्य का भी कर्तव्य है कि वह अच्छी चिकित्सा उपलब्ध कराएं, अच्छे चिकित्सा के साधन उपलब्ध कराएं। और उसके सहारे उसको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, निरोगी बनाये और उनके अभावों के अंदर कहीं ऐसा न हो कि उसको मृत्यु का वरण करना पड़े। इसी लिहाज से चिकित्सा में प्रतिवर्ष हमारा बजट बढ़ता जाता है। इस बार का भी बजट 147 प्रतिशत बढ़ा है, अच्छी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। चिकित्सा के अंदर जितनी आवश्यकता थी और जिस सीमा तक हम जाना चाहते हैं उसके लिए हमारा प्रयास बहुत प्रशंसनीय है। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे अभी तक जितने माननीय सदस्य बोले हैं एक चीज किसी के मुंह से भी नहीं निकली कि यह जनसंख्या वृद्धि को हम कैसे रोकेंगे। यही सबसे बड़ी कमजोरी हैं इस देश की, इस प्रदेश की और प्रत्येक जगह की रही है। हम एक तरफ सुविधाओं का विस्तार करते हैं और इधर जनसंख्या इतनी बढ़ जाती है कि सुविधाओं का विस्तार फिर कम पड़ जाता है। हम निर्णय क्यों नहीं ले पाते?

एक बार मांग उठी थी कि संपूर्ण देश के अंदर कोई न कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि जनसंख्या वृद्धि कुछ रुके। तब तो हमारा विकास बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, कुछ हम कर पाएंगे, नहीं तो हमें बार-बार असफलताएं

(श्री टीकम चन्द कान्त)

भुगतनी पड़ेंगी। जिन देशों की जनसंख्या वृद्धि सीमित हुई वे देश प्रगति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व या कुछ सालों पूर्व एक उच्च जलाशय बना था यह सोचकर कि सारे लोगों को पानी पिला देंगे, लेकिन वह उच्च जलाशय छोटा पड़ गया, जनसंख्या बढ़ गई। फिर हरिमोहनजी कहते हैं लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, कमी पड़ रही है, ये सारी चीज हैं। इसलिए इस पर विचार होना चाहिए और मेरा खयाल है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का यह मामला है इनको इस तरफ देखना चाहिए किस प्रकार हम करें। यह लोगों के मन को समझने की अड़चन आएगी उसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी।

हमारे मन में एक वहम है। कुछ लोगों से मेरी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हिन्दू कम हो जाएंगे और मुसलमान बढ़ जाएंगे, क्योंकि वे तो नहीं करवाते। मैंने पाकिस्तान टीवी के अंदर एक बार देखा था कुनबा छोटा करो, कुनबा का मतलब परिवार, कुनबा छोटा करो, इस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट पाकिस्तान के टीवी में चलता है। पाकिस्तान इस्लामी राष्ट्र है उसने स्वीकार कर लिया है कि परिवार छोटा किया जा सकता है तो भारत में भी समझाया जा सकता है परिवार मुसलमान का भी छोटा किया जा सकता है, हिन्दू का भी छोटा किया जा सकता है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कुल मिलाकर आपका खयाल तो ठीक है, लेकिन जिन संस्थाओं से आपकी भारतीय जनता पार्टी गाइड होती हैं उनका खयाल यह है कि हिन्दू कम हो जाएंगे, इसलिए नीति ठीक प्रकार से लागू नहीं कर पा रहे हैं।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि मुसलमान बंधुओं को भी समझाया जाए और हिन्दुओं को भी समझाया जाए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नीति को ठीक प्रकार लागू करने में आप आड़े आ रहे हो। वहां तो इस्लामिस्तान बन गया और यहां आप बनवाना चाहते हो, दिक्कत यह है।

(19.00 बजे)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): इनको दिक्कत यह है कि आधे घंटे बाद बीच में नहीं बोलें तो पेट में मरोड़ हो जाता है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह आपके देखने की बात है। जब से संसदीय सचिव बने हो, रिकार्ड उठा कर देख लो सबसे ज्यादा बोलने वाले हो और बीच-बीच में और वैसे ही हो।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): सुविधाएं बढ़ जाएंगी, साधन बढ़ जाएंगे, सुविधाओं का विस्तार हो जाएगा, सुदृढ़ीकरण हो जाएगा। लेकिन चिकित्सा एक ऐसी चीज है, चिकित्सा एक ऐसा सवाल है, चिकित्सा के अन्दर अगर हमें चिकित्सा करने वाले लोग मिशनरी भाव के जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक समर्पित भाव के नहीं मिलेंगे, हम सफल नहीं हो पाएंगे। आज कोई भी डाक्टर देखता है, कहीं भी जाना चाहता है, मेरी पीपी कितनी हो सकती है, प्राइवेट प्रेक्टिस कितनी हो सकती है, यह मुख्य चीज आ जाती है। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम क्या करें? मुझे मालूम है, मैं भी बीमार था, जोधपुर के हॉस्पिटल में था। बहुत पुरानी बात है, वहां नन्स आया करती थीं और नन्स के ऊपर सारे के सारे इंजेक्शन, टेब्लेट्स दवाइयां वह नन्स बांटा करती थी। मैंने उनसे पूछा कि यह क्यों? कि यह ईसा को समर्पित हैं, मानव सेवा इनके लिए ध्येय है, इनका धर्म है। और यह मानव सेवा के नाते यह कार्य करती हैं। जिस किसी भी व्यक्ति को गोली देनी है, दवा देनी है, यह बराबर देंगी, उसमें कमी नहीं होगी और जो इंजेक्शन दिये जा रहे हैं, वह इंजेक्शन भी यह बराबर देंगी, उसमें कमी नहीं आएगी। वह कौन सी ऐसी संस्था हम खड़ी करें, वह कौन से ऐसे भाव हम खड़ा करें कि इस प्रकार के मिशनरी भाव के लोग हमको समर्पित भाव के लोग मिल जाएं। बाकी जिसके पास पैसा है वह डाक्टर को खरीद लेगा और गरीब उस पंक्ति में खड़ा रहेगा और उसका पूरा निदान भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आवश्यकता इस चीज की है, हम क्या करें। कुछ एक बदलाव की जरूरत है, यह परिवर्तन की जरूरत है। यह राष्ट्र भाव, यह समाज के प्रति भाव, यह मानव सेवा के भाव हम कैसे खड़े करें। इसकी आवश्यकता है, तभी हम सफल हो पाएंगे और कहीं न कहीं हमको ध्यान रखना पड़ेगा।

कन्या भ्रूण हत्या। बहुत सारे कार्य हम कर रहे हैं, बहुत से हम प्रोत्साहन दे रहे हैं लेकिन एक, सभापति महोदय, एक चीज की बहुत आवश्यकता है। तीसरे या चौथे महीने का गर्भ जब किसी को रह जाता है तब मेरा ख्याल है आस पड़ोस के और जब किसी को मालूम पड़ जाता है कि हां, इसको गर्भ रह गया है। ऐसी अवस्था में सूचना देने वाले को कि उस महिला के गर्भ रह गया है, उसकी सूचना देने वाले को प्रोत्साहित किया जाए, कुछ न कुछ उसको दिया जाए। और देने के बाद में वैसे यह तय है कि एएनएम वगैरह होगी, वह सम्पर्क करेगी, वह उसको देखेगी। उसको समय पर टीका

(श्री टीकम चन्द कान्त)

देना है तो वह देगी, गोलियां देनी है, दवाइयां देनी है, वह गांव की महिला को देगी। या जहां कहीं भी हो और उस प्रोत्साहन के बाद में यह भी देखो कि उसके बच्चा हुआ या नहीं और बच्चा हुआ है तो उसका क्या हुआ? कचरे के ढेर पर कन्याओं का, मतलब वह फेंकी जाती हैं, नवजात शिशु फेंके जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि कुछ चीजें हमें करनी ही पड़ेंगी।

सभापति महोदय, हमारे यहां सबसे बड़ा एक कारण होता है डॉक्टर ही डॉक्टर मिलते हैं, लेडी डॉक्टर हमारे गांवों में आते ही नहीं, न सीएचसी में लेडी डाक्टर है, न पीएचसी में लेडी डाक्टर हैं। क्या करें? किस प्रकार कौन से लेडी डाक्टर हमारे बहुत सी औरतें, बहुत से आदमी ऐसे होते हैं कि हम डाक्टर को नहीं दिखाएंगे, हमें लेडी डाक्टर को ही दिखाना है। और इसी कारण से वह इस इलाज से वंचित रह जाते हैं, बहुत से लोग और नई-नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं उसमें। चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा बाकी तो सारा निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर होता है क्या हम हमारे राजस्थान के लिए यह 10 साल जिन एएनएम ने सेवा की है, परिचायिका के सारे गुण उसके अन्दर हैं, क्या दो साल का और कोर्स करवा कर उसको जीएमपी या वगैरह कुछ करके लेडी डॉक्टर बना सकते हैं? किसी प्रकार से उसको हम यह मदद दें ताकि हमारी औरतें को, जो वहां दिखाने के लिए वहां आना है उनको निदान करवाना है तो उससे करवा सके। कोई ऐसी व्यवस्था करें कि हमारे वहां लेडी डाक्टर पहुंचे। क्या कोई ऐसा बांड हम करवाएं कि हमारे यहां से एमबीबीएस को करवाने के लिए हमको कितना खर्चा करना पड़ता है उसको और कोर्स करवाने के लिए भी क्या सारा खर्चा हमारा नहीं होता क्या? हम बांड भरवाते भी होंगे, करते भी होंगे लेकिन गांवों में बांड की एक व्यवस्थित करना पड़ेगा, उसको इतने साल गांव में ट्रेनिंग करने के बाद में आप इस मास्टर कोर्स की तैयारी कर सकते हो, एमडी कोर्स कर रहे हैं, वगैरह कर रहे हैं, गांव के अन्दर जा नहीं पा रहे हैं। और फिर वापस यहां आ जाते हैं, वहां अनुपस्थिति रहते हैं। कुछ इसके ऊपर त्याग करना पड़ेगा नहीं तो बहुत सारे हास्पिटल बेकार से पड़े हुए हैं उसके अन्दर डाक्टर्स नहीं हैं, यह करना पड़ेगा।

अब सभापति महोदय, एक बात कह रहा हूं मैं। बहुत अच्छी बात है हम एलोपेथी के अन्दर बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सुविधाएं खड़ी कर रहे हैं। नये-नये आधुनिक साधन चिकित्सा भी कर सकते हैं वह आ रही हैं, एप्रेटस

(श्री टीकम चन्द कान्त)

आ रहे हैं, इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन अभी इस बार के, जो पिछली बार आयुष पद्धति को बढ़ावा मिला है यही तो हमारी मौलिकता है। हमारे आयुष्मान भव: यह जब आशीर्वाद दिया जाता है तो उसके पीछे का एक मूल उद्देश्य यह होता है कि उस व्यक्ति की आयुष् में वृद्धि हो, और आयु में वृद्धि जब होती है जब उसका स्वास्थ्य ठीक हो। और मैंने आयुर्वेद के विषय में जब पढ़ा था तो उन्होंने कहा था कि वह इस व्यक्ति को रोगों से मुक्ति के साथ-साथ में व्यक्ति को स्वास्थ्य प्रदान भी करती है। यह सर्जरी एलोपैथी के अलावा कहीं नहीं मिलती है, इतनी जबरदस्त सर्जरी है और इसके अन्दर इसकी मोनोपोली है लेकिन आयुर्वेद और यह भी, मतलब हिन्दुस्तान का ऐसा विज्ञान, पुरातन विज्ञान जिसमें इन जड़ी बूटियों को आधार बना करके मानव के लिए स्वास्थ्य का जितना बड़ा भण्डार उन्होंने खड़ा किया है और इसको जो हम आज दे रहे हैं, विकास जो कर रहे हैं उसका वह ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी एक चीज है।

सभापति महोदय, होम्योपैथी का नाम आपने भी सुना होगा, हम लोगों ने भी सुना है कि मैं उस डॉक्टर सेमुअल फ्रेडरिक हेनीमेन को मैं सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं एक ऐसी पद्धति जो आज के विज्ञान पर है और इस आणविक विज्ञान पर और परमाणु के विज्ञान पर अगर सही उतरती है तो वह होम्योपैथी है। हमारे यहां भी एक था जहर जहर को मारता है, विष विष को खत्म करता है। यह एक समान लक्षणों वाले पदार्थों से एक चिकित्सा है। और सभापति महोदय, इस चिकित्सा का सबसे बड़ा गुण क्या है? डॉक्टर हेनीमेन दवाइयों की किताबों का, हालांकि वह एमबीबीएस थे, रूपांतरण करते थे, ट्रांसलेशन करते थे। तो डॉक्टर कुलींस की एक किताब के अन्दर उनको पढ़ने को मिला कि सिनकोना पेड़ की छाल को अगर कोई व्यक्ति खा ले तो उसे मलेरिया बुखार हो जाता है यानी की उसको ठंड लग जाती है। शीत लहर खड़ी हो जाती है उसके अन्दर और बुखार आ जाता है। और अगर उसी को, उस सिनकोना की छाल से कुनैन बनती है यानी स्वस्थ व्यक्ति अगर उस छाल का उपयोग कर ले तो मलेरिया हो जाता है और मलेरिया जिसको है उसको अगर कुनैन दिया जाए वही सिनकोन अगर दिया जाता है तो मलेरिया उतर जाता है। यहां से इस पद्धति का प्रारम्भ हुआ। 1839 के अन्दर भारत में भी डाक्टर होनीबर्गर के माध्यम से यह आई और बंगाल के अन्दर उन्होंने प्रारम्भ की,

(श्री टीकम चन्द कान्त)

कलकत्ता के अन्दर। और कलकत्ता के अन्दर आज बहुत ज्यादा होम्योपैथी का विस्तार है और उसका बहुत ज्यादा उपयोग है। लेकिन होम्योपैथी के अन्दर साहब, ऐसे रोग हैं,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, ऐसे रोग जो मिटते न हों, न किसी के समझ में आते हों, न किसी के पकड़ में आते हों।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह आपने सारी पैथियों से इलाज करा लिया क्या? एक को तो छोड़ो किसी पैथी को।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): ना, उसकी कोई जांच होने पर भी कोई बात नहीं, सिर्फ लक्षण दिखते हों तो सब लक्षण के आधार पर भी होम्योपैथी की मीठी गोलियां देने पर बहुत बड़ा रोग जो खतम किया जा सकता है, मेरा अनुभव है। सभापति महोदय, मुझे आस्टियोमलाइटीज हुआ था, तीन-तीन आपरेशन मेरे पाँव पर हुए थे, सिक्वेशटोमीज के द्वारा, डाक्टर्स यहां कोई बैठे हों, तो सिक्वेशटोमीज के द्वारा उसको ठीक करने का हुआ था। डाक्टर सेठी साहब के पास मैं पहुंचा था। फर्स्ट टाइम फार्मेशन हो गया था, सिक्वेस्ट उसके अन्दर थे, अगर डाक्टर कोई सुन रहे हैं, तो और उसके बाद उन्होंने कहा था कि एक सिक्वेस्टॉमी और होगी। मैं एम एल ए था उस समय 1977 के अन्दर, और उस समय किसी ने मुझे कहा कि डाक्टर राजवंशीजी बाहर की तरफ बैठे हैं होम्योपैथी के, उनसे जाकर के दवाई लो। शायद होम्योपैथी कोई चमत्कार कर जाए। 15-20 साल से जिस रोग को मैं भुगत रहा था, सभापति महोदय, मैं राजवंशीजी के पास गया था, साइलिसियावुलएम नाम की गोलियां दो छोटी-छोटी जो 15 दिन में एक बार लेनी है उसके बाद में बेलाडोना दिया। और भी चीजें दीं लेकिन कुल मिलाकर के जो आपरेशन से रोग ठीक होता था वह रोग ठीक हो गया। और डेढ़ महीने के बाद में जब मुझे डाक्टर विनोद जो एक्सरे के रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो वापस सेठी साहब के पास लेकर के गये और दोनों एक्सरे बताये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): अपनी खुद की बता रहे हैं दूसरे से कोई मतलब नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): अपना अनुभव बता रहा हैं।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): हां, मैं बता रहा हूं। उसके अन्दर उन्होंने कहा कि यह असम्भव है और इस प्रकार सम्भव नहीं हो सकता। बिना सिक्वेस्टॉमी के ओस्टियो वाला ठीक नहीं हो सकता वह ठीक हुआ। मैं 2-3 चीज और बता सकता था लेकिन मैं चाहूंगा चिकित्सा मंत्री महोदय, इस पद्धति को बढ़ावा दें। यह सस्ती पद्धति है। चार रुपये में 10 ग्राम गोलियां प्राप्त हो जाती हैं और जो रोग 40 हजार में ठीक नहीं हो सकता वह चार रुपये की उन गोलियों से ठीक हो सकता है। इस प्रदेश के लिए अगर हम इसको बढ़ावा देंगे तो लाभ ही होगा। मैं निवेदन करूंगा कि विशेष तौर से इसके लिए नाम मांगा था कि होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए आप कम से कम इस बार घोषणा करें कि होम्योपैथी की डिस्पेंसरी खोलेंगे। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): एक दवाई और भी लेते हो उसका भी नाम बता दो, उसका भी तो कुछ न कुछ असर होता होगा।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): हां, मैं लेता हूं।

श्री सभापति: श्री रामनारायणजी मीणा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सब से पहले चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के बारे में निवेदन करूंगा। सभापति महोदय, आज बातें तो काफी ज्यादा हुईं, बहुत गम्भीर हुईं लेकिन मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहूंगा कि यह सही है कि मंत्रीजी अभी आये हैं, ज्यादा समय चार्ज लिये हुए नहीं हुआ लेकिन मंत्रीजी, जो सरकारी दवाइयां खरीदी जा रही हैं उन सरकारी दवाइयों में मैक्जिमम रेट जो अंकित होती है उससे कम में वो बाजार में मिलती हैं। और सबसे ज्यादा कमीशन अगर किसी भी कमोडिटी में है तो आपकी सरकारी दवाइयों में है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी तो नहीं, माननीय खाद्य मंत्रीजी, वैसे आपकी कृपा है, मैं आपको एक बिल बताऊंगा जो 11.7.2007 का है शक्ति फार्मा डिस्ट्रिब्यूटर का स्वास्थ्य मंत्रीजी। आपके यहां एक आक्सीटेट्राटिक्साइक्लिन दवाई आती है जिसमें मैक्सिमम प्राइस है वह 25 रुपये है उसको दवाई को बाजार के किसी दवाई की दुकान वाले ने खरीदा है, उसको दी है 3 रुपये 90 पैसे में। फिर भी उसने कहा कि यह भी ज्यादा है तो 3 रुपये में दवाई उसको मिली है। इसलिए आपके यहां जो सरकारी खरीद होती है चिकित्सा मंत्रीजी, उसमें यदि ऐसा होता है तो यह बहुत गम्भीर बात है। और इससे बड़ा मैं आपसे अर्ज करता हूं....

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सवाई माधोपुर): कौन सी गोली है, नाम तो बताओ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): डाक्टर साहब, आप तो कृपया चुप रहिये। डाक्टर साहब, कैप्सूल है। नाम तो डाक्टर किरोड़ी लाल मीणा है या और कुछ बताऊं? क्या अब भी नहीं धापे? इसलिए सभापति महोदय, मैं चिकित्सा मंत्री से यही अर्ज नहीं कर रहा हूं, बहुत सी बातें हैं। इसमें मुख्य बात चिकित्सा मंत्रीजी यह है कि आजकल आपके चिकित्सालयों में दवाइयां नहीं मिल रही हैं। गरीब आदमी जाता है, बी पी एल का जाए तो पहली बात तो यह है कि बी पी एल में आपने कृपा करके कोई बजट ही नहीं रखा है। और फिर प्रचार किया जाता है कि हम बी पी एल के मरीजों का बहुत इलाज कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्रीजी, आप ही कहते हैं कि बी पी एल का कोई बजट नहीं है और जब बी पी एल का बजट नहीं है, ठीक है मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के माध्यम से, किसी माध्यम से उनका इलाज करते हैं। लेकिन बी पी एल का बजट नहीं होना, यह राजस्थान प्रांत के लिए शर्मनाक बात है। मैं किसी को दोष नहीं देता पर हमारी व्यवस्था ऐसी क्यों है इसके बारे में आप जरूर विचार करेंगे। इसलिए मेरा आपसे अर्ज करना है कि ये मुख्य बातें हैं। अभी बात आई, मैं मानता हूं कि आपके ऊपर कोई आरोप किसी ने लगाया नहीं, हो भी नहीं सकता। लेकिन डाक्टर्स जो जयपुर में बैठे हैं, प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं और एक-एक दफा चैक करने के 500-500 रुपये लेते हैं। चिकित्सा मंत्रीजी, 1-2 डाक्टर्स का आप ट्रांसफर करके देख लीजिये कि कितना प्रेशर पड़ता है। आप सारी बात जानते हैं इसलिए मेरा तो आपसे अर्ज करना है कि चिकित्सालयों में गरीबों की तरफ कैसे ध्यान दिया जाए इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। आपके टेकवैक के इंजेक्शन नहीं मिलेंगे और जब वो नहीं मिलेंगे चिकित्सा मंत्रीजी, तो प्राथमिक इलाज ही नहीं हो सकता। आजकल इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आप देखिये कि आपके हेपेटाइटिस के इंजेक्शन नहीं हैं। दूषित पानी से बीमारियां हो रही हैं, लोग मर रहे हैं इसलिए वो जो आवश्यक चीजें हैं वो आपके यहां होनी चाहिए।

अभी बहुत सी बातें आई हैं कि यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने किया या किसने किया लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात बताता हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का जो पैसा है वह भारत सरकार से आता है। आप काम करोगे तो श्रेय मिलेगा। उस पैसे का उपयोग क्या हो रहा है? उस पैसे का उपयोग वो नहीं हो रहा है जिस तरह का उपयोग होना चाहिए। आपने

(श्री रामनारायण मीणा)

स्वास्थ्य चेतना यात्रा निकाली और मैं इसलिए कहना चाहूंगा स्वास्थ्य मंत्री जी, आप तो बड़े शालीन और समझदार हैं। पैसा भारत सरकार का आ रहा है, हम बात करते हैं देश को जोड़ने की कश्मीर से कन्या कुमारी तक की। लेकिन मंत्रीजी भारत सरकार के प्रधानमंत्री को तो पार्टी विशेष का मान लो पर राष्ट्रपति का तो फोटो दे दो इसमें। एक-एक पाई जो आपकी पम्पलेट में खर्च हो रही है। यह कहां से आ रही है यह तो आप जानों लेकिन देश को जोड़ने की बात करो, पार्टी का सवाल नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अर्ज करना है कि इन बातों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। आज आप दवाइयां क्या खरीद रहे हैं? टेण्डर्स नहीं हो रहे हैं, मैं उसकी बात तो नहीं करूंगा लेकिन कुछ कम्पनियां हैं जिनसे आप खरीद रहे हैं जो कम्पनियां उत्पादन ही नहीं करतीं। अब जब कम्पनियां उत्पादन नहीं करतीं तो बीच में जो क्रेडिट और फारवर्डिंग एजेंट होते हैं.....

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आपकी बात को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आपकी दोस्ती है तो बाहर निकल जाओ। वो तो नहीं लेंगे, वो तो नहीं लेंगे लेकिन कृपा करके आप तो एक दृष्टि से मत देखा करें, पूरी दृष्टि से देखो मंत्रीजी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि यह जो क्रेडिट और फारवर्डिंग एजेंट वाली बात है, किसी को तो किसी दवाई में 50 प्रतिशत कमीशन मिलता है और वह भले ही सरकारी संस्था हो, यदि उत्पादन नहीं करती है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि चाहे स्टेट का पैसा हो या भारत सरकार का पैसा हो, सरकारी पैसा है। और यदि पब्लिक या किसी व्यक्ति से आप चंदा करके लें लेकिन इसमें जनता को तकलीफ तो होती है, यह सारी बात आप देखें। माननीय चिकित्सा मंत्री जी, मेरा तो आपसे अर्ज करना है कि इन बातों को मोटे तौर पर आप देखेंगे तो चिकित्सालय में काफी सुधार होगा। इसी के साथ मैं अर्ज करूंगा कि मरीज भर्ती करने में चिटों में पैसा लिया जाता है या नहीं लिया जाता है पर गरीब आदमी जाएगा सबसे पहले तो बहुत से तो मरीज ऐसे हैं जो पैदल चलकर के आज भी चिकित्सालय में आते हैं, इस तरह की बीमारियों को आप ठीक कर दीजिये। ये जो प्रशासनिक बीमारियां हैं ये बीमारियां कैसे ठीक हों यह आप जानो लेकिन यह करना ज्यादा ठीक है।

(श्री रामनारायण मीणा)

दूसरा, नसबन्दी के आपरेशन का मामला है जो फेल होते हैं। सभापति महोदय, इसमें ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जाए कि उसका स्वत: ही एक दफा रिपोर्ट होने के बाद में, आजकल तो कम्प्यूटराइजेशन का जमाना है, गरीब आदमी बार-बार डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर नहीं आ सकता, पी एच सी नहीं आ सकता। तो एक दफा उसके बारे में जानकारी मिलने के बाद में जिम्मेदारी होनी चाहिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता की या आपके चिकित्सक की या सी एम एण्ड एच ओ की कि उसके बारे में जो हर्जाना है वह मिले ही मिले। सबसे बड़ी शिकायत यह है। मैं आपको इतनी बातें बता दूं, 50 मेरे पास उदाहरण हैं। इसलिए, सभापति महोदय, लम्बा समय नहीं लूंगा लेकिन इसके बारे में यदि आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर इसका कुछ न कुछ होगा।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं अर्ज करूं कि बहुत से डाक्टर्स अनुपस्थित रहते हैं। प्राइवेट संस्थाएं ज्यादा पैसा देती हैं इसमें कुछ भी नहीं है, एक निश्चित हो, एक महीने से ज्यादा जो डाक्टर अनुपस्थित है किसी कारण से या उसने ज्यादा छुट्टी ली हो तो उसकी मानीटरिंग होनी चाहिए। मानीटरिंग होगी तो लोगों को मिलेगा। इसी के साथ में आपसे निवेदन करूंगा चिकित्सा मंत्रीजी, यह आयुर्वेद विभाग तो करीब डी-फंक्ट हो चुका है। जो च्यवनप्राश नहीं बनाये उस डिपार्टमेंट का आप क्या करोगे? भाई टीकमचन्द कांतजी यहां से चले गये।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरा उदाहरण देना तो उचित नहीं समझता लेकिन जहां हर्निया की बीमारी में होम्योपैथी की एक टेबलेट में ठीक हो जाये आदमी, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। मेरे खुद के पथरी का आपरेशन होना था। आपके डाक्टर यादव ने करके सारा सब कुछ कर दिया। मैं उस समय वहां था, दूसरी विधान सभा थी। चूंकि विधान सभा चल रही थी इसलिए आपरेशन बाद में कराना है। मैंने होम्योपैथी की टेबलेट ली और मुझे जरूरत नहीं पड़ी आज दिन तक, 10-15 साल हो गये। इसलिए माननीय सभापति महोदय, इसके बारे में आप सोचिये। आपकी इच्छाशक्ति हो और आप होम्योपैथी को बढ़ावा दें तो निश्चित रूप से होम्योपैथी सस्ती दवा है, गरीब के हित की दवा है। वह चीज अलग है कि इसके बारे में प्रचार-प्रसार के लिए अब कुछ-कुछ कर पा रहे हैं। इसलिए यह जो बातें हुई हैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, होम्योपैथी के बारे में हालांकि आप सबने इसका क्वेश्चन किया मंत्रीजी से भी लेकिन यह बहुत बड़ी अहम बात है, जिसके बारे में आप एक्सपीरियंस वालों से किसी से पूछ लीजिएगा।

(श्री रामनारायण मीणा)

मैं एक आपको अर्ज करना चाहता हूं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, मेरे देई में, इन द हर्ट आफ द तहसील नैनवां हैं, वहां महिला डाक्टर नहीं है। हो सकता है महिला डाक्टरों की कमी हो, डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से लो। लेकिन ऐसे स्थानों के ऊपर महिला डाक्टर की यदि नियुक्ति हो जायेगी तो मेरा जहां तक ख्याल है, काफी कुछ उसमें हल हो जाएगा।

मैं इसी के साथ आपसे अनुरोध करूंगा माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, ये जो मुख्य बातें मैंने बताई हैं, उनको ध्यान में रखने के साथ ही विभाग के बारे में कहना चाहूंगा। जो प्राइवेट प्रेक्टिस है, यह बड़ी भयंकर बीमारी है। चिकित्सालयों में कभी भी डाक्टर कहते हुए या उसका कम्पाउण्डर कहते हुए मिल जाएगा कि समय हो गया, आप घर जाकर दिखा लीजिये और यह स्थिति ठीक कैसे हो, इसके बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझदार हैं।

मैं कृषि के बारे में बातें करना चाहूंगा, दो-तीन मिनट इसके बारे में बोलना चाहूंगा। कृषि मंत्रीजी, आप तो शायद गांव के रहने वाले हैं तो यह सोंपड़ा प्रथा पर भी रोक नहीं लगी है अभी तक। दो प्रतिशत आढ़त का दलाल ले रहे हैं। सरसों की कीमत तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल है, एक बोरी पर 60 रुपये दलाली का किसानों को देना पड़ता है। हमने मण्डी समितियों को क्यों स्थापित किया था? डाइरेक्ट हमारी परचेज हो। आपके पम्पलैट्स भी निकले हैं। सीधी मण्डी में सेठ के माध्यम से परचेज हो, यह आपके पम्पलैट्स भी निकले हैं माननीय कृषि मंत्रीजी। तो आप जब संविदा खेती की बात करते हो या दूसरी बात करते हो, इस पर कैसे रोक हो, यह तो आपको करना पड़ेगा। और यह हो सकता है, यदि आपकी इच्छाशक्ति बहुत दृढ़ हो तब जाकर हो सकता है।

इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यह बीच की दलाल की प्रथा है, यह आप खतम करें और मैं आपको उदाहरण दूं। आपकी मण्डी समिति की इन्कम में यदि आप स्ट्रोंगली कुछ न कुछ करोगे तो डेढ़ा इजाफा होगा। हर मण्डी समिति में इवेजन हो रहा है। आपकी निवाई का ही एक मामला मेरे सामने आया था, शायद वह आपने देखा भी होगा। ए.डी.एम. (एडमिनिस्ट्रेशन) टोंक ने जांच भी की, 23.5.2006 को रिपोर्ट दी। उसमें 10,800 रुपये का इवेजन था, सर्टिफिकेट दे दिया। तो मिलकर जो कर्मचारी चलते हैं, यदि इनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो निश्चित रूप से यह स्थिति ठीक हो जायेगी, इसलिए मेरा तो आपसे अर्ज करना है।

(श्री रामनारायण मीणा)

दूसरा, सभापति महोदय, राजस्थान के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है और हम भी कहते हैं कि सेठों को जमीन दी जा रही है और गरीब को नहीं दी जा रही है। मैं एक कैम्प में गया था, अभी जो लगे थे राजस्व कैम्प। एक हरिजन वहां खड़ा था। वह कह रहा था कि साहब, 80,000 रुपये बीघा जमीन के मांग रहे हैं, जो कमाण्ड में तो है नहीं लेकिन क्योंकि वह कमांड के गांव में है और उसी गांव में 500-700 रुपये बीघा में बड़े लोगों को जमीन अलाट कर दी गई। मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहूंगा कृषि मंत्रीजी, आप थोड़ा अपने प्रभाव का उपयोग करें। ग्राम पंचायत या गांव की सभा यह सर्टिफिकेट दें कि इस गांव में आप रतनजोत की खेती करें। गांव में कोई करने वाला हो तो उसको लीज पर दो। ऐसा सर्टिफिकेट गांव में लोगे तो जाकर के आपकी इसमें बदनामी नहीं होगी, नहीं तो यह जो सेठों को जमीन दी जा रही है लीज के नाम पर बिना पैसे के...

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय सदस्य, उसकी तो अलाटमेंट कमेटी है और रतनजोत के लिए जो अलाट होती है, उसके लिए कलक्टर उसका चेयरमैन है, उसकी कमेटी है और आप माननीय विधायक उसके सदस्य हैं। वे देते हैं सारे नोर्म्स के अनुसार।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मुझे पता है। मेरा अर्ज करना है कि आप प्रोसीजर को बदलिये, फालतू की बात मैं नहीं करना चाहता। ग्राम सभा सर्टिफिकेट दे। रतनजोत की खेती गांव का आदमी भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है। आपके संसाधन आप उसको उपलब्ध करना चाहते हो बिना पैसे के और 80,000 रुपये तो दो बीघा जमीन के आप ले रहे हो और वहां उसको फ्री नहीं देना चाहते हो। इसलिए माननीय सभापति महोदय, यह बड़ी ऐसी अहम बात है कृषि मंत्रीजी, जिसको आप कर सकते हैं।

अभी बातें आई थी गांव के गोदामों के सम्बन्ध में, 30 प्रतिशत सब्सिडी भारत सरकार दे रही है। ठीक है, आप रिक्वेस्ट करेंगे तो 50 प्रतिशत पर आ जाये लेकिन सब्सिडी का दुरुपयोग हो रहा है। उद्योगपति ले रहे हैं। यह सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं कृषि कार्य के लिए ले रहा हूं, मेरे कृषि का कार्य है। मैं किसी उद्योग को नहीं दूंगा तो किसानों का इसमें ज्यादा होगा क्योंकि सब्सिडी का मामला है। दफ्तरों में इसके बारे में कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो जाता है और मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय, क्योंकि हर आदमी कहता है कि काश्तकार को खाद में दी जा रही है। खाद का

(श्री रामनारायण मीणा)

पैसा तो आप खुद ही कम कर सकते हो टैक्स लगाकर लेकिन यह सवाल नहीं है। सवाल देश की भावना का है। 2005 में अमेरिका में कृषि सब्सिडी के ऊपर 50 अरब डालर खर्च किये गये थे। जब सब देश दे रहे हैं, हमारे एक विरोधी भावना बनी हुई है। आप कृपा करके इन बातों को देखें।

मैं सड़क निर्माण के बारे में बताना चाहूंगा आपको। अजेता से रायथल तक सड़क बनी हुई है। कृषि मंत्रीजी, मैंने एक चिट्‌ठी भी लिखी है यहां पर किसी को, इतना घटिया स्तर का काम मैंने नहीं देखा इसलिए कृपा करके आपकी जो विजिलेंस विंग है या नहीं है, लेकिन आपके ठेकेदार काम कर रहे हैं। जो एक्स.ईएन. या जो भी उसका पेमेंट करता है, आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिये। कोई जरूरत नहीं है। आ गये ठेकेदार, पेमेंट हो गया, इसलिए मेरा तो आपसे अर्ज करना है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आप इजरायल भेजिये, कहीं भेजिये, किसी दूसरे मद में पैसा दीजिये, उसके बारे में तो कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन कृपा करके इस तरह की बेईमानी को रोक सकेंगे तो ज्यादा कुछ हो सकेगा।

जहां तक माननीय सभापति महोदय, पशुपालन के बारे में है कृषि मंत्रीजी, किसान बहुत दु:खी है आज की तारीख में। खेती का धंधा फायदे का धंधा नहीं है। जमीन में पानी नहीं है, उपज का भाव मिलता नहीं और छोटी छोटी जोतें हो गई जो अहितकारी हैं। पशुपालन करते हैं तो मैं तो रोजाना अखबारों में पढ़ता हूं कि मवेशी को ले जा रहे थे और पकड़ लिया। आप ऐसा कानून बनाइये कि राजस्थान की सीमा के बाहर जाये तो उस पर रखिये लेकिन राजस्थान के भीतर कोई पकड़े नहीं और आपको खतरा है कि ये कटने जा रहे हैं तो आप बूचड़खाने बन्द कर दीजिये। इतने आप अहिंसक हैं तो बूचड़खाने बन्द कर दीजिये। आज नागौर में तो उनके बैल नहीं बिकेंगे तो उसका पशुपालन भी किसी काम का नहीं है। वे एक जगह से दूसरी जगह ले जायेंगे इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन आपको अर्ज करना है।

(19.27 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

एक बात मैं अंत में अर्ज करूंगा कृषि मंत्रीजी। एक सामान्य वर्ग की महिला, हिण्डौन का मामला था अध्यक्ष पद का, वहां वाइस चेयरमैन काम कर रहा है छह महीने से। ऐसे-ऐसे कई मामले हैं। महिलाओं को आप बढ़ावा देने की और अख़बार में प्रचार-प्रसार करने की बात करते हो तो कृपा करके ऐसे मामले जहां भी हो, उसको देखें। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा और वह भी

(श्री रामनारायण मीणा)

स्थानीय निकाय का प्रतिनिधि है, वह काम कर रहा है। कोई किसान का हो, कहीं चुनकर आया हो, ऐसा कोई मामला हो उसको कुछ दिन के लिए टाला जा सकता है। लेकिन स्थानीय निकाय का आदमी है जो नगरपालिका का है, वह काम करे तो उससे ठीक नहीं लगता है। इसलिए मेरा तो आपके माध्यम से अर्ज करना है, माननीय सभापति महोदय, जो हो रहा है, उसको ठीक किया जा सकता है, बेईमानी ठीक की जा सकती है। और चिकित्सा मंत्रीजी, जो मैंने बातें बताई हैं, बहुत साधारण बातें बताई हैं लेकिन ये गम्भीर हैं। 30 रुपये की दवाई तीन में। इसलिए इन बातों को आप देखें। टैक्स के ऊपर लगाम लगाइये, गरीब की सेवा करें। ऐसे बहुत से चिकित्सालय बन गये जहां कहते हैं कि हम 20 प्रतिशत गरीबों को मुफ्त इलाज देंगे, वे दे नहीं रहे हैं। इसलिए आप कितना कुछ कर सकते हैं, करने की कोशिश करें। मेरा जहां तक यह ख्याल है। मैं यही बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। अंत में मैं एक बात और कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। मेरे गांव है रायथल, आप लिख लीजिये। वह है पंचायत समिति तालेड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय है। वहां डाक्टर डिस्पेंसरी नहीं है। मैंने बहुत कुछ लिखा है पहले के चिकित्सा मंत्रीजी क्योंकि वे भरतपुर के थे, बहुत अच्छे आदमी थे, मैं कहना नहीं चाहता, आप वहां पर भवन के लिए पैसा लेना चाहें, पैसा ले, और कुछ करना चाहें, हम सहयोग करेंगे। लेकिन वहां डाक्टर, डिस्पेंसरी हो जायेगी तो यह एक इंटीरियर का गांव है, आसपास की सारी जनता का भला होगा, यही मुझे कहना है। यही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 39, 37 और 26 पर बोलने के लिए आपने अनुमति दी है। आज चिकित्सा पर बोलना है और मैं स्वयं अस्वस्थ हूं। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए बात...

श्री उपाध्यक्ष: क्योंकि तबीयत खराब है इसलिए चिकित्सा पर बोलना जरूरी है।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): जो थोड़ी बहुत मन में कहीं तकलीफ है, वह तो कहनी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष: चिकित्सा पर बोलना जरूरी है, थोड़ी तबीयत खराब है न।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात थोड़ी सी जो पक्ष और प्रतिपक्ष से हुई उसमें टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य जो बोल रहे थे, प्रतिपक्ष के बंधुओं ने उनको रोकने की कोशिश की। वास्तव में श्रवणजी समझ रहे थे उनके शब्द-अर्थ, लेकिन श्रवणजी यह कह रहे थे समझे इस तरह से बोलो। अब वह बात मैं समझा देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान इस देश की आत्मा है और अगर उस आत्मा की रक्षा नहीं की तो यह शरीर निर्जीव हो जायेगा। किसान खेती करता है, अब दुर्भाग्य से पूरे देश में औसतन वर्षा सबसे कम हमारे राजस्थान में होती है। अब ऐसी स्थिति में भी, ऐसी दुर्गम स्थिति में भी किसान अपनी खेती करता है और खेती करने के बाद में भी कहीं न कहीं सटोरियों के भरोसे वह अपने आपको इतना क्षीण कर देता है कि उसे उचित मूल्य नहीं मिलता है। वैसी स्थिति में सरकार की जवाबदारी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वह बात याद दिलाना चाहूंगा प्रतिपक्ष के बन्धुओं से कि किस तरह से केन्द्र की सरकार ने विदेश से गेहूं इम्पोर्ट करने का तय किया लेकिन राज्य के किसान को उचित मूल्य पर परचेजिंग का आदेश नहीं दिया। 2200 रुपये में इम्पोर्ट करेंगे और आठ सौ, हजार रुपये का मूल्य घर के किसान के लिए नहीं। यह कैसी पालिसी है? मतलब साफ जाहिर होता है कि केन्द्र सरकार पूरी भ्रष्टता के अंदर डूब चुकी थी ऐसे मामले में और देश भर का किसान दिल्ली में मोर्चे के वहां पर जाकर, आखिर केन्द्र की सरकार को वह कम करना पड़ा और वह कुछ सोलह सौ या अठारह सौ पर आये। लेकिन आज भी मैं निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कृषि मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री महोदया को कि कहीं न कहीं केन्द्र से भी यह कहकर पक्ष-प्रतिपक्ष दोनों मिलकर के, किसान को उचित मूल्य मिले इसलिए गेहूं की खरीद बारह सौ रुपये, चौदह सौ रुपये हो। इसमें पूरा सदन एकमत होकर केन्द्र सरकार से कहे। अब प्रतिपक्ष के नेता, यह थी टोडाभीम की, जो श्रवणजी समझ गये थे लेकिन बाकी लोग नहीं समझ पाये थे। अब है केन्द्र सरकार की भ्रष्टता और देश भर में किसानों का आन्दोलन हुआ, केन्द्र सरकार को मजबूरन कम करना पड़ा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, यह राज्य सरकार से उर्वरकों की सब्सीडी तो दिला दो न आप। मना कर रहे हैं क्या कोई। अपने हाथ से तो काम कर लो।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): सब दिला देंगे, विराजिये, विराजिये। हाथ में काम जो है आपके, सीआरएफ के नोर्म्स वाली बात इतनी घिस गई, क्या बोलूं। चूल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। अगर वास्तव में आप एक जनता के प्रतिनिधि हो तो सीआरएफ के नोर्म्स में परिवर्तन कराओ। कितनी बड़ी पाले की, मतलब एक फसल, इतनी मुंह बोलती फसल थी सरसों, उस किसान के परिवार, बच्चों ने क्या-क्या सपने देखे होंगे उस समय जब वह फसल इतनी बढ़िया खिली होगी। होली पर हम यह करेंगे। वह करेंगे और एक रात की आंधी में उसका सर्वस्व नाश हो गया। इसलिए आप या तो सीआरएफ के नोर्म्स में अभी जो है, नहीं तो हम तो एकदम बिलकुल दबाकर कहेंगे, चूल्लू भर पानी भी बहुत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हकीकत में इस बात को पूरे सदन ने कि, माननीय कृषि मंत्री महोदय, कहीं न कहीं इस बात को लेना चाहिए, किसानों को उचित मूल्य मिले, इसके लिए जो कुछ भी सरकार को करना चाहिए, वह हमें करना चाहिए, नहीं तो किसान मरेगा और किसान धीरे-धीरे कम होते जायेंगे। जैसे-जैसे मल्टीनेशनल कम्पनियां और सारा यह दुराचक्र आ रहा है यह इस देश में, इस देश की मौलिकता खत्म हो जायेगी। इसलिए किसान को उचित मूल्य मिले, मैं तो पूरे देश में यह कह रहा हूं आज सदन के माध्यम से कि किसी भी राज्य सरकार और केन्द्र सरकार ने मिलकर इस बात को तय करना चाहिए और इस गेहूं के मामले में भी उचित मूल्य, सरसों के मामले में भी उचित मूल्य, यह कृषि मंत्रीजी, आप जरा करें। कृषि मंत्री महोदय, एक मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो साल से विषय चल रहा है, मेरे बीस-बाईस गांव जवाई बाँध से सिंचित हो रहे हैं, सारा माल कृषि मंडी, सुमेरपुर में बेचा जा रहा है, उनको कृषि मंडी, सुमेरपुर में समायोजित करने के लिए बहुत बार निवेदन किया है और आपने मुझे यहां पर विधान सभा में आश्वासन भी दे दिया है। लेकिन आज दिन तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि यह जरा करावें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पशुपालन आपके पास ही है, उस बारे में एक बात चली थी नागौरी बैल। यह हकीकत में समस्या है लेकिन अभी रामनारायणजी ने जैसा बताया, दूसरी समस्या स्टेट के बाहर गौवंश या पशुवंश कटने के लिए जाये, यह हमारे लिए शर्म की बात है। इसलिए उसकी भी चिंता

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

करनी चाहिए, यह आपने की, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार का। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक बात पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूं कि अगर हम गौवंश के मामले में संवेदनशील हैं तो जिस प्रकार शराब की तस्करी के काम में आने वाले जो वाहन हैं, 269(बी) के तहत जब्त किये जाते हैं, गौवंश की तस्करी जो प्रदेश से बाहर कटने के लिए जाते हैं, उस वाहन को जब्त करने का ऐसा नियम बनाया जाय तब जाकर इस गौवंश की तस्करी रूकेगी। यह मेरी एक पुरजोर से मांग है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री और माननीय वसुंधराजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि बरसों से पूर्ववर्ती सरकार ने डाक्टर, नर्सेज की नियुक्तियां रोक दीं। अब यह बोलते हैं साहब कि हास्पीटल में डाक्टर नहीं हैं, व्यवस्था बिगड़ गई। व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी तो क्या करेंगे? किया क्या है आप लोगों ने सरकार में बैठ कर? खाली माला जपी है क्या? और कोई काम ही नहीं किया है। मतलब एक भी भर्ती नहीं की डाक्टर, नर्स। देखो, जनसंख्या बढ़ रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सात, सात, आठ-आठ हजार ऐसे स्वास्थ्य विभाग में भर्ती के आदेश करके मुख्य मंत्री महोदया ने एक बहुत अच्छी चिंता की है और इस चिंता के लिए मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदया को पुरजोर समर्थन, पुरजोर धन्यवाद देना चाहूंगा, मुझे एक पीएचसी दी है नौशला में। लेकिन एक गुढा बालोतान जो एक बहुत बड़ा एजुकेशन सेंटर भी है और कम से कम आठ हजार, नौ हजार की आबादी है और आजू-बाजू दस-बीस गांव लगते हैं, उस पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने के लिए मैंने बहुत पहले से निवेदन किया है, यह माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, इस मांग के लिए मेरा निवेदन स्वीकार करें। और उसके साथ में माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से मैं दो-तीन मेरे उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए जो मैंने कहा है, मूलेवा, रसियावास, मालगढ़, इनमें उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए मेरी मांग हैं, यह भी आप मुझे पूरी करेंगे। यह होम्योपैथी की बात चली है, वास्तव में होम्योपैथी पर विचार नहीं हुआ है, हमें विचार होम्योपैथी पर भी करना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। और साथ में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पशुपालन, जो मेरे बड़े-बड़े पाँच हजार से बड़ी आबादी के जो पंचायत हैडक्वार्टर हैं वहां पर भी पशु सब सेंटर मांगे हैं आपसे, और ज्यादा नहीं, और मेरे सारे भामाशाह तैयार हैं, पशु सब सेंटर की बिल्डिंग बनाकर देने के लिए तैयार हैं। रामा, संखवाली,

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

साकरणा, पादड़ली, यह बड़े सेंटर हैं और इनमें भामाशाह तैयार हैं बिल्डिंग बनाकर देने को।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं एक आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री से निवेदन यह करना चाहूंगा, पूरे जालौर जिले में सीएचसी का आउटडोर मेरे आहोर का नम्बर वन है। उसमें एक आंखों का अस्पताल एक सेपरेट 1978 में साढ़े 19 लाख रुपये लगाकर सारे वेल इक्यूपमेंट्स के साथ बना हुआ तैयार पडा है लेकिन आज दिन तक वहां पोस्ट क्रियेट नहीं की है। इसलिए उसमें पोस्ट क्रियेट करके डाक्टर लगायें। मतलब आपरेशन तक के सारे साधन हैं वहां पर और उसमें एक आईसीयू विभाग भी उसका बना हुआ है। बाहर से कैम्प लगाकर वहां हम आपरेशन करते हैं लेकिन वहां पर अगर डाक्टर लगा दिया जाय, तो यह एक अपने आप में बहुत अच्छा हमारे लिए होगा। बाकी मेरे जालौर जिले में सभी सीएचसी पर जो डाक्टर्स की कमी है, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, भीनमाल, जालौर और जालौर हैडक्वार्टर पर जो सी.टी. स्केन की मशीन के लिए, एक आर्थोपेडिक्स डाक्टर और आंखों का डाक्टर, आर्थोपेडिक्स के लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब भी विकलांग के कैम्प भी लगाने पड़ते हैं तो हमें ठेठ जोधपुर से बुलाना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन डाक्टर्स की भर्ती की जाये। कृषि विभाग के माध्यम से मैं कृषि मंत्री महोदय को और वसुंधराजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस कांग्रेस ने किसानों को थोथे सारे वह बूट्टे पकड़ाये हैं उसकी जगह पर हमने कृषि बीमा लागू करके मेरे यहां पर किसानों को दो बार नुकसान के एवज में 46-46 लाख रुपये पैकेज उनको मिले। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर से आपके माध्यम से यह सारी भर्तियों के मामले में हम बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं और मेरा आहोर सेंटर इतना बढ़िया सेंटर सीएससी चल रहा है, वहां पर भी एम्बुलेंस....

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): धन्यवाद एक बार ही होता है, आप बार-बार दे रहे हो।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): नई एम्बुलेंस जो है जिसके माध्यम से मैं यह चाहता हूं कि एक मोबाइल वहां चिकित्सक मेरे गांव में है भामाशाह वहां पर तैयार है। थोड़ा बहुत सरकारी सपोर्ट अगर मिलेगा तो एक गांवों में अच्छी व्यवस्था हम खड़ी कर देंगे। फिर से मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय पुरज़ोर समर्थन से मैंने जो मांगें रखी हैं वह मंत्री महोदय को सारी लिखकर दी हैं मेरी डिमाण्ड में, वह स्वीकार करवाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद और मेरी अस्वस्थता के कारण मुझे पहले नम्बर पर दे दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 26, 37 व 39 पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया तब विपक्षियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी लेकिन अब यह थोड़ा-थोड़ा बोलने लगे हैं क्योंकि इनका केन्द्र का बजट आ गया जिसमें कुछ किसानों के कर्जे माफ करने की बात कहीं गई है, उस पर यह बहुत उत्साहित हैं। और यहां सदन में बैठे भी हैं, चर्चा में भाग भी ले रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में जैसे वास्तविकता का पूछा गया तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी से पूछा कि आपने घोषणा तो कर दी कर्जे माफी की लेकिन फडिंग की व्यवस्था नहीं की बजट में, आपने फंड कहीं भी अलोट नहीं किया कि किस मद से यह पैसा आएगा तो उन्होंने कहा कि यह देखेंगे, समय आने पर देखा जाएगा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): बैंकों को 43 हजार करोड़ रुपया दिया जा चुका है, मैं आपकी इन्फोर्मेशन से जानकारी दे रहा हूं 43 हजार करोड़ रुपए भारत सरकार ने बैंक में जमा करा दिये हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): वक्त आने पर देखेंगे कहां से फण्ड होगा और कैसे फण्ड की व्यवस्था होगी? यह समय बताएगा, अभी इसके बारे में कुछ भी कहना सम्भव नहीं है। यह केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी ने यह बात कही कि समय आएगा तब देखेंगे, तो समय आने वाला है, वह समय क्या आएगा जब अभी परमाणु समझौता होगा और परमाणु समझौता करने के बाद में वामपंथी इनका साथ छोड़ जाएंगे और केन्द्र की सरकार भंग हो जाएगी और फिर चुनाव होने वाले हैं और एनडीए की सरकार आएगी। वहीं यह कर्जा माफ करने वाली है। यह बात केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी भी जानते हैं, वह यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि यह किस तरह से फण्ड की व्यवस्था होगी और कैसे यह व्यवस्था करनी है? क्योंकि आने वाला भुगतेगा, यह वह आने वाला करे लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। हम इसके लिए दृढ़ संकल्प हैं, हम चिंतित हैं....

श्री उपाध्यक्ष: अब आप मांग पर आ जाइए माननीय मदनजी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): और मैं यह निवेदन करना चाहूंगा...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कटमोशन यही दिया हुआ है क्या? यह केन्द्र सरकार जाने कहां से लाएगी पैसा? आप अपनी बात करो न यहां पर, वह पैसा लाएंगे या नहीं लाएंगे वो जाने, जनता जाने, आप अपनी बात करिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हां, है। मैं आ रहा हूं कटमोशन पर, आपके पेट में मरोड़े क्यों उठते हैं? अभी यह ग्रामीण स्वरोजगार की बात कर रहे थे, पता नहीं वह कौनसा कटमोशन था?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मदनजी करंट लगने की जरूरत नहीं है, उसमें उन्होंने की है, उनकी जिम्मेदारी है, तुमने करी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए आप उनकी चिंता मत करिए केन्द्र सरकार की, आप अपनी चिंता करिए राजस्थान सरकार की।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अभी यह आपके मीणा साहब कर रहे थे ग्रामीण स्वरोजगार की बात...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप विषय पर आ जाइए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि अभी माननीय मीणा साहब वह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार की बात कर रहे थे तो स्वरोजगार वाली कौनसी बात हो गई? वह कैसे बात कर रहे थे यहां पर वह तो बात कर सकते हैं और हम जब बात करते हैं उनके मरोड़े उठते हैं, यह ठीक बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मदनजी आप विषय पर आ जाइए, विषय पर आ जाइए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं विषय की ही बात कर रहा हूं, विषय पर ही आ रहा हूं और विषय पर ही बोलूंगा, विषय से बाहर नहीं बोलने वाला हूं। और उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा यह कर्ज माफी यह पर्याप्त कारण नहीं है किसानों की भी चिंता करनी है तो स्थाई हल खोजना पड़ेगा, इनका स्थाई समाधान करना पड़ेगा। और स्थाई समाधान की भी किसी ने चिंता की तो हमारी सरकार ने चिंता की है। उन्होंने वैज्ञानिक बिठाये, कृषि वैज्ञानिक के माध्यम से इस प्रकार की व्यवस्था की कि स्थाई समाधान कैसे हो सकता है? आपको मालूम होगा स्थाई समाधान के लिए कृषि वैज्ञानिक एम.ए. स्वामीनाथन को बिठाया, उन्होंने चिंतन किया, उनकी कमेटी ने विचार किया, विचार करके सोचा कि किसान के दर्द को कैसे मिटाया जा सकता है? किसान का आर्थिक स्तर किस प्रकार से ऊँचा उठाया जा सकता है? इसके बारे में उन्होंने चिंता की। उन्होंने चिंता की कि जमीन की उर्वरक क्षमता

(श्री मदन राठौड़)

कैसे बढ़ाई जा सकती है? उन्होंने चिंता की जल का कुशल प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है? उन्होंने चिंता की तकनीकी प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है? उन्होंने चिंता की मूल्य संवर्द्धन की, उन्होंने चिंता की प्रसंस्करण और मार्केट सपोर्ट की लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप दोनों मांग पर आ जाइए सीधा, मैंने कह दिया है, आप चिकित्सा एवं कृषि पर आ जाइए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह कृषि पर मांग है, यह कृषि की ही बात है, भूमिका की कोई बात नहीं है, नहीं जमीन की उर्वरक क्षमता किसके लिए बढ़ाते हैं? कृषि के लिए बढ़ाते हैं, जल प्रबंधन किसके लिए करते हैं? कृषि का सही उपयोग किया जा सके, बूंद-बूंद से सिंचाई से करें तो जो फल्ड इर्रिगेशन हो रहा है, बूंद-बूंद से सिंचाई से करेंगे तो ढ़ाई गुणा क्षेत्रफल में इर्रिगेशन हो सकता है। मांग पर आ रहा हूं, मैं मांग की ही बात कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय आप जरा विचार करें मैं यह भी बताना चाहूंगा कि किसानों को उचित मूल्य मिले और उचित मूल्य के लिए और जब किसानों की फसल एक साथ आती है मैदान में, जब मार्केट में आती है तो किसान की उस उपज का भाव गिर जाता है। और इसके लिए हमारी सरकार ने चिंतन किया है कि राम ऋण योजना शुरू की है कि किसानों की फसल को और गोदामों में रखा जा सके और बदले में 75 प्रतिशत राशि उसको कर्ज के रूप में दी जा सके। 12 प्रतिशत ब्याज पर पहले आप 17 या 18 प्रतिशत ब्याज यह सरकार लिया करती थी, हम 12 प्रतिशत ब्याज पर कर्जा देते हैं। और जो घोषणा की है यह किसान की चिंता की है। यहीं नहीं आपने क्या किया? उपाध्यक्ष महोदय यह बताना चाहूंगा मैं आपके माध्यम से कि इन्होंने क्या किया। जो आरएमएस होता है रबी मार्केट सीजन के अंदर गेहूं और एक प्रकार से बनावटी कमी बताई, बनावटी कमी। और मैं यह बताना चाहूंगा कि जो प्रक्योरमेंट होता है बीज का जिस प्रकार से होना चाहिए वह इन्होंने नहीं किया। 2003-04 में 89 लाख 38 हजार मैट्रिक टन पंजाब ने दिया, हरियाणा ने दिया 51 लाख 52 हजार मैट्रिक टन, यूपी ने दिया 12 लाख 13 हजार मैट्रिक टन, राजस्थान से 2 लाख 59 हजार मैट्रिक टन और यही नहीं 2004-05 में ठीक इसी प्रकार राजस्थान से लिया 2 लाख 79 हजार मैट्रिक टन। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा 2005-06 में 1.59 लाख मैट्रिक टन। और यही नहीं उपाध्यक्ष

(श्री मदन राठौड़)

महोदय, अभी जो 2006-07 में मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इन्होंने किस प्रकार से और मतलब इस प्रकार की बनावटी कमी बताई है और वह है कि पंजाब से केवल 59 लाख 51 हजार मैट्रिक टन। और यही नहीं, हरियाणा से केवल 22 लाख 29 हजार मैट्रिक टन और उत्तर प्रदेश से केवल 0.49 लाख मैट्रिक टन और राजस्थान से लिया 0.02 मैट्रिक टन मतलब केवल 0.02 लाख मैट्रिक टन यह क्या? इन्होंने और यह कमी जब बता दी और ठीक इसी प्रकार से गुजरात से नहीं लिया, मध्य प्रदेश से नहीं लिया, बिहार से नहीं लिया, उत्तरांचल से नहीं लिया, छत्तीसगढ़ से नहीं लिया। और जो इनको 158 लाख का प्रिक्योरमेंट करना था उसकी जगह कुल 92 लाख 31 हजार मैट्रिक टन इन्होंने प्रिक्योरमेंट किया है। इस प्रकार इन्होंने कपोल-कल्पित कमी बताई है और कमी बताकर और यह किसानों के साथ छलावा किया है, धोखा किया है।

उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने किस प्रकार से किसानों को धोखा दिया है? आप यह भी देख लेवें कि जब इन्होंने यह कमी बताई और उसके बाद में गेहूं की यानी राजस्थान को क्या दिया? हमारे हिन्दुस्तान के किसान को भाव क्या दिये? साढ़े सात रुपये किलो और इन्होंने क्या खरीदा मैं यह जानकारी आपको देना चाहूंगा पहले इन्होंने टेंडर दिया था लाल गेहूँ का और 18 रुपये लास्ट आर्डर था इनका। उसके बाद में लेटेस्ट ऑर्डर दिया 22 रुपये किलो यह आप देखिए कितना धोखा किया है। हिन्दुस्तान के किसान के साथ में। आप हिन्दुस्तान के किसान का हितैषी बनने का ढोंग रचते हो, आपने हिन्दुस्तान के किसान के लिए कुछ भी नहीं किया और मैं यह भी आपको बताना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो गेहूँ मंगाया था वह खाने योग्य नहीं था, मानव खा नहीं सकता उसको, इस प्रकार का महाराष्ट्र सरकार ने जहां पर इनकी सरकार है, उसने भी लेने से इनकार कर दिया। और महाराष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने तो एक स्ट्रिक्चर पास किया है कि किस तरह धोखा किया और गेहूं मंगाया है, वह गेहूं किसी भी प्रकार से खाने योग्य नहीं है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो सैंपल लिए उपाध्यक्ष महोदय, 682 सैंपल लिए हैं। एक पूणे की कंपनी है और उसने इसमें से 285 सैंपल रिजेक्ट पाये गये। सैंपल फेल हुए 42 प्रतिशत सैंपल, यह डिप्टी डायरेक्टर जो है, यह उसका स्टेट पब्लिक हेल्थ लेबोरेट्री, पूणे, आप चाहे तो मैं टेबल कर सकता हूं, यह उसकी रिपोर्ट है कि किस प्रकार इन्होंने जो गेहूं मंगाया वह लाल गेहूं किसी भी प्रकार से खाने योग्य नहीं है। और वह

(श्री मदन राठौड़)

हिन्दुस्तान की जनता के साथ भी धोखा किया, हिन्दुस्तान के किसान के साथ में भी धोखा किया, यह इन्होंने किया है।

यही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमने आंदोलन किया, भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया था और आंदोलन के कारण ही इन्होंने गेहूं के साढ़े सात रुपए से बाद में दस रुपये किया, केवल दस रुपए समर्थन मूल्य किया। किस प्रकार से आप किसानों को ऊंचा उठाने की कोशिश करते है? किस प्रकार से यह किसानों का और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ढोंग करते हैं? यह आपके सामने मैं निवेदन करना चाहूंगा। यह मैं आपको निवेदन करूं "The last order was for Rs. 18 per Kg. The latest was Rs. 22 per Kg. This has been put on whole. The Indian farmers have been paid Rs. 7.5 per Kg. The quality of wheat also has been found inferior and also in many cases unfit for human consumption."

यह इस प्रकार की ये रिपोर्ट आयी है उपाध्यक्ष महोदय, यह भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं और एमसीपी और कांग्रेस ने भी क्रिटीसाइज किया है। जो एमसीपी कांग्रेस है महाराष्ट्र में जो सरकार के साथ में सम्मिलित है उसने भी इसकी क्रिटीसाइज की है यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। और उपाध्यक्ष महोदय, अभी एक बात चली यह भी देखिये जो प्रिक्योरमेंट के मामले में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पत्र लिखे हैं मुख्य मंत्रीजी ने लिखे हैं। पहला तो देखिये मुख्य मंत्रीजी ने पत्र लिखा था वहां पर 16 जनवरी, 2008 को और फिर 30 जनवरी, 2008 को भी और इसी प्रकार से 20 फरवरी, 2008 को भी इन्होंने पत्र लिखा है। जिसमें राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने यह मांग की है कि आप बारह रुपये रेट कीजिये किसानों के गेहूं की। यदि बारह रुपये आप रेट करते हैं तो हम निश्चित रूप से और गेहूं प्रिक्योर कर सकते हैं। यही नहीं, मुख्य मंत्रीजी ने यह भी मांग की कि यदि मार्केट से परचेज करने की बात कही जाए, यदि मार्केट से खरीदने की अनुमति दे दो तो हम गेहूं पर्याप्त प्रिक्योर कर सकते हैं किसानों से हम गेहूं खरीद करके प्रिक्योर कर सकते हैं। हमारे हिन्दुस्तान के नागरिकों को गेहूं दिया जा सकता है जिस पर शरद पंवारजी ने लिखा है, यह पत्र है शरद पंवारजी का यह मैं यदि आप चाहें तो टेबल कर सकता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें शरद पंवार जी ने खुद ने लिखा है कि किसी भी प्रकार से आपको यह अनुमति नहीं दी जा सकती है। आप मार्केट से गेहूं नहीं खरीद सकते। निश्चित

(श्री मदन राठौड़)

रूप से हम विदेशों से गेहूं मंगायेंगे चाहे हमें बाइस रुपये भी प्रति किलो मंगाना पड़े। इस प्रकार से इन्होंने किसानों के साथ में छलावा किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो अभी एक बात यहां पर रखी गयी थी कि जो पाला पड़ा है जिस प्रकार से यहां पर किसानों के साथ में जो एक प्राकृतिक आपदा ने हमला किया और यह जब सबसे पहले यहां पर माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने आया तो 31 जनवरी, 2008 को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने केन्द्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल साहब को, क्योंकि गृह मंत्री को ही लिखना पड़ता है यह नियम है कि कोई भी मुख्य मंत्री केन्द्र से मांग करेगा तो इसका जिम्मा उनके पास में है। तो उन्होंने मांग की कि आप ये जो एक प्राकृतिक आपदा आयी है इस आपदा पर आप राहत देने की घोषणा करें, राहत देने का कष्ट करें। इस प्रकार की मांग उन्होंने की। यह पत्र है मेरे पास में और इसके जवाब में आप इस पत्र का भी यदि सुनना चाहें "....cold waives resulting in...." (interruption)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मेरा फिर आपसे निवेदन है कि आपके कटौती प्रस्ताव में चार पांच जो बातें आयी हैं आप उन पर सीमित रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरा विषय रख रहा हूं और इन्होंने क्या-क्या बोला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पर बोला, यह है क्या कटौती मोशन? यह कट मोशन में नहीं है उस पर इन्होंने चर्चा की है। इन्होंने चर्चाएं पता नहीं किस-किस प्रकार से कर दीं।

श्री उपाध्यक्ष: छोड़ो इनकी अब आप। आप अपनी...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): लेकिन मैं कह रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, इस पर केन्द्रीय गृह मंत्रीजी ने भी लिखा है कि हम किसी प्रकार से सहायता देने में असक्षम हैं। ये इस प्रकार की बात की है। मैं किसानों की बात कर रहा हूं ये किसान के हित की बात है कि जब पाला पड़ता है किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है तो किसानों के हित की चिन्ता करने की आवश्यकता होती है। जिस समय यहां सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता थी, ये मैदान से भाग गये थे, ये सदन से बाहर निकल गये थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से चिकित्सा के मामले में राजस्थान सरकार ने जो काम किया है वो अविस्मरणीय काम है। उपाध्यक्ष महोदय, आज कृषि पर भी है, पशुपालन पर भी है।

श्री उपाध्यक्ष: इसी पर आएं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं कृषि पर बोल रहा था लेकिन आपने जब आदेश दिया तो मैं अब चिकित्सा पर थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। चिकित्सा सुविधाओं पर कांग्रेस ने पांच वर्ष में 2052 करोड़ रुपये खर्च किये केवल और भारतीय जनता पार्टी ने 3016.84 केवल चार वर्ष में खर्च किये हैं। ये क्या तुलना करना चाहते हैं विकास के मामले में? राजस्थान हैल्थ सिस्टम योजनान्तर्गत निर्माण कार्य, उपकरण और दवाइयों पर जो व्यय किया है इन्होंने बिलकुल नहीं किया था जीरो और हमारी सरकार ने किया 167 लाख 85 हजार करोड़ रुपये। उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सालयों की संख्या इन्होंने नहीं बढ़ायी और हमारी सरकार ने 238 चिकित्सालय नये बनाये। शैयाओं की संख्या इन्होंने नहीं बढ़ाई हमारी सरकार ने 3384 शैयाओं की संख्या बढ़ाई। उप स्वास्थ्य केन्द्र इन्होंने पांच साल में केवल 75 बनाये हमारी सरकार ने 816 बनाये। ग्रामीण स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना इन्होंने केवल 13 की और हमारी सरकार ने 85 की। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ये तो मैं ग्रामीण की बता रहा था। शहरी भी इन्होंने केवल 13 की और हमारी सरकार ने 85 की। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना इन्होंने जीरो की-शून्य और हमारी सरकार ने 66 की। जिला अस्पतालों का उच्चीकरण इन्होंने बिलकुल नहीं किया और हमारी सरकार ने चार वर्ष में 22 किये। यही नहीं बहुत कुछ विकास की बातें हैं यदि आप सुनना चाहें तो मैं सुनाऊं।

नर्सिंग आवास के मामले में इन्होंने एक भी नर्सिंग आवास नहीं बनाया और हमारी सरकार ने 1024 बनाये। चिकित्सकों के लिए भी आवास गृह इन्होंने नहीं बनाये बिलकुल शून्य। मैं पूरी जानकारी के आधार पर दे रहा हूं सही जानकारी के आधार पर और हमारी सरकार ने बनाये 850 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन और इन्होंने बिलकुल नहीं बनाये। पांच वर्षों में धोखा दिया और हमारी सरकार ने बनाये 818 । यही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, ये जैसे आयुर्वेद चिकित्सालय हमारी सरकार ने 95 खोले, 65 होम्योपेथिक चिकित्सालय अभी खोले, 24 यूनानी खोले और अब जो घोषणा की है कि 40 आयुर्वेदिक, 7 आयुर्वेदिक अस्पतालों को 'अ' श्रेणी में, 7 मोबाइल यूनिटें और 750 डाक्टर भर्ती करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो 750 डाक्टर्स भर्ती करेंगे तो 1992 बैच के भी कुछ डाक्टर्स हैं यदि उनको भी ले सकें तो आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि उनको भी आप लेने की कोशिश करें तो इससे भी निश्चित रूप से राहत मिलेगी।

(श्री मदन राठौड़)

मैं पशुपालन के मामले में यह निवेदन करना चाहूंगा एक थोड़ी सी विसंगति कई वर्षों से चली आ रही है यह आज की बात नहीं है 2001 के अन्दर विलय किया गया पशुपालन विभाग और भेड़ एवं ऊन विभाग का लेकिन उसमें सेवा नियमों में विसंगतियां हैं। और उन विसंगतियों के कारण से और कई कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हो पा रही है उनको पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि ये विसंगतियां दूर करने का प्रयास करें। ठीक इसी प्रकार से वेतन विसंगतियां भी हैं। एक मेरे क्षेत्र का भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां पर पशु चिकित्सालय शहर के अन्दर आया हुआ है जो भीड़भाड़ वाले एरिया में है और वहां पर बीमार पशुओं को ला पाना बहुत कठिन है। तंदुरुस्त पशु भी वहां नहीं आ सकते हैं तो बीमार पशु लाना उस भीड़भाड वाले भोंपू वाले इलाके में बहुत कठिन है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि नगरपालिका को यह पशु चिकित्सालय भवन सुपुर्द कर दिया जाए तो नगरपालिका अपने खर्च से जैसा आपके नार्म्स के हिसाब से चिकित्सालय और मय स्टाफ और भवन बना कर देने के लिए आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। किसी भी प्रकार का आपको पशुपालन विभाग को खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा खर्चा हम वहां कर लेंगे और वहां आपको स्थानांतरित करके देने की स्थिति में हैं। ठीक इसी प्रकार से चिकित्सा मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा कि आपने मेरे सुमेरपुर में जो नेशनल हाइवे 14 पर स्थित है वहां पर नेशनल हाइवे पर लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं और दुर्घटनाओं के कारण से कई घायल लोग आते हैं लेकिन वहां पर हड्डी रोग विशेषज्ञ और बेहोश करने वाला डाक्टर नहीं है तो आप इसकी शैया संख्या बढ़ायें यह मेरा निवेदन है। आपने मेरी बात मानी भी है और शैया संख्या बढ़ाई भी है। लेकिन उसमें थोड़ा सा वित्त विभाग की एक अड़चन आ गयी थी। वो बताते हैं कि भवन तो हम बना लेते हैं लेकिन डाक्टर्स और स्टाफ को आप तनख्वाह दें, कोई एनजीओ तनख्वाह दे तो यह थोड़ा उलटा हो गया है शायद। इसलिए मेरा यह कहना है कि भवन कोई भी बना कर देने की स्थिति में है भामाशाह भवन बनाकर दे देगा डाक्टर्स और स्टाफ तो आप लगायें सरकार लगाये तभी यह सम्भव हो सकेगा।

यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करके आज इन तीनों मांगों पर अपनी ओर से जो निवेदन मुझे करना था, निवेदन तो बहुत कुछ करना था लेकिन आपने आज उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी नाराजगी जाहिर की आते ही थोड़ा कठोर मुझ पर ही हो गये। थोड़ा पहले आ जाते तो और लोगों पर भी कठोर होते।

श्री उपाध्यक्ष: आपने पूरी डिटेल में कह दी अपनी बात। पूरी विस्तार से कह दी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): लेकिन आपके आदेश की पालना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या...(व्यवधान) 26, 37 और 39 पर आपको सुझाव देना चाहता हूं पर मैं मंत्रीजी को यह भी कहना चाहता हूं कि आपकी इच्छा है या इच्छाशक्ति है? इच्छा है तब तो मैं कहूंगा नहीं और इच्छाशक्ति है तब मैं कहूं इसका मजा भी आएगा। आज मैंने पन्द्रह साल में यह देखा बीस पच्चीस साल के राजनीतिक जीवन में कोई बंदा ऐसा नहीं मिला कि इच्छाशक्ति को लगाकर उसको पुरजोर से इंम्लीमेंट कर दे। और इंप्लीमेंट नहीं करते तो मजा नहीं आता। मैं अब पहले कह देता हूं, 'जिन्दगी की असली उड़ान है बाकी अपने इरादों का

(समय : 20.00 बजे)

इम्तहान है बाकी, अभी तो नापी है कुछ ही गज जमीन आगे कुछ आसमान को भी नापना है बाकी।' मैं इतना ही कहना चाहता हूं आप चिकित्सा की बातें करते हैं पहला सुख निरोगी काया दूसरा हो पुत्र प्यारा। (व्यवधान) तीसरा हो सतवंती नार, चौथी हो घर में माया, पांचवां राज में पासा, छठा हो सुकन्द पड़ौसी। (व्यवधान) आपका पहला सुख निरोगी काया मानते हैं वह डिपार्टमेंट आपको दिया।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): अपने तो पांच सुख तय हैं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): छओं ही हैं। अभी दुनिया भर के भाषण दे रहे थे होम्योपैथी के, आयुर्वेद के, एलोपैथी के। आपने डाक्टरों की संख्या बढ़ाई इसके लिये तो हम धन्यवाद देंगे लेकिन बढ़ाई है नहीं, पहले नहीं दूंगा बढ़ोने के बाद दूंगा। जो डाक्टर आज गांवों में लगे हुए हैं मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी डाक्टर, किसान का बेटा डाक्टर बनता है एक डाक्टर गांवों में आवास करते हुए दिखा दें मैं आपको इनाम दूंगा। रात को किसी महिला के डिलेवरी का केस हो जाता है, एक महिला पीड़ित हो जाती है तो कम्पाउंडर तक नहीं मिल सकता, वहां नर्स नहीं मिल सकती। पीड़ा के साथ एक गरीब व्यक्ति किसी जीप वाले के पास जाता है और जीप वाला उससे 500 रुपये मांगता है और जब वह हास्पिटल में आता है तो डाक्टर हास्पिटल में उसको एडमिशन नहीं देते हैं। वहां नर्स की ड्यूटी मिलती है और डाक्टर घर

(श्री श्रवण कुमार)

पर सोया हुआ मिलता है। उसके बाद अगर कोई कहे कि डाक्टर साहब महिला डिलेवरी वाली है तो डाक्टर का कुछ मन खुलता है। फिर बाद में नर्स से पूछते हैं क्या हुआ, कि लड़का हुआ है। कितने रुपये दोगे, 5100 रुपये तो देओ इनाम के। क्या वह लडके को पगा चला रहे हैं क्या? क्या कर रहा है? और गरीब व्यक्ति 5100 रुपये इनाम के देता है। एक गरीब आदमी के एक डिलेवरी केस शुरू से 10 हजार का पड़ जाता है। अगर आप लोगों में इस बात का किसी में भी दम है और आप में अगर मर्दाना है तो पक्का इरादा करके जाओ कि डाक्टर शहर का शहर में रहेगा और गांव का गांव में रहेगा। 6 महीने पहले नर्स को ड्यूटी पर लगाया था शहर में मकान बना लिया। कम्पाउंडर को 6 महीने पहले ड्यूटी पर लगाया शहर में मकान बना लिया। देश के 70 प्रतिशत लोग गांव में बसते हैं। और हमारे नेहरूजी का सपना था कि हमारा देश आजाद होगा तो आजादी का पैगाम खेत और खलियान से गुजरेगा और गांव की झौपडी में जाकर आवास करेगा। आज सपना कहां हो गया शहर में जाकर होगा। बंगलौर में रहने वाले को पीड़ा कहां है, हैदराबाद में रहने वाले को इतनी पीड़ा कहां है, झुंझुनूं में रहने वाले को इतनी पीड़ा कहां है, पीड़ा उस व्यक्ति को है जो किसान का बेटा गांव के 30 किलोमीटर दूर रहता है जहां दूरदराज तक कोई डाक्टर नहीं है। वहां आप डाक्टर का प्रबन्ध कीजिए यह आपकी लायबिलिटी बनती है। अगर आप इस लायबिलिटी से मुकरते हैं तो राज करने का आपको कोई हक नहीं है। (व्यवधान) मैंने जो किया है वह सही किया है। मैं ड्यूटी करता हूं सिपाही की, सिपाही की ड्यूटी मेरी सही है। जनता ने मुझे चार बार जिता दिया और क्या चाहिये। उनको मालूम है...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अगर आप वहां डाक्टर नहीं रख पाओ तो आप एमएलए के हकदार नहीं हैं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं किस का रखूंगा। अगर आप डाक्टर का ट्रांसफर कर दो 400 आदमियों की सिफारिश आयेगी, बीजेपी वाला है, कोई आरएसएस का है उसको वापस कर दोगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): फिर एमएलए रहने के हकदार नहीं हो। यदि किसी डाक्टर को वहां नहीं रख सके और वहां नहीं लगा सके तो।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आप पहले भेजो तो सही।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): भेज रहे हैं ना।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): नो-नो कुछ नहीं भेजते हो केवल बातें करते हो।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): आप चौथी नहीं तीसरी बार ही आये हो, 1990 में नहीं थे आप।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): चौथी बार आ रहा हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप अपनी सीट से बोलिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं एडवांस में कह रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाडी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): श्रवणजी, इतने बड़े राज में एक की गलती तो चलती है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैंने तीन बताये, तीन नहीं चौथी बार आ रहा हूं और 25 साल में प्रधान रहे, सरपंच रहे कुछ तो रहे ना। हमारी इच्छा तो यही है ना कि किसान का कुछ करें। अभी डाक्टर की बात करते हैं, कम्पाउंडर की बात करते हैं, अभी दवाइयों की बात कर रहे थे। रामनारायण जी कह रहे थे कि दवाइयों का पैसा सरकारी खरीद में ज्यादा लगता है और बाजार में कम लगता है। यह पहली बार थोडे ही हुआ है यह तो होता ही आ रहा है। कांग्रेस के टाइम में भी हुआ, बीजेपी के टाइम में भी हुआ, जनता दल के टाइम में भी हुआ और आगे कोई और आयेगा उसके टाइम में भी होगा। यह तो रुकेगा नहीं, क्यों नहीं रुकेगा क्योंकि किसी के दिल में भी दर्द नहीं है कि पैसा गरीब किसान का है इसको यूज़ कहां किया जाये। केवल अपना घर भरना चाहते हैं, सब के सब सुखराम बनना चाहते हैं। अब सुखराम बनोगे तो पैसा तो भ्रष्टाचार में जायेगा ही। अगर आपकी इच्छा है तो आप बहुत बड़े आदमी हो ...

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): सुखरामजी कौनसी पार्टी से थे।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं यहां पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां मानवता की बात कर रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाडी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सुखरामजी के पास पहुंचने से पहले बीच में पंजाब और हरियाणा पड़ता है आप लांघ कर हिमाचल में क्यों गये?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं वहां इसलिए गया क्योंकि हिमाचल में अभी बीजेपी का राज है। अगर आप में इच्छा है तो यह करके दिखायें नहीं है तो फिर उडान भरने से क्या फायदा। लक्ष्य अगर पक्का है बंदे तो मंजिल आपकी दूर नहीं ...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपको वह बंगारू लक्ष्मणजी वाली कहावत याद नहीं रही क्या? मैं तो पूछ रहा हूं कि आपको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कहानी याद नहीं है क्या?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): लक्ष्य अगर पक्का है बंदे तो मंजिल आपकी दूर नहीं आप उससे भी दूर नहीं और वह भी आपसे दूर नहीं। मैं आपको दिल से कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह ओरिजनल शेर है ना, यह आपने खुद ने बनाया है ना?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): राठौड साहब अभी थोडी देर पहले भ्रूण हत्या की बातें कह रहे थे। भ्रूण हत्या हिन्दुस्तान में शुरू हुई है तो वह बड़े घरानों से शुरू हुई है। आज तो गरीब व्यक्ति को रोटी के लाले पड़ते हैं तो वह अपनी भूख को कम करने के लिये भ्रूण हत्या करता है लेकिन पहले कौन करते थे, बडे राज घराने करते थे और मटकों में बद कर करके डाल कर आ जाते थे। यह सारी परिपाटी कहां से शुरू हुई, बड़े घरानों से शुरू हुई है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): राजेन्द्रजी कोई राज घराने के हैं क्या? वह तो एक साधारण परिवार के हैं। वह कोई राज घराने के हैं क्या?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं कब कह रहा हूं यह बात। बडे घरानों की बात मैं कह रहा हूं तो आप इन पर लागू क्यों करते हो? इसलिए मैं कहता हूं कि मैडिकल में आपने देखा होगा आज छोटे-छोटे होम्योपैथी के डाक्टर, आयुर्वेद के डाक्टर, एलोपैथी के डाक्टर वह लुप्त हो गये और छोटे-छोटे गांवों में थैला लेकर गांव में डाक्टर बन गये और वह डाक्टर न तो सूई लगाना जानता, न दवाई देना जानता। पिछली बार भी घनश्यामजी विधान सभा में मैंने यह बात कही थी आपको बताना चाहता हूं कि थैला मास्टर जितने भी शहर में बने हैं जब तक आप उन यूनानियों को बंद नहीं करोगे तब तक इस मैडिकल पर आपका कंट्रोल नहीं हो सकता है। 15 दिन के बाद सीएमएचओ को पैसे देकर फिर वापस वहीं दुकान लगा लेते हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यही तो है और है क्या? मैं इस बात से पीड़ित हूं कि आप आपने इम्प्लीमेंट किया और 20 दिन के बाद फिर कोई पैसा देकर ...(व्यवधान) जो अनट्रेंड डाक्टर बैठे हैं थैले वाले मास्टर, उनको आप बंद नहीं करोगे तब तक मैडिकल का सुधार नहीं हो सकता।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह यूनानी के लिये नहीं कहा इन्होंने यह जो झोला छाप अनट्रेंड हैं उनके लिये कहा है। यूनानी को तो बढ़ावा देने की बात की है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): वैद्य की बात कह रहे थे अभी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपको अगर तारानगर से आने वाले माननीय बैदजी की कोई बात कहनी है तो सदन का समय क्यों जाया करते हो, बैदजी से सीधी बात कर लीजिए।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं वैद्यों की बात कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, आप कौन से बैदजी की बात कर रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं वैद्यों की बात कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तारानगर से आने वाले बैदजी की ना।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): नहीं, नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं आयुर्वेद के वैद्यों की, डाक्टर चन्द्रशेखर बैद की नहीं कर रहे हैं यह आयुर्वेदिक वैद्यों की कर रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): वह तो आपको ही सतायेंगे मेरे को क्यों सतायेंगे। मैं वैद्यों की बात कर रहा हूं। पहले आयुर्वेद जीवन का सबसे बड़ा साथी था और आज कोई व्यक्ति वैद्यजी को पूछता है तो उसके थैले में आयुर्वेद की एक भी पुडिया नहीं मिलेगी, उसके हाथ में एक सूई मिलेगी साथ में सिरिंज मिलेगी। उसको पूछे वैद्यजी क्या करते हो, बोलता है, सूई लगाते हैं। वैद्यजी के पास सूई कहां से आ गई वैद्यजी को नाड़ी देखनी चाहिये थी। अपने मूल धंधे को छोड़ कर सारे इंग्लिश टाइप काम हो गये। सारी जनता इसीलिए बीमार होती है। अपने मूल रूप के धंधे को तो बंद कर दिया और सारा का सारा इंग्लिश टाइप काम हो गया। आपको जमाना बताता हूं क्या हो गया, घनश्यामजी आज से 60-70 साल पहले औरतों के नाम होते थे दरकली, धाबी, मनखोलडी उसके बाद इंदिरा, बिमला, सुमित्रा फिर पड़ा अनिता, सुनिता अब जमाना आ गया रिंकी, पिंकी, टिंकी तो साथ में यह गोलियां भी यही आ गई। रिंकी, टिंकी, पिंकी और यही सुइयां आ गई तो कौन आयुर्वेदिक लेगा, कौन हौम्योपैथिक लेगा। सारा सिस्टम मोडीफाई होकर एक जगह रुक गया। केवल थोड़े समय में सूई लगाई 5 मिनट में आराम हो गया, बीमारी सही हो या नहीं

(श्री श्रवण कुमार)

हो उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए मंत्री महोदय आप में इच्छा शक्ति तो है पर आप लागू क्यों नहीं कर सकते मुझे मालूम नहीं है। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि पांच चीजें आप ध्यान में रखिए। आपकी एमएलसी करने वाले डाक्टर, एक गरीब व्यक्ति का सिर फोड़ दिया जाता है और जब वह थाने में जाता है तो उसकी एमएलसी की जाती है। मैं तो ईमानदारी से कह रहा हूं। परसों आप कह रहे थे खड़े होकर, मुझे बड़ा गर्व हुआ, कि मेरे डिपार्टमेंट में कोई बताए, विभाग का ठेका मत लीजिए आप। आप अपने दामन को पाक रहे हो। डिपार्टमेंट में अगर, (व्यवधन) दस हजार रुपये नहीं दिया जाता है, पांच हजार रुपये नहीं दिया जाता है, हजार रुपये डाक्टर को नहीं दिया जाता है तो एमएलसी की रिपोर्ट नहीं देता है। इससे बड़ा अन्याय और क्या चाहते हो। यह सरेआम हो रहा है। जब तक थाने वालों को, बताऊंगा गुलाबचंदजी को तीन-चार दिन बाद में...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): किसी ने खण्डन नहीं किया, खण्डन नहीं कर रहे हैं सब सही मान रहे हैं।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): इस बार...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप तो जानवरों के डाक्टर हो यह तो पशुओं की नहीं आदमियों की एमएलसी की बात कर रहे हैं। (व्यवधान) आप तो पशु चिकित्सक हो।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): यह रुपये लेकर एमएलसी की बात गलत है। (व्यवधान) जिनको आईपीसी बढानी होती है वह पैसा लेता है। जिसको ज्यादा सीरियसनेस करना होता है वह ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, बैठिये एक बार Please sit down.

श्री उपाध्यक्ष: श्रवण कुमारजी...

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप अपने दिल में बढ़ाकर कोई पार्टी की बातें मत किया करो इस सदन में बैठकर। 6 करोड़ जनता ने आपके भाग्य का फैसला करने के लिए आपको भेजा है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कौन एमएलसी गलत लिखता है, कौन गलत काम करता है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): कोई तहसीलदार रजिस्ट्री करता है तो क्या दूसरे दिन ही रजिस्ट्री करने के दो परसेंट लेता है क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्रवणजी।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): यह कोई बात है। (व्यवधान) मैं कहता हूं दावे के साथ एमएलसी करता है और पैसा लेता है इसको कौन मुकर रहा है। मंत्री बनने के बाद अपनी औकात को भूल जाएंगे? क्या पार्टी में जाने के बाद, पार्टी बनी तो औकात को भूल गए क्या? अपने धरातल को मत भूलिये आप। गांव का आदमी झौंपड़ा...(व्यवधान) I don't like this activity. Please sit down.

श्री उपाध्यक्ष: श्रवणजी।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): मैंने तो रिश्वत ली उसको पकड़वाया है मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): मैंने तो अपनी जिंदगी में सत्तरह आदमियों को पकड़वाया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्रवणजी आप अपना ध्यान इधर दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कोई ऐसा मामला नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष: श्रवणजी (व्यवधान) अपनी बात थोड़े ढंग से कह दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मेरी जानकारी में आने के बाद मैं बक्शता नहीं हूं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं घनश्यामजी एक निवेदन करना चाहता हूं, अपनो से जब कोई अपना पिछड़ा तो क्या दर्द नहीं होता है, अपनो से जब कोई अपना पिछड़ा है तो बड़ा दर्द होता है। जिंदगी एक संघर्ष है संघर्ष से जो लड़ते हैं, लड़कर जीता है वो ही असली मर्द होता है। जो संघर्ष करके जिंदा बचता है ना वही मर्द होता है और मर्द तो सब ही होते हैं। लेकिन मर्द वही होता है, तकलीफें जिन्हें सहने की आदत नहीं तूफानों से उसको टकराने की जरूरत नहीं, जो लोग जिया करते हैं दूसरों के सहारे, उसे जमाने की जरूरत नहीं।

जमाना किसका आयेगा, जमाना उसका आता है, हम तो वो नहीं तख्त और ताज मिले तो हम बदले, हम वो नहीं तख्त और ताज बदले तो हम बदले। हम तो वह हैं हम बदले तो तख्त और ताज बदले। जिंदगी वो होती है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कल दांतारामगढ़ जाकर आये दिखते हो।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं नहीं गया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वहां बात हुई थी। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): वहां की बात है इसलिए कहना चाहते हो (व्यवधान) पशु की बात आती है, मैं कहता हूं अगर किसान का सबसे बड़ा धन है तो पशु है। अगर एक किसान का पशु मर जाता है, तीस हजार की गाय मर जाती है, किसान भले ही नहीं मरता उसकी आत्मा मर जाती है। मैं देखता हूं, डाक्टर, एक डाक्टर किसान का हितैषी होकर गांव में नहीं रहता। सारे डाक्टर सुबह दस बजे जाते हैं और दो बजे स्कूटर, जीप से वापस आ जाते हैं, आपको मालूम है? डाक्टर को मालूम होना चाहिए कि पशु के बीमार होने की, आदमी के बीमार होने की कोई तारीख नहीं होती, कोई समय नहीं होता। वह रात के 12 बजे बीमार हो सकता है, 10 बजे बीमार हो सकता है, 9 बजे बीमार हो सकता है, तो बताइये किसान उसको लेकर कहां जाएगा? आदमी पैदल चल कर आ सकता है, जीप में चल कर आ सकता है लेकिन पशु की सबसे बड़ी विडम्बना होती है कि वह न ट्रक में आ सकता है न जीप में आ सकता है न बस में आ सकता है। पशु तो वहीं खड़ा मरेगा या जीएगा। अगर एक प्रतिशत भी किसान के प्रति हमदर्द है तो डाक्टर की डयूटी गांव में है तो गांव में रहेगा। रात के 12 बजे चैक किया जाए तो डाक्टर को गांव में रहना चाहिए। अगर आपने यह बात सुनकर, सोचकर मेरी बात को इम्पलीमेंट नहीं किया और सपना सोच कर नेग्लेट कर दिया तो मेरा कहना व्यर्थ है और आपका सुनना व्यर्थ है।

भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, ह्दय नहीं वह पत्थर है जिसके दिल में गरीब के प्रति हमदर्दी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। बहुत मुद्दे की बात तो कह दी आपने। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): प्लीज, मैं पशु के बारे में कहना चाहता हूं। किसी के घर में यदि पशु मर जाता है उसकी बड़ी विडम्बना खड़ी हो जाती है पर डाक्टर के दिल में दर्द नहीं होता कि यह किसान का सुबह पशु मरा था उसको कितनी पीड़ा हुई है। वह क्या कहेगा, बाबा ठीक होने वाला था ही नहीं। आपने ठीक करने की कोशिश की थी क्या? आपने कभी हाथ लगाया था क्या?

(श्री श्रवण कुमार)

आज हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा गरीब कौन है, किसान है। किसान के प्रति, जो विधान सभा में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं उनके दिल में, जीतकर आते हैं, जब चुनाव होते हैं कहते हैं बाबा 12 बजे भी आवाज लगाओगे तो आपका बेटा खड़ा मिलेगा, पर जब वह सुबह 11 बजे लगायेगा तो बेटा सोया हुआ मिलेगा क्योंकि रात को दारू पीकर सो गया उठेगा ही 11 बजे। इससे बड़े दर्द की बात क्या हो सकती है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं श्रवण कुमार सुबह 5 बजे उठ जाता है, गरीब की बात सुनता है और सुनता है तभी यह बात कह सकता है।

श्री उपाध्यक्षः श्रवणजी।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): अगर आपके दिल में...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 11 बजे वैदजी उठते हैं क्या? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): अगर आपके दिल में दर्द है और आप मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हो तो, राजा कौन होता था, राजा वह होता था जिसके दिल में दर्द होता था। राजा वह होता था जो प्रजा को पूछता था आपकी कोई पीड़ा तो नहीं है, कोई गुण्डों के द्वारा अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है, भूखे तो नहीं सोते हो, आपके साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है वह राजा यह कहता था। आज का राजा क्या कहता है मेरा कुर्ता कैसा है, मेरी पेंट कैसी है, मेरा घर कैसा है, मेरी बीवी कैसी है, मेरे बच्चे कैसे हैं, वह राजा नहीं कहलाता। आज का राजा मोडिफाई हो गया है इंडिकेट करने के लिए दूसरों को..(व्यवधान) पुराने राजाओं से कुछ सीखो। उनकी भावना यही होती थी देश की प्रजा सुखी होनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे बहुजन के हो, चाहे जनता दल के हो। किसी के दिल में दर्द नहीं पैदा हुआ कि मेरा किसान का बेटा कहीं झौंपड़ी में भूखा तो नहीं सो रहा है। मेरे किसान को, किसी को खेत में जाते हुए कहीं पीड़ा तो नहीं हो रही है, किसी का रास्ता रूका हुआ तो नहीं है। आज सड़के बनाते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कृषि मंत्रीजी आपकी सड़कों की हालत यह है कि न तो पीडब्ल्यूडी वाले देखते हैं और आप लोगों के पास टाइम नहीं है। आज किसान का बेटा खेत में काम कर रहा है उसको कुत्ता काट गया और मर गया तो आप क्या कहेंगे हमारे नोर्म्स में क्या आता है। आपके नोर्म्स में कुत्तों को जानते ही नहीं हो क्या होता है। आपके नोर्म्स को जानते हो क्या? आपके

(श्री श्रवण कुमार)

नोर्म्स में क्या आता है आपने लिख लिया ना, पर मैं कहता हूं एक किसान या व्यक्ति रात को खेत में पानी देने जाता है और हड़काया हुआ कुत्ता, ठंड में सोया हुआ होगा, किसान पाइप उठायेगा कुत्ता खा गया, मर गया तो कहेंगे नोर्म्स में नहीं आता है। नोर्म्स में आये न आये किसान की जान तो चली गई। आप इसमें कुछ ध्यान दीजिए, आप किसान के बेटे हो। अगर इसी तरह बैठ जाएंगे और सोचकर, सुनकर चले जाओगे तो इम्पलीमेंट करने से मजा नहीं आयेगा। (व्यवधान) मैं ईमानदारी से कह रहा हूं हमारे 3-4 महीने पहले कुत्ता काट गया खेत में, हमने दुनिया भर की कोशिश कर ली वह कहते हैं नोर्म्स में नहीं आता है। तो नोर्म्स में आये नहीं आये जान तो चली गई ना। अब यह नोर्म्स बदलना आपका और हमारा काम है। किसान का बेटा हल जोत रहा है या पानी दे रहा है उसको क्या मालूम नोर्म्स क्या होते हैं वह तो कहता साहब हमने वोट दिया था नोर्म्स आप जाने आपका काम जाने, हमारा तो काम होना चाहिए। हमारी डयूटी बनती है कि वह क्या करता है।

श्री उपाध्यक्ष: अब बस।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): दो मिनिट, खतम कर रहा हूं। मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं। (व्यवधान)You are a great man no doubt.

श्री उपाध्यक्ष: करीब-करीब सार की बात तो सब कह दी आपने। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं कहना चाहता हूं, घनश्यामजी बहुत इम्पोरटेंट बात कह रहा हूं। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पंयाचती राज में महिलाओं को अग्रणी स्थान दे दिया, नगरपालिकाओं को भूल गई। आज किसी भी अस्पताल में आप जाइये महिला डाक्टर नहीं मिलेगी। महिला डाक्टर नहीं मिलेगी तो वहां गाइनिकी का काम कौन देखेगा? अगर सरकार की चिंता है और सरकार गरीब के प्रति हितैषी है तो आप 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत मेडीकल में भी लो। महिलाओं का आरक्षण करो, मालूम हो जाएगा महिलाओं के प्रति चिंतित हो आप। अगर चिंता करनी है पर इम्पलीमेंट नहीं करना यह बात हमारे समझ में नहीं आई। अगर आपको इस बात का सोच बदलना है तो 15-20 प्रतिशत महिलाओं का मेडीकल में रिजर्वेशन कीजिए। आपने पंचायतों का तो कह दिया बढ़ा देंगे नेता बना देंगे नेता बनाकर घर खाना चाहते हो, रोजगार वाला काम बढाओंना 1 एक तरफ कहते हो, (व्यवधान) भ्रूण हत्या हो रही है, महिलाओं की संख्या कम हो रही है, संख्या

(श्री श्रवण कुमार)

कम हो रही है कोटा बराबर क्यों दे रहे हो? फिर प्रतिशत निकालो उसकी, हर चीज की परसेंट, बोलते हो हमारे राजस्थान में नौकरी मिलेगी परसेंटेज से मिलेगी, तो परसेंटेज से नौकरी मिलेगी परसेंटेज से सब कुछ होगा तो आरक्षण भी परसेंटेज से दो। महिलाएं कम हैं, गांव-गांव में सौ-सौ छोरे कंवारे हाड़ रहे हैं और महिलाओं को 50 प्रतिशत करते जा रहे हो यह कहां से लेकर आये योजना, आप देखिये ना...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): प्रधान कैसे बनती महिलाओं को आरक्षण नहीं होता तो। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): प्रधान देश तो मान लिया आपने, गंगा जमना भी महिला थी, धरती माता भी महिला थी...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पर आपकी (व्यवधान) पत्नी प्रधान कैसे बनती।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): महारानी गायत्री भी महिला थी, पर महिला तो थी आई नौ बट आपने सोचा क्या?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपके बेटे की बहू ... (व्यवधान) कैसे बनती।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मेरे बेटे की बहू प्रधान बन गई कोई भगवान थोडे ही बन गई। मैं यह कहना चहता हूं मेरे घर से क्यों लेते हो? इस समाज का उद्धार करना है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उसको क्यों रोकना चाहते हो?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): हमें समाज के बारे में सोचना है, जब आप यह महसूस कर रहे हैं कि धरती माता भी मां है। गंगा के अंदर हजारों पानी आता है वह उसको शुद्ध करती है वह भी मां है। महारानी झांसी भी मां है, वह भी महिला थी, महिलाओं को आरक्षण तो दीजिए पर 50 प्रतिशत आरक्षण लागू नहीं होता। अगर आप यह करते हो तो आपकी इच्छाओं का दमन कर रहे हो, इच्छाओं का दमन करना इंसान का पाप है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, विराजिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): प्लीज। दो मिनट में कहकर बैठ जाता हूं। (व्यवधान) अब एक आदमी माचिस बनाता है। एक व्यक्ति माचिस बनाता है।

(श्री श्रवण कुमार)

अपनी फैक्ट्री में माचिस बनाता है, एक रुपये की माचिस आती है। और किसान अपना अन्न लहू की तरह सींचता है और उसकी बोली, उसकी बोली कौन लगाता है, राजेन्द्रजी, उछाल-उछाल कर, क्या भाव बेचोगे, किसान से नहीं पूछा जाता है। अपने आप ही बनिये तय करते हैं, पैंतीस-पैंतीस-पैंतीस, क्या पैंतीस, एक-दो-तीन, किसान खड़ा-खड़ा मुंह फाड़ता रहता है। यह कितनी बड़ी विडम्बना है, कितना बड़ा दर्द है। छह महीने तक सींचा था, लहू की तरह उसको सींचकर के और बच्चे की तरह पाला था और बोली कौन लगा रहा है। बनिया लगा रहा है। इसका कोई मूल्य तय नहीं करता है। मूल्य तय कौन करते हैं, महावीरजी जैसे बनिये तय करते हैं। इससे बड़ा अन्याय और क्या होगा? किसान के बारे में किसी के दिल में दर्द है क्या? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह कैसे रुक सकता है, यह तो बताओ।

श्री उपाध्यक्ष: यह रुक कैसे सकता है, सरकार ने भाव निश्चित कर दिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह जो है, बनिये तो अपने लिये कुछ करते नहीं हैं। वह तो किसान के लिये ही कर रहे हैं। पर यह रुके कैसे, यह बताओ।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): यह रुके कैसे। यह 70-80 प्रतिशत किसान के बेटे बैठे हैं ना, इनके दिल में दर्द आ जाए। आज किसान की फसल को पाला मार गया। झुंन्झुनूं जिले के लोग रो रहे हैं, बाड़मेर के लोग रो रहे हैं। भीलवाड़ा, डूंगरपुर में रो रहे हैं, अलवर के लोग रो रहे हैं। और केवल आप और हम लोग इस विधान सभा में खिलवाड़ करके और 4 घण्टे में एडजोर्न कर देते हैं। छोटी सी बात पर यूं भाग जाते हैं। इससे बड़ा दर्द और क्या होना चाहिए। आपको कोई दर्द होना चाहिए। हमारे किसान का खेत सूख रहा है, आज रो रहा है हमारा किसान। सोजत के लोगों को क्या मालूम, क्या अनाज होता है। सोजत में मेहंदी होती है। वह सूखती तो है। झड़ जाएगी तो सूखेगी और सुखा दी तो सूखेगी। वह मेहंदी लगानी है। किसी के रच जाएगी तो ठीक है, नहीं सचे तो नहीं रचे। पर दूसरे लोगों को, अलवर के लोगों को...

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): मेहंदी तो सुहाग का चिन्ह है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): सुहाग का तो चिन्ह है लेकिन वह कम रचेगी तो सुहाग बच जाएगा। पर अनाज जब पेट में नहीं जाएगा तो सुहाग नहीं बचेगा। हमारा दर्द यह है कि अलवर का किसान, बाड़मेर का किसान, झुंझुनूं का किसान, जो अन्न पैदा करता है और उसकी फसल को आज पाला मार गया, किसी के दिल में दर्द नहीं है। 10 दिन पहले कह रहे थे कि पैसे की कमी नहीं है, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है। तो धन की कमी नहीं है तो किसान जो बैठा है, वेट कर रहा है। दो ना, 6 महीने का बिल माफ करो। तब मालूम होगा कि आपके दिल में दर्द है। केवल बातें करने से...। 60 हजार करोड़ का कांग्रेस वालों ने वहां से वह बजट भेज दिया। किसको जाकर टकराएगा, मालूम नहीं। पहले हमारे प्रद्युम्न सिंहजी ने तय किया था, हर बेरोजगार को पैसा मिलेगा। एक के खाते में पड़ा नहीं। आप लोगों ने कहा था हर लड़की साइकिल पर जाएगी, एक लड़की साइकिल पर नहीं देखी। कहां यह बजट जाता है, क्या करते हो। खरीद लाते हो, कम भाव पर बेच देते हो। उसके बाद में कहते हो खरीदी तो थी पर बेच खाई। हमें क्या मिला। हम चाहते हैं जो बात आप कहो, विधान सभा में, घनश्यामजी, जैसे आप कई बातें करते हो और इम्पलीमेंट करते हो। इसलिये इच्छा-शक्ति तो है आपकी। पर इच्छा-शक्ति को खतम कर दिया। मैं क्या कर सकता हूं। आप डरो मत, हिम्मत करने वालों को खुदा भी सलाम करता है। लास्ट में मैं आपको एक बात कहते हुए, इस लक्ष्य को पूरा करता हूं। बहुत बातें करनी थी, इनको सुध देनी थी पर क्या करें, आप पीछे पड़ गये।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत कह दिया, ठीक है। नहीं समाप्त कीजिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): बस दो मिनट में।

जब तक न विजय हो, नींद चैन की त्यागो तुम,
संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम।
बिना किए कुछ जय-जयकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद-धन्यवाद।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): यह सुनहरे अक्षरों में लिखकर दे रहा हूं आपको। आप करो, चाहे हम करें। पर किसान के लिये कुछ करके दिखाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपका मुंह कभी मुरझाएगा। अगर किसान के

(श्री श्रवण कुमार)
साथ आपने अन्याय किया, अत्याचार किया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, अगर खुदा भी आपके पास आ जाए तो वह विजय के पथ पर नहीं ले जा सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं और बी.जे.पी. वालों को इस बात के लिये आगाह करना चाहता हूं, आपके छह महीने ही हैं, सुधर जाओ, वरना आपकी नीयत ठीक नहीं थी और आपने काम ठीक नहीं किया। दो-चार मंत्रियों ने ठीक किया। उनके बारे में हम सोच-विचार करेंगे। बाकी आप लोगों का अभी तक ठीक नहीं हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अब जवाब करायें, उत्तर करवा दें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा मंत्री महोदय।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अब तो जवाब करवाएं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलना है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब सदन की इच्छा है। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची दे रखी है सुबह से। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, सुबह से पर्ची दे रखी है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं 5 मिनट में अपनी बात खतम करुंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उधर से बोलेंगे तो फिर इधर से भी बोलेंगे। फिर 12 बजेंगे।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं 5 मिनट में अपनी बात खतम करुंगा। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, सुबह से पर्ची दे रखी है, आपने नहीं बुलवाया।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): दो घण्टे मंत्रियों के उत्तर में लगेंगे। इनको 12 बजेंगे फिर।

श्री उपाध्यक्ष: 5-5 मिनट दे देते हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): फिर 12 बजेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हमारे भी बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाह रहे थे। उत्तर कराओ साहब। ये लिखित में दे देंगे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कल बोल देंगे। (व्यवधान) कल पहले वक्ता के रूप में बुलवाएं। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मंत्रीजी आश्वस्त कर रहे हैं, लिखित में माननीय सदस्य कोई बात दे देंगे तो उसका उत्तर भी दे दूंगा। मंत्रीजी ने आश्वस्त किया है कि जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य, लिखित में कुछ दे देंगे तो उसका उत्तर भी दे देंगे।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): मैं क्यों लिखित में दूंगा। मैं यहां भाषण दूंगा ना। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पर्ची दे रखी है। मेरा नम्बर क्यों नहीं आया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): फिर हमारे माननीय सदस्य भी बोलेंगे।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): मैंने आपको खुद को पर्ची दी है सुबह। मेरा नम्बर क्यों नहीं आया? (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): उपाध्यक्षजी, 5 मिनट में अपनी बात खतम करुंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 5 मिनट, तो इधर से बुलवाना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष: बोलने दें। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, आसन को भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आसन को भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। एक बजे से पर्ची दे रखी है। आपने उस पर्ची को नीचे दबा दिया। आसन पक्षपात कर रहा है क्या यह मैं कहकर जा रहा हूं। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: फिर पूछ लेना आप। (व्यवधान) माननीय सदस्य, जाइये मत। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, मांग संख्या 26.... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): उपाध्यक्षजी, मुझे 5 मिनट का बोलने का वक्त दीजिये। सबने अपनी बात कह दी। (व्यवधान) उपाध्यक्षजी, मुझे 5 मिनट का बोलने का समय दीजिये आप। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी पांच मिनट का ही समय चाहता हूं आपसे। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव मैं आपको दूंगा। और मैंने एक बजे से पर्ची दे रखी है। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, 5 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा। (व्यवधान) इनको 5-5 मिनट दे दें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, बुलवाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, पहले सदन चलता था रात को 11 बजे तक। मैंने यहां स्वयं ने दो बजे रिप्लाई दी है। अभी 8.40 ही हुए हैं। 5-5 मिनट दो आदमियों को बुलवा दो, क्या दिक्कत है?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, सारे कांग्रेस के माननीय सदस्य चले गये। (व्यवधान) सदन छोड़कर चले गये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह भागने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, 5 आदमी तो हैं नहीं। 4 आदमी कंधा देकर चलने वाले हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): भागने की प्रवृत्ति है आपकी। (व्यवधान) यह भागने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह भागने की प्रवृत्ति नहीं है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): उपाध्यक्ष महोदय, फिर हम भी बोलेंगे। हमारा भी नम्बर है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपके तो सदस्य ही नहीं हैं। (व्यवधान) आप अपने एम.एल.एज. को तो बुलाओ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):: वह बोल रहे हैं ना।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): फिर हमारे क्या फालतू बैठे हैं। (व्यवधान) हमारे एम.एल.एज. को बुलवाओ।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): उपाध्यक्ष महोदय, यदि इनको समय देते हो तो हमको भी मौका दो।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यदि प्रतिपक्ष को समय देते हो तो हम भी बोलेंगे। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपके 70 एम.एल.ए. यहां पर नहीं हैं। आपके 50 एम.एल.ए. ही यहां बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष को आप टाइम देते हो तो हमको भी टाइम दें।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): हम भी बोलेंगे, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां, तो बोलेंगे ना, कौन रोकता है आपको।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): उधर से बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे। नहीं तो माननीय मंत्रीजी का उत्तर करवा दो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, 15-20 मिनट में सारे लोग बोल देंगे। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप तो मंत्रीजी का उत्तर करवाओ। सभी को रहने दो। (व्यवधान) मंत्रीजी का उत्तर करवाएं आप तो।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): आप मौका दे रहे हैं तो हमको भी दे दीजिये। यदि इनको देते हैं तो हमको भी दीजिये। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि सदन में जब डिमाण्ड होती है तो जिन माननीय सदस्यों ने अपने कट-मोशन दिये हैं उनकी पूरी लिस्ट एग्जास्ट होती है।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): माननीय सदस्य, फिर हम भी बोलेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां तो, आपको कौन मना करता है, आप बोलो। आप जब तक बोलेंगे, तब तक सुनेंगे हम लोग।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): उपाध्यक्ष महोदय, उधर से बुलवाते हैं तो हम भी बोलेंगे। हमारा भी अधिकार बनता है। (व्यवधान) हम भी बोलेंगे, मैं एक घण्टे तक बोलूंगा, एक घण्टा बोलूंगा। मेरे खुद का कट-मोशन है। एक घण्टे तक बोलूंगा।

डा. **बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आप जितने बोलेंगे, सबको सुनेंगे।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, या तो आप मंत्रीजी का जवाब ले लीजिये, नहीं तो सबको बुलाने के लिये आप समय दीजिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, सबको बोलने का समय दिया जाना चाहिए।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, आप सबको हमको जो नहीं बोले हैं, उन सबको समय दीजिये। नहीं तो मंत्री महोदय का वक्तव्य दिलवायें। (व्यवधान) इनमें जो भी व्यवस्था आप उचित समझें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप फिर सबको दीजिये। (व्यवधान)

डा. **बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): हां, सबको सुनेंगे, हां सुनेंगे हम। सबको सुनेंगे।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, बोलने की शुरूआत होगी तो पहले इधर से होगी। इसलिये उत्तर करवा दीजिये आप। (व्यवधान) इसलिये उत्तर करवा दीजिये।

डा. **बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): हां, भले उधर से करवा दें।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं बोलूंगा, और एक घंटे तक बोलूंगा।

डा. **बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): हां, कोई बात नहीं है, आपके आदमी पहले बोलें, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान) आप बैठिये, अभी मौका नहीं है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): उपाध्यक्ष महोदय, इधर से बोलेंगे तो सबसे पहले मैं बोलूंगा। (व्यवधान) नहीं तो मंत्रीजी का उत्तर करवाइये आप।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब आप स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) अब जाने दीजिये, विराजिये। फिर आगे मौका मिलेगा।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, कुल 61 माननीय सदस्यों ने 166 कटौती प्रस्ताव...

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी, मैं दो मिनट में अपनी बात खतम कर दूंगा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि आपको जो सदस्य कट-मोशन देते हैं, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने उत्तर देना शुरू कर दिया। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): जब आसन ने व्यवस्था दे दी तो परिवर्तन नहीं ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: हां, बिलकुल सभी बोलेंगे।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मंत्रीजी अपना वक्तव्य शुरू कर चुके हैं, विराज जाइये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आसन की जो व्यवस्था हो गई, वह शिरोधार्य है।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्य, अगर उपाध्यक्ष महोदय ने नाम नहीं पुकारा होता तो मैं शायद नहीं करता। (व्यवधान) मैं वाक-आउट कर जाऊं, माननीय सदस्य, मैं वाक-आउट कर जाऊं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप भी अब जाने दीजिये। जाने दीजिये अब। (व्यवधान) दो मिनट में।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं, इधर से बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा। चार आदमी इधर, यहां से बोलेंगे पहले। दो मिनट का सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट में क्या फर्क पड़ता है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): चार व्यक्ति बोलेंगे इधर से।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): फिर बोलेंगे तो ज्यादा हो जाएंगे। (व्यवधान) इसलिये ये बैठ जाएं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, मंत्री महोदय, दो मिनट का समय दे दिया, ठीक है। विराजें, आप विराजिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ...(व्यवधान) नहीं निपटेगा, फिर हम भी बोलेंगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): तो फिर हम सबको अवसर दें। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): सबसे पहले मैं बोलूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं बोलूंगा।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपने पुकार लिया इनको। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): फिर आसन की व्यवस्था शिरोधार्य मान ली...(व्यवधान) माननीय मंत्रीजी का नाम पुकार लिया। नहीं, यह दोहरी नीति नहीं चलेगी।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस की परम्परा रही है कि...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): फिर तो मैं बोलूंगा। फिर तो मंत्रीजी को...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपने पुकार लिया और आसन की व्यवस्था हो गयी।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को आपने पुकार लिया और आसन की व्यवस्था हो गयी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन की व्यवस्था हो गयी। माननीय मंत्रीजी का नाम पुकार लिया। नहीं तो मैं बोलूंगा और एक घंटे तक बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। बोलना चाहेंगे तो आपको भी समय देंगे।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): एक घंटे तक बोलूंगा। एक घंटे तक बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: हां, बोलिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नाम पुकार लिया आपने।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): बात-बात पर ही, फिर तो आप बोलने ही दो हम सबको...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान तो ग्रहण कीजिए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): मंत्रीजी का जवाब दिलवाइये। मंत्रीजी का जवाब दिलवाइये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक घंटे तक फिर मैं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: हां, बुलाएंगे आपको। बुलाएंगे भाई, बुलाएंगे। वह कौनसा...(व्यवधान) वह शार्ट के अन्दर अपनी बात कहेंगे।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): एक घंटा तक बोलूंगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह आपके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): पांच-पांच मिनट सबको दे दो। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आसन ने व्यवस्था दे दी, नहीं तो मैं बोलूंगा।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष आसन की व्यवस्था को चेलेंज कर रहा है।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब आपने व्यवस्था दे दी कि मंत्रीजी जवाब देंगे तो फिर...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आसन की व्यवस्था को चुनौती कोई नहीं दे रहा है, केवल आसन अपने...(व्यवधान) कर रहे हैं।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो नम्बर फिर हमारे लोगों का है। आपने जो व्यवस्था दे दी, परिवर्तन करना चाहा तो उसमें...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये। बोलने दीजिए।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आपकी व्यवस्था पर यह बार-बार परिवर्तन करते हैं यह माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): यह आपने व्यवस्था दे दी। फिर परिवर्तन करके यह...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब आपने, आसन ने यह व्यवस्था दे दी, नाम पुकार लिया माननीय मंत्रीजी का। आपने...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक सैकण्ड।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आपने माननीय मंत्रीजी का नाम पुकार लिया। फिर आसन की व्यवस्था बदल गयी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप थोड़ा स्थान ग्रहण कीजिए। आप कृपया, शांत रहिये। नहीं-नहीं आप...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक भी सदस्य बोलेगा तो सब सदस्य बोलेंगे क्योंकि लगातार पक्षपात हो रहा है। हम लगातार पर्ची देते हैं। आप बुलाते नहीं हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मौका देंगे। आपको देंगे मौका। माननीय सदस्य, मौका देंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन के ऊपर इस तरीके के आरोप, बहुत गम्भीर आरोप है। यह आसन के ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, कोई आरोप नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं-नहीं, आसन पर किसी भी तरह का आरोप लगाने का किसी का भी नहीं है...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इनको माफी मांगनी चाहिए। मैंने नाम लिया तो आपके सारे आ गये। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): पक्षपात का आरोप लगाया है आसन पर।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): आसन की व्यवस्था सही नहीं हो रही है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप आसन व्यवस्थाओं को हमें समझाइये। क्या व्यवस्था है आपकी?

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): आसन पर पक्षपात का आरोप लगाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। क्या कहा इन्होंने? (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): आपकी व्यवस्था क्या है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कट मोशन हमने दे रखा है। पर्ची आपको दे रखी है, उसके बाद नम्बर क्यों नहीं आया? मैंने सैक्रेटरी साहब को पर्ची दी है, उसके बाद में मेरा नम्बर क्यों नहीं आया? जो सदस्य बाद में पर्ची देता है, बोल-बोलकर चले गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के लोग सुन नहीं रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग सबसे ज्यादा अव्यवस्था फैला रहे हैं। आसन की व्यवस्था को मान नहीं रहे हैं यह। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। नम्बर नहीं आता है, कई बार।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): यह कौनसी व्यवस्था है आपकी?

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): आसन की व्यवस्था मान नहीं रहे। सत्ता पक्ष आपकी व्यवस्था को, सत्ता पक्ष मान नहीं रहा है, विशेषकर... (व्यवधान) संसदीय सचिव सबसे ज्यादा...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): व्यवस्था बनानी चाहिए, साहब। पर्ची, एक बजे से पर्ची दी है और जो लोग बेक-डोर से बोल-बोलकर चले गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कट मोशन ही नहीं है।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): पक्षपात करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: हां, बोलिये। नहीं, इनके कटमोशन में नाम ही नहीं है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 26 और 37 के कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए आपने जो मुझे मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कहने दीजिए। कहने दीजिए। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मंत्री मण्डल का गठन हुआ और अबकी बार जब विस्तार हुआ तो एक बात मेरी समझ में नहीं आयी कि...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आएगी भी नहीं। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आएगी। आएगी। चिकित्सा विभाग में, एक काबिल डाक्टर को बदलकर, बदल दिया और वह इसलिए बदल दिया कि कहीं कोई विटामिन की गोली बीच में आ गयी। (व्यवधान) चिकित्सा मंत्री...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह इनके कट मोशन में है ही नहीं। यह इनके कट मोशन में है ही नहीं। आप पढ़ लो।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): चिकित्सा मंत्रीजी।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): यह कट मोशन में नहीं है। इसमें नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह पढ़ लीजिए। इससे बाहर नहीं जा सकते। इनका कट मोशन नहीं है यह। (व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): यह कीमती समय खराब कर रहे हैं। बात कह रहे हैं कि...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कट मोशन के माध्यम से यह बोल रहे हैं। कट मोशन के अलावा पूरे विभाग पर बोल सकते हैं। क्या बात करते हो, कट मोशन के अलावा भी बोल सकते हैं। (व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): यह कोई कट मोशन लगाते नहीं हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): अब सुन लीजिए।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): चार तो आदमी नहीं हैं कांग्रेस के और यह वाद-विवाद कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पूरे विभाग के बारे में बात कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): आप देख लीजिए, कांग्रेस की पूरी सीट्स खाली पड़ी हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कभी-कभी, सदन की परम्परा रही है, यह सदन की परम्परा रही है कि...(व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): परम्परा यह थोड़े ही रही है कि कट मोशन कुछ और बोले और कुछ ही...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा मंत्री राजवीजी ने, राजवी साहब ने इस सदन में इसी सत्र में यह कहा कि मेरे विभाग में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। तो मंत्रीजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कुछ मरीजों को कुछ डाक्टर्स, मरीजों को अपने घर पर देखते हैं और अस्पतालों में भर्ती करते हैं और उनकी देखभाल भी उसी तरीके से होती है। तो क्या नैतिकता के आधार पर, नैतिक दृष्टिकोण अपनाते हुए यह भ्रष्टाचार की परिभाषा में नहीं आता? मैं मंत्रीजी, आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि एस.एम.एस. अस्पताल में अत्यधिक दबाव रहता है और उसका कारण यहां के एस.एम.एस. के जो डाक्टर्स हैं, वह काबिल हैं और यहां

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

का इलाज उस काबिल डाक्टरों की वजह से अच्छा होता है। और उस अच्छे होने की वजह से एस.एम.एस. अस्पताल पर मरीजों की संख्या का दबाव रहता है। मैं इसके लिए आपको जो एस.एम.एस. अस्पताल के डाक्टर्स काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं। डाक्टर्स के अलावा यहां पर जो स्टाफ भी है। वह करीब-करीब ठीक तरीके से काम कर रहा है। उसके लिए भी मैं आपको बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं लेकिन मैं आपका ध्यान कुछ बातों पर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह अक्सर देखने को मिलता है कि... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): एस.एम.एस. में एक्स-रे, सीटी स्केन, एम.आर.आई., वेंटिलेटर, सोनोग्राफी और मरीजों को लाने ले जाने के लिए ट्रोलियां अक्सर या तो खराब रहती हैं या कम हैं या तकनीकी रूप से वह पुरानी हो चुकी हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि इन ट्रोलियों को, इन मशीनों को नयी तकनीकी के रूप में यह जितनी भी मशीनें जो खराब हो चुकी हैं उनको आउट डेटेड करके नई मशीनें लाने की व्यवस्था करें जिससे कि मरीजों को वह तकलीफ नहीं सहन करनी पड़े जो आज उनको बाहर जाकर अपने टैस्ट कराने पड़ते हैं। उनके ऊपर भार आता है। आपको याद होगा अभी कुछ दो, तीन, चार रोज पहले ही लेबोरेटरी का सारा का सारा सिस्टम फ्लाप हो गया एक दिन के लिए और उसका नतीजा यह हुआ कि किस तरह से वहां के मरीजों को बाहर से टैस्ट करवाने पड़े। जो 30 रुपये का टैस्ट था उसको 100-100 रुपये देकर बाहर करना पड़ा।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि वह इस तरीके की व्यवस्था करें कि जो इमरजैंसी चीजें हैं, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आये और वे अप डेट रहे।

मैं माननीय मंत्रीजी, आपका ध्यान एक और तरफ दिलाना चाहता हूं कि अभी प्रशासनिक सुधार आयोग जब आपके यहां पर इंस्पैक्शन पर पहुंचा तीसरी बार तो बिना इंस्पैक्शन के वापस चला गया। उसका कारण यह तो आप जानें क्योंकि जैसा मेरे को जानकारी लगी है कि ओ.पी.डी. में डाक्टर्स नहीं थे। मुझको यह भी जानकारी लगी है कि वहां पर स्टाफ भी कम था। ऐसा जब राजनैतिक कारण पैदा हुआ तो उस प्रशासनिक आयोग को बिना जांच किये वापस जाना पड़ा कृपया, इस ओर भी ध्यान देखने का कष्ट करें।

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

मानननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान एक और बात पर दिलाना चाहूंगा कि इसी सदन में दो साल पहले लिनियर एक्सीलेटर को लगाने का वादा किया गया था और आज तक वह लिनियर एक्सीलेटर जो कि कैंसर की बीमारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मशीन है, वह आज तक, अभी तक नहीं लगायी गयी। अगर आपने इस सदन का सम्मान किया होता तो जो दो साल पहले आपने वादा किया था, इस सदन को आश्वस्त किया था, वह मशीन भी आज तक नहीं लगी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कर रहे हैं, समापन कर रहे हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): मैं एक, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा, मंत्रीजी का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एम.एम.एस. में पांच हजार यूनिट प्लाजमा हर साल या तो खराब हो जाता है या अवधि पार हो जाता है। एस.एम.एस. के काबिल चिकित्सकों ने आपको यह प्रस्ताव दो साल पहले भेज रखा है। आप अगर उसकी मंजूरी कर दें तो इतना कीमती प्लाजमा जो खराब होता है, जिससे उसकी बचत की जा सकती है। सिर्फ आपकी प्रशासनिक स्वीकृति की जरूरत है। मैं समझता हूं कि आप इस ओर भी ध्यान देने की कोशिश करेंगे।

कुछ निजी अस्पतालों के मामले में भी मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि डाक्टर एस.आर. मेहता कमेटी बनी थी। उन्होंने एक हजार पेज की अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने यह कहा था कि निजी अस्पतालों को खोलने के लिए क्या-क्या नार्म्स अपनाये जाएंगे लेकिन आज तक अफसोस है कि उसकी वह जो रिपोर्ट है, वह न जाने कहां पर गयी? उसका कोई इम्प्लीमैंटेशन नहीं हुआ। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस बारे में कोई कार्यवाही करेंगे और निजी अस्पतालों के बारे में जो एस.आर. मेहता कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसका पालन करेंगे। जहां तक एक और बात चिकित्सा मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि नवजात...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: शार्ट में मांग रख रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): नवजात शिशु का आजकल अस्पतालों से बदला जाना, चले जाना एक आम बात हो गयी है। इस ओर भी माननीय चिकित्सा मंत्रीजी इस बारे में ध्यान देंगे तो शायद ठीक रहेगा।

मैं कृषि मंत्रीजी से, खाद बीज की बातें तो बहुत हो गयी, उसमें तो समय आपका और सदन का नहीं लूंगा लेकिन एक बात आपसे कहना चाहूंगा

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

कि चांदपोल मण्डी के 301 व्यापारियों में जिनको कि कूकरखेड़ा में आपने नयी कृषि उपज मण्डी समिति में ट्रांसफर किया है उसमें से पचास व्यापारियों को आज तक अलाटमैंट नहीं हुआ है। मैं आपसे निवेदन करूंगा उस ओर भी ध्यान दें।

आपने मुझे समय दिया बोलने का उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप रहने दीजिए, अब छोड़ो इसको...(व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय...(व्यवधान) मंत्रीजी जवाब दे देंगे, आपको कोई शंका हो तो ...

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): जवाब दिला दीजिए माननीय मंत्रीजी का जवाब दिला दीजिए...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटमोशन है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सभी को ऐसे मौका नहीं दिया जाता है।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): यह जो टोगड़े हैं...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय मंत्रीजी का जवाब दिलवा दीजिए।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटमोशन है...(व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): नागौर जिले में यह जो टोगड़े हैं...(व्यवधान) उनके विक्रय की व्यवस्था...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं होगा...(व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): नागौर जिले में जो टोगडे हैं उनके विक्रय के लिए सरकार यहां पर हमको आश्वासन दे कि टोगड़ों को बेचा जा सकेगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य...(व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): इससे बड़ा भारी काश्तकारों को बहुत नुकसान हो रहा है, हजारों रुपए उसके ऊपर भार पड़ जाता है। ऐसे में निवेदन करना चाहता हूं सरकार से...(व्यवधान) कि सरकार इस मामले में अपना वक्तव्य दे ताकि काश्तकारों की आज जो इकोनोमी खराब हो रही है वह इकोनोमी ठीक हो...(व्यवधान) टोगड़ों की बिक्री की व्यवस्था करे सरकार।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, अगर समय दो तो सी आर एफ वाली...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): नागौर में बछड़ों पर जो तीन साल की रोक लगी हुई है वह हटवा दीजिए...(व्यवधान) माननीय मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कटारियाजी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बजे से पर्ची दे रहा हूं...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): इसमें नागौरी बछड़ों पर जो तीन साल की रोक है उसको हटवा दीजिए।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डेयरी और पशुपालन मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि डेयरी संघ चित्तौड़ अलग स्वीकृत कर दिया जाय...(व्यवधान) आप घोषणा करें मंत्री महोदय, डेयरी संघ चित्तौड़ आज आपकी स्वीकृति के लिए तैयार है...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): एक बजे से मेरी पर्ची है।

श्री उपाध्यक्ष: यह आवश्यक नहीं है कि सभी सदस्यों को समय दिया जाय...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): चित्तौड़ संघ अलग किया जाय।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कट-मोशन दे रखे हैं...(व्यवधान) मैं किसान की बात कहना चाहता हूं।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): राजसमन्द जिला चिकित्सालय में सीटी स्केन की अत्यंत आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष:...(व्यवधान) यह परम्परा रही है कि कुछ ही सदस्य बोल पायेंगे इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अभी स्थान ग्रहण कीजिये...(व्यवधान) कोई शंका होगी तो आप कह देना, सब जवाब आपके घर पहुंचेंगे।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कट मोशन दे रखा है फसल बीमा योजना के लिए मैंने कट-मोशन दे रखा है... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केलवा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घोषित करें...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मण्डी के चुनावों के बारे में कट-मोशन दे रखे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं होता है...(व्यवधान) कई बार सम्भव नहीं होता है।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा जिन्होंने चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं आयुर्वेद जैसे जनहित एवं पुनीत कार्य के लिए अपने संवेदनशील विभाग की मांगों पर चर्चा करते हुए अपने सारगर्भित भाषण के माध्यम से मेरा व सरकार का मार्गदर्शन किया।

कुल इकसठ माननीय सदस्यों ने 166 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये। मैंने सभी कटौती प्रस्तावों का गहन अवलोकन किया है। अधिकांश कटौती प्रस्ताव चिकित्सा सेवाओं के विस्तार से संबंधित हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का सरोकार प्रदेश के आम अवाम से है यह कहने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। हमारा प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थिति के बावजूद जहां पर एक ओर प्रदेश के दूर दराज के दुर्गम इलाकों में गांव के निवासी गरीब किसान तक समस्त स्वास्थ्य सेवाओं को निःशुल्क और यथा समय पहुंचाना हमारा लक्ष्य है वहीं आदिवासी क्षेत्र के आरक्षित, अशिक्षित उस व्यक्ति के पास भी सुविधा पहुंचाना जो अपनी जीवन शैली और खान-पान के कारण जाने-अनजाने में अनेक बीमारियों से ग्रसित होकर त्रस्त हो जाता है।

मरूस्थल, पहाड़ी क्षेत्र, पठारी मैदान एवं चम्बल के बीहड़ों से इस भौगोलिक विषमताओं के इस प्रदेश के वाशिंदों को निरोग रखना, मौजूदा कार्यक्रम की पर्याप्त जानकारी वर्तमान सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। राज्य के समस्त क्षेत्र में प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले की अपनी भौगोलिक परिस्थिति

(श्री नरपत सिंह राजवी)

के अनुरूप स्थानीय स्तर पर जिला स्वास्थ्य एक्शन प्लान तैयार करवाया जा रहा है जो उस जिले की मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करेगा।

स्वास्थ्य सूचकांकों के आधार पर हमारी सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य के बीमारू श्रेणी से उभरने हेतु सतत प्रयास किये जा रहे हैं। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस क्षेत्र में किये गये कार्यों के सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं। कुशल प्रबन्धन, प्रभावी मानीटरिंग एवं जन सहयोग के फलस्वरूप राज्य के स्वास्थ्य सूचकांकों की अपेक्षा अपेक्षित सुधार हुआ है। हमारी सरकार के कार्यकाल में राज्य सरकार के राज्य की शिशु मृत्यु दर 10.7 परसेंट, जन्म दर से 6.6 परसेंट एवं मृत्यु दर 9.2 परसेंट की कमी आयी है।

इसके साथ ही हमारी सरकार के प्रयासों से संस्थागत प्रसव की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। यह राज्य में 25.58 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी तक 51.31 प्रतिशत हो गयी है जिसका रिकार्ड पिछले वर्ष की तुलना में सौ प्रतिशत वृद्धि हुई है। मार्च के अन्त तक यह जो मौजूदा ट्रेन्ड है उसके आधार पर साठ परसेंट के आसपास पहुंचेगी, यह भी एक कीर्तिमान है।

हमारी सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल में 816 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 94 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 66 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये जबकि पूर्ववर्ती सरकार के पांच वर्षो के कार्यकाल में मात्र 75 उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ही खोले गये थे। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा अपने बजट भाषण में 24 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की घोषणा की है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण में करवर एवं सुमेरगंज मण्डी में पी पी बी माडल के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा की है। चार वर्षो में पैंतीस माननीय सदस्यों द्वारा नये उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे। उनमें अधिकांश कवर हुए हैं, कुछ रहे हैं उनके बारे में भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से चर्चा करूंगा। चार वर्षो में 3524 शैय्याओं की बढ़ोतरी की गयी है जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल में मात्र 283 शैय्याओं की बढ़ोतरी की गयी थी।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा अपने बजट भाषण में विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं का कुल 945 अतिरिक्त शैय्याओं की बढ़ोतरी की घोषणा की है। बाइस माननीय सदस्यों द्वारा चिकित्सालय में शैय्याओं की वृद्धि का

(श्री नरपत सिंह राजवी)

प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं आश्वस्त करना चाहूंगा सभी को किसी न किसी प्रकार की वृद्धि का लाभ मिले, उनके क्षेत्र के गरीबों को उसका लाभ मिले।

इस अवधि में आठ ट्रोमा यूनिट, तीन ब्लड बैंक, इकतीस स्टोरेज यूनिट स्थापित किये गये हैं। राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय एवं राजमार्गों में विस्तार के कारण वाहनों की तेजी से बढ़ती संख्या के कारण सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली अकाल, आकस्मिक मृत्यु एवं घायल व्यक्तियों की संख्या में हर वर्ष हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मानव जीवन की क्षति को कम करने एवं घायलों को तुरन्त उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में आगामी वित्तीय वर्ष में चार मेडिकल कालेज जयपुर, अजमेर, उदयपुर एवं कोटा में ट्रोमा यूनिट को स्वीकृत किया जाएगा तथा पी बी एम अस्पताल बीकानेर, जिला अस्पताल पाली, जिला अस्पताल चित्तौड़गढ़, जिला अस्पताल राजसमन्द, नागौर एवं सिरोही, जालौर आधुनिक उपकरण औजारों से जैसे एक्स-रे, सीटी, अल्ट्रा सोनोग्राफी, सीआर्म मशीन, एम्बुलैंस आवश्यक दवाइयों से सुसज्जित करने, नये ट्रोमा सैंटर खोलने की घोषणा करता हूं।

कुल 51.23 करोड़ रुपये की राशि अन्य क्षेत्रों में होगी मेडिकल कालेज के क्षेत्रों को छोड़कर। चित्तौड़गढ़ में महिला एवं शिशु चिकित्सालय, ब्लड स्टोरेज यूनिट खोली जाएगी। राज्य के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चरणबद्ध तरीके फर्स्ट रेफरल यूनिट स्थापित किये जायेंगे जिसके तहत आपरेशन द्वारा प्रसव सुविधा, रक्त संग्रहण इकाई की स्थापना, नवजात शिशु की देखरेख हेतु विशेष व्यवस्था की जाएगी। राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों पर सामान्य प्रसव के लिए नवजात शिशु के उपचार हेतु सभी वर्गों के लिए मुफ्त दवाइयों की व्यवस्था की जाएगी।

राज्य में बाल एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार लाने एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु नवजात शिशु एवं बाल्यकाल की समेकित देखभाल योजना एन सी आई वर्तमान में राज्य के 18 जिलों में चल रही है। इसे बढ़ाकर वर्ष 2008-2009 में सभी जिला मुख्यालयों में लागू किया जायेगा। इसी क्रम में बीमार नवजात शिशु की देखभाल को सुदृढ़ करने के लिए सभी जिला अस्पतालों पर सिक न्यू बोर्न केयर इकाई स्थापित की जायेगी। अलवर, भरतपुर एवं दौसा जिलों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप खण्ड अस्पतालों में भी यह सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर स्थित झुग्गी झोपड़ियां, कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को बेहतर प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक पचास हजार की कच्ची बस्ती आबादी एवं एक हैल्थ पोस्ट का प्रस्ताव है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की जनता को हृदय रोग की जांच हेतु सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ई सी जी मशीन उपलब्ध करायी जा रही है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा की गयी बजट घोषणा के अनुसार 2008-09 में एक ग्राम स्वास्थ्य योजना प्रारम्भ की जायेगी जिसके तहत जो भी ग्राम पंचायत टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, सही उम्र पर विवाह एवं जन्म-मृत्यु के पंजीकरण के लक्ष्य पूरे करते हैं उसे एक लाख रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में दी जायेगी। प्रत्येक जिले में प्रथम आने वाली पंचायत को पांच लाख रुपये एवं द्वितीय आने वाली पंचायत को तीन लाख रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में दी जायेगी। 2008-2009 में इसके लिए कुल दस करोड़ का प्रावधान रखा हुआ है।

स्वास्थ्य मित्र योजना यद्यपि राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है परन्तु दूर-दराज क्षेत्र में अभी भी स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना के बारे में सीमित जानकारी है। अतः राज्य के प्रत्येक ब्लाक में टैन प्लस टू सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य सम्बन्धी संदेश देने के लिए प्रत्येक विद्यालय में दो छात्र-छात्राओं को चयनित किया जायेगा जिनके द्वारा प्रार्थना के दौरान संदेश पढ़े जायेंगे। विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने हेतु अन्य गतिविधियां भी संचालित की जायेंगी। इस हेतु प्रत्येक ब्लाक के लिए एक लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट भाषण में 7000 से अधिक नये चिकित्सा कर्मियों के नियुक्त किये जाने की घोषणा की है इसके तहत 650 विशेषज्ञ चिकित्सकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियुक्त किया जायेगा, 3700 नर्सिंगकर्मी, 5000 फार्मेसिस्ट, 4500 डेटा एण्ट्री आपरेटर, 750 लेखाकार, 950 आयुष चिकित्सक, 250 आयुष नर्सिंगकर्मी, 200 लैब टैक्निशियन, 200 पी एच एन संविदा पर नियुक्त किये जायेंगे। हाल ही में राजस्थान के लोक सेवा आयोग से 16655 जी एन एम द्वितीय की सूची प्राप्त हो गयी है जिनकी नियुक्ति के आदेश शीघ्र ही जारी किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त 261 चिकित्सा अधिकारियों की नियमित नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से करायी जायेगी।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को चिकित्सा एवं नर्सिंग पैरा मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा सेवा नियमों का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा कर्मियों के रिक्त पदों को भरा जायेगा। मैं तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य से पूछूंगा कि पहले यह नहीं कर सकते थे क्या? लेकिन इच्छाशक्ति नहीं थी, वरना कर लेते।

पिछले दो वर्षों में स्वास्थ्य चेतना यात्रा का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप 67 लाख मरीजों को लाभान्वित किया गया है। इस वर्ष भी अप्रैल माह में पूरे राज्य में स्वास्थ्य चेतना एवं निशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जायेगा। उसके बाद में फालोअप में प्रत्येक जिले में एक स्वास्थ्य मेला लगेगा जिसमें रैफरल जितने भी केसेज होंगे उनमें मेडिकल कालेज के डाक्टर्स भी उसमें सम्मिलित होंगे और रैफरल केसेज को उसमें डील किया जायेगा।

जननी सुरक्षा योजना के सफल संचालन से राज्य में संस्थागत प्रसव 51 प्रतिशत वर्तमान तक हो गया। इसके परिणामस्वरूप मेडिकल कालेज से संबंधित जनाना अस्पतालों तथा सभी जिलों के जनाना अस्पतालों को अतिरिक्त लेबर रूम, जनाना वार्ड के निर्माण हेतु 50-50 लाख रुपये की राशि देना प्रस्तावित है तथा प्रत्येक अस्पताल को दस अतिरिक्त नर्सिंगकर्मी स्टाफ भी देना प्रस्तावित है। दो माननीय सदस्यों ने जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अनियमितता की शिकायतें प्रस्तुत की हैं। एक चिकित्सक दम्पत्ति को तत्काल ए पी ओ कर दिया गया, एक अन्य के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

चिकित्सा संस्थानों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार, राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट परियोजना के अन्तर्गत चिकित्सा संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य के लिए परियोजना काल जुलाई, 2004 से सितम्बर, 2009 तक 175 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा हुआ है जिसमें से अब तक 96.82 करोड़ व्यय हो चुके हैं। परियोजना काल में कुल 239 निर्माण कार्य किये जाने हैं जिनमें से 69 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। 151 कार्य प्रगति पर हैं जिसमें वर्ष 2008-09 में प्रगति कार्यों में से 120 पूर्ण कर लिया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में फर्नीचर, उपकरण, दवाई आदि उपलब्ध कराने हेतु 43.17 करोड़ रुपये व्यय

(श्री नरपत सिंह राजवी)

किये जा चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष में 40.15 करोड़ रुपये लागत के उपकरण, फर्नीचर, दवाई आदि उपलब्ध करा कर 9 सेटेलाइट अस्पतालों, राजकीय रुकमणी देवी जयपुरिया अस्पताल, जयपुर, जेरियेटिक हास्पिटल, बीकानेर सहित 38 अन्य चयनित जिला चिकित्सालयों, उप खण्ड अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ किया जायेगा। जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी इकाइयां एक ही स्थान पर हों इसके लिए दस जिलों में जिला स्वास्थ्य भवनों के निर्माण करवाये जाने हेतु 8.20 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है।

राज्य में उप स्वास्थ्य केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु इस वित्तीय वर्ष में 30 करोड़ रुपये की लागत के 1500 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसूति गृहों का निर्माण करवाया जा रहा है। इनको संस्थागत प्रसव के उद्देश्य से सभी आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित किया जायेगा। 2008-2009 में 2000 अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ भी किया जायेगा।

मेरा मानना है कि अब श्रवण कुमारजी माननीय सदस्य...(व्यवधान) हैं ही नहीं। पधार गये। चले गये। वह मन से इसमें कम से कम तारीफ करेंगे। चिकित्साकर्मियों के मुख्यालय पर ठहराव सुनिश्चित करने के लिए तथा चिकित्सालय परिसर में 24 घण्टे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगभग 2054 आवासीय भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया गया है जिन पर 134 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जबकि राज्य में पिछले पचास वर्षों में सिर्फ 1789 आवासीय भवनों का ही निर्माण करवाया गया। इस सरकार के कार्यकाल में 1061 भवन रहित चिकित्सीय संस्थानों में भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है जबकि विगत सरकार द्वारा मात्र 16 नये भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ किये गये थे। 70 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 200 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का 53 करोड़ रुपये की लागत से परिवर्द्धन किया जायेगा। 400 भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर 27.8 करोड़ रुपये की लागत से उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

एच आई वी की दृष्टि से राजस्थान प्रदेश कम प्रसार दर का राज्य है परन्तु राज्य के अन्तरराज्यीय एवं अन्तरराष्ट्रीय सीमा में लगाव, कम शिक्षा दर, गलत ट्रैफिकिंग, प्राकृतिक आपदाएं एवं दिनों-दिन बढ़ता माइग्रेशन एवं पर्यटन के मुद्दे राज्य को एच आई पी के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। कार्यक्रम के प्रभावी संचालन के फलस्वरूप चार वर्षों में एच आई वी की प्रसार दर

(श्री नरपत सिंह राजवी)

अधिक, जोखिम वर्ग में 5 प्रतिशत से घट कर 2.83 प्रतिशत हो गयी है 2007 तक।

आगामी वित्तीय वर्ष में 48 नये परामर्श व जांच केन्द्र, 2 नये माडल ब्लड बैंक, 2 नये रक्त अपव्यय पृथकीकरण इकाई, 2 ए आर टी सेण्टर, 3 कम्युनिटी सेण्टर एवं 10 डिस्ट्रिक्ट लेवल नेटवर्क खोले जायेंगे।

राष्ट्रीय अंता निवारण, इसके बारे में माननीय सदस्यों ने चर्चा काफी की थी। जनवरी, 2008 तक 10 लाख से अधिक आपरेशन कर समय से पूर्व लक्ष्य अर्जित किये गये हैं यह सारा बैकलाग था।

(समय : 21.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, अब प्रतिवर्ष तीन से सवा तीन लाख जो 50 और 40 वर्ष की आयु से अधिक हो जाते हैं, उन व्यक्तियों को केटरेक्ट नया होता है और इतने ही आपरेशन किये जाते हैं, अब कोई बैकलाग नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु टेली आप्टोमोलोजिस्ट सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जायेगा, इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निम्बाहेड़ा को इंटरनेट के जरिये जिला अस्पताल चित्तौड़गढ़ के नेत्र रोग विभाग से जोड़ा जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, क्षय नियंत्रण, क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं संचालन में राज्य राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी राज्यों में है। राज्य स्तर पर रोगी खोज दर 70 प्रतिशत के विरुद्ध 2007 में 81 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 67 प्रतिशत है, जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसी प्रकार से रोगी को ठीक करने की दर राष्ट्रीय स्तर पर 85 प्रतिशत के विरुद्ध 88 प्रतिशत है जो कि राष्ट्रीय स्तर से अधिक है। राज्य सरकार द्वारा टी.बी. की उग्र अवस्था मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी रोगी के निदान हेतु निःशुल्क कल्चर सेंसेविटी की सुविधा कमला नेहरू प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर में प्रारम्भ कर दी है। इसी क्रम में 2008 में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस रोगियों के इलाज हेतु निःशुल्क चेस्ट एवं टीबी अस्पताल, जयपुर में डाट्स प्लान साइट द्वारा प्रारम्भ किया जायेगा जिससे ऐसे रोगियों को डाट्स विधि द्वारा लगभग डेढ़ लाख रुपये प्रति रोगी की दर से निःशुल्क औषधियां स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा उपलब्ध करायी जायेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस पर भी चर्चा की थी लेकिन वह अगर वर्ल्ड बैंक मिशन की रिपोर्ट पढ़ लेते तो शायद यह नहीं कहते। ''The overall programme performance of RNTCP in

(श्री नरपत सिंह राजवी)

Rajasthan is among the best in India…(as far as)… both case detection and cure rate are concerned. Rajasthan is a very well managed, well performing State in RNTCP, reaching overall targets for detection and treatment out of TB programme. Well equipped STDC in Ajmer should be used to full extent for training of State staff but could also be very adequate and appropriate site for a national RNTCP training."

उपाध्यक्ष महोदय, मौसमी बीमारियां, वर्ष 2007 में ...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मंत्रीजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इनके जवाब से सब संतुष्ट हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा मंत्री): ठहर जाओ, थारो भी म्हें रोज सुना, क्यों चिंता करो। 2007 में राज्य में मौसमी बीमारियां मलेरिया, डेंगु, चिकनगुनिया में वर्ष 2006 की तुलना में आशातीत काम हुए हैं। विभाग द्वारा समय पर प्रभावी बचाव कार्य प्रारम्भ करने एवं 15 नयी फोगिंग मशीनें क्रय कर मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण करने पर राज्य की जनता द्वारा राहत महसूस की है। आगामी वित्तीय वर्ष में 15 अतिरिक्त फोगिंग मशीनें क्रय किया जाना प्रस्तावित है। 2006 में मलेरिया के कुल पाजिटिव 99529 पाये गये थे जिसमें 9481 फेल्सीफोरम की तुलना में 2007 में 55043 पाये गये हैं जिसमें से 3447 फेल्सीफोरम हैं। गत वर्ष की तुलना में 2007 में मलेरिया रोगियों की संख्या में 45 प्रतिशत की कमी आयी है तो गम्भीर प्रकार के मलेरिया के रोगियों में 67 प्रतिशत की कमी आयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, असंक्रामक रोग, बदलती जीवन शैली एवं खान-पान के फलस्वरूप डायबिटीज, उच्च रक्त चाप, कैंसर असंक्रामक बीमारियों के रोगियों में लगातार हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आप्ट डायबिटीज, कार्डियो वैसक्युलर डिजीज एंड स्ट्रोक कार्यक्रम वर्ष 2008 में लागू किया जा रहा है जिसमें पायलट बेस पर भीलवाड़ा जिले का चयन किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर एन.सी.डी., नान कम्युकल डिजीज सैल की स्थापना कर जन सामान्य में हैल्दी लाइफ स्टाइल के प्रचार प्रसार तथा प्रशिक्षण के माध्यम से जागरूकता बढ़ानी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सेवाओं में निजी भागीदारी, निजी सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत गैर सरकारी संगठनों एवं निजी अस्पतालों में नि:शुल्क नसबंदी सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। इन संस्थाओं को पुरूष नसबंदी पर 1300 रुपये एवं महिला

(श्री नरपत सिंह राजवी)

नसबंदी पर 1350 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अब तक 287 संस्थाओं को इस योजना के तहत पंजीकरण किया जा चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा है राज्य के 5 जिलों में माह दिसम्बर, 2007 में बीपीएल परिवारों के इलाज के लिए बजट रहित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जा चुकी है जिसमें 787616 परिवारों को लाभ प्राप्त होगा। अब 4400 बीपीएल परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभान्वित किया जा चुका है। माह अप्रैल, 2008 से आठ अतिरिक्त जिलों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जायेगी, जिसकी प्रारम्भिक तैयारियां प्रक्रियाधीन हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा अपने बजट भाषण में शेष 20 जिलों में भी राज्य बीमा योजना लागू करने की घोषणा की है। इस प्रकार राज्य के सभी 26.35 लाख बीपीएल परिवार स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित होंगे। आपातकालीन रेसपोंस सर्विस, आपातकालीन रेसपोंस सर्विस हेतु प्रतिवेदन का माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ है जिसका नाम धनवंतरि एम्बुलेंस सेवा योजना रखा गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सेवा से राजस्थान में मातृ शिशु मृत्यु दर एवं आपात स्थिति में मृत्यु में भी कमी आयेगी। इस सुविधा को प्रत्येक जन तक पहुंचाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जायेगा। हैल्थ मैनेजर, प्रशासक सभी जिला मुख्यालयों पर ट्रेंड हैल्थ मैनेजरों को लगाया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के सीमित वित्तीय साधनों के बावजूद चिकित्सा, स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं आयुर्वेद विभाग के आवश्यक व्यय एवं दवाइयों आदि के मद में अप्रत्याशित वृद्धि की गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं काफी माननीय सदस्यों ने चर्चा की, जिसमें संक्षेप में बताऊं, 2001 से 2003-04 तक 2537.23 लाख से घटते हुए चिकित्सा शिक्षा में 951.58 तक पहुंचा दिया यह तो रहा है आप लोगों का काम। 2004-05 में 1268 लाख, 2005-06 में 4000 और 2006-07 में 6985, 2007-08 में 3480.31, वर्ष 1998-99 में कुल 664.09 करोड़ का रेवेन्यु और कैपिटल आउट ले था और 2002-03 में 803.62 करोड़ का था रेवेन्यु और कैपिटल एक्सपेंडिचर आन मेडिकल, पब्लिक हैल्थ, फैमेली वैलफेयर, यूनानी, आयुर्वेद, होम्योपथी एवं मेडिकल एजुकेशन इसका 2008-09

(श्री नरपत सिंह राजवी)

में 1873.50 करोड़ का प्रावधान है। कितना इन्क्रीज हुआ है वह आप अनुमान लगा लें।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से बीपीएल परिवारों को 10951 परिवारों को 50.84 करोड़ की सहायता उपलब्ध करायी गयी है और जो बीपीएल नहीं हैं लेकिन गरीब हैं, 15901 को 40.59 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर लाभान्वित किया है। नकली दवाइयों के बारे में तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, हमने हमारे इस कार्यकाल में 17 सहायक औषधि नियंत्रक एवं 45 औषधि नियंत्रक अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं, प्रत्येक जिले में औषधि नियंत्रक अधिकारियों के कम से कम एक पद स्वीकृत हैं। प्रत्येक औषधि नियंत्रक अधिकारी से प्रतिमाह कम से कम 6 औषधियों के नमूने लेने एवं 20 निरीक्षण का लक्ष्य रखा है। राज्य में 2003-04 में कुल 437 दवाइयों के नमूने टेस्ट किये गये जबकि सरकार के सतत प्रयासों से वर्ष 2006-07 में इसकी संख्या बढ़कर के 2732 हो गयी, जो कि पांच गुणा अधिक है। जनवरी 2008 में 1599 नमूने लिए जा चुके हैं। गत चार वर्ष में 22 नकली, स्पूरियस दवाइयों के नमूने पकड़े गए, सभी मामलों में कोर्ट में चालान पेश कर दिए गए हैं।

औषधि मूल्य के बारे में चर्चा की गई। औषधियों का मूल्य नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण आदेश के तहत होता है जो कि केन्द्रीय आदेश है, मूल नियंत्रण पूरी तरह से केन्द्र सरकार के अधीन है जिसमें राज्य सरकारों का कोई दखल नहीं है। वर्ष 1969 में 370 दवाइयों का मूल्य केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता था जिसकी संख्या 1987 में घटाकर 142 और 1995 में घटा कर 74 कर दी गई जिसके फलस्वरूप कई दवाइयां महंगी हो गई। राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर लिखा है कि भारत सरकार द्वारा बनाई गई इसेंसल ड्रग लिस्ट में आने वाली सभी 354 दवाइयों को मूल्य नियंत्रण की श्रेणी में डाला जाए जिससे गरीब मरीजों को सभी जीवन रक्षक दवाइयां कम कीमत पर उपलब्ध हो सकें।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): वैट को कम करना राज्य सरकार के हाथ में नहीं है? आप 4 प्रतिशत वैट लगाते हैं, इसेंसल ड्रग्स के ऊपर जो पहले जीरो प्रतिशत था वह भी राज्य सरकार कम कर सकती है।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा मंत्री): मैं 4 प्रतिशत नहीं, 40 प्रतिशत कम करने की बात कर रहा हूं, आप 4 प्रतिशत की बात कर रहे हैं। अभी तक फाइनेंस दिमाग से गया नहीं है, मैंने फाइनेंस में खूब काम किया है, चिंता न करें।

अनुसूचित जाति के बी पी एल परिवार जिनकी वार्षिक आमदनी 50 हजार है, उन्हें गम्भीर बीमारियों के इलाज के लिए एक लाख रुपए तक का प्रावधान किया जाएगा।

बी सी पी एन डी टी एक्ट के अंतर्गत राज्य में अप्रोप्रिएट अथोरिटी द्वारा निम्न कार्यवाही की गई है, 46 चिकित्सकों-प्रसाविका संस्थानों के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद पेश किए जा चुके हैं। 28 चिकित्सकों एवं एक प्रसाविका के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कराई गई है। 48 संस्थानों का पंजीकरण निलम्बित और निरस्त किया गया है। 22 संस्थानों की सोनोग्राफी मशीन और उपकरण सील एवं सीज किए हैं। राजस्थान मेडिकल कौंसिल एक निजी टी वी चैनल जैसा कि आपने बताया, 30 चिकित्सकों को प्रोफेशनल कण्डक्ट एटीकेट्स एण्ड एथिक्स रेगूलेशन, 2002 का उल्लंघन मानते हुए उनकी प्रेक्टिस 6 माह के लिए रोकी है। बी सी पी एन डी टी एक्ट के प्रावधान 23 (2) के अनुसार अगर लिंग परीक्षण के आरोपी चिकित्सक के विरुद्ध आरोप न्यायालय द्वारा तय कर दिया जाता है तो नियमानुसार कौंसिल द्वारा उनका रजिस्ट्रेशन मुकदमे के निस्तारण तक निरस्त किया जाएगा, उसमें एक भी नहीं बचेगा।

चार वर्षों में नियुक्तियां, नियमित नियुक्ति 769 चिकित्सा अधिकारी, 3809 नर्सिंगकर्मी, संविदा पर नियुक्त 1111 चिकित्सा अधिकारी, एन आर एच एम के माध्यम से अकाउण्टेंट 390, डाटा एण्ट्री आपरेटर 244, अतिरिक्त ए एन एम, जी एन एम 2500, आयुर्वेद नर्स कम्पाउण्डर 574, आयुष चिकित्सक 533, पदोन्नति के माध्यम से हमने 1463 चिकित्सकों को लाभांवित किया है। टी बी के बारे में मैंने बता दिया। (व्यवधान) पढ़ा हुआ क्या बोला हुआ मान लिया जाता तो ठीक नहीं रहता क्या?

एस एम एस की चर्चा हुई, वर्ष 2007 में 10 लाख से अधिक रोगी आउटडोर में आए। 1,12,754 रोगी भर्ती हुए। 1,30,291 आपरेशन किए गए। इस चुनौती से निपटने के लिए मुख्यतः निम्न प्रयास किए गए। रोगियों हेतु शैय्याओं की संख्या में वृद्धि, उपकरणों की खरीद, चिकित्साकर्मियों की संख्या में वृद्धि, चिकित्सा शिक्षा एवं रिसर्च में गुणवत्ता में वृद्धि। पिछले चार वर्ष में

(श्री नरपत सिंह राजवी)

किए गए प्रमुख कार्य, जयपुर में पोलीट्रोमा, पेराप्लीजिया विंग, बर्न आई सी यू, नेफ्रोलाजी आई सी यू, न्यू आई सी यू, बोन मेरो ट्रांसप्लांट सेंटर की स्थापना। एस एम एस चिकित्सालय में 150 शैय्याओं के नए चरक भवन का निर्माण, सवाई मानसिंह चिकित्सालय में अण्डरग्राउण्ड पार्किंग का निर्माण जिसमें 6.5 करोड़ की राशि खर्च की गई एवं तीन सौ कारों की पार्किंग की व्यवस्था की गई। सवाई मानसिंह कालेज में एडवांस रिसर्च लैब, बायो टैक्नोलाजी लैब की स्थापना की गई। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नवीन भवन का निर्माण, मानसरोवर में 250 शैय्याओं के नए अस्पताल, मानस आरोग्य सदन का निर्माण। जनाना अस्पताल, जयपुर में आकोलोजी एवं नियोनेटल वार्ड का निर्माण, महिला चिकित्सालय, जयपुर में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग, नियो नेटल केयर वार्ड, ब्लड बैंक, सुपर स्पेशलिटी क्लीनिक का निर्माण, जे के लोन अस्पताल में नए ओ पी डी ब्लाक, 100 शैय्याओं के वार्ड का निर्माण, डे केयर सेंटर, मोड्यूलर थियेटर का निर्माण, कुल 4 ओ टी वहां निर्माण हुए हैं।

अजमेर में सर्जिकल आई सी यू एवं ब्लड बैंक का निर्माण, जोधपुर में एंजियोप्लास्टी यूनिट, जेरियाटिक वार्ड का निर्माण, बीकानेर में कार्डियो आकोलोजी एवं कार्डियोलोजी विंग का निर्माण एवं विस्तार तथा जेरियाटिक केयर अस्पताल व डायबिटिक रिसर्च सेंटर का निर्माण एवं स्नेक वेनम पर रिसर्च, 140 वर्षों बाद पहली बार भारत में हुई है वह भी बीकानेर विश्वविद्यालय में और आशा है कि इस वर्ष के नवम्बर तक उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे क्योंकि स्नेक फैमिलीज में डिफरेंस है। रेटल स्नेक बाण्डी से कहीं अधिक खतरनाक है और वेनम अभी जो अवेलेबल है अब हम कैमल पर ट्राइ कर रहे हैं और उसको रूम टेम्प्रेचर पर भी रखा जा सकता है इसलिए वह राजस्थान के लिए और भारत जैसे देश के लिए सर्वाधिक उपयोगी है।

कोटा में 500 शैय्याओं के नए अस्पताल का निर्माण एवं मातृ शिशु सेवाओं में विस्तार। महाराव भीमसिंह अस्पताल का पुनरुद्धार। राज्य के 6 चिकित्सा महाविद्यालयों के अस्पतालों में डे केयर सेंटर की स्थापना। जयपुर में लीनियर एक्सीलेटर के सम्बन्ध में चर्चा की थी। पी पी पी मोडल कार्य प्रगति पर है। बी पी एल को फ्री किया जाएगा, अन्य का बाजार दर से 20 प्रतिशत कम पर किया जाएगा। दिल्ली में सवा लाख और महावीर कैंसर अस्पताल में एक लाख पैंतीस हजार की रेट है, उससे बीस हजार रेट कम रखी जाएगी।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

चिकित्साकर्मियों की संख्या में वृद्धि, हमने जो नए पद सृजित किए हैं वह सारे आपको बताए हैं। टेली मेडिसन के सम्बन्ध में चर्चा की थी। टेली मेडिसन योजना के अंतर्गत छह मेडिकल कालेज चिकित्सालयों के 32 चिकित्सालयों को जोड़ा जा चुका है। टेली मेडिसन योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को मिल सके इसलिए 6 टेली मेडिसन वैन खरीदी जा रही हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना 2006 में की गई, नए भवन का निर्माण हो चुका है जिसका लोकार्पण 2007 में किया जा चुका है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ-साथ रिसर्च अस्पताल का निर्माण भी किया जा रहा है। एस एम एस चिकित्सालय का नया ओ पी डी, ओ टी काम्प्लेक्स 6 महीने में तैयार हो जाएगा। अजमेर में नए पिडियाट्रिक विंग, बर्न यूनिट, न्यूरो सर्जरी विंग की स्थापना की जा रही है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):...(व्यवधान) अभी तो दो-दो मंत्रियों की दो-दो विभागों की डिमाण्डों को सुनना है। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ही आपकी विद्वता को स्वीकार कर चुके हैं तो फिर अब आप बहस करें। आपके तो खुद के जुकाम लग रहा है। आप तो मेरी डाइबिटीज का इलाज करवा दो, मैं तो आपको मान जाऊंगा कि राजस्थान का स्वास्थ्य ठीक हो गया है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, आप तो यह बता दें कि हाइड्रोफोबिया के वेक्सीन आप पी एच सी पर भी उपलब्ध करवाएंगे क्या?

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): वह भी व्यवस्था करवा रहे हैं, प्रयास यही रहेगा।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मंत्रीजी, मैं आपकी जुकाम की दवा बता सकता हूं। अजवाइन गर्म करके सूंघ लेना जुकाम ठीक हो जाएगा, कहां डाक्टरों के चक्कर में पड़े हो।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कठिनाई यह भी है कि इस देश में सौ करोड़ से अधिक की आबादी है और उसमें नब्बे करोड़ से अधिक चिकित्सक हैं इसलिए किसकी बात मानें और किसकी नहीं माने। अपनी-अपनी छाती पर हाथ रख कर देख लें, मैं भी थोड़ी सी सलाह मानने की कोशिश करूंगा अगर ठीक रहा तो कोई नुकसान नहीं है।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

राज्य में प्रस्तावित कार्य, सभी मेडिकल कालेजों की जनाना इकाइयों का विस्तार किया जाएगा साथ ही महिलाओं की सुविधा हेतु वूमन वेलनेस क्लिनिक आरम्भ की जाएंगी जिसमें एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं महिलाओं को उपलब्ध हो सके। राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। बीकानेर व अजमेर में नये डी.एम. कोर्स आरम्भ किया जाएंगे। अजमेर में कार्डियो थोरेसिक सेंटर की स्थापना की जाएगी। बीकानेर में डाइबेटिक रिसर्च जिसके बारे में आप कह रहे थे यह केमल मिल्क बेस है और तीन लाख रेबारी परिवारों में से एक के भी डाइबिटीज नहीं है। इसलिए उसमें टेस्ट करें या रिसर्च का कुछ रिजल्ट आएगा, प्रोपर्टीज मिलेगी तो अच्छा सब को लाभ मिलेगा। सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज में स्टेंसल रिसर्च, बीकानेर में.. (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): घर में एक ऊंटनी बांध लो।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर में लीनियर एक्सीलेटर स्थापित किये जाएंगे। जयपुर में इमरजेंसी मेडिकल सेंटर की स्थापना की जाएगी। एसएमएस अस्पताल में चिकित्सकों एवं नर्सिंगकर्मियों का एक दल न्यूयार्क के नोर्थशायर यूनिवर्सिटी अस्पताल से प्रशिक्षित होकर आया है। इस दल की सहायता से अन्य चिकित्साकर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को त्वरित उपचार हेतु ट्रोमा केयर सेवाओं को सुदृढ़ीकृत किया जाएगा।

अब दो-तीन लाइन सिर्फ आयुर्वेद की हैं वे आपको और सुना दूं फिर मेरा काम फ्री। (व्यवधान) वही बता रहा हूं, बाकी और बताने की जरूरत नहीं है। 40 नवीन आयुर्वेद औषधालय खोले जाएंगे, 7 आयुर्वेद औषधालयों को ''अ'' श्रेणी में क्रमोन्नत किया जाएगा। आयुर्वेद में यूनानी भी शामिल है। इसी प्रकार राज्य के सुदूर ग्रामीण व पिछड़े जनजाति, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 7 आयुर्वेद मोबाइल यूनिट स्थापित की जाएंगी। कोटा व जोधपुर में आयुर्वेद अस्पतालों के साथ वेलनेस और हर्बल सेंटर स्थापित किये जाएंगे। आगामी वर्ष में सभी सम्भाग मुख्यालयों पर आरोग्य मेले आयोजित किये जाएंगे। आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर में गौ उत्पादों की चिकित्सकीय उपादेयता, पंचगव्य रसायन, गौ

(श्री नरपत सिंह राजवी)

संवर्धन के अध्ययन हेतु एक पीठ की स्थापना की जाएगी। 250 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आयुर्वेद, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सक लगाये जाएंगे। सभी जिला मुख्यालयों के आयुर्वेद चिकित्सालयों में आपरेशन थियेटर बनाये जाएंगे जिससे क्षारसूत्र चिकित्सा करने की सहूलियत मिल सके। प्रदेश में अर्श और भगंदर रोगियों को क्षारसूत्र चिकित्सा निश्चित रूप से शुल्क उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रावधान किये जाएंगे। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए आयुर्वेद पोषक वटी वितरित करने के लिए कुपोषण पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। यह 5 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट हाथ में लिया जाएगा।

एनआरएचएम के अंतर्गत एक आयुर्वेद चल चिकित्सा इकाई प्रारम्भ की जाएगी। स्वास्थ्य चिकित्सा यात्रा आयोजित करने के लिए आयुर्वेद विभाग को दो करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जाएंगे, वे प्राप्त हो चुके हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय मंत्रीजी, प्रिंसिपल मेडिकल कालेज हैं उनको तो धन्यवाद दो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कृषि मंत्रीजी।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): मंत्री महोदय, पहले जो घोषणाएं कर रखी हैं उनका तो ठिकाना नहीं है। चल इकाई घोषित करेंगे, मोबाइल वेन करेंगे, ए श्रेणी का करेंगे..(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय मंत्रीजी, झुंझुनू जिले का नाम ही नहीं लिया। माननीय मंत्रीजी, पूरे भाषण में झुंझुनू जिले का नाम भी आया क्या?

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): चल चिकित्सालय की पिछली बार की घोषणा का क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय कृषि मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): दे देंगे, आ रही है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय मंत्रीजी, झुंझुनूं जिले का नाम ही पूरे भाषण में कहीं आया क्या?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कृषि मंत्रीजी।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं 15 दिन से देख रहा हूं किसी.. (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हेल्थ मिनिस्टर साहब ने आपका नाम लिया था...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): नाम लिया तो क्या हुआ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपका नाम तो अपने आप ही झुंझुनूं से जुड़ा हुआ है।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप लघु शंका या दीर्घ शंका में पधारे होंगे, मैंने आपका नाम लिया था।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मेरा नाम मत लेते, परंतु उस जिले का जहां शहीदों की संख्या 33 प्रतिशत है उनका नाम लिया क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जिला चिकित्सालयों के सुदृढीकरण के लिए कितनी राशि दी है आपने सुना ही नहीं। झुंझुनूं जिला मुख्यालय नहीं है? जिला मुख्यालय के लिए जितनी राशि दी है ''न भूतो न भविष्यति''।

श्री उपाध्यक्ष: कृषि मंत्रीजी।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आप भी 1993 में मंत्री थे तब भी नहीं दिया और अब भी नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: कृषि मंत्रीजी का जवाब सुनने दो।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मांग संख्या 26 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: साथ ही करेंगे। माननीय कृषि मंत्री महोदय।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,.. (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कृषि जैसी मांग पर यहां पर विचार हो रहा है और यह कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहाती है। यह देखें, बैंचेंज सारी खाली हैं। 56 में से कितनी आदमी यहां बैठे हैं? यहां पर घड़ियाली आंसू बहाने का काम है। दो मिनट बोलने के लिए बात कर रहे थे और बोलकर सारे जने बाहर चले गये। आगे से जो आदमी

(श्री धर्मपाल चौधरी)

यहां पर अपनी मांग के बारे में कहें तो उसी को मौका देना चाहिए। आज यहां नोट कर लें कि यहां पर इतनी बहस के बाद सदन का समय खराब करके यहां से चले जाते हैं। इसलिए कितना सीरियस है यह। राजस्थान की जनता देख रही है। आपको घड़ियाली आंसू बहाने के अलावा कोई काम नहीं है। किसान के फर्जी हितैषी बने हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय सचिव, जो मुण्डावर (अलवर) से आते हैं बिलकुल सही बात कही है, मैं भी उनकी बात का समर्थन करता हूं कि आज किसान की महत्वपूर्ण समस्या पर विचार हो रहा है और सदन की नेता अनुपस्थित हैं। प्रतिपक्ष के नेता यहां पर बैठे हुए हैं। सदन के नेता को यहां पर होना चाहिए था। इसका मतलब सदन की नेता किसानों की हितैषी नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सदन की नेता सदन में उपस्थित हैं। (व्यवधान) वे किसानों से संबंधित समस्याओं पर विचार कर रही हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप लोग सदन की नेता से पूछें... (व्यवधान) तो क्या डिमाण्ड करेंगे, क्या घोषणा करेंगे आप?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): राजस्थान के किसान जानते हैं कि किसानों के लिए पहली बार सदन की नेता ने किया...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अपनी जगह पर जाकर बोलें... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): सदन की नेता यहीं विधान सभा में हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पहले तमीज सीखें। सदन ज्यादा इम्पोंटेंट हैं या भवन, इस बात का फैसला कर लें।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ये मानते हैं कि किसानों के लिए.. (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्रीजी, कल प्रदेश के लाखों किसान इस सरकार का जनाजा निकालने के लिए आएंगे।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): जनाजा तो आपका निकलेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सब तैयारी में लग रहे हैं इस वक्त। कल देखना। (व्यवधान) कल आप सब की बोलती बंद हो जाएगी।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपकी गाड़ियां खाली आ रही हैं, आपको पता नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सब उसकी तैयारी हो रही है, सब उसमें लग रहे हैं। कल विधान सभा को घेरने का काम राजस्थान का किसान करेगा, राजस्थान की कांग्रेस करेगी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप लोगों के लिए हाउस महत्वपूर्ण नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोगों के लिए सदन महत्वपूर्ण नहीं है। (व्यवधान) यह सदन के प्रति गम्भीर नहीं हैं। किसका घेराव करने के लिए आ रहे हैं? हाउस में आप खुद ही मौजूद नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह विपक्ष के लोग सदन को महत्वपूर्ण नहीं मानते।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): महंगाई की वजह से कांग्रेस की सरकार का जनाजा निकल जाएगा।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): वह जनाजा वहां निकाल दिया कांग्रेस का। कांग्रेसियों ने निकाल दिया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। आप काहे का विवाद कर रहे हो? माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हमारे नेता प्रतिपक्ष किसान हैं बैठे हुए हैं अभी तक। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपका तो विरोध का अभ्यास है, आपको यहां लाएंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ऐसा है जिन्होंने आपको निकाला है...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): किसानों की यह बात तो सही है.. (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपकी सीट सुनिश्चित है इधर, चिंता मत करना, आपको इधर बिठाएंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मेरी सीट तो यहां भी निश्चित है, सब जगह निश्चित है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ज्यादा किसानों की बुराई की तो किसान फिर यहां सदन में नहीं आने देंगे, ध्यान रखना। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल्ला साहब को तो इनकी पार्टी ने कहीं का नहीं छोड़ा। सब जगह से हटा दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय कृषि मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): श्रवणजी, आप महाविद्वान हो, आप विराजें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कल्ला साहब को किसी ने योग्य नहीं समझा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): लीलाजी मदेरणा ने बता दिया जनाजा किसका निकलेगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात को शुरू करने से पहले अभी जो माननीय सदस्य जिस प्रकार की बात कर रहे हैं मैं दो लाइन में शुरूआत में अपनी बात को कहना चाहूंगा-

''तारीख की नजरों ने वो दौर भी देखे हैं,
लम्हों ने खता की है सदियों ने सज़ा पायी है।
आज इन तारीखों में सुर्खियां पैदा करें,
इस जमीं की बस्तियों पर नया आसमां पैदा करें।''

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):...(व्यवधान) और देखन में छोटे लगें और घाव करें गम्भीर। आज तो आपने वह कर दिया, कमाल कर दिया आपने।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार की बात कही है, मैं किसानों के बारे में, किसानों की चिंता के बारे में और सदन की चिंता के बारे में कहना चाहूंगा:-

फूल की तरह खिलता है कोई कोई,
दीपक की तरह जलता है कोई कोई,
सब प्रवीण हैं, किसान के आदर्श की बात करते हैं
मगर उस राह पर चलता है कोई कोई,
उस राह पर चलता है कोई कोई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कृषि की मांग संख्या-39 पर 235 माननीय सदस्यों के द्वारा कटौती प्रस्ताव आए हैं। (व्यवधान) कटौती प्रस्ताव, 235 आए हैं और 19 माननीय सदस्यों ने कृषि और पशुपालन के बारे में सदन में चर्चा की है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उन सब का जवाब तीन दिन में माननीय सदस्यों के पास भिजवा दिया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी सदन में दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य जिनका मैं काफी सम्मान करता हूं चूंकि उनके मन में किसानों के प्रति जो पीड़ा है, किसानों के प्रति जो उनकी सोच है, उनके द्वारा उठाये गये प्रश्नों के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। उन्होंने 2-3 ऐसे विषय जिसमें सरकार ने गम्भीरता से पहले से ही विचार शुरू किया हुआ है। और आपका यह कहना था कि सरकारी फार्मों का जो यहां पर 19 कृषि फार्म जो अभी राजस्थान में 19 हैं, उनमें सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा है या उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहूंगा, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, सराहनीय कदम है लेकिन राज्य सरकार के फार्म तथा 86 केवीए के तथा कृषि अनुसंधान केन्द्रों पर निम्न प्रकार के माडल विकसित करने की कार्यवाही सरकार की ओर से की जा रही है। सबसे पहले इजराइल तकनीक से जैतून की खेती के प्रायोगिक प्रदर्शन के लिए 8 कृषि फार्म का चयन करके काम प्रारम्भ किया गया है। माइक्रो-इर्रिगेशन को बढ़ावा देने की दृष्टि सौर ऊर्जा चालित ट्रीप प्रदर्शन और पिंड खजूर की खेती के लिए राजस्थान में इन कृषि फार्मों पर इसका शुभारम्भ सरकार के द्वारा किया गया है। दूसरा, आपने आंवले के बारे में प्रोसेसिंग की चिंता की है। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा और आपको भी जानकारी में है

(श्री प्रभुलाल सैनी)

कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी अपने बजट सत्र में आंवले और संतरे के प्रोसेसिंग पर 50 प्रतिशत अनुदान या एक करोड़ रुपये तक का अनुदान देने की जो घोषणा की है वास्तव में इससे प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। और सरकार ने पूरा प्रयास किया है कि कृषि उपज मंडी में पीपीपी माडल पर हार्वेस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम लोग शीघ्र खोलेंगे जिससे कि लोगों को, किसानों को ट्रेनिंग वहां पर प्रोसेसिंग की मिल सके।

तीसरा, जो आपका मूल प्रश्न यह भी था कि डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य का जिक्र करते हुए आपने बताया था कि तीन साल के बछड़ों के बारे में जिसके बारे में कई माननीय सदस्य दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य के अलावा डेगाना से आने वाले, नैनवां से आने वाले, आहोर से आने वाले और अन्य माननीय सदस्यों ने...(व्यवधान) परबतसर से, नागौर से सभी माननीय सदस्यों ने चिंता की है। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नागौर में जो बछड़े, नागौरी नस्ल के बछड़े हैं उनके बारे में 1995 में राजस्थान गौवंश पशु वध का प्रतिषेद्ध एवं अस्थाई प्रवर्जन एवं निर्यात विनियम अधिनियम, 1995 बना था। और उस अधिनियम के कारण से अभी जो तीन साल से छोटे जो बछड़े थे माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने एक निर्णय पारित किया था कि तीन साल का बछड़ा न तो खेती के काम आता है और न ही कहीं दूध के काम आता है इसलिए इनको निर्यात नहीं किया जाना चाहिए। इस विषय को लेकर जब तत्कालीन सरकार थी 2000 में तो कई बार केबिनेट में इन्होंने निर्णय भी किये, यहां तक कि यह विधान सभा में भी एक बार बिल लेकर आना चाह रहे थे लेकिन वह निर्णय नहीं हो पाया। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने माननीय सदस्यों की चिंता को देखते हुए एक माननीय गृह मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक सब कमेटी का गठन किया था। हम लोगों ने उसका पूरा कार्य कर लिया है और शीघ्र ही वह जो मसला है वह केबिनेट में जाएगा, जाने के बाद में निश्चित रूप से दो माह के अन्तर्गत हम लोग उसमें कार्यवाही करने के प्रयास करेंगे। यह मैं सदन को देना चाहूंगा जानकारी।

तीसरा, जैसा कि दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी प्रस्ताव रखा था कि कृषि का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अभी वहां पर कर्मचारियों की कमी है, सरकार की बहुत योजनाएं हैं लेकिन उसका लाभ कर्मचारी नहीं होने की वजह से नहीं मिला। मैं जानकारी देना चाहूंगा मुख्य मंत्री महोदय ने अभी बजट में घोषणा की थी और उस बजट घोषणा में माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री प्रभुलाल सैनी)
सीधी भर्ती के जो रिक्त पद हमारे कृषि पर्यवेक्षकों के थे उन पर एक ऐतिहासिक फैसला माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह दिया है कि जितनी भी महिलाएं या बच्चियां कृषि विषय पढ़ कर जो स्नातक और स्नातकोत्तर पढ़कर आएंगी, उनको कृषि पर्यवेक्षकों के पद पर नौकरी दी जाएगी। यह बहुत बड़ा होगा इससे हमारे कृषि पर्यवेक्षक के जो पद रिक्त चल रहे हैं लगभग 761 उनकी शीघ्र भर्ती की प्रक्रिया पूरी होगी और सहायक कृषि अधिकारियों के स्वीकृत पदों के बारे में 138 सहायक कृषि अधिकारियों के पद पर भर्ती की जाएगी और कृषि अधिकारियों के 96 पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही करना प्रारम्भ की जाएगी। ताकि भर्ती होने के बाद में जो विभाग में जिस प्रकार की कमी चल रही है, वह ठीक हो सकेगी और किसानों को उसका लाभ मिल सकेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, सदन को जानकारी देना चाहूंगा, राजस्थान की कृषि व्यवस्था के बारे में, आजादी के 60 वर्ष में कई बार इस प्रकार के चिंतन हुए हैं, विचार हुए हैं लेकिन किसान की वास्तविक स्थिति के बारे में जैसा माननीय सदस्य जो बता रहे हैं। यह आपसे छिपी हुई नहीं है क्योंकि आप भी किसान हो। यदि हम राजस्थान के परिदृश्य को देखें 342 लाख हेक्टेयर में बसा हुआ हमारा कृषि क्षेत्र, आज हम यह देखें 70 प्रतिशत से ज्यादा भाग आज भी हमारा रेगिस्तानी है, वर्षा आधारित है। यदि वहां वर्षा होती है तो फसल होती है यदि वर्षा नहीं होती है फसल नहीं होती है। इसलिए यह सत्य है अगर हम यह कहें कि हमारे भारतवर्ष की कृषि है, Indian agriculture is a gamble in rain. यानी वर्षा आधारित जुआ हमारी खेती है। यदि वर्षा होती है तो हमको मिलता है और हमारा 60 प्रतिशत भूभाग शुष्क और अर्द्ध शुष्क क्षेत्र की श्रेणी में आता है। इसलिए हमारी जो कृषि है यह श्रमसाध्य और बहुत कठिन कार्य अब राजस्थान में हुआ है इसके लिए समाज और राजनीति के मंच पर कई प्रकार से हालातों पर चिंता हुई है, मनन भी हुआ है, विचार भी हुआ है। लेकिन यदि सब मिल कर एक कल्पना, परिकल्पना कर लें, आखिर किसान का दुःख, किसान की पीड़ा, किसान ही एक ऐसी ताकत है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश में जो पूरे देश का अन्न, दूध और सब्जियां उत्पन्न करके सारे देश का पेट पालने का काम वह किसान करता है। और उसको हम अन्नदाता कहते हैं लेकिन किसान की जो हालत है, किसान की चिंता है, कई जगह चाहे संसद हो, चाहे विधान सभा हो, चाहे नीचे

(श्री प्रभुलाल सैनी)

के स्तर पर, हम सब लोग मिल कर उनके विकास की चर्चा भी करते हैं। लेकिन आज वास्तविक स्थिति कुछ और है, किसान की जो स्थिति है, किसान स्वाभिमान, आनबान का धनी है। किसान की यदि मैं बात करूं तो मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे, किसान वह ताकत है जिसे सर्दी, गर्मी, बारिश और सब कुछ उससे कांपता है,

शीत कांपता है जिसके भय से आतम ठंडा पड़ जाता है,
वर्षा से वह क्या घबराता लिए फावड़ा जब वह आता।

यानी उसको न गर्मी की परवाह है, न सर्दी की परवाह है, वह अन्न पैदा करने में अपना अग्रणी स्थान और अग्रणीय भूमिका रखता है। इसलिए मैं आपको सरदार पटेलजी के शब्दों में कहना चाहूंगा 'इस धरती पर अगर किसी को सीना तान कर चलने का अधिकार हो तो वह धरती से धन धान्य पैदा करने वाले किसान को ही है।' यानी किसान की ताकत, और इसी बात को आगे करते हुए मुंशी प्रेमचंदजी ने भी कहा है कि हमारे किसानों की निरक्षरता की दुहाई देना एक फैशन सा हो गया है लेकिन किसान निरक्षर होकर भी बहुत से साक्षरों से ज्यादा समझदार है। यानी पढ़े लिखे लोगों से भी ज्यादा समझदार, कई वैज्ञानिकों से ज्यादा समझदार है तो हमारा किसान है क्योंकि वह जानता है कि उसको कौन सी फसल, कौन से सीजन में, कौन सा बीज, कब उसको बोना चाहिए, कब निराई करनी चाहिए, कब गुड़ाई करनी चाहिए और कब उसको किस प्रकार की तकनीकी अपनानी चाहिए, यह हमारा किसान जानता है। इसलिए किसान को यदि कोई कहते हैं तो दुर्भाग्य होगा, किसान बेचारा नहीं है, किसान हमारा अन्नदाता है और उस अन्नदाता का मान सम्मान करना हम सब का एक धर्म बनता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री का जो सपना है, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुख्य मंत्री का सपना है कि मेरा सपना है कि हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति, पीत क्रांति, विपणन क्रांति को जोड़ते हुए राजस्थान सदाबहार क्रांति की ओर अग्रसर होगा। यानी मुख्य मंत्रीजी सदाबहार क्रांति को लाना चाहती हैं यानी की राजस्थान में जो फूलों की खेती है, होर्टिकल्चर के क्षेत्र में जिस प्रकार का नवाचार हम लोग कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का काम यह कल्पना है राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुंधरा की। इसलिए बजट के क्षेत्र में जैसा आपने सुना होगा, 2003 में 73.88 करोड़ का बजट था और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2008-09 की बात करें तो 619

(श्री प्रभुलाल सैनी)
करोड़ रुपये का प्रावधान इस साल किया है। यह हमारे किसानों के लिए एक सुखद संयोग है जिसमें राजस्थान के किसानों को नई दिशा देने के लिए 8 गुना की वृद्धि की है। 2003 से यदि हम 619 को देखें तो लगभग 8 गुना वृद्धि राजस्थान के बजट में हुई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तब कृषि के विषय पर बोलने का अवसर मिला तो इससे ज्यादा सौभाग्य का दिन मेरे लिए और कोई हो नहीं सकता जब कृषि के विषय में हमारे सारे विद्वान, जन-प्रतिनिधि हैं जो बैठे हुए हैं। कृषि के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो अभी हम कृषि क्षेत्र को मात्र खेती-बाड़ी से जोड़कर चलते हैं। जब कि कृषि की अगर हम व्याख्या करें, कृषि के पूरे सेक्टर की व्याख्या करें तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर, होर्टिकल्चर, फ्लोरीकल्चर, एक्वाकल्चर, सैरीकल्चर, आयलीकल्चर, इन सारी चीजों के बाद मेडिसन खेती है, उसके बाद एरोमेटिक प्लांट्स हैं, उसके बाद एनीमल हजबेंड्री है, उसके बाद पोल्ट्री है, इन सारे के सारे सैक्टर को एक साथ जोड़कर यदि हम उस पर काम करेंगे तो उस किसान की माली हालत सुधर पायेगी। लेकिन यह अभी दुर्भाग्य का विषय है कि हम मात्र हमारी एक ही परम्परागत खेती के ऊपर चल रहे हैं। जहां अगर हम जोधपुर के क्षेत्र की बात करते हैं तो लोग ग्वार बो देते हैं और उससे किसानों की हालत सुधरने वाली नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कल्पना की, हम लोगों ने विचार किया। मैं कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर की बात करना चाहूंगा। गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि 2008 में आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ है उसके आधार पर राज्य के कृषि क्षेत्र की वृद्धि 8.7 प्रतिशत रही है। जब कि राष्ट्रीय कृषि की वृद्धि केन्द्रीय सरकार के द्वारा कराये गये सर्वे के आधार पर 2.6 प्रतिशत मात्र रही है। यानि राजस्थान की कृषि में 8.7 प्रतिशत वृद्धि हुई है। अब हम लोगों ने इसमें विचार किया है कि हम इस कृषि को, किसान को, गांव को, गरीब को किस प्रकार से आगे बढ़ायें, हमारी सरकार और माननीय मुख्य मंत्रीजी का क्या विजन है। तो हमने हमारा जो विजन लिया, कृषि का जो विजन लिया राजस्थान का। उसमें किसान की आय की वृद्धि के उपाय करने के लिए हम लोगों ने उत्पादकता व गुणवत्ता वृद्धि के उपाय प्रारम्भ किये हैं। लागत में कमी हो और उपज का बेहतर मूल्य जिसके बारे में काफी चर्चा हुई है, समय रहते मैं सभी माननीय सदस्यों की बात बताउंगा। उपज का बेहतर मूल्य राजस्थान के किसान को कैसे मिले इसमें चिंता हम लोगों ने शुरू करके काम प्रारम्भ किया है।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

प्राकृतिक संसाधन, मृदा एवं जल और तकनीक का कुशल प्रबन्धन कैसे राजस्थान में किया जाना चाहिए और मूल्य संवर्धन, विपणन, प्रसंस्करण निर्यात को प्रोत्साहन हमको दिया जाना चाहिए, इस विषय पर हम लोग काम कर रहे हैं। कम पानी, कम लागत और अधिक उत्पादन और गुणवत्तायुक्त उत्पादन फल-फ्रूट्स का हो, इस विषय को लेकर के राजस्थान में काम प्रारम्भ हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम यदि यह बात करें कि राजस्थान में उत्पादकता, उत्पादन और गुणवत्ता के क्षेत्र में चार सालों में क्या हुआ है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने सबसे पहले भरतपुर जिले में टार्गेट ट्वेंटी प्लस कार्यक्रम ढाई लाख हैक्टर में सरकार के प्रोडक्शन को हाथ में लिया और उसमें सरसों का जो 1178 किलो पर-हैक्टर जो प्रोडक्शन था उसको 2000 किलो करने का लक्ष्य हम लोगों ने शुरूआत में लिया था। उसमें हमें सफलता मिली है और इस वर्ष सोयाबीन की उत्पादकता वर्तमान स्तर से बढ़कर के 20 क्विंटल प्रति हैक्टर अधिक करने का काम कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ में 242 हैक्टर में हम लोगों ने लिया है। जिसमें लगभग 1.26 लाख किसानों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रामाणिक बीज 4457 क्विंटल हम लोगों ने उन किसानों को उपलब्ध कराया और अन्य गतिविधियां, उन्न बीज के प्रयोग में बीजोपचार, बुवाई के समय उर्वरक का प्रयोग, जिप्सम आदि की भी जानकारी देकर के किसानों को आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दलहनी फसल में आपरेशन 150 हम लोगों ने प्रारम्भ किया है जिसमें दलहली फसल मूंग, मोठ, अरहर, ग्वार की उत्पादकता डेढ़ गुणा करने के लिए 25 जिलों में आपरेशन 150 चलाया गया। और इस कार्यक्रम के तहत 15 लाख किसानों को 19 लाख हैक्टर में उत्पादकता वृद्धि की गतिविधियों को क्रियान्वित करके उत्पादकता वृद्धि का काम हम लोगों ने किया। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 5 वर्षों के औसत पर यदि हम बात करें तो मंग के क्षेत्र में 330 किलोग्राम पर-हैक्टर का उत्पादन पिछले 5 वर्षों का औसत रहा है और 2007 में जो हमारा है वह 650 किलोग्राम प्रति हैक्टर के हिसाब से उसमें वृद्धि कर रहे हैं। मोठ के क्षेत्र में 218 से बढ़ाकर 280, अरहर के क्षेत्र में 598 किलोग्राम से 940 किलोग्राम और ग्वार के क्षेत्र में 260 से बढ़ाकर 447 किलोग्राम उत्पादकता वृद्धि का कार्य किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीज, सीड रिप्लेसमेंट रेट, बीज

(श्री प्रभुलाल सैनी)

प्रतिस्थापन दर की मैं जानकारी देना चाहूंगा कि 2003-04 में 9.59 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 19.30 प्रतिशत हम लोगों ने बीज का रिप्लेसमेंट करके लोगों को दिया। टार्गेट थर्टी प्लस गेहूं के बीज में प्रतिस्थापन दर हम लोगों ने की और इसके लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाया और गेहूं की वर्तमान बीज प्रतिस्थापन दर 19 प्रतिशत से बढ़कर के 29 प्रतिशत हुई और 2006-07 में गेहूं 4.90 लाख क्विंटल बीज की तुलना में 6.47 लाख क्विंटल बीज दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका इतना परिणाम आया कि आजादी के बाद के इतिहास में पहली बार यदि गेहूं उत्पादन की हम बात करें, सारी विधान सभा में गत वर्षों में काफी चिंता हम लोगों ने की थी कि रबी में इतनी ओलावृष्टि हुई, इतनी अतिवृष्टि हुई, इतना नुकसान हुआ। लेकिन प्रोडक्शन के मामले में देखें तो 25 लाख हैक्टर में गत वर्ष हम लोगों ने गेहूं की फसल राजस्थान में बोयी थी और 77 लाख मैट्रिक टन, 55 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा कभी राजस्थान में पैदा नहीं हुआ वह राजस्थान में 55 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उत्पादन करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जैसा आपने कहा कि किसान की फसल को कब तक आप लोग ऑक्शन करते रहोगे, बेचते रहोगे, नीलाम करते रहोगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि कोलोबरेटिव फार्मिंग हमने जौ के क्षेत्र में सबसे पहला साझा खेती का काम शुरू किया है और इसके आंकड़ों को यदि हम देखें तो लगता है कि 2005 में कारगिल और मिलर कम्पनी जयपुर और सीकर में 192 गांवों में 1574 किसानों पर 5 हजार एकड़ में जौ की खेती प्रारम्भ की थी। 2005-06 के बाद 2006-07 में 1122 गांवों और लाभान्वित कृषक 10752 और लगभग 40 हजार हैक्टर में यह खेती की। इसका इतना फायदा हुआ कि इसमें किसान के खेत में कम्पनी स्वयं जाकर के जौ को खरीदती है और जो जौ पहले पशु आहार के काम में आता था उसके आज अन्य प्रकार के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और किसान को इसका सीधा-सीधा लाभ मिल रहा है। 2007 में लगभग इसमें 1138 गांवों में 12635 एकड़ में हम लोगों ने राजस्थान में काम किया जिससे किसान के खेत से किसान को उपज का पैसा मिले। उत्पादन वृद्धि के ठोस उपाय भी हम लोगों ने किये हैं। यदि मैं आपको राष्ट्रीय सिनेरियो की बात करूं, राष्ट्रीय स्तर की बात करूं तो गेहूं का उत्पादन राष्ट्रीय स्तर पर 2619 किलो प्रति हैक्टर है और राजस्थान के उत्पादन को यदि देखेंगे तो 2920

(श्री प्रभुलाल सैनी)

किलो प्रति हैक्टेयर। जौ का नेशनल 19.38 और राजस्थान का 24.60 किलो। सरसों का 1117 किलो और राजस्थान में 1182 किलो। यानि उत्पादन के क्षेत्र में हम लोगों ने समय रहते काफी प्रगति की है। मैं जानकारी देना चाहूंगा कि अभी जो लेटेस्ट हमको सूचना मिली है, आज भी इन विषय परिस्थितियों में, ओलावृष्टि के बाद भी, पालावृष्टि के बाद भी या अनेक प्राकृतिक विषमताओं के बाद भी, पानी की कमी होने के बाद भी आज राजस्थान को यदि उत्पादन की दृष्टि से हम देखें तो, इसीलिए भारत सरकार ने गत वर्षों में हमको एक करोड़ रुपये का इनाम राजस्थान सरकार के कृषि मंत्रालय को दिया है। यदि आंकडों की बात मैं करूं तो राजस्थान आज भी पूरे देश में बाजरे के क्षेत्र में 52 प्रतिशत, मक्का के क्षेत्र में 13 प्रतिशत, सरसों के क्षेत्र में 51 प्रतिशत, धनिया के क्षेत्र में 56 प्रतिशत, मेथी के क्षेत्र में 82 प्रतिशत, ग्वार के क्षेत्र में 46 प्रतिशत और मेहंदी के क्षेत्र में 90 प्रतिशत का स्थान प्राप्त करके देश में नम्बर वन स्थान राजस्थान का उत्पादकता की दृष्टि से रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): दवे साहब, आपको तो निहाल कर दिया मेहंदी से।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब यह आखिर उत्पादकता और किसान को उचित मूल्य कैसे मिले इसके लिए हम लोगों ने राजस्थान में मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन पर ध्यान दिया। एम. एस. स्वामीनाथन जो राष्ट्रीय कृषि आयोग के अध्यक्ष थे और कृषि के ख्यातिनाम विशेषज्ञ थे उन्होंने हमको एक थीम दी थी। 6 टास्क फोर्स का गठन करके सबसे पहले कहा था कि जब तक सोइल एनहांसमेंट आप नहीं करेंगे, मिट्टी का प्रबन्ध नहीं करेंगे तब तक आपका उत्पादन नहीं होगा। इसलिए मृदा के जो सूक्ष्म तत्व हैं उनकी जानकारी जब तक किसानों को नहीं होगी कि कहां पर कौन से तत्व की कमी है तब तक उत्पादन सही नहीं होगा। यह जानने का काम यदि पूरे देश में किया है तो राजस्थान ने किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी केन्द्रीय बजट के अन्तर्गत पैरा संख्या 65 में पहली बार अब कहा है कि हम 750 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं खोलेंगे जब कि राजस्थान में पिछले 3 वर्षों से राजस्थान के प्रत्येक जिले में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं खोलने का काम हम लोगों ने किया है। पौधे के लिए, जब विषय आ गया है तो बोल दूं कि पौधे के लिए तीन तत्वों का होना बहुत जरूरी है। किसी भी फसल के लिए, पौधे के जीवनदाता प्राथमिक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन

(श्री प्रभुलाल सैनी)

और आक्सीजन हैं। ये तीन चीजें हैं, ये प्रकृति के द्वारा मिलती हैं, जल और वायु से मिलती है, इनका होना आवश्यक है, इसकी हम लोग जांच करते हैं। दूसरा, मुख्य पोषक तत्व जो उत्पादनदाता पोषक तत्व के रूप में काम करता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। तीसरा, उसकी जो गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं वो तत्व हैं, जस्ता, तांबा, लोहा, मैगनीज इत्यादि यानी इन सारी चीजों का टैस्टिंग करने के लिए हम लोगों ने पूरे राजस्थान में 78 प्रयोगशालाएं अब तक खोली हैं जिसमें हमारी राजकीय प्रयोगशालाएं 43 हैं, 11 हमारी भ्रमणशील हैं, कृषि विज्ञान केन्द्रों पर 30 है और निजी क्षेत्रों में पांच हम लोगों ने खोली हैं। हम लोगों ने अब माइक्रो मेप भी बनाया है उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा। आज हमने एक वेबसाइट चालू की है और उस वेबसाइट में gisrajasthangovt.in इस नेट पर हम लोगों ने बताया है कि जियोलोजिकल इन्फोर्मेशन सिस्टम बना दिया है। कोई भी व्यक्ति इस लाइन को खोलेगा और इसमें पता कर लेगा कि मुझे सिरोही में खेती करनी है तो सिरोही में किस तत्व की क्या कमी है, हमको जमीन में किस प्रकार का पोषक तत्व चाहिए। यह आपको पूरे देश में नहीं, इंटरनेशनल स्तर पर आपको जानकारी मिलेगी। यह राजस्थान पहला राज्य है जिसने यह योजना हम लोगों ने इस साल से शुरू की है और लगभग 33 लाख विलेज सोइल हैल्थ कार्ड भी हम लोगों ने राजस्थान के किसानों को बांट दिये कि कौन से गांव में कौनसा, किस प्रकार से उसको काम करेगा, यह भी काम हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जल प्रबन्धन के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। जल प्रबन्धन के बारे में कहना चाहूंगा कि हमारे यहां राजस्थान में पूरे देश का मात्र एक प्रतिशत पानी है और उसका 80 प्रतिशत पानी राजस्थान में मात्र सिंचाई के लिए काम आता है और बाकी उसका बचा हुआ पानी है, वह पीने के काम आता है। इसलिए हम लोगों ने माइक्रो इर्रिगेशन सिस्टम जो कि, मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कई योजनाओं में भारत सरकार ने भी पानी की बचत के बारे में अच्छा काम किया है। लेकिन राजस्थान सरकार ने उससे भी आगे बढ़कर हम लोगों ने कृषि के क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया है। और हम लोग यह भी चाहते हैं कि राजस्थान में जितना पानी है, उसी पानी का ओप्टीमम यूज कैसे करें। इसलिए यदि पाइप लाइन से हम सिंचाई करेंगे तो 20 प्रतिशत पानी बचेगा, यदि हम

(श्री प्रभुलाल सैनी)

स्प्रिंकलर से करेंगे तो 50 प्रतिशत पानी बचेगा और यदि ड्रिप इर्रिगेशन से राजस्थान के लोग सिंचाई करेंगे तो 75 प्रतिशत पानी की बचत होकर किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। यह काम हम लोगों ने राजस्थान में प्रारम्भ किया है। और पाइप लाइन के बारे में 2003-2004 के दृश्य की बात करूं तो 1,805 किलोमीटर के मुकाबले 2006-2007 में 6,186 किलोमीटर पाइप लाइन यानी 243 प्रतिशत हम लोगों ने उसमें वृद्धि कर राजस्थान के किसानों को उपलब्ध कराई है।

जहां तक फव्वारा सैट्स का वितरण का कार्यक्रम है, 2003-2004 में 212 प्रतिशत वृद्धि कर 2003 में 11,024 की तुलना में 2006-2007 तक 35,418 और डिग्गी फव्वारा सिंचाई क्षेत्र में भी 45 प्रतिशत वृद्धि हम लोगों ने राजस्थान में की है।

अब जहां तक कई माननीय सदस्यों ने जानना चाहा है, लगभग 12 माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्तावों के माध्यम से भी और सदन के माध्यम से भी यह जानना चाहते हैं कि राजस्थान में नकली बीज और नकली खाद और सही समय पर राजस्थान के किसान को खाद और बीज नहीं मिलता है। मैं उन्नत बीज और प्रमाणित बीज के बारे में संक्षेप में जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान में 2003-2004 में 5.13 लाख क्विंटल के मुकाबले 2007 में 11.46 लाख क्विंटल बीज का वितरण हम लोगों ने पूरे राजस्थान में इस वर्ष में लिया है। और हम लोग यह चाहते हैं कि राजस्थान के किसान 2012 तक 27 लाख क्विंटल बीज पर आत्मनिर्भर होने से हमारा स्टेट सीड कारपोरेशन है, वह आत्मनिर्भर होगा। यह कार्य योजना हम लोगों ने बनाकर काम शुरू किया है और आफ सीजन बीज उत्पादन का कार्यक्रम जो राजस्थान में नहीं लिया जाता था। मैं जानकारी देना चाहूंगा कि बांसवाड़ा में रबी में 2007 में 600 हैक्टेयर में मक्का बीज का उत्पादन कार्यक्रम हाथ में लिया जिसमें 7,000 क्विंटल बीज के उत्पादन का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। और 2008 में 4,200 हैक्टेयर क्षेत्र में मूंग बीज उत्पादन का कार्यक्रम प्रस्तावित कर 20,000 क्विंटल बीज का लक्ष्य हम लोगों ने इस वर्ष का रखा है इसलिए बीज के उत्पादन के क्षेत्र में, बीज की गुणवत्ता के क्षेत्र में हम लोगों ने, सरकार ने काम प्रारम्भ किया है।

जहां तक उर्वरक और खाद की बात है, आप देखेंगे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग और आई.पी.एल. के द्वारा हम लोगों ने एम.ओ.यू. किया था। पहली बार दो लाख मैट्रिक टन डी.एफ.ए. का भण्डारण यदि किसी राज्य ने किया है तो वह राजस्थान राज्य है। और पिछले

(श्री प्रभुलाल सैनी)

वर्ष आप आश्चर्य करेंगे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खाद की कहीं भी कमी नहीं रही इसलिए कि हमारा मैनेजमेंट था। सारे डिस्ट्रिक्टवाइज जहां-जहां हमारी रैक्स जायेंगी, उसके सारे चैनल्स स्थापित करके यह काम हम लोगों ने राजस्थान में शुरू किया है। इसके लिए हम लोगों ने उच्च गुणवत्ता के आदान की उपलब्धता के लिए भी राजस्थान में जो गुणवत्ता आधारित बीज और कीटनाशक निर्माता थे, उनका श्रेणीकरण कर दिया। हम लोगों ने ए बी सी और डी में श्रेणीकरण कर दिया कि उनके घटिया खाद और घटिया कीटनाशक मिलता था, उनकी क्वालिटी करके अब लगभग 45 निर्माताओं को "बी" श्रेणी में, 56 निर्माताओं को "सी" श्रेणी में, 24 निर्माताओं को "ए" श्रेणी में और 93 कम्पनियों को "डी" श्रेणी में रखकर हम लोगों ने उन पर नियंत्रण करने का प्रयास किया है। और पांच प्रतिशत नमूने "ए" श्रेणी में, 15 प्रतिशत "बी" श्रेणी में, 30 प्रतिशत नमूने "सी" श्रेणी में और 50 प्रतिशत नमूने "डी" श्रेणी में लेकर कम्पलसरी कर दिया कि प्रत्येक दुकान से जहां यह वितरण होता है, उनसे लेने के लिए भी सबको निर्देश दिये हैं और उसका अच्छा लाभ हमको मिला है।

इसलिए यदि राजस्थान की मैं बात करूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि आदानों के विशेष नमूनों में अमानक नमूनों की बात करें तो 2004-2005 में 3,796 नमूने लिये जाते थे, इस वर्ष हम लोगों ने 5,792 नमूने बीज के लिये हैं और उर्वरक के नमूने 4,671 के मुकाबले 6,223 नमूने लिये हैं। और कीटनाशक में अब की बार हम लोगों ने 2,600 नमूने लिये हैं, जिसमें लगभग 80 लोगों के खिलाफ कोर्ट में हम लोगों को जिनकी अमानकता पाई गई है, उनके खिलाफ कोर्ट में हम लोगों ने चालान पेश किया है। बीज के क्षेत्र में 80 लोगों के और उर्वरक के क्षेत्र में चार लोगों के और कीटनाशक के क्षेत्र में 10 लोगों के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये हैं क्योंकि जो गुणवत्ता थी, जो गुणवत्ता की मात्रा थी, वह जो 16 प्रतिशत होनी चाहिए थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह 10 और 11 या नौ प्रतिशत हुआ करती थी, जो 15.92 प्रतिशत तक हम लोग पहुंचे हैं यानी कि उसमें हम लोगों ने पूरा काम किया है।

"कृषि महोत्सव और कृषि योजना आपके द्वार" कार्यक्रम के बारे में मैंने पहले आपको निवेदन किया था माननीय उपाध्यक्ष महोदय। अब मैं महिला सशक्तीकरण के ठोस उपाय के बारे में कृषि क्षेत्र में जानकारी देना चाहूंगा। कृषि योजना में अनुदान की स्वीकृति 2006-2007 में माननीय मुख्य

(श्री प्रभुलाल सैनी)

मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि राजस्थान में हम लोगों ने कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए चूंकि 50-60 प्रतिशत महिलाएं कृषि का काम करती हैं, बुवाई के बाद कटाई का, निड़ाई का, गुड़ाई का, पानी पिलाई का सारा काम करती हैं। इसलिए कृषि क्षेत्र में जितनी भी हमारी योजनाएं थीं, यथा मिनीकिट्स, फसल प्रदर्शन, पाइप लाइन, कृषि उपकरण, पौध संरक्षण और अनुदान देने का काम है, वह सारा का सारा राजस्थान में हम लोगों ने शुरू किया है।

कृषि बालिका शिक्षा क्षेत्र में भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 10 प्लस 2 में जो छात्रा पढ़ती थी, 1,000 रुपये से बढ़ाकर हम लोगों ने 3,000 रुपये प्रति छात्रा, स्नातक वाली को 3,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति छात्रा और 2007-2008 में एम.एससी. को 5,000 रुपये और पी.एचडी. करने वाली छात्रा को 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति दे रहे हैं। 2003 में 1,645 छात्राओं को 23.50 लाख रुपये की तुलना में 2007-2008 में 3339 छात्राओं को 110 लाख रुपये की अब तक हम लोगों ने बच्चियों को छात्रवृत्ति देने का काम राजस्थान में किया है। (व्यवधान)

अब मैं बहुत शोर्ट में निवेदन करता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय। एक सब से बड़ा काम राजस्थान में हुआ है कि माननीय सदस्यों को और हमारे साथ में जो इजरायल के भ्रमण पर जो माननीय प्रतिपक्ष के एक साथी भी गये थे, कई बार राजस्थान के लोग इजरायल या अन्य देशों की यात्राएं की होंगी। लेकिन पहली बार राजस्थान में जो मुख्य मंत्रीजी का दल गया था, उसमें हम लोग 64 किसानों को इजरायल लेकर गये थे, उनकी उपलब्धि के बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान में पहली बार हम लोगों ने जैतून की खेती का काम करने का काम किया है। क्योंकि जैतून की खेती, अभी अगर हम 20वीं सदी के अग्रणीय देशों के उत्पादन की दृष्टि से देखें तो स्पेन प्रथम और इटली सैकण्ड स्थान पर है। हमारे देश में कहीं भी जैतून की खेती नहीं होती है और इसके मुख्य उत्पादक देश थे ईरान, सीरिया, फिलीपींस, इटली, स्पेन, उत्तरी अमेरिका, मिश्र, तुर्की, पुर्तगाल, फ्रांस और मोरक्को थे। लेकिन अब राजस्थान भी उसमें अपना नाम दर्ज करा रहा है। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह भारत सरकार के कृषि मंत्रीजी जिनके पास में इजरायल के कृषि मंत्रीजी आये थे, उनके साथ में बैठक हुई 22.1.2008 को दिल्ली में, माननीय शरद पवार साहब के साथ में इजरायल के कृषि मंत्रीजी की बैठक

(श्री प्रभुलाल सैनी)

हुई। मैं यह बताना चाहूंगा कि उन्होंने क्या कहा है - "I would like to compliment the Government of Rajasthan and the Israeli side for already having in place a project in the olive cultivation through …. The significance of this innovation lies not only in implementation but also in devising a innovative scheme." यानी यह भारत सरकार के कृषि मंत्रीजी ने भी इसकी सराहना की है। यह इतने अच्छे प्रोजेक्ट राजस्थान में हुए हैं। और इसको हाल ही में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहूंगा, इजरायल के राजदूत ने एक पत्र भेजा है राजस्थान सरकार को, उसमें उन्होंने लिखा है कि "It gives me much pleasure to bring to your attention that as a result of the visit, an Action Plan in the field of agriculture with emphasis on Rajasthan has been set in motion and in the near future we will be bringing implementation." यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट था, उसको इजरायल सरकार ने कहा कि हम शीघ्र इसकी पालना करेंगे और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान में...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आज नाथूसिंहजी भी आपकी परफोरमेंस की तारीफ कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आप तो बोलते जाओ, आप तो बोलते जाओ।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): ये नाथूसिंहजी भी चिंता में पड़ गये।

(समय : 22.00 बजे)

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): कोई बात नहीं। भाई है वह तो। भाई चिंता में नहीं होना चाहिए।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय मंत्रीजी, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, माननीय मंत्रीजी...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): और किसान अंग्रेजी में बोलने लग गया, इससे बढ़िया तो बात ही क्या बची कुछ।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नाथूसिंहजी कह रहे हैं, प्रभुलालजी की मदद लेनी पड़ेगी कल।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करूं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सबसे बड़ी उपलब्धि इंग्लिश में बोलना, ग्रामीण क्षेत्र का आदमी होते हुए इंग्लिश में।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद भी दूंगा पर साथ में एक बात किसानों की पूछना चाहता हूं कि हमारे डार्क जोन घोषित कर रखा है (व्यवधान) एक मिनट। डार्क जोन घोषित कर रखा है और किसान जब कुए में पानी करवाता है, पानी सूख जाता है तो तहसील वाले जाकर उस मोटर को पकड़ के ले आते हैं। कौन सी? जो कुए में पानी करती है। इसका कोई रास्ता निकालो, नहीं तो सारा डार्क जोन का किसान तो मर जायेगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): सारे रास्ते निकाल देंगे, आज सुनो बैठकर आप, सारे रास्ते आज साफ कर देंगे, एकदम रेड्डी-रेड कर देंगे। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): कौन कर रहा है साफ? महावीरजी, बैठे-बैठे बोलते हो क्या? बैठे-बैठे कौन बोल रहा था?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्यजी ने भी यह चिंता जाहिर की थी कि हमारे विकास में, यह जो लूणकरणसर का हमारा जो कृषि का फार्म है उसके विकास के बारे में बात की, मैं जानकारी देना चाहता हूं कि इस राजस्थान में अभी हम लोगों ने मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में 210 हैक्टेयर में जहां हम जैतून की खेती मार्च के प्रथम सप्ताह में शुरू करने जा रहे हैं। उनमें जयपुर में बस्सी, बास-बिशना-झुंझुनूं, लूणकरणसर-बीकानेर, बरोल-श्रीगंगानगर, पाखलिया-नागौर, कवाई-बारां, सातूं-जालौर और तिनकाकुड़ी-अलवर, इन आठ कृषि फार्मों को हम लोगों ने ओलिव फार्म के रूप में सलेक्ट करके उसमें काम प्रारम्भ किया है और आठ प्रकार की जो, आपको मैं यह जानकारी देना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माध्मय से सब को, जैतून का पौधा सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। इसकी जो उम्र होती है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 250 साल से एक हजार साल तक होती है और इसके प्रोडक्शन की.. (व्यवधान) टोंक में भी करेंगे। 250 से एक हजार साल इसकी उम्र है और प्रोडक्शन के मामले में दो लाख प्रति हैक्टेयर उत्पादन इसका होता है। इसलिए टिश्यू कल्चर के जो प्लांट हम लोग एक लाख प्लांट लेकर आये हैं वह चार-चार इंच के प्लांट लाये थे, अभी वह डेढ़ मीटर के हो गये, अगले पन्द्रह दिन में हम लोग उसको राजस्थान में स्थापित करने जा रहे हैं। एक और नई जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि अब हमको परम्परागत खेती को छोड़ कर कामर्शियल टाइम खेती को करना पड़ेगा,

(श्री प्रभुलाल सैनी)
हाई वेल्यू देने वाले, इल्ड देने वाली, उत्पादन देने वाली चीजों का। इसलिए राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में जहां पर 200 एम.एम. से कम बारिश होती है उस क्षेत्र को हम लोगों ने चुना है जिसमें राज्य के बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में डेट पाम की खेती भी हम लोग प्रारम्भ कर रहे हैं, पिण्ड खजूर की। उसके लिए अभी हम लोगों ने नेशनल लेवल पर उसके टेण्डर इनवाइट किये हैं। और इसकी वैरायटी में जो आठ-दस प्रकार की वैरायटी हम राजस्थान में स्थापित करेंगे उसमें हलावी, मैजूल, बरही, खूनेजी, कलास, जाइती, जामली, सगई, जगलूल और खदरावी, यह दस प्रकार के अपने पिण्ड खजूर हैं जो पूरे, जब पैदा होता है, उसको राजस्थान में करने का काम करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की भी चर्चा मैं आपसे करना चाहूंगा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-06 में सबसे पहले शुरू हुआ 13 जिलों में। उसके बाद 2006-07..

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): श्रवणजी, नाम तो सुनो।

श्री उपाध्यक्ष: सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2006-07 में चार जिले और अभी 2007-08 में छह जिले यानि राजस्थान में 23 जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन लागू किया हुआ है और इसमें जो बजट का प्रावधान है उपाध्यक्ष महोदय, 89.77 करोड़ रुपये है। इसलिए राजस्थान में यदि नये बगीचों की स्थापना हमारा किसान करना चाहता है, नर्सरियों का विकास करना चाहता है, ग्रीन हाउस की स्थापना करना चाहता है, शेड नेट, मधुमक्खी पालन, जैविक खेती, प्रमाणीकरण, बर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन हेतु इकाइयों की स्थापना, कोल्ड स्टोरेज, गृह पैक हाउस, रेफ्रीजरेटर वेन, मोबाइल प्रोसेसिंग इकाइयां, इन सारी चीजों की इस योजनान्तर्गत सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इन योजनाओं को अपन सुनें। (व्यवधान) शांति रखो, सोओगे ही तो जाकर, क्या करोगे। सब मिलकर अभी करेंगे और अभी तक हम लोगों ने राजस्थान में जो ग्रीन हाउस स्थापित करने का जो काम किया है उसमें हाइटेक नर्सरियों की स्थापना 47 की हम लोगों ने कर दी है, 37 की हम इसी मार्च तक कर लेंगे। प्लांट हेल्थ क्लिनिक के सात यूनिट की स्थापना हम लोगों ने कर दी है जिससे राज्य के किसानों का डाइवर्सिफिकेशन फसलों का होकर किसानों को इसका लाभ मिलेगा। माइक्रो इर्रिगेशन सिस्टम के बारे में आप सभी जानते

(श्री प्रभुलाल सैनी)

होंगे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आगे एक और मेरी बात कहना चाहूंगा क्योंकि राष्ट्रीय बागवानी मिशन में अभी पूरे राज्य में जो जिले हैं, अभी कृषि मंत्रीजी, भारत सरकार ने बजट में घोषणा की थी...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात कहनी थी, यह प्राकृतिक प्रकोप के बारे में भी आप कोई इंतजाम कर दो तो पता लग जाय। वह भी जरा बता दीजिये, प्राकृतिक प्रकोप में क्या करने वाले हो?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): यह अभी बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: वह भी कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): मंत्री महोदय, बचे हुए जिले भी शामिल हो रहे हैं क्या?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): मैं उसमें भी बता रहा हूं। मैं उसका भी बताऊंगा आपको। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जैसे कई माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे किसान को कुत्ता काट गया और उसकी मृत्यु हो गई हो, श्रवणजी ने, हमारे पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, राजस्थान के किसान को एक अंगुली भी यदि उसकी कृषि कार्य करते वक्त कटती है तो उसके लिए सरकार उसको तीन हजार रुपये देती है। उसके बाद दो अंगुली पर उसको छह हजार देती है, तीन पर साढ़े सात देती है और स्थायी विकलांगता पर उसको तीस हजार रुपये और मृत्यु हो जाती है बेचारे की तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पचास हजार रुपये के प्रावधान हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब आपको कितना लेना है, बता दो।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): नहीं, राठौड़ साहब। सीरियस।

श्री उपाध्यक्ष: श्रवणजी को सब जानकारी है इसकी। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): एक मिनट। अभी मेरी बात तो पूरी होने दो न, आपकी बात आ जायेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच वर्षों में, 1998 से 2003-04, विगत सरकार के आंकड़ों को हम देखें तो मात्र पांच वर्षों में 5895 लोगों को 11.10 करोड़ रुपये दिये। हमारे चार साल की सरकार में हम लोगों ने आने के बाद 2003 से एक जनवरी 2008 तक 10102 किसानों

(श्री प्रभुलाल सैनी)

को 30 करोड़ रुपये, 30.54 करोड़ रुपये हम लोगों ने अब तक दिये। और यही नहीं, हम लोगों ने इस योजना का सरलीकरण किया। इसमें कई प्रकार की जो आती थी, जो विधान सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी एक बार सदन में कहा था कि खेजड़ी के पेड़ पर गिर जाय तो क्या करो, हम लोगों ने सरलीकरण किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब हम लोगों ने इसको सरलीकृत करके यह प्रावधान किया है कि खेजड़ी पर चढ़कर या किसी पेड़ पर चढ़कर, यदि पशुपालन के लिए चारे के पत्ते काटते हुए किसी कारण से वह गिरता है, इसमें हम लोग उसको कवर करते हैं। यदि ऊंट पागल हो जाय और पागल खेती करते हुए यदि उसको खा जाए, उससे मृत्यु हो जाये तो उसको भी हम लोगों ने किया। हम लोगों ने शेर या कोई भी जानवर, जंगली जानवर किसान सो रहा हो और उसको घायल कर गया, उसको खा गया, हम लोगों ने उसको भी सम्मिलित किया है। और हम लोगों ने रीढ़-खम्भ किसी की टूट जाय, वह मरे नहीं, लेकिन हम लोगों ने उसको भी इसमें सम्मिलित करके उसको भी हम पैसे दे रहे हैं और जो कोमा में आ जाता है, वह मरता भी नहीं है लेकिन जो...

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): आते-जाते रास्ते में कोई सांड मार दे तो?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): तो वह खेती कर रहा है क्या रास्ते में?

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मानो आप मजदूरी के लिए और किसान की खेत से आते-जाते मृत्यु हो जाय, जैसे ऊंट काट जाय, झोंटा मारे, कोई और कारण से मृत्यु हो जाय, वह इसमें एड नहीं है।

एक माननीय सदस्य: है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): नहीं है। बिलकुल मैं सही, दावे के साथ कह रहा हूं, आज तक तो है नहीं और अब कर दिया तो मुझे पता नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कृषि का लग जायेगा उसके। कोई न कोई रास्ता निकाल लेगा किसान।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना में मात्र उन किसानों को लाभ दिया जाता है जो कृषि कार्य करते वक्त, मंडी में माल लेकर जा रहा है और बेचकर आ रहा है, दूसरे दिन तक

(श्री प्रभुलाल सैनी)

भी यह कवर करते हैं। वहां के पल्लेदार, वहां के सारे मजदूर, उनको भी हम कवर करते हैं। जितने मजदूर, खेतीहर मजदूर काम करने जाते हैं, उसको भी इस योजना में कवर किया हुआ है। और यदि फिर भी इस प्रकार के कोई गम्भीर विषय होंगे तो उसमें फिर से विचार करके सरकार किसानों के हित में निर्णय लेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक उपलब्धि के बारे में बताऊंगा, राज्य में मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि प्रत्येक सम्भाग में हम लोग किसान भवन बनायेंगे, हम लोगों ने पूरे सातों सम्भाग में किसान भवन की 23 करोड़ की स्वीकृति जारी कर दी। जयपुर का किसान भवन और अजमेर का किसान भवन किसानों को लोकार्पित कर दिया गया है। आपके जो बाकी बचे हैं, वह मार्च या अप्रैल तक सारे किसान भवन कर दिये जायेंगे। और अब आगामी वर्षों में प्रत्येक जिला लेवल पर किसान भवन बनाने का काम लिया है, इससे बढ़कर कल्याणकारी काम, मैं समझता हूं, किसानों के लिए और कोई हो नहीं सकता। अब उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा यह हुई...

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): वह कुत्ते वाला कर दिया क्या?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): अगर खेत में खा गया तो। अगर वह कृषि कार्य करते वक्त खा गया तो उसको फिर करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब फसल सुरक्षा, यानि मैंने उत्पादन की बात की है, मैंने मिट्टी परीक्षण की बात की है, मैंने कीट प्रबंधन की बात की है, मैंने सारी बात की है, अब मैं आ रहा हूं फसल सुरक्षा के क्या उपाय होंगे। राजस्थान में फसल सुरक्षा के तीन प्रकार के सुरक्षा उपाय हम लोगों ने किये हुए हैं। पहला राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, 2003 में (व्यवधान) नहीं, आपकी और हमारी सब की बात है, यह किसान की बात कर रहे हैं अपन, न आपकी कर रहे हैं, इसको दलगत राजनीति से ऊपर हमको उस किसान के बारे में चिंता, चिंतन-मनन-विचार करना चाहिए ताकि कुछ नई बातें आये और हम लोग उसको करें। हम 24 घंटे, न हम किसी दलगत की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार के काम जो हम लोगों ने कुशल प्रबंधन से किये हैं और भारत सरकार ने जो मदद दी है हम उनको भी धन्यवाद देंगे, हम उस बात से भी इन्कार नहीं कर रहे। इसलिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना राज्य में 2003-04 में हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने लागू की और उसको जो हम लोगों ने लागू किया तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे, यदि मैं खरीफ 2004 की बात करूं तो 133 करोड़ रुपये का मुआवजा

(श्री प्रभुलाल सैनी)

अब तक राज्य में 2004 में दिया। रबी 2005 में 46284 किसानों को 10 करोड़ 30 लाख रुपये दिये गये। खरीफ 2005 की बात करूं, 6 लाख किसानों को 216 करोड़ रुपये का भुगतान इन किसानों को किया गया। रबी 2005 की मैं बात करूं, 1.53 लाख किसानों को 84.43 करोड़ का भुगतान किया गया। और ख़रीफ़ 2006 की बात करें तो लगभग 180 करोड़ रुपए का किसानों को मुआवजा भुगतान किया गया है और रबी 2006-07 में 101.93 लाख किसानों को 52.65 करोड़ रुपए का दिया। और ख़रीफ़ 2007 में माननीय उपाध्यक्ष महोदय अभी छह महीने पहले जिनका बीमा करवाया था राजस्थान सरकार इतनी एडवांसट्रेटर है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि अभी स्टेट गवर्नमेंट से भी पैसा देना पड़े तो आपको देना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने जो 90.38 करोड़ रुपए जो ख़रीफ़ 2007 का भुगतान था माननीय उपाध्यक्ष महोदय हम लोगों ने कर दिया। लेकिन भारत सरकार का पैसा अब तक भी 19.14 करोड़ रुपए जो राजस्थान सरकार का हमने दे दिया प्रीमियम का पैसा दे दिया 70 करोड़ के लगभग हम लोगों ने भुगतान कर दिया। तथा जैसलमेर ज़िले का जो अभी इसका भुगतान बाकी चल रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर का, बीकानेर ज़िले के 8 हजार किसानों को ग्वार का भुगतान 19.14 करोड़ रुपए का है भारत सरकार से ज्योंही पैसा आएगा उन लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

अब दूसरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा फसल सुरक्षा उपाय के बारे में जो हम लोगों ने ठोस उपाय किए 2004 और 2005 में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मौसम बीमा योजना हम लोगों ने कोटा, बून्दी, झालावाड़ में आईसीआईसीआई नाबार्ड के माध्यम से संतरा, ईसबग़ोल, मेथी, जीरा और धनिया इन फ़सलों पर हम लोगों ने शुरू की थी और उसी को लेकर भारत सरकार ने भी इस योजना को प्रारम्भ किया है। मौसम आधारित मौसम बीमा योजना प्रारम्भ की है। मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों इसमें मौसम आधारित फसल बीमा योजना के बारे में सदन में जानकारी देना चाहूंगा। इसमें तीन प्रकार के रिस्क को कवर किया जा रहा है एक, गर्मी अथवा मध्यम तापमान में भी यदि वृद्धि होती है 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में यदि किसी गर्मी पड़ने के कारण से यदि फसल में नुकसान होता है इसमें कवर होगा, बेमौसम बरसात होगी एक फरवरी से लेकर 31 मार्च तक उसको कवर करेंगे और पाला जो

(श्री प्रभुलाल सैनी)

पड़ेगा एक दिसम्बर से 31 जनवरी के बीच में जो पाले से फ़सलें खराब होंगी उन सारे किसानों को जिन्होंने बीमा करवाया है। लेकिन उसमें यह शर्त रखी गयी है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो पाला पड़ेगा थ्री डेज, यानी तीन दिन तक जीरो टेम्परेचर पर जिस क्षेत्र में होगा चाहे किसान का नुकसान हुआ या नहीं हुआ हो, यह कोई मायने नहीं रखता। मायना रखता है कि थ्री डेज अगर वहां टेम्परेचर डाउन रहा है तो उन किसानों को इस योजना के अंतर्गत लाभ देने का काम है। और बेमौसम बरसात जिसमें 5 एमएम से ज्यादा जहां बारिश हुई है उसमें इनका देने का काम है। राजस्थान में अभी 10 ज़िलों को प्रायोगिक तौर पर भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने प्रारम्भ किया है। उनमें अजमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चुरू, श्रीगंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर ज़िलों को सम्मिलित करके 8 फ़सलें उनको सम्मिलित की हैं। जिसमें गेहूं, जो, चना, सरसों, मेथी, ईसबग़ोल, धनिया और जीरा सम्मिलित किए गए हैं। और अभी पिछले दिनों माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब पाला हुआ उस पाले में राजस्थान की मुख्य मंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने 126 करोड़ रुपए का पैकेज देकर एक इतिहास कायम किया है लेकिन मैं मौसम बीमा योजना के अंतर्गत मौसम आधारित बीमा, आप कहां जा रहे हैं? सुनो न बात तो...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज):...(व्यवधान) इसका लाभ कैसे मिलेगा और राष्ट्रीय बीमा योजना में आपने...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): आपने तहसील को इकाई माना या गांव को?

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): तो कोटा, बून्दी, झालावाड़, बारां में एक रुपया नहीं मिला है, बैंक के पैसे वसूल कर रही है, क्रेडिट कार्ड भी वसूल कर रही है, व्यावसायिक बैंक के पैसे वसूल कर रही है। इसमें या तो ऐच्छिक करो, ऐच्छिक करो आप चाहे वह बीमा करवाए क्योंकि पैसा मिलता ही नहीं, तहसील में पूरी में खराबा होता नहीं है तो इसका उस हिसाब से आप बताइए?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): किशनगंज से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार कहा है भारत सरकार की मैं उस घोषणा की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा बजट में जिन्होंने पैरा संख्या 69 में घोषणा की है कि वैकल्पिक और स्वैच्छिक बीमा की समस्या को ध्यान में रखते हुए अनिर्णीत करते हुए अभी पूर्ववर्ती अनुसार ही इसको चालू रखी जाएगी। यानी भारत सरकार के स्तर पर ही यह विचाराधीन चल रहा है और उन्होंने अपने

(श्री प्रभुलाल सैनी)
इस बजट की घोषणा में कहा है कि हमारे वैकल्पिक और स्वैच्छिक जिसको हम करना चाह रहे हैं वह अभी इसको अनिर्णीत रखते हुए हम वर्तमान में जो चला हुआ है यानी अभी उन्होंने इसको कम्पलसरी किया हुआ है। तो ज्योंही भारत सरकार करेगी, राजस्थान में भी इसको लागू करेंगे। और जहां तक तहसील इकाई से काम करने का सवाल है, पंचायत मुख्यालय या पटवार सर्किल का है इसमें राजस्थान सरकार ने काम करना प्रारम्भ कर दिया है। हम लोग इसकी पूरी फिजिबलिटी दिखवा रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने डायरेक्शन दिए हैं कि इसमें सारी स्थिति का जायजा लेने के बाद हम करेंगे और पाला पड़ने पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय बीकानेर ज़िले में, अरे बात ही नहीं सुने रहे हैं आप...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिए बात, तो सारी एकदम से आ जाएगी क्या?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): लेकिन मेरी बात तो सुनो, पाले से जो नुकसान हुआ है बीकानेर में खाजुवाला तहसील और छतरगढ़ तहसील में इसमें 6542 हैक्टेयर में, 6562 हैक्टेयर में 2848 किसानों को 4500 रुपए पर हैक्टेयर के हिसाब से मुआवजा इनको 45 दिन के अंदर शीघ्र दिया जाएगा। उस पैकेज के अलावा इनको दिया जा रहा है यह भुगतान। दूसरा बेमौसम बरसात से धनिया कोटा क्षेत्र में पीपल्दा में 2135 बीमित क्षेत्र हैक्टेयर में 1045 किसानों को साढ़े चार हजार रुपये हिसाब से और बेमौसम बरसात जिसमें पांच एमएम से ज्यादा बरसात हुई है जो बाड़मेर में बाड़मेर, बायतू, पोटन और जैसलमेर इन ज़िलों में 14516 हैक्टेयर में 4399 किसानों को 12500 रुपए प्रति हैक्टेयर के हिसाब से उनको इस योजना के अंतर्गत 45 दिन में मुआवजा उपलब्ध करा दिया जाएगा यह सदन में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):...(व्यवधान) एक भी बार पूरे सदन में झुन्झुनूं जिले का नाम ही नहीं लेते हो जब कि किसानों की, सबसे ज्यादा फसल वहां बोते हैं। अभी बीकानेर का नाम ले लिया, चूरू का नाम ले लिया, चूरू में क्या होता है? सर्दी पड़ती है, क्या होता है चूरू में बताइए? क्या होता है चुरू में...(व्यवधान) आप झुन्झुनूं ज़िले का नाम जोड़िए...(व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): मैं आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं, आपके हित की बात कर रहा हूं आप बैठेंगे तो कहूंगा न। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन मैं आखिर में आपको एक

(श्री प्रभुलाल सैनी)

योजना के बारे में बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने सब्जियों की भी चिंता की है, हमने राजस्थान के उन किसानों की सब्जियों की भी चिंता की है। जो किसान सब्जियां पैदा करता है लेकिन उसको औने-पौने भाव में सब्जियां बिकती हैं, उसकी चिंता करके राजस्थान में सब्जी निर्यात प्रोत्साहन योजना हम लोगों ने शुरू की है। और अब तक हम लोगों ने खाड़ी देशों में हम लोगों ने यहां से सब्जी बाई एयर भेज रहे हैं और अब तक लगभग 182 टन सब्जियां अब तक हम लोगों ने एक्सपोर्ट की हैं। और अभी हाल ही में आपको एक जानकारी देना चाहूंगा पेस वेजिटेबल एक्सपोर्ट के लिए समुद्री मार्ग से यह आपके यूएसए में मटर, जो कच्चा मटर है, उसके लिए भी डिमाण्ड आई है। छह तारीख को यहां से पहली बार रवाना करके सब्जियों का निर्यात भी पूरे इंटरनेशनल स्तर पर किए जाने का काम हम लोग राजस्थान में कर रहे हैं। इसलिए अब मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा नहीं कह कर मैं थोड़ा पशु पालन के बारे में कहना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष: बस बहुत हो गया अब, बहुत हो गया है, एकाध घोषणा कोई कर दें आप।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, कृषि से संबंधित एक प्रश्न है मेरा, एक प्रश्न है कृषि से संबंधित...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): कृषि संबंधी बात है आप यह बताइए माननीय मंत्री महोदय कि एरिड जोन और सेमी ऐरिड जोन में जो ज़िले हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं यह तो बताइए?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, कृषि से संबंधित एक मेरा प्रश्न है मंत्री महोदय पाली में...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): एरिड जोन और सेमी एरिड जोन में कौन-कौन से जिले हैं? उनके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या विचार हैं मंत्री महोदय? कृषि मंत्रीजी सड़क के बारे में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): बचे हुए ज़िलों का क्या किया मंत्री महोदय?

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है कृषि उपज मण्डी के चुनाव आपने करवाए, बीस साल में करवाए उसके लिए तो बधाई। लेकिन उस मण्डी के बाद आपके बोर्ड हैं उनको तो इतना अधिकार तो दे दो थोड़ा बहुत कुछ काम कर सके...(व्यवधान) आपकी सड़कों और वहां की जो काम मंजूर होने आते हैं एक-एक साल तक पेंडिंग पड़े रहते हैं, उसका सरलीकरण करने के लिए आप बताइए कैसे करेंगे आप?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय एक प्रश्न है मेरा पाली ज़िले में जीरा पूरा नष्ट हो गया, उसके बारे में आपने हमें कुछ नहीं कहा और दूसरा, पाली ज़िले के उन किसानों के लिए आप क्या कर रहे हैं जो उन फ़ैक्टरियों द्वारा दूषित जल से प्रभावित हैं? और तीसरा, आपने जितना प्रोडक्शन के लिए बताया 2004-05 में मंत्री महोदय आपका प्रोडक्शन था 19 बिलियन टन और 2007-08 में आपका प्रोडक्शन घटकर 15.75 बिलियन टन हो गया।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): मंत्री महोदय, आपने पहले भी मेरे को फरमाया था कि आप जवाब में इसको शामिल करने वाले हैं जो बागवानी मिशन में ज़िले नहीं जुड़े हैं...(व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): अब आ रहा हूं, इसी घोषणा में सुनो आप। यह घोषणा का पार्ट है, मैं आ रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ घोषणाएं, जो कृषि विभाग में हम लोग इस साल में जो करना चाहते हैं, उनकी घोषणा करना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहूंगा कि-

हर उदास चेहरे को राह दिखाना है
बिजलियों के साये में आसियां बनाना है
मंदिरों के दीप तो कोई भी जला लेगा
आंधियों के दर पर अब दीया हमको जलाना है।

इसलिए अब मैं कुछ घोषणाएं करना चाहूंगा। कृषि क्षेत्र में राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा 25 करोड़ रुपये की लागत से 65 हजार क्विंटल प्रतिवर्ष क्षमता के पांच नवीन विधायन केन्द्र जयपुर, सीकर, श्रीकरणपुर, जोधपुर, नागौर में खोले जाएंगे। झालावाड़ स्थित बीज विधायन केन्द्र की क्षमता को बढ़ाकर दुगुना किया जायेगा तथा 14 नये बीज गोदामों का निर्माण कराया जायेगा।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

उद्यानिकी क्षेत्र में बीस हजार हैक्टेयर में ड्रिप संयंत्र स्थापित किये जाकर कृषकों को पचास करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा व एक लाख हैक्टेयर में फव्वारा संयंत्र स्थापित किए जायेंगे जिस हेतु साठ करोड़ रुपयों के अनुदान का प्रावधान किया जा रहा है।

बूंद-बूंद सिंचाई हेतु बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सौर ऊर्जा चालित पंप...(व्यवधान) सौर ऊर्जा चालित पंप द्वारा बूंद-बूंद सिंचाई का नवाचार परीक्षण राजकीय क्षेत्र में चौदह स्थानों पर किया जायेगा। इस हेतु 77 लाख रुपये का कार्यक्रम हाथ में लिया जायेगा। उन्नत कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में सामान्य कृषकों को...(व्यवधान) अभी आ रहा हूं मैं उस पर। उन्नत कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में सामान्य कृषकों को पचास प्रतिशत तथा लघु व सीमान्त कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर 200 नवीन ग्रीन हाउस इस वर्ष में स्थापित कराये जायेंगे। 75 प्रतिशत, देश में पहला राज्य राजस्थान है पचास प्रतिशत से ज्यादा कहीं भी अनुदान नहीं मिल रहा है राजस्थान पहला राज्य है जहां ग्रीन हाउस पर 75 प्रतिशत अनुदान माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा दिया जा रहा है।

दुर्गापुरा में, अभी पूरे देश में पूणे में होर्टिकल्चर सेन्टर बना हुआ है जहां उद्यानिकी गतिविधियों पर दिया जाता है, राजस्थान में भी हम लोग उसको स्थापित करना चाहते हैं। दुर्गापुरा में हाइटेक होर्टिकल्चर इनोवेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण केन्द्र) की स्थापना की जाएगी।

वर्तमान में नेशनल होर्टिकल्चर मिशन में तेइस जिले सम्मिलित हैं। राज्य के शेष नौ जिलों में उद्यानिकी विकास की योजनाएं नेशनल होर्टिकल्चर मिशन के पेटर्न पर राजस्थान में लागू की जायेंगी। राजस्थान के पूरे के पूरे जिलों में हम लोग इसको लागू कर रहे हैं।

टोंक जिले के देवड़ावास नर्सरी को राज्य स्तरीय नर्सरी का दर्जा दिया जाकर 158 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है।

फलों की खेती को प्रोत्साहन देने हेतु रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट में मैसर्स फ्लोरेंस फ्लोरा, बैंगलोर के साथ सरकार ने एम.ओ.यू. किया है। इसका क्रियान्वयन किया जाकर जयपुर एवं अलवर में इसी महीने कार्य आरम्भ किया जायेगा एवं अगस्त-सितम्बर तक जरबेरा, कारनेंसन, डचरोज, स्टेटीस एवं कट फ्लावर्स का यहां पर राजस्थान में पहली बार शुरूआत करके इसका लाभ राजस्थान के किसानों को मिल पाएगा।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

तीसरा राज्य में खजूर की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रथम चरण में एक करोड़ नब्बे लाख रुपये की कार्य योजना तैयार की जा रही है... (व्यवधान) हां एक करोड़ नब्बे लाख यह प्रथम चरण है उसका तीन करोड़ अस्सी लाख है टोटल तो। एक करोड़ नब्बे लाख रुपये की कार्य योजना लागू की जाएगी। इस योजना में राज्य के बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों में राजकीय फार्म्स पर पौधारोपण हेतु टिस्यु कल्चर के पौधे मंगवाने के लिए अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर निविदा जारी भी की जा चुकी है।

कृषि विपणन क्षेत्र में फसलोत्तर प्रबंधन विकास हेतु प्रोत्साहन योजनाएं। सोहेला (टोंक) में एपिडा के सहयोग से चार करोड़ तीस लाख रुपये की लागत का पैक हाउस 120 मैट्रिक टन का बनाया जाएगा। मोडर्न प्रिकूलिंग, हाइड्रोकूलिंग, छंटाई, धुलाई, ग्रेडिंग, पैकिंग एवं रिफर वेन की सुविधा सब इसमें उपलब्ध होगी।

फल, सब्जी एवं फूल निर्यात प्रोत्साहन के लिए वर्ष 2008-09 के लिए हवाई मार्ग से निर्यात पर 3.50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से अनुदान दिया जायेगा।

राजस्थान कृषि उपज समुद्री भाड़ा अनुदान। फल, सब्जी एवं फूलों के निर्यात पर समुद्री भाड़े का 25 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा और मिर्च मूल्य संवर्धन अनुदान पर सवाईमाधोपुर, अलवर, भरतपुर, जोधपुर एवं टोंक जिलों में सोलर ड्रायर लगाने पर 25 प्रतिशत अनुदान मिर्ची सुखाने के उस पर दिया जायेगा।

प्याज मूल्य संवर्धन अनुदान योजना अलवर, झुंझुनूं, जोधपुर, नागौर, सीकर एवं जयपुर, प्याज के लिए विशेष प्रकार के भण्डार गृह बनाने पर 25 प्रतिशत या 500 रुपये प्रति टन जो भी कम होगा अनुदान दिया जायेगा।

प्याज की प्रसंस्करण इकाई लगाने पर 25 प्रतिशत या पांच लाख रुपये जो भी कम हो, का अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

सड़कों के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने के लिए 31 मार्च, 1999 तक निर्मित 661 सड़कें, लम्बाई 2063 किलोमीटर की परियोजना आर.आई.डी.एफ. (13) के अन्तर्गत नाबार्ड को प्रेषित कर दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत रुपये 128 करोड़ है। यह आने के बाद 31 मार्च, 1999 तक बनाने के लिए सभी सड़कों की स्पेशल रिपेयर का काम पूरा कर दिया जायेगा।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): समय सीमा क्या है इन सड़कों को रिकारपेट करने की?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): बस इसी में करेंगे आते ही जल्दी ही करेंगे। इसमें पुष्प उत्पादन के प्रति बढ़ते हुए रुझान को देखते हुए टर्मीनल मार्केट जयपुर में आधुनिक फूल मण्डी स्थापित की जाएगी।

कृषि उत्पादन व्यवसायियों की सुविधा के लिए मण्डी अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर सम्पूर्ण राज्य में एकीकृत लाइसेंस प्रणाली जिसके बारे में अभी कहा गया किसान का अभी जो ऑक्शन करते हैं बोली लगाते हैं, जिससे कि किसान को उचित पैसा नहीं मिलता, बिचौलिये खाते हैं। इसलिए राजस्थान में सिंगल लाइसेंस प्रणाली जारी की जायेगी और इसी विधान सभा में उसको पारित करके इसको 1 अप्रैल से उसको चालू करने की पूरी कार्यवाही की जायेगी।

कृषि उपज मण्डी अध्यक्षों के चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद में... (व्यवधान) कोई भी व्यापारी एक ले सकता है। (व्यवधान) कृषि उपज मण्डी समितियों के अध्यक्षों के पहली बार चुनाव हुए हैं लोकतंत्र की व्यवस्था कृषि मण्डियों में दी है। विशिष्ट श्रेणी 'अ' श्रेणी के अध्यक्ष को 2000 रुपये प्रतिमाह और ब, स, व द श्रेणी के अध्यक्ष को 1000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा।

दूरभाष की सुविधा विशिष्ट श्रेणी व 'अ' श्रेणी के अध्यक्ष को 450 काल्स के स्थान पर लेण्ड लाइन व मोबाइल हेतु 700 रुपये प्रतिमाह दिये जायेंगे। ब, स, व द श्रेणी के अध्यक्ष को 300 काल्स के स्थान पर लेण्ड लाइन व मोबाइल हेतु 450 रुपये प्रतिमाह दिये जायेंगे।

मण्डी समिति द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले छोटे प्रकृति के निर्माण कार्य/मरम्मत कार्यों की स्वीकृति के अधिकारों में बढ़ोतरी की जा रही है। विशिष्ट मण्डी और 'अ' श्रेणी की जो मण्डियां हैं उसमें एक बार में 30,000 रुपये और एक वर्ष में तीन लाख रुपये की जो सीमा थी उसको बढ़ाकर एक बार में एक लाख रुपये और इसको बढ़ाकर पचास हजार रुपये, इसको बढ़ाकर आठ लाख की सीमा की घोषणा करता हूं। ब व स श्रेणी में एक बार में 15,000 रुपये एवं एक वर्ष में डेढ़ लाख रुपये की सीमा को बढ़ा कर एक बार में मुख्य मण्डी में 75 हजार रुपये व सब यार्ड में तीस हजार रुपये और एक

(श्री प्रभुलाल सैनी)

वर्ष के लिए पांच लाख रुपये की स्वीकृति के उनको अधिकार दिये जाते हैं। द श्रेणी की मण्डी को 15,000 रुपये एक बार में एक वर्ष में डेढ़ लाख रुपये एक बार में मुख्य मण्डी प्रांगण में बढ़ाकर पचास हजार रुपये व एक वर्ष में तीन लाख रुपये की इनको स्वीकृति करने के अधिकार हो गये हैं।

मण्डी समिति में निर्मित सड़कों के उचित रखरखाव को दृष्टिगत रखते हुए पूरी मण्डी समितियों में 15,000 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से मेंटीनेंस और रिपेयर करने के अधिकार मण्डी समितियों को दिये जाते हैं ताकि वो अपनी मरम्मत का काम वहीं स्वीकृत करा कर वो उनको कर लें।

डेयरी के क्षेत्र में राज्य में दो नये जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़ व टोंक में स्थापित किये जाएंगे। दो नये दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ बना रहे हैं। वर्ष 2008-09 में 1100 नये मिल्क बूथ आबंटित किये जाएंगे। ये सभी बूथ महिलाओं को ही आबंटित किये जायेंगे। राज्य में 80 नये सरस मिल्क पार्लर खोले जायेंगे।

जैसलमेर में 6.50 करोड़ रुपये की लागत से एक नये मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जायेगी और ग्रामीण क्षेत्रों विशेषत: जनजाति, मरु, डांग तथा दूरदराज के क्षेत्रों में दूध संकलन को प्रोत्साहन देने तथा संकलित दूध की गुणवत्ता अच्छी रखने के लिए वर्ष 2008-09 में पचास करोड़ रुपये की लागत से 500 नये बल्क मिल्क कूलर स्थापित किये जायेंगे।

मत्स्य के क्षेत्र में राज्य में मत्स्य पालन को विस्तार देने एवं मछली उत्पादन को 25 हजार मैटिक टन से बढ़ाकर 35 हजार मैट्रिक टन करने के लिए मत्स्य बीज उत्पादन एवं पालन में जन भागीदारी को बढ़ाया दिया जायेगा। सजावटी मछली, झींगा पालन की गतिविधियों को प्रारम्भ किया जायेगा और विभागीय बीज उत्पादन केन्द्रों का आधुनिकीकरण के साथ-साथ मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय, उदयपुर को सुदृढ़ किया जाकर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रारम्भ किये जायेंगे। इन कार्यों के लिए 15 करोड़ रुपये का विशेष प्रोजेक्ट प्रारम्भ किया जायेगा। जिसमें से 2008-09 में दो करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं...

श्री उपाध्यक्ष: अब बहुत हो गया।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): अब इतना मेरे पास नहीं है मैं आपको कहना चाहूंगा श्रवणजी, खास तौर से आपको कि रोबोर्ट प्लास्ट ने जो सोचा है, ‘‘Woods are lovely, dark and deep. But I have promises to keep on miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep."

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आज नेहरूजी की बात कह दी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान की मांग संख्या-37 और 39 स्वीकार की जाये।

मांगों का पारण

मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

श्री उपाध्यक्ष: मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,47,45,4000/- (अक्षरे रुपये सतरह अरब सैंतालीस करोड़ पैंतालीस लाख चार हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-37 कृषि

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या-37 कृषि के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,76,57,00,000/- (अक्षरे पांच अरब छियत्तर करोड सत्तावन लाख) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये

(श्री उपाध्यक्ष)

जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,21,4,43,000/- (अक्षरे दो अरब इक्कीस करोड़ चार लाख तियालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 4 मार्च, 2008 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन बैठक 22.31 बजे मंगलवार दिनांक 4 मार्च, 2008 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

अन्यत्र पंजीयन व्यवस्था से उत्पन्न पेचीदगियां

89. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में अपने निर्धारित क्षेत्र के बजाय जिले में कहीं भी विक्रय पत्र पंजीयन करवाने की छूट कब दी गई और इसके क्या आधार रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस प्रकार के प्रकरण सरकार के ध्यान में आये हैं कि इस तरह निर्धारित तहसील में रजिस्ट्री नहीं करवाने की छूट के कारण कई गलत पंजीयन हो रहे हैं तथा दावे, मुकदमें बढ़ रहे हैं? यदि हां, तो सरकार इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने हेतु क्या उपाय करने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार क्रेता और विक्रेता के सत्यापन के साथ रिकार्ड की दुरुस्ती भी मौके पर देखी-परखी जा सके, इसके लिये अपने निश्चित क्षेत्र में ही पंजीयन कराने के लिये पंजीयन प्रक्रिया में सुधार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में निर्धारित क्षेत्र के बजाय सर्वप्रथम जयपुर शहर सहित आमेर, सांगानेर तहसील के क्षेत्र के दस्तावेजों का उक्त क्षेत्र में कहीं भी पंजीयन की छूट अधिसूचना क्रमांक एफ.12(14)एफडी/टैक्स/2006-145 व एफ-12(14)एफडी/टैक्स/2006-146 दिनांक 08.03.2006 के द्वारा दिनांक 01.04.2006 से प्रदान की गई थी। इसके पश्चात राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.12(28)वित्त/कर/07-155 एवं क्रमांक प.12(28)वित्त/कर/07-156 दिनांक 09.03.2007 से राज्य में जिले में स्थित सम्पत्ति का पंजीयन जिले में कहीं भी कराने की छूट दी गई। उक्त योजना आम नागरिक को अपने निकटतम पंजीयन कार्यालय में दस्तावेज पंजीयन कराने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई है।

(2) अब तक इस सम्बन्ध में विभाग को इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है।

(3) जी नहीं। उक्त योजना पंजीयन अधिनियम 1908 में निर्दिष्ठ प्रावधानों के अनुसार ही क्रियान्वित की जा रही है। आवश्यक प्रतीत होने पर वांछित सुधार किया जा सकेगा।

सड़क सुधार/निर्माण कार्यान्तर्गत काटे गये वृक्ष

90. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सड़कों की चौड़ाई एवं स्तर बढ़ाने के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए सड़कों के दोनों तरफ लगे हुए वृक्षों की कटाई की जा रही है? यदि हां, तो वृक्षों के काटे जाने/नष्ट किए जाने बाबत क्या प्रक्रिया निर्धारित की हुई है? वृक्ष काटे जाने के लिए जारी दिशा-निर्देश/आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) काटे/नष्ट किए जाने वाले वृक्षों की संख्या के मुकाबले कितने गुना वृक्ष लगाये गये तथा आगे इस बाबत क्या योजना निर्धारित की हुई है? वर्ष 2004 से अब तक इस बाबत की गई कार्यवाही के विवरण सहित निर्धारित की गई योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा काटे जाने वाले वृक्षों के निस्तारण एवं उनसे आय प्राप्त की जाने सम्बन्धी आदेश/दिशा-निर्देश जारी किए हुए हैं? यदि हां, तो आदेश/निर्देश की प्रति सहित वर्ष 2004 से अब तक प्राप्त आय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सड़कों की चौड़ाई एवं सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यकतानुसार सड़कों के किनारे लगे वृक्षों को काटा जाता है।

सड़कों के किनारे घोषित वन क्षेत्र में वृक्षों को काटने से पूर्व भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त की जाती है। अधिनियम की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

गैर वन भूमि में सड़क के किनारे लगे हुये वृक्षों को आवश्यकतानुसार काटने के लिये भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 94 (क), 94 (ख) (2) के तहत संबंधित जिला कलक्टर से प्राप्त की जाती है। अधिनियम की प्रतिलिपि परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) घोषित वन क्षेत्र में एवं गैर वन भूमि में पेड़ों के काटने हेतु प्राप्त स्वीकृति आदेश में दी गई शर्तों के अनुसार नये पेड़ लगाने की कार्यवाही की जाती है। जो प्रत्येक प्रकरण के अनुरूप अलग-अलग होती है।

वर्ष 2004 से अब तक मुख्यतया रिडकोर द्वारा मेगा हाइवे निर्माण हेतु एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राजमार्गों को चौड़ा करने के लिये पेड़

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

काटे गये थे। रिडकोर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा काटे गये पेड़ एवं लगाये गये पेड़ों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	एजेन्सी का नाम	स्वीकृति अनुसार काटे जाने वाले पेड़ों की स्वीकृति संख्या	स्वीकृति अनुसार लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या	अब तक लगाये गये पेडों की संख्या
1	रिडकोर	18817	33489	11808
2	एनएचएआई	164642	596104	16000

(3) गैर वन भूमि से काटे गये वृक्षों का निस्तारण से प्राप्त आय को मद 8782-फारेस्ट रैमीटेन्स में जमा करायी जाती है जिसे बाद में लैण्ड रेवेन्यू हैड 0029 भू-राजस्व में परिवर्तित कर दिया जाता है। रक्षित वन घोषित क्षेत्र में से काटे जाने वाले वृक्षों से आय वन विभाग द्वारा प्राप्त की जाती है। वन विभाग द्वारा वर्ष 2004-05 से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व रिडकोर के कार्यों पर काटे गये पेड़ों से अब तक रुपये 746.22 लाख प्राप्त हुये हैं। प्राप्त आय का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पाली जिले में राजस्व अभियानों में पुश्तैनी कब्जों का नियमन

91. **श्री सी.डी. देवल** (रायपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने पाली जिले में सिवाचयक भूमि पर अतिक्रमण को पुराने बने हुए बाड़े व मकान बताकर नियमन करने का आदेश दिया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी आदेशों/निर्देशों एवं नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गत चार वर्षों में राजस्व अभियान चलाये गये हैं? यदि हां, तो उन अभियानों में विधान सभा क्षेत्र रायपुर के किस-किस गांव में कितने बाड़े, मकान नियमित किये गये और कितने अतिक्रमणों की कृषि भूमि का नियमन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सी.डी. देवल)

(3) क्या यह सही है कि वर्षों से मगरा क्षेत्र में बसे हुए गरीब लोगों के मकानों और बाड़ों को इन्द्राज नहीं किया गया है? यदि हां, तो सरकार किस प्रकार पीढ़ियों से बने हुए मकानों और बाड़ों का नियमन करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि राजस्व अभियान के दौरान अधिकतर नामान्तरकरण मृत व्यक्तियों के वारिसों के नाम दिये गये हैं? यदि हां, तो प्रत्येक पटवार सर्किल में गत चार वर्षों में किये गये नामान्तरकरणों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1.1.2000 से पूर्व के बने हुए बाड़ों व मकानों को नियमन किये जाने के आदेश समस्त राजस्थान के लिए जारी किया है। पाली जिला के लिए पृथक से कोई आदेश जारी नहीं है। (परिपत्र की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।)

(2) जी हां। विगत चार वर्षों में राजस्व अभियान चलाये गये हैं। उन अभियानों में विधान सभा क्षेत्र रायपुर की तहसील रायपुर क्षेत्र के ग्राम चिताड़ में एक बाड़ा व मकान 500 वर्गगज का नियमन किया गया एवं दो अतिक्रमणों की कृषि भूमि क्रमशः कोट किराना में 4.15 बीघा भूमि तथा पचानपुरा में तीन बीघा कृषि प्रयोजनार्थ नियमन किया गया। विधान सभा क्षेत्र रायपुर के तहसील सोजत के 12 गांवों में 26 प्रकरणों में कृषि भूमि नियमन किया गया है तथा 34 बाड़ों का नियमन किया गया है। (परिशिष्ट ''ब'' एवं ''स'' पर संलग्न है।)

(3) मगरा क्षेत्र में बसे हुए लोगों के सरकारी भूमि में बने मकान व बाड़ों की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाती है। जिन लोगों का नियमित कब्जा है उनकी नियमानुसार नियमन की कार्यवाही की जाती है। पीढ़ियों से बने मकानों व बाड़ों का सरकार द्वारा दि. 1.1.2000 से पूर्व के उक्त अतिक्रमणों का नियमन की कार्यवाही नियमान्तर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(4) जी नहीं। पाली जिले के कुल 30420 नामान्तरकरण अभियानों के दौरान भरे गये जिनमें से केवल 11780 नामान्तरकरण मृत व्यक्तियों के वारिसों के नाम भरे गये हैं।

(परिशिष्ट पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर के राजस्व ग्रामों में आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना

92. **श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र, बाड़मेर के अनेकों राजस्व गांव अभी भी आंगनबाड़ी की सुविधाओं से वंचित हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सभी राजस्व गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, बाड़मेर की पंचायत समिति सिणधरी का एक गांव, पंचायत समिति बाड़मेर के 16 गांव तथा पंचायत समिति बायतू के 18 गांव आंगनबाड़ी से जुड़े हुए नहीं है। पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनबाड़ी विहीन राजस्व ग्रामों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले ग्रामों के प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये गये हैं। भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अनुरूप आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट-अ

पंचायत समिति/परियोजना सिणधरी

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व गांव
1.	कुडला	मगने की ढाणी
पंचायत समिति/परियोजना बाड़मेर		
क्र. सं.	**ग्राम पंचायत का नाम**	**राजस्व गांव**
1.	मारूडी	तनसिंहपुरा
2.	भादरेश	कमोईपुरा
3.	बोला	वीबडा
4.	बिशाला आगोर	सातल भाखरी
5.	बिशाला	छापरी

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व गांव
6.	नॉद	लोपल नाड़ी
7.	बाड़मेर आगोर	लालणियों की ढ़ाणी
8.	बाड़मेर आगोर	उदयनगर
9.	बाड़मेर आगोर	आदर्श आगोर
10.	देरासर	काछबाणियों की ढ़ाणी
11.	देरासर	बानो का तला
12.	इन्द्रोई	चावा
13.	इन्द्रोई	शहीद पहाड़सिंह नगर
14.	सिहांणी	भंवरलाई
15.	बालेरा	जहान नगर
16.	दूदाबेरी	सेसावा

पंचायत समिति/परियोजना बायतू

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व गांव
1.	अकदडा	सुजाणिया नाड़िया
2.	अकदडा	भादासर
3.	बायतू भीमजी	बनिया सांडा धोरा
4.	बाटाडू	हेमाणियों का तला
5.	अकदडा	दानासर
6.	अकदडा	फुलासर
7.	अकदडा	मूलोणी
8.	अकदडा	खानजी का तला
9.	अकदडा	जतपुरा
10.	चिड़िया	लोपली
11.	चिड़िया	भाकरी
12.	जाजवा	राजपुरा
13.	माधासर	आहोणियों बेनिवालों की ढ़ाणी
14.	सिंगोडिया	हरखाली
15.	सिंगोडिया	नई रेवाली
16.	सिंगोडिया	डेडवाली
17.	सिंगोडिया	नया सिंगोडिया
18.	सिंगोडिया	गोमतेश्वर

तारांकित प्रश्न संख्या-93

(स्थगित)

राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव में पर्याप्त पानी की उपलब्धता हेतु कार्य योजना

94. **श्री जीतराम** (मालपुरा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पर्याप्त मात्रा में पानी न होने के कारण अनेक विदेशी पक्षियों का आना कम हो गया है? यदि हां, तो सरकार इस हेतु क्या कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होने के कारण विदेशी पक्षियों का आना कम हुआ है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पानी की व्यवस्था हेतु योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

1. चिकसाना कैनाल परियोजना, लागत 41.00 लाख रुपये। यह परियोजना पूर्ण हो चुकी है।
2. गोवर्धन ड्रेन परियोजना, लागत लगभग 60.00 करोड़ रुपये। पाइप लाइन के द्वारा गोवर्धन ड्रेन से केवलादेव नेशनल पार्क तक पानी पहुंचाने की योजना प्रस्तावित है।
3. चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल योजना, इस पेयजल योजना से केवलादेव नेशनल पार्क को पानी उपलब्ध कराया जाना है।

झालावाड़ में निर्मित सहकार भवन का निर्माण

95. **श्री प्रहलाद गुंजल** (रामगंजमण्डी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा झालावाड़ में सहकार भवन का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो उसके निर्माण में कितनी लागत आई तथा उक्त भवन का निर्माण कार्य कब आरम्भ हुआ और भवन कितने माह में बनकर तैयार हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

(2) क्या उक्त नवनिर्मित सहकार भवन में विभाग ने कार्य आरम्भ कर दिया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। एक सहकार भवन झालावाड़ में बनवाया गया है। इस भवन में लागत रु. 162.45 लाख की आयी है। भवन के निर्माण का सिविल कार्य मई, 2005 में आरम्भ होकर 2 वर्ष 5 माह में पूर्ण हुआ है। तत्पश्चात बिजली, पानी, कांच इत्यादि के कार्य हुए हैं।

(2) जी नहीं। क्योंकि भवन का अभी केवल सिविल कार्य पूर्ण हुआ है। वर्तमान में कचरा व निर्माण कार्य का मलवा हटाने व सूचना पट्ट खण्ड विभाजन, रेखांकन का कार्य हो रहा है।

शहरी विकास हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि

96. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) केन्द्र सरकार द्वारा शहरों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में कितनी-कितनी राशि सरकार को प्राप्त हुई व उक्त राशि में से कितनी राशि व्यय किया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) व्यय हुई राशि का शहरवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार द्वारा शहरों के विकास के लिए केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में जे.एन.एन.यू.आर., यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी एवं आई.एच.एस.डी.पी, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना अन्तर्गत क्रमश: 4146.93 लाख, 4300.70 लाख, 3925.55 लाख एवं 852.93 लाख कुल प्राप्त राशि 13226.11 लाख रुपये प्राप्त हुए। उक्त योजनाओं में प्राप्त राशि में से रुपये 5341.07 लाख, 1451.35 लाख 785.78 लाख एवं 636.82 का व्यय किया गया है। उक्त योजनाओं में 5011.09 लाख रुपये शेष हैं। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) व्यय हुई राशि का शहरवार विवरण परिशिष्ट 'क', 'ख', 'ग', व 'घ' पर संलग्न है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अन्तरराष्ट्रीय सीमा स्थित प्रतिबन्धित क्षेत्र में भूमि की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबन्ध

97. **श्री लालचन्द कटारिया** (आमेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में राज्य के सीमावर्ती जिलों में अन्तरराष्ट्रीय सीमा के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में जमीन की खरीद-फरोख्त के अनेक प्रकरण उजागर हुये हैं? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितने-कितने प्रकरणों में कब-कब प्रतिबंधित क्षेत्र में जमीन के बेचान की रजिस्ट्रियां की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बेचानों का पंजीयन किये जाने में पंजीयन नियमों की पालना नहीं किये जाने के सम्बन्ध में किस-किस अधिकारी को दोषी पाया गया एवं उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सीमान्त क्षेत्र के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उक्त क्षेत्र में जमीन की खरीद-फरोख्त पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार गत दो वर्षों में सीमावर्ती इलाकों में जमीन की खरीद बेचान के प्रकरणों की उच्च स्तरीय समीक्षा करने हेतु कोई जांच समिति बनाकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के जिला बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर एवं बीकानेर में गत दो वर्षों में (2006 व 2007) प्रतिबन्धित क्षेत्र में जमीनों के बेचान के 4862 दस्तावेजों की रजिस्ट्रियां की गई। जिलेवार सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त बेचानों में पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए सपठित धारा 52 के प्रावधान अनुसार विक्रेता/क्रेता के फोटो व अंगूठा निशानी नहीं लिये जाने के कारण संबंधित उप पंजीयकों को दोषी पाया गया एवं सभी 24 संबंधित उप पंजीयकों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आरोप पत्र विभाग द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किये

(वित्त मंत्री)

गये। तथा राजस्व मण्डल द्वारा 4 उप पंजीयक शिव, गढरारोड, जैसलमेर एवं पोकरण को निलम्बित किया गया। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) जी हां। सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिसूचित प्रतिबंधित क्षेत्र में गत 3 वर्षों में भूमि खरीद के प्रकरणों की उच्च स्तरीय समीक्षा हेतु विशेष जांच समिति उप महानिरीक्षकगण, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जोधपुर, पाली, बीकानेर एवं हनुमानगढ़ के नेतृत्व में दि. 22.12.2007 को गठित की गई।

(परिशिष्ट विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

फुलेरा की मिसिंग लिंक सड़कें

98. **श्री नवरतन राजोरिया** (फुलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में मिसिंग लिंक रोड के कार्य कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र के किन-किन गांव को मिंसिग लिंक रोड से जोड़ा जाएगा?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में रामपुरा, पचार बधाल से खाटूश्यामजी, बधाल से दादिया एवं बासड़ी कलां से रायथल की मिसिंग लिंक सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि रामपुरा से पचार मार्ग पर दो किलोमीटर का कच्चा मार्ग होने के कारण किशनगढ़ रेनवाल से पचार के आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष में इस मिसिंग लिंक सड़क को बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में मिसिंग लिंक योजना में फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में पांच कार्य करवाये जा रहे हैं विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्णित सड़क का निर्माण करवाना राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(3) जी हां। 2 किलोमीटर की लम्बाई में रामपुरा से पचार कच्चा मार्ग होने के कारण किशनगढ़ रेनवाल से पचार के आवागमन में परेशानी का

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सामना करना पड़ता है। वर्णित सड़क का निर्माण करवाना राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट 'अ'

क्र. सं.	जिला	कृ.उ.म.स.	विधान सभा क्षेत्र	परियोजना (सड़क) का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1.	जयपुर	कि. रेनवाल	फुलेरा	मिसिंग लिंक हरसोली (चौमूं-रेनवाल रोड) से बासड़ी खुर्द (कि.मी. 0/0 से 2/200) (ग्रामीण सड़क)	2.20	38.00
2.	जयपुर	कि. रेनवाल	फुलेरा	मिसिंग लिंक सलहदीपुरा से ठीकरिया (जिला जयपुर) सीमा (कि.मी 0/0 से 1/200) (ग्रामीण सड़क)	1.20	18.00
3.	जयपुर	कि. रेनवाल	फुलेरा	मिसिंग लिंक शाइपुरा से जयसिंहपुरा (कि.मी. 0/0 से 2/100) (ग्रामीण सड़क)	2.10	30.00
4.	जयपुर	कि. रेनवाल	फुलेरा	मिसिंग लिंक रामपुरा से रायथल (कि.मी. 0/0 से 1/400) (ग्रामीण सड़क)	1.40	20.00
5.	जयपुर	कि. रेनवाल	फुलेरा	मिसिंग लिंक बबेरवालों की ढाणी से बन्सीपुरा (कि.मी. 0/0 से 3/100) (ग्रामीण सड़क)	3.10	44.00
			योग :-		**10.00**	**150.00**

हज यात्रा के असफल जायरीनों की जमा राशि की वापसी

99. श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) : क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2006 के दिसम्बर माह में हज यात्रा पर जाने के लिये कुर्रा निकलने के बाद कुर्रा में नम्बर न आने वाले कुछ जायरीनों को उनकी जमा राशि अब तक नहीं लौटाई गई है यदि हां, तो क्यों व इसके लिये कौन अधिकारी दोषी हैं व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? सरकार अब कब तक राशि लौटाने का विचार रखती है?

उत्तर

जी नहीं। हज यात्रा-2006-II के असफल हज आवेदकों को उनकी बकाया राशि राजस्थान राज्य हज समिति द्वारा लौटाई जानी है। शेष कुछ असफल हज आवेदकों को राशि शीघ्र लौटाने की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है।

जनजाति विकास हेतु महाराष्ट्र पैटर्न पर आबंटित राशि

100. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2003-04 से जनवरी, 2008 तक राज्य योजना की मदवार कुल कितनी राशि थी? इसमें से कितने प्रतिशत राशि जन जाति उप योजना क्षेत्र में दी गई तथा व्यय की गई? वर्षवार मदवार राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आदिवासियों के विकास के लिए वर्ष 1999-2000 में महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया गया है? यदि हां, तो वर्तमान सरकार द्वारा महाराष्ट्र पैटर्न लागू करने के लिए क्या नीतियां बनाई गई? पिछले चार वर्षों में महाराष्ट्र पैटर्न के तहत कितना-कितना बजट का आबंटन किया गया तथा वास्तविक व्यय कितना किया गया? आबंटन एवं व्यय का प्रतिशत सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जनजाति क्षेत्र के लिए आबंटित राशि का उपयोग संबंधित विभागों द्वारा पूर्ण रूप से किया गया है? यदि हां, तो भौतिक उपलब्धियां क्या रहीं? यदि पूर्ण उपयोग नहीं किया गया तो क्यों? आगे के लिए कौन से सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित हैं।

उत्तर

(1) वर्ष 2003-04 से जनवरी, 2008 तक राज्य योजना की वर्षवार, मदवार राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। इसमें से स्वीकृत कुल

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

राशि, जनजाति उपयोजना क्षेत्र (अनुसूचित क्षेत्र) में दी गई राशि का प्रतिशत तथा खर्च राशि का विवरण निम्नानुसार है -

(राशि लाखों में)

वर्ष	कुल आबंटित राशि	अनुसूचित क्षेत्र में आबंटित	कुल में से अनुसूचित क्षेत्र का	अनुसूचित क्षेत्र में व्यय राशि
2003-04	6932.91	5024.45	72.47%	6142.56
2004-05	9806.27	6715.82	68.48%	6586.04
2005-06	11933.44	8585.15	71.94%	7172.87
2006-07	14100.32	9810.19	60.64%	8058.96
2007-08	13997.10	9965.37	71.20%	5019.45

(2) जी हां। महाराष्ट्र पैटर्न लागू करने हेतु वर्तमान सरकार द्वारा राशि में निरंतर वृद्धि की गई। नीति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। पिछले चार वर्षों में महाराष्ट्र पैटर्न के तहत आबंटन (प्राप्त राशि), खर्च राशि तथा खर्च का प्रतिशत निम्नानुसार है :-

(राशि लाखों में)

वर्ष	कुल आबंटित राशि	वास्तविक व्यय राशि	व्यय राशि का प्रतिशत
2003-04	500.00	1082.14	216.43
2004-05	3120.27	2305.54	73.89
2005-06	7733.11	4851.97	6274
2006-07	6831.43	6014.63	88.04
योग	**18184.81**	**14254.28**	**78.39**

आबंटन, वास्तविक व्यय तथा व्यय का प्रतिशत का क्षेत्रवार (उपयोजना क्षेत्र, माडा, माडा कलस्टर बिखरी एवं सहरिया का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(3) जी नहीं। जनजाति क्षेत्र के लिए आबंटित राशि का उपयोग संबंधित विभागों द्वारा पूर्ण रूप से नहीं किया गया। निर्माण कार्यों में स्वीकृति जारी होने के पश्चात 12 से 18 माह का समय पूर्ण होने में लगना स्वाभाविक है। प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात स्थान अनुमोदन, तखमीना अनुमोदन, टेण्डर प्रक्रिया प्रक्रिया आदि कार्यो में समय लगता है। इस समस्या के निराकरण हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 2(2)(2)टीएडी/2001-02 दिनांक 6-8-2007 द्वारा निर्माण कार्यो को पूर्ण करने हेतु अधिकतम समयावधि 1 वर्ष निर्धारित की है। इसी प्रकार विभागीय आदेश क्रमांक एफ5/अभि/ सीटीएडी/त.परिपत्र/2002/दिनांक 18-10-2007 द्वारा परियोजना/उपयोजना अधिकारियों (जनजाति) को निर्देश प्रदान किये गये हैं कि शासकीय/अर्द्ध शासकीय कार्यकारी एजेन्सीज को स्वीकृत राशि एक माह में शत-प्रतिशत हस्तान्तरित कर दी जावे, ताकि राशि हस्तान्तरण के अभाव में कार्य में विलम्ब नहीं हो। इसके अलावा जिला स्तर पर व राज्य स्तर पर समीक्षात्मक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(नीति की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सरिस्का वन अभ्यारण्य में बाघों के पुनर्वास हेतु प्राप्त सिफारिशों का क्रियान्वयन

101. **श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र में बाघों की वर्तमान में संख्या कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरिस्का में बाघों के पुर्नवास हेतु कोई योजना सरकार के प्रस्तावित/विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरिस्का बाघ परियोजना में कितनी-कितनी संख्या में अन्य पशु पक्षी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरिस्का के लिये गठित स्टेट टास्क फोर्स एवं सेन्ट्रल टास्क फोर्स द्वारा कोई रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की गई है? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

(5) क्या सरकार उक्त रिपोर्ट को लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र में बाघों की वर्तमान में संख्या शून्य है।

(2) सरिस्का में बाघों के पुर्नवास के लिये 154 लाख रुपये की एक योजना प्रस्तावित की गयी है जिसकी स्वीकृति भारत सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

(3) वर्ष 2007 की अन्य जीव गणना के अनुसार सरिस्का बाघ परियोजना में अन्य पशु-पक्षियों की संख्या का आंकलन परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(4) राज्य सरकार द्वारा माननीय श्री वी.पी. सिंह सांसद की अध्यक्षता में ''कमेटी ऑन फोरेस्ट्री एण्ड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट'' का गठन किया गया था। उक्त कमेटी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। केन्द्र सरकार द्वारा सुश्री सुनीता नारायण की अध्यक्षता में गठित टाइगर टास्क फोर्स की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की गई है।

(5) जी हां। ''कमेटी आन फोरेस्ट्री एण्ड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट'' द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की क्रियान्विति प्रगति पर है। राज्य सरकार के उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अभिशंसाओं की क्रियान्विति की जा रही है।

परिशिष्ट 'क'

वर्ष 2007 की वन्य जीव गणना के अनुसार सरिस्का बाघ परियोजना में अन्य पशु-पक्षी पाये जाने का आकलन

क्र. सं.	नाम वन्य जीव	संख्या
1.	चीतल	4243
2.	सांभर	7309
3.	रोजडा	9342
4.	जंगली सुअर	5820
5.	जैकाल (गीदड़/सियार)	1996
6.	हाइना (जरख)	294

क्र. सं.	नाम वन्य जीव	संख्या
7.	चौसिंगा	4
8.	केरेकल (सियागोश)	4
9.	जंगली बिल्ली	192
10.	पोरक्यूपाइन (सेही)	410
11.	बिज्जू	175
12.	सिवेट	37
13.	बन्दर	2432
14.	लंगूर	8724
15.	मोर	8724
16.	गिद्ध	289
17.	बघेरा	59-61
18.	नेवला	70
19.	मगरमच्छ	19

राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी द्वारा बीकानेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार से क्रय औषधियां

102. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 01 जनवरी, 2004 से 31 अगस्त, 2006 के मध्य राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी द्वारा बीकानेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड से क्रय की गई सभी दवाइयां जी.एम.पी. सर्टिफिकेट प्राप्त कम्पनियों की ही थी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखते हुए यह भी बताएं कि क्या उक्त होलसेल भण्डार से क्रय की गई दवाओं के साथ जी.एम.पी. सर्टिफिकेट भी मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी को दिया गया? यदि हां, तो दिये गए सर्टिफिकेट की प्रति भी सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि क्रय समिति की दिनांक 08 फरवरी, 2005 की बैठक में कैंसर रोग से संबंधित दवाइयों को जी.एम.पी. सर्टिफिकेट न होने के कारण क्रय के लिए अयोग्य करार कर, उसी साल्ट की दवाइयां बीकानेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार/अन्य विक्रेताओं से क्रय की गई? यदि हां,

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

तो 01 जनवरी, 2004 से 31 अगस्त, 2006 के मध्य कब-कब, किस-किस साल्ट की किस दर पर? विवरण सदन की मेज पर रखते हुए यह भी बताएं कि उक्त साल्ट की ये दवाइयों जी.एम.पी. सर्टिफिकेट के बिना अयोग्य करार कम्पनियों से किस दर पर उपलब्ध थी?

उत्तर

(1) बीकानेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2004 से 31 अगस्त, 2006 के मध्य मेडिकल रिलीफ सोसायटी को उनकी मांग के अनुरूप दवाइयां उपलब्ध कराई गई थी। जिसमें उनके द्वारा अपने मांग पत्र में भण्डार से कभी भी जी.एम.पी. सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था। न ही उनके मांग पत्र में कोई ऐसी शर्त थी। जी.एम.पी. प्रमाण पत्र दवा निर्माता कम्पनी को प्राप्त होता है। भण्डार एक रिटेल विक्रेता है तथा भण्डार ने कभी भी अधिकृत वितरक से ऐसा कोई प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है। ना ही अपने क्रेता को ऐसा कोई प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया है।

(2) यह है कि राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशानुसार कार्य करती है। रिलीफ सोसायटी की क्रय समिति की बैठक दिनांक 08 फरवरी, 2005 की सूचना सोसायटी द्वारा भण्डार को नहीं भिजवाई गई है, क्योंकि यह प्रकरण सोसायटी की आन्तरिक व्यवस्था से सम्बन्धित है। रिलीफ सोसायटी द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2004 से 31 अगस्त, 2006 के मध्य रु. 282.71 लाख की दवाइयां खरीदी गई थीं। क्रय की गई दवाइयों की सूची मय दर के परिशिष्ट-ए पर संलग्न है।

(सूची की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बी.आर.टी.एस. परियोजना हेतु नियुक्त कन्सलटेंट

103. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बी.आर.टी.एस. परियोजना का कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो किस-किस मार्ग पर?

(2) उक्त बी.आर.टी.एस. परियोजना हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण ने कौन सा कन्सलटेंट नियुक्त किया है? क्या उक्त कन्सलटेंट की नियुक्ति

(श्री संयम लोढ़ा)

समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाकर की गई? यदि नहीं, तो किस आधार पर एवं किन शर्तों पर कन्सलटेंट नियुक्त किया गया?

(3) उक्त कन्सलटेंट फर्म को उक्त कार्य के अतिरिक्त जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अन्य कौन-कौन से कार्यों हेतु किन-किन शर्तों पर एवं कितनी राशि पर कन्सलटेंट नियुक्त किया गया है?

(4) उक्त कन्सलटेंट बी.आर.टी.एस. हेतु कौन-कौन सी सेवाऐं प्रदान करेगा?

(5) क्या उक्त कन्सलटेंट ने भी बी.आर.टी.एस. हेतु अन्य कन्सलटेंट नियुक्त किया है? यदि हां, तो किन शर्तों पर?

(6) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण स्वयं की बी.आर.टी.एस. हेतु कन्सलटेंट नियुक्त करने में समर्थ नहीं है? यदि नहीं, तो क्यों?

(7) अब तक दोनों कन्सलटेंट को कितना-कितना भुगतान किया जा चुका है व किस सलाह हेतु भुगतान हुआ?

उत्तर

(1) जी हां। परियोजना में शामिल कार्य निम्नानुसार है :-

पैकेज-1 इस पैकेज में सी जोन बाइपास सीकर रोड से पानीपेच तक 7.1 किमी के रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्य जिनकी लागत 75.19 करोड़ है 23.10.2007 से प्रारम्भ किया जा चुका है।

पैकेज-2 इस पैकेज के तहत पानीपेच से एयरपोर्ट तक रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्य 19 किमी लम्बाई में है तथा 144 करोड़ की लागत आयेगी। इस पैकेज बाबत् निविदा प्रक्रियाधीन है।

पैकेज-3 ट्रांसपोर्ट नगर से अमृत नगर वाया एम.आई.रोड सोडाला-अजमेर रोड तक रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्य हेतु डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फरवरी के अन्त तक भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी जानी सम्भावित है।

(2) इस परियोजना हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेंट पीडी कोर संस्था है जो कि राजस्थान सरकार व आई.एल.एन.एफ.एस. की पचास-पचास प्रतिशत भागीदारी की संस्था है जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार है। इनकी देखरेख में ''तकनीकी कन्सटेंट'' मैसर्स कन्सलटिंग इंजिनियरिंग सर्विसेज प्रा.लि. दिल्ली को नियमानुसार समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर टेण्डर प्रक्रिया अपनाकर न्यूनतम लागत कुल रुपये 1.11 करोड़ की राशि पर कार्य

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

दिया गया है यह कार्य विशिष्ठ प्रकृति का होने के कारण एवं भारत के अन्य (63) शहरों की भांति योजना की परिकल्पना कर योजना को द्रुतगति से मूर्तरूप देने हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेंसी एवं तकनीकी कन्सलटेंसी का कार्य दिया गया है। जिसके तहत परियोजना के प्रथम चरण के तीनों पैकेज की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनकर क्रियान्वयन हेतु आवश्यक ड्राइंग रिपोर्टस आदि उपलब्ध करवाना एवं केन्द्र सरकार के जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिनिवल मिशन के निर्देशों, नियमों व मापदण्डों के अनुरूप परियोजना की कास्टिंग कर परियोजना को केन्द्र सरकार से स्वीकृति हेतु भिजवाना शामिल है।

(3) (अ) रामनिवास बाग में पार्किग प्रोजेक्ट हेतु- कन्सलटेंसी फीस प्रोजेक्ट की लागत का 2.5 प्रतिशत (रुपये 1.13 करोड़) शर्ते परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(ब) आईसीसी व गोल्फ कोर्स के विकास हेतु :-

(i) जयपुर विकास प्राधिकरण से कन्सलटेन्सी फीस 34.00 लाख रुपये एवं

(ii) कार्य की निविदा प्राप्त करने वाली निजी संस्था से सक्सेस फीस प्रोजेक्ट की लागत का 0.375 प्रतिशत (इतनी ही राशि जयपुर विकास प्राधिकरण को भी निजी संस्था द्वारा देय हो जावेगी।

(4) मैसर्स पीडी कोर लिमिटेड द्वारा, जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिनिवल मिशन के निर्देशों नियमों एवं मापदण्डों के अनुरूप योजना की परिकल्पना कर योजना को द्रुतगति से मूर्तरूप देने हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेन्सी कार्य, जिसमें परियोजना की कोस्टिंग कर परियोजना को केन्द्र सरकार से स्वीकृति हेतु भिजवाने का समस्त कार्य करना शामिल है, किया जाना है। मैसर्स कन्सलटिंग इंजिनियरिंग सर्विसेज प्रा.लि. द्वारा इस कार्य हेतु पूर्ण तकनीकी कन्सलटेंसी का कार्य जिसमें परियोजना क्रियान्वयन हेतु आवश्यक ड्राइंग व रिपोर्टस का कार्य शामिल है, किया जाना है।

(5) मैसर्स पीड़ी कोर लिमिटेड (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेन्ट) व मैसर्स कन्सलटिंग इंजिनियरिंग सर्विसेज प्रा.लि. (तकनीकी कन्सलटेंट) द्वारा इस कार्य हेतु अन्य कन्सलटेंट नियुक्त नहीं किया गया है।

(6) बीआरटीएस परियोजना पूर्णतः विशेष प्रकृति की परियोजना है। जिसके लिए भारत सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरू अरबन रिनिवल मिशन के तहत योजना क्रियान्वयन हेतु 50 प्रतिशत हिस्सा राशि वहन की जा रही है

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

शेष 50 प्रतिशत राशि में से 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा व 30 प्रतिशत राशि स्थानीय निकाय द्वारा वहन की जा रही है। बीआरटीएस जयपुर के प्रथम चरण के तीनों पैकेज के लिए केन्द्र सरकार के जवाहर लाल नेहरू अरबन रिनिबल मिशन के निर्देशों नियमों व मापदण्डों के अनुरूप विस्तृत परियोजना रिपोर्टस व ड्राइग्स उपलब्ध करवाना व परियोजना की कोस्टिंग कर केन्द्र सरकार से स्वीकृत हेतु समस्त कार्यों के लिए कन्सलटेंसी सेवाओं की अपरिहार्य रूप से आवश्यकता होने के कारण कन्सलटेंट नियुक्त किया जाना आवश्यक रहा है।

(7) बीआरटीएस जयपुर परियोजना हेतु कन्सलटेंट को किया गया भुगतान :

(अ) मैसर्स पीडी कोर लिमिटेड................. रुपये 64,14,375/-

(ब) मैसर्स कन्सलटिंग इंजिनियरिंग सर्विसेज प्रा.लि.

रुपये 60,61,673/-

जयपुर विकास प्राधिकरण में बीआरटीएस परियोजना हेतु गठित वर्किंग ग्रुप की अनुशंसा पर आयुक्त महोदय की स्वीकृति होकर उक्त भुगतान हुआ है।

(शर्तों की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

निवाई की आवासीय कालोनी की

हाइटेन्शन लाइन

104. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई शहर में अनेक आवासीय कालोनियों के ऊपर से हाइटेंशन लाइन के कारण आम लोगों के जान माल को खतरा है? यदि हां, तो सरकार इन हाइटेंशन लाइनों को कब तक हटाने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त शहर की शिवाजी कालोजी में हाईटेंशन लाइन को हटाने के लिए जिला परिषद, टोंक द्वारा राशि का भुगतान भी किया जा चुका है? यदि हां, तो कितनी राशि विद्युत निगम को प्राप्त हो चुकी है? राशि प्राप्त होने के बाद भी हाइटेंशन लाइन को नहीं हटाये जाने के क्या कारण

(श्री हीरालाल)

हैं और अब तक उक्त हाइटेंशन लाइन को हटा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निवाई शहर की शिवाजी कॉलोनी, भगत सिंह कालोनी, जनता कालोनी एवं सिंधी कालोनी के ऊपर से हाइटेंशन लाइन गुजर रही है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिनांक 3.3.2003 को निर्णय दिया गया है कि आंकलन राशि 57,43,020/- रुपये समान रूप से नगरपालिका निवाई, जयपुर डिस्काम एवं चारों कालोनियों के प्रभावित 32 व्यक्ति वहन करेंगे। दिनांक 1.10.2003 को सहायक अभियंता, निवाई द्वारा नगरपालिका, निवाई तथा प्रभावित 32 व्यक्तियों को मांग पत्र की राशि जमा कराने हेतु लिखा गया किन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा राशि जमा नहीं कराई गई। जैसे ही राशि जमा कराई जाएगी, लाइन हटाने की कार्यवाही की जाएगी।

(2) जी हां। जिला परिषद, टोंक द्वारा 14.2.2006 को 96,903/- रुपये का भुगतान सहायक अभियंता, निवाई के कार्यालय में किया गया है किन्तु इस संबंध में एक वाद माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण यह कार्य करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। माननीय न्यायालय के निर्णय के पश्चात इस संबंध में कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

खण्डार में सड़क निर्माण कार्य

105. **श्री अशोक बैरवा** (खण्डार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खण्डार में वर्ष 2000-2001 से वर्तमान वर्ष तक सरकार द्वारा किन-किन ग्रामों की सड़कें किस-किस योजना मद में कुल कितनी-कितनी लम्बाई की सड़कें कितनी राशि की बनवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2005-06 से 2007-08 में कौन-कौन सी सड़कें किस-किस योजनामद में स्वीकृत की गई? स्वीकृत सड़कों की लम्बाई एवं प्रस्तावित व्यय राशि एवं संवेदक के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत सड़कों को कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा एवं उनके नवीनीकरण हेतु स्वीकृत सड़कों के संबंध में निर्माण में गुणवत्ता एवं निरीक्षण की क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खण्डार में वर्ष 2000-01 से वर्तमान वर्ष तक कुल लम्बाई किमी 378.38 राशि रुपये 4420.71 लाख की सड़कें बनवाई गयी। योजनावार सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र खण्डार के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 से 2007-08 में 300.71 कि.मी. लम्बाई की 73 सड़कें राशि रुपये 4932.11 लाख की स्वीकृत की गई। सड़कों का योजनावार एवं संवेदकों का विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(3) कुल 73 स्वीकृत कार्यों में से 26 कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं। शेष 47 कार्य प्रगति पर हैं। सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाये रखने के लिये समय-समय पर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार फील्ड स्टाफ सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं गुण नियंत्रण, एस.क्यू.एम. एवं एन.क्यू.एम. द्वारा सड़कों के कार्य की गुणवत्ता के लिये निरीक्षण किये जाते हैं।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सिद्धमुख परियोजना अन्तर्गत राजगढ़ चूरू के गांवों में खालों का निर्माण

106. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सिद्धमुख नोहर परियोजना में कितने गांव राजगढ़ (चूरू) के शामिल हैं?

(2) सरकार द्वारा कितने गांवों में सिंचाई हेतु पक्के खालों का निर्माण कराया गया तथा कितने शेष हैं?

(3) क्या सरकार शेष रहे गांवों में सिंचाई के पानी के वितरण हेतु पक्के खालों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना क्षेत्र में 14 गांव राजगढ़ (चूरू) के शामिल हैं।

(उपनिवेशन मंत्री)

(2) सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना क्षेत्र में 18 चकों का क्षेत्रफल लगभग 4000 हैक्टेयर है, यह क्षेत्र चूरू जिले की राजगढ़ तहसील में पड़ता है। उक्त चकों में से 4 चकों का 954 है, क्षेत्र इस वर्ष के निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित है, इसमें से चक 3 आरजेएम (रेजडी माइनर) में पक्के खाले का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस चक में ग्राम रेजडी एवं गालड की कृषि भूमि आती है। 14 चकों के लगभग 3046 है. क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण शेष रहता है।

(3) जी हां। सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना क्षेत्र के शेष 14 चकों के लगभग 3046 है. क्षेत्र में आगामी वर्षों में खालों का निर्माण कराने की योजना है।

भीम के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पद

107. श्री हरीसिंह रावत (भीम) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं?

(2) क्या उक्त सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन बने हुए हैं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सी.डी.पी.ओ. एवं अन्य मंत्रालयिक कर्मचारियों के सृजित पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो कौन-कौन से व कितने पद कब से रिक्त हैं? सरकार उक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में कुल 252 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 5 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र भीम में कार्यरत 257 केन्द्रों में से 204 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन बने हुए हैं।

(3) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मानदेय सेवा पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं सहयोगिनी कार्यरत है। बाल विकास परियोजना अधिकारी व अन्य मंत्रालयिक कर्मचारी परियोजना स्तर पर कार्यरत है। विधान सभा क्षेत्र भीम में आने वाली परियोजनाओं में बाल विकास परियोजना अधिकारी व मंत्रालयिक कर्मचारी के रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :-

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

परियोजना का नाम	पदनाम	दिनांक, जब से पद रिक्त है
भीम	बाल विकास परियोजना अधिकारी	12-8-2005
देवगढ़	बाल विकास परियोजना अधिकारी	सितम्बर, 2007
राजसमंद शहर	बाल विकास परियोजना अधिकारी	26-7-2007

परियोजना भीम व देवगढ़ के कार्यालयों में वरिष्ठ लिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक के पद भरे हुए है तथा परियोजना राजसमंद शहर में मंत्रालयिक सेवा का पद स्वीकृत नहीं है।

बाल विकास परियोजना अधिकारी के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से एवं पदोन्नति से भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

गोगुन्दा में बिखरी आबादी क्षेत्रों के विकास हेतु आबंटित राशि

108. **श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में माड़ा योजना में एनीकट व अन्य कार्यों हेतु वर्ष 2003 से अब तक कितने प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किस-किस प्रस्ताव की स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारम्भ किया गया? कार्यों की प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या माडा योजना व बिखरी आबादी क्षेत्रों में वर्षवार जनजाति जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर स्वीकृति जारी करने का प्रावधान है? यदि हां, तो वर्ष 2003 से अब तक वर्षवार स्थिति की जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा वर्ष 2003 से अब तक पंचायत समितिवार माडा व जनजाति उपयोजना क्षेत्र में कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति कहां-कहां के लिए जारी की गई? कार्य की प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माडा योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के अन्तर्गत वर्ष 2003 से अब तक जिला परिषद से 42 व जनप्रतिनिधि से 6 कुल 48 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त प्राप्त प्रस्ताव में से 22 कार्य इस विभाग द्वारा स्वीकृत हुए है। प्रगति सहित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा पंचायत समितिवार राशि स्वीकृत नहीं की जाती है। जिलेवार की जाती है। उदयपुर जिले को आबंटित राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) उदयपुर जिले में उपयोजना/माडा/बिखरी क्षेत्र में पंचायत समितिवार व्यय राशि संलग्न प्रपत्र परिशिष्ट-स अनुसार है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

फलासिया के उपखण्ड झाडोल एवं कोटड़ा में वृक्षारोपण

109. **श्री बाबूलाल खराड़ी** (फलासिया) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र फलासिया के उप-खण्ड झाडोल एवं कोटड़ा में सरकार द्वारा गत चार वर्षों में कितने हैक्टेयर भूमि में पक्की दीवार बनाई गई तथा किस-किस वर्ष में कितनी जड़ी बूटियों वाले वृक्ष लगाये व उनमें से कितने वृक्ष जीवित हैं?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र फलासिया के उप-खण्ड झाडोल में 664 रनिंग मीटर तथा उप-खण्ड कोटड़ा में 1210.2 रनिंग मीटर पक्की दीवार का निर्माण वर्ष 2006 एवं वर्ष 2007 में कराया गया।

उप-खण्ड झाडोल एवं कोटड़ा में रोपित किये गये जड़ी-बूटियों वाले वृक्षों का वर्षवार विवरण एवं जीवित पौधों की संख्या परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

परिशिष्ट ''क''

झाडोल एवं कोटड़ा उप-खण्ड में रोपित किये गये जड़ी-बूटियों का वर्षवार विवरण

क्र.सं.	वर्ष	झाडोल	कोटड़ा	योग
1.	2004	34800	24200	59000
2.	2005	60420	35725	96145
3.	2006	75930	87510	163440
4.	2007	46500	16069	62569
	योग	**217650**	**163504**	**381154**
	जीवित पौधों की संख्या	174120	134555	308675

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या-143

(स्थगित)

वार्षिक योजनाओं हेतु प्रावधित/व्यय राशि

144. डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत चार वर्षों में वार्षिक योजनाओं के लिये वर्षवार कितनी-कितनी राशि प्रावधित थी तथा कितनी राशि वर्षवार वास्तविक रूप में व्यय हुई? प्रावधित राशि में से वर्षवार कितनी बचत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वार्षिक योजना के अन्तर्गत सिंचाई एवं विद्युत पर कितनी-कितनी राशि वर्षवार व्यय हुई तथा यह व्यय उस वर्ष की योजना का कितना-कितना प्रतिशत था?

उत्तर

(1) गत चार वर्षों में राज्य योजनान्तर्गत वार्षिक योजनाओं के लिए वर्षवार प्रावधित एवं वास्तविक रूप से व्यय हुई राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	प्रावधान	व्यय राशि
2004-05	6797.50	6590.55
2005-06	8697.28	7699.83
2006-07	8562.54	8969.31
2007-08	12820.14	7005.07 (दिसम्बर, 07 तक)

31 मार्च को शेष रही राशि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के साथ ही लैप्स हो जाती है अत: बचत राशि शून्य रही।

(2) गत 4 वर्षों में राज्य योजनान्तर्गत सिंचाई एवं विद्युत पर वर्षवार राशि एवं वार्षिक योजना के प्रावधान से व्यय का प्रतिशत निम्नानुसार रहा :-

(आयोजना मंत्री)

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	सिंचाई		विद्युत	
	व्यय राशि	कुल व्यय का प्रतिशत	व्यय राशि	कुल व्यय का प्रतिशत
2004-05	813.32	11.96	1998.13	29.70
2005-06	948.37	10.90	2202.08	25.32
2006-07	726.02	8.48	2914.53	34.04
2007-08 (दिसम्बर, 07 तक)	485.74	3.79	2958.39	23.08

नगरपालिका श्रीडूंगरगढ़ द्वारा जारी आवासीय/वाणिज्यिक पट्टे

145. **श्री मंगलाराम गोदारा** (डूंगरगढ़) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार नगरपालिका क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में कर्मचारी कालोनी बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार नगरपालिका क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में आवासीय योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, कहां व नहीं, तो क्यों?

(3) नगरपालिका श्रीडूंगरगढ़ द्वारा वर्ष 2006-07, 2007-08 में कितने आवासीय व वाणिज्यिक पट्टे जारी किये गये व कितना राजस्व प्राप्त किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) नगरपालिका मण्डल श्रीडूंगरगढ़ की बैठक दिनांक 02.02.07 में प्रस्ताव सं. 3 द्वारा खसरा नं. 612/458 स्थित क्षेत्र में आवासीय कालोनी बनाने का पारित किया गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) नगरपालिका श्रीडूंगरगढ़ द्वारा कृषि भूमि नियमन में जारी किये गए पट्टों एवं प्राप्त राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

(स्वायत शासन राज्य मंत्री)

पट्टे	वर्ष 2006-07		वर्ष 2007-08	
	प्रकरणों की	राशि रुपये	प्रकरणों की	राशि रुपये
आवासीय	10	7,23,358	191	31,64,666
वाणिज्यिक	02	12,850	01	1,20,000

त्रिपोलिया बाजार, जयपुर के थड़ी धारकों को अन्य स्थानों पर आबंटित दुकानें

146. **श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1960 से पूर्व त्रिपोलिया बाजार जयपुर में स्थित थड़ी धारकों को नगर निगम द्वारा शास्त्री मार्केट, बीस दुकानों के पास दुकानें आबंटित की गई थी? यदि हां, तो किन-किन को? आबंटित दुकान नम्बर व आबंटियों के पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त धारकों द्वारा दुकान का बेचान कर दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस द्वारा तथा कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इस भाग का उत्तर बिन्दु सं. 1 के उत्तर में समाहित है।

टोंक जिले के रैन बसेरों से लाभान्वित व्यक्ति

147. **श्री हीरालाल** (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) टोंक शहर व जिले में स्थित नगर परिषद/नगरपालिकाओं द्वारा कितने रैन बसेरे कहां-कहां खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रैन बसेरों में कितनी राशि व्यय कर कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया?

(श्री हीरालाल)

(3) क्या सरकार उक्त जिले में रैन बसेरों की संख्या में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक कितनी व कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टोंक जिले की निकायों द्वारा खोले गए रैन बसेरों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त रैन बसेरों पर अब तक किये गए व्यय एवं लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण बिन्दु संख्या 1 में उल्लेखित परिशिष्ट 'अ' के कालम संख्या 5 व 6 में अंकित है।

(3) आवश्यकता होने पर विचार किया जावेगा।

परिशिष्ट ''अ''

बिन्दु संख्या 1 व 2 में अपेक्षित सूची

क्र. सं.	नाम निकाय	खोले गये रैनबसेरों की संख्या	खोले गये रैनबसेरों का स्थान	रैनबसेरों पर किये गये व्यय का विवरण (राशि रुपये)	लाभान्वितों की संख्या
1	टोंक	1	पुराना बस स्टैण्ड के पास परिषद का भवन	600.00	96
2	उनियारा	1	पालिका भवन	बिल अप्राप्त	56
3	टोडारायसिंह	1	पालिका सभा भवन	-	-
4	निवाई	1	पालिका भवन	1000.00	24
5	मालपुरा	1	विश्रामगृह बस स्टेण्ड	भुगतान शेष	61
6	देवली	1	अग्निशमन केन्द्र	भुगतान शेष	22
	योग	**6**			**239**

स्थानीय निकायों द्वारा सर्वधर्म धार्मिक स्थल/अन्तिम क्रियास्थल हेतु भूमि का आरक्षण

148. श्री एमादुद्दीन अहमद खां (तिजारा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में नगर सुधार न्यास, जयपुर विकास प्राधिकरण/नगरपालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों द्वारा बनाई गई व बनाई जाने वाली योजनाओं में सर्वधर्म धार्मिक स्थलों एवं अन्तिम क्रिया स्थलों हेतु भूमियां रक्षित नहीं की जाती, न ही योजनाओं में चिन्हित की जाती? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या अब सरकार इन योजनाओं में बची हुई भूमि की नीलामी न कर उपरोक्त प्रयोजनाओं हेतु भूमि चिन्हित कर आरक्षण करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार नई योजनाओं में इनका समायोजन किये जाने हेतु संबंधितों को इस बारे में दिशा-निर्देश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह भी सही है कि राज्य के अलवर जिले के भिवाडी क्षेत्र में स्थित हाउसिंग बोर्ड व यू.आई.टी. कालोनियों के पार्कों व सामुदायिक भवनों का रख-रखाव व विकास नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो सरकार इन पार्को का विकास व सामुदायिक भवनों का रख-रखाव किस प्रकार व कब तक करने का विचार रखती है व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बैकुण्ठ धाम योजना के अन्तर्गत कब्रिस्तान एवं श्मशान स्थल हेतु भूमि सेट अपार्ट करने के निर्देश हैं। राज्य में नगर सुधार न्यास, जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों द्वारा बनाई गई योजनाओं में संस्थानिक/रिजर्व सुविधा उपयोग के लिये भूमि रखी जाती है, जिसका आवश्यकतानुसार जन सुविधाओं, स्कूल, सामुदायिक केन्द्र, धार्मिक आदि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा सकता है। साथ ही तैयार की जाने वाली आवासीय योजनाओं में मौके पर प्रारम्भ से स्थित धार्मिक स्थलों एवं अन्तिम क्रिया स्थलों को यथावत रखे जाने एवं उस क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उचित क्षेत्र आरक्षित किये जाने का प्रावधान किया जाता है।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(2) योजनाओं में संस्थानिक एवं सामाजिक सुरक्षा एवं जन सुविधाओं हेतु आरक्षित रखी भूमि का निकायों द्वारा स्थानीय आवश्यकतानुसार उपयोग निर्धारित किया जाता है।

(3) इस भाग का उत्तर बिन्दु सं. 1 व 2 में निहित है।

(4) न्यास क्षेत्र के पार्कों का विकास एवं रख-रखाव नगर विकास न्यास भिवाड़ी द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा विकसित दो पार्कों के रख-रखाव स्थानीय नागरिकों की संस्था श्याम जागृति मंडल एक पार्क का रख-रखाव लायन्स क्लब द्वारा किया जा रहा है।

राजस्थान आवासन मंडल द्वारा पूर्व में बीडा (BIDA) को 40 लाख रुपये की राशि मंडल की कालोनियों के रख-रखाव हेतु उपलब्ध कराई गई थी। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा एक सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया है एवं इसका रख-रखाव आवासन मंडल द्वारा ही किया जा रहा है।

विनोबा कच्ची बस्ती, सिविल लाइन जोन, जयपुर के पार्किंग स्थल का अवैध आबंटन

149. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विनोबा कच्ची बस्ती, सिविल लाइन जोन जयपुर में कितने सर्वेधारी थे? इस बस्ती में कितने मकान किस-किस को कब-कब आबंटित किए गये? मकान नम्बरों सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त बस्ती के भूखण्डों को विभाजित किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त बस्ती के पार्किंग के भूखण्ड को नीलामी नहीं कर किसी अन्य को आबंटित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? भूखण्ड नम्बर 43 का वर्तमान बाजार की दर से मूल्य क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(4) सरकार द्वारा विनोबा बस्ती के मकार नम्बर 43 को विभाजित करने के क्या कारण रहे? क्या इस स्थान पर पहले पार्किंग स्थल था? यदि हां, तो इस स्थल को आबंटित करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विनोबा कच्ची बस्ती सिविल लाइन जोन, जयपुर में वर्ष 1981 के सर्वेनुसार 53 व 1998 के सर्वे अनुसार 12 सर्वेधारी, (जो 1981 की सर्वे सूची में नहीं हैं) तथा वर्ष 2004 के सर्वेनुसार 36 सर्वेधारी थे। उक्त बस्ती में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 42 सर्वेधारियों को मकान/भूखण्ड आबंटित किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। श्री पूरण सिंह को पूर्व में आबंटित भूखण्ड संख्या 22 विवादित होने से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त स्थान पर भूखण्ड संख्या 43-ए सृजित कर आबंटित किया गया। भूखण्ड संख्या 43 का वर्तमान बाजार मूल्य 2,00,694/- रुपये है।

(4) सरकार द्वारा विनोबा कच्ची बस्ती के मकान नं. 43 को विभाजित नहीं किया गया है। इस स्थान पर पहले पार्किंग स्थल नहीं था।

परिशिष्ट 'अ'

कार्यालय आयुक्त सिविल लाइन जोन, नगर निगम जयपुर

जे.डी.ए. द्वारा आबंटित विनोबा कच्ची बस्ती के आबंटित भूखण्ड धारियों की सूची

क्र. सं.	भूखण्ड सं.	भवन स्वामी का नाम	आबंटन दिनांक	विशेष विवरण
1	5	श्री पूनम चन्द/छोटीलाल	23.12.1986	
2	6	श्रीमती नाथी देवी/समरा राम	12.04.1985	
3	7	श्री गट्टू राम/सुन्दर राम	12.04.1985	
4	8	श्री छोटू/बंशी	12.04.1985	
5	10	श्री रामलाल/कालू	12.04.1985	
6	11	श्रीमती पूरण देवी/बंशी	13.06.1985	

1	2	3	4	5
7	12	श्री रामसहाय/भूराराम	12.04.1985	
8	13	श्री छोटू लाल/भालू	12.04.1985	
9	14	श्रीमती राधा देवी/रतन लाल	12.06.1985	
10	15	श्री राधेश्याम/गेंदाराम	12.04.1985	
11	16	श्री श्रवण लाल/चन्दाराम	12.04.1985	
12	17	श्रीमती शांति देवी/रामनारायण	23.12.1986	
13	21	श्री रतन लाल/मदन	24.07.1985	
14	23	श्री रेवड/भौरीलाल	12.04.1985	
15	23ए	श्री मदन सिंह/सीताराम	12.04.1985	
16	24	श्री भंवर लाल/नाथूलाल	12.04.1985	
17	25	श्री महादेव/छोटू	12.04.1985	
18	26	श्री बाबूलाल/महादेव	12.04.1985	
19	27	श्री अमर सिंह/भौरी लाल	12.04.1985	
20	28	श्री रमेश लाल/भौरी लाल	12.04.1985	
21	29	श्री बुद्धप्रकाश/भूराराम	12.04.1985	
22	31	मोहन लाल/घासीलाल	12.04.1985	
23	32	श्री महेश/जौहरी लाल	23.12.1986	
24	35	श्री दयाराम/छोटू राम	12.04.1985	
25	36	श्रीरामलाल/गुल्लाराम	12.04.1985	
26	37	श्री दुर्गालाल/पीरदान	12.04.1985	
27	38	श्री देवीलाल/पीरदान	12.04.1985	
28	39	श्री सोहन लाल/पीरदान	12.04.1985	
29	40	श्री रंगलाल/भौरी लाल	12.04.1985	
30	41	श्री रामकरण/मूंगाराम	12.04.1985	
31	42	श्री बालकिशन/भैरूलाल	18.09.1985	
32	42ए	श्री अमर चंद/मांगी लाल	18.02.1998	
33	43	श्री नानग राम/भगला राम	12.04.1985	
34	44	श्री कन्हैया लाल/नाथू लाल	12.04.1985	

1	2	3	4	5
35	43ए	श्री पूरणसिंह/कल्याण सिंह भूखण्ड आबंटन संख्या 22 विनोब क.ब. 0 के स्थान पर भू.स. 43ए, विनोबा क.ब. को विनियम (बदली) किया दिनांक 12.1.1993	12.04.1985 भू.स. 22, की आबंटन दिनांक	भूखण्ड आबंटन संख्या 22 विनोब क.ब. 0 के स्थान पर भू. सं. 43ए, विनोबा क.ब. को विनियम (बदली) किया दिनांक 12.1.93)
36	45	श्री मदन लाल/नाथू लाल	12.04.1985	
37	46	श्री नाथू लाल/मंगलाराम	12.04.1985	
38	47	श्रीमती मैना देवी/महादेव	12.04.1985	
39	48	श्री आनी लाल/भोमा राम	12.04.1985	
40	49	श्री किशनपोल/कालूराम	12.04.1985	
41	50	श्री रामचन्द्र/मांगीलाल	12.04.1985	
42	51	श्री अमर सिंह/मन्ने सिंह	4.06.1993	

आयुक्त
सिविल लाइन क्षेत्र
नगर निगम जयपुर

जयपुर शहर की पार्किंग स्थल रहित बहुमंजिला इमारतें

150. श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में अनेक बहुमंजिला इमारतें निर्मित एवं अनेक निर्माणाधीन हैं? यदि हां, तो जयपुर शहर में तीन मंजिल से अधिक ऊंची इमारतों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त इमारतों में से अनेक बिना नगर निगम/जयपुर विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये ही निर्मित हैं? यदि हां, तो अनुमति प्राप्त व गैर अनुमति प्राप्त तीन मंजिल से अधिक ऊंची व्यावसायिक/आवासीय इमारतों की पृथक्-पृथक् संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री लालचन्द कटारिया)

(3) क्या यह भी सही है कि जयपुर शहर में बहुमंजिला इमारतों में पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से उनमें रहने वाले/व्यापार करने वालों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है?

(4) क्या सरकार द्वारा बहुमंजिला परिसरों का कोई सर्वे करवाया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार सर्वे में बगैर पार्किंग सुविधा पाई गई इमारतों में पार्किंग सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु कोई कारगर उपाय सुनिश्चित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर शहर में बहुमंजिला इमारतें निर्मित एवं निर्माणाधीन हैं। तीन मंजिलों से अधिक ऊंची इमारतों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट 'अ')

(2) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण व नगर निगम, जयपुर की गैर अनुमति प्राप्त तीन मंजिल से अधिक ऊंची व्यावसायिक/आवसीय इमारतें निर्मित हैं। अनुमति प्राप्त अधिक ऊंची इमारतों की सूची परिशिष्ट ''ब'' व गैर अनुमति प्राप्त तीन मंजिल से अधिक ऊंची इमारतों की सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(3) जयपुर शहर में बहुमंजिला भवनों की अनुमति नियमों के तहत दी जाती है। अधिकांश बहुमंजिला इमारतों में पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था है। कुछ बहुमंजिला इमारतों में निर्णाणकर्ताओं द्वारा पार्किंग के स्थान पर अन्य निर्माण कर लिये जाने से उनमें रहने वाले/व्यापार करने वालों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उक्त के खिलाफ समय-समय पर नोटिस देकर पार्किंग के स्थान पर किये गये अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जाती रही है।

(4) जी हां। बहुमंजिला परिसरों में जांच के पश्चात पार्किंग में पाये गये अवैध निर्माण को संलग्न परिशिष्ट 'द' के अनुसार हटाया गया है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्न संख्या-151

(स्थगित)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निजी संस्थाओं/फर्मों को दी गई अग्रिम राशि का समायोजन

152. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री संयम लोढ़ा)

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 1 जनवरी, 2004 के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किसी प्राइवेट फर्मों/संस्थानों को अग्रिम राशि उपलब्ध करवाई गई है? यदि हां, तो किन-किन फर्मों/संस्थानों को कितनी-कितनी अग्रिम राशि उपलब्ध करवाई गई?

(2) उक्त प्राइवेट फर्मों/संस्थानों को अग्रिम राशि किस नियम व आदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई?

(3) किन-किन फर्मों/संस्थानों ने अग्रिम राशि का जयपुर विकास प्राधिकरण में समायोजन करवाया, वर्तमान में बकाया अग्रिम राशि मय ब्याज की स्थिति क्या है?

(4) प्राइवेट फर्मों/संस्थानों को अग्रिम राशि किस अधिकारी के आदेश द्वारा जारी की गई? वर्तमान में उक्त अधिकारी कहां पद स्थापित हैं?

उत्तर

(1) जी हां। प्राइवेट फर्मों एवं प्राइवेट संस्थाओं को 1 जनवरी, 2004 से 31.1.2008 तक उपलब्ध करायी गई अग्रिम राशि की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) अग्रिम राशि जी.एफ.आर. व पी.डब्ल्यू.डी. एफ.आर. तथा विशेष शर्तो के अन्तर्गत सक्षम प्रशासनिक आदेशों के तहत जारी की है।

(3) समायोजन की स्थिति संलग्न सूची में दर्शायी गयी स्थिति अनुसार है। ब्याज की स्थिति संबंधित प्रकोष्ठ की पत्रावली पर संबंधित फर्म का बिल प्राप्त होने पर निर्धारित होती है।

(4) अग्रिम राशि की स्वीकृति आयुक्त/सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के स्तर के अधिकारी द्वारा दी जाती है। जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में पदस्थापित आयुक्त एवं सचिव की वर्तमान पदस्थापन स्थिति निम्नानुसार है :-

आयुक्त का नाम	वर्तमान पदस्थापन	सचिव का नाम	वर्तमान पदस्थापन
श्री एस. एन. थानवी	प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन	श्री डी. आर. मीणा	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कोटा (आदेश दिनांक 25.2.2008)

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

1	2	3	4
श्री ललित के. पंवार	प्रमुख शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन	श्री ए. के. हेमकार	सेवानिवृत्त
श्री जगदीश चन्द	आयुक्त, यातायात एवं पदेन शासन सचिव, यातायात	श्री हनुमान सिंह भाटी	अति. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक अजमेर
श्री डी. बी. गुप्ता	आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	श्री गिरधारी लाल गुप्ता	निदेशक, भाषा विभाग, जयपुर
		श्री एल. सी. असवाल	निदेशक, कृषि विपणन एवं पदेन शासन उप
		श्री रामनिवास मीणा	सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

(परिशिष्ट विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

ग्रामीण विकास विभाग कर्मियों की आवासीय योजना हेतु भू-आबंटन

153. **श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2004 के पश्चात प्राप्त प्रस्तावों में राज्य कर्मचारियों हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण में कौन-कौनसी योजनाएं सृजित की गई? ये प्रस्ताव किस-किस विभाग से कब-कब प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं में राज्य कर्मचारियों हेतु 18 प्रतिशत कोटा निर्धारित होने के कारण पृथक से

(श्री नरेन्द्र नागर)

आवासीय योजना सृजित नहीं करने हेतु निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2004 से पूर्व जयपुर विकास प्राधिकरण में लम्बित चल रही ग्रामीण विकास विभाग की आवासीय योजना सृजन के प्रस्ताव को निरस्त किया गया है? यदि हां, तो किस आधार पर?

(4) क्या यह भी सही है कि आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण के अनुमोदन के पश्चात जोन-11 एवं बाद में जोन-12 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग की आवासीय योजना सृजन हेतु लम्बी प्रक्रिया अपनाई जाने के बाद भी इस विभाग के प्रस्ताव को एल.पी.सी. की 41वीं बैठक दिनांक 31 अगसत, 2007 में खारिज कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में वर्ष 2004 के पश्चात राज्य कर्मचारियों हेतु जेडीए द्वारा ग्राम कानोता तहसील बस्सी में 191 राजभवन कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए आवासीय योजना स्वीकृत की गई है। राजभवन कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु दिनांक 19.1.2006 को उप सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर का आवासीय भूखण्ड आबंटन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। विवरण परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(2) जी हां। एलपीसी की 41वीं बैठक दिनांक 31.8.2007 में यह निर्णय लिया गया है। निर्णय की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) ग्रामीण विकास विभाग में कर्मचारियों को भूखण्ड आबंटन की पत्रावली पर एलपीसी की 41वीं बैठक दिनांक 31.08.2007 में निर्णय लिया गया है, कि ''पूर्व में नीतिगत निर्णय हो चुका है। कर्मचारियों हेतु प्राधिकरण की योजनाओं में 18 प्रतिशत का कोटा निर्धारित है। इसलिए अब इस प्रकार से पृथक योजना बनाया जाना उपयुक्त नहीं है। अतः प्रकरण खारिज किया गया।'' एलपीसी की बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न है।

(4) उत्तर खण्ड तीन के अनुसार है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्रताप नगर आवासीय योजना, सांगानेर के आबंटियों को कब्जा

154. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. समरजीत सिंह)

(1) प्रताप नगर योजना (सांगानेर) में किन-किन आबंटियों द्वारा जून, 1997 में आवास आबंटन हेतु एकमुश्त कितनी-कितनी राशि कब-कब जमा करवाई गई? जमा करने की तिथि, जमाकर्ता का नाम व आवास संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आबंटियों में से किन-किन के द्वारा अब तक कब्जा प्राप्त नहीं किया गया?

(3) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा कब्जा प्राप्त न करने पर किस-किस आवेदक को कब्जा प्राप्त करने हेतु कब-कब पत्र प्रेषित किये गये? पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त आवासधारियों द्वारा एकमुश्त राशि जमा कराने के उपरान्त कोई लीज मनी जमा नहीं करवाई गई है? यदि हां, तो लीज मनी प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई व कितनी लीज मनी व उस पर ब्याज वर्ष 1997 से अब तक बकाया है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त बकाया लीज मनी जमा करवाने पर कोई रियायत (छूट) देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी?

(6) उक्त आवेदकों द्वारा बकाया (लीज मनी) राशि जमा कराने के उपरान्त उन्हें कब तक कब्जा दे दिया जावेगा?

उत्तर

(1) प्रताप नगर योजना (सांगानेर) में जून, 1997 में जिन आबंटियों ने आवास आबंटन हेतु एकमुश्त राशि जमा करवायी थी उन जमाकर्ताओं के नाम, आवास संख्या, राशि एवं जमा करवाने की दिनांक का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त सभी आबंटियों द्वारा आवासों का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है।

(3) उक्त सभी आबंटियों द्वारा आवासों का कब्जा प्राप्त कर लिये जाने के कारण उनको पत्र प्रेषित किये जाने की आवश्यकता नहीं रही।

(4) खण्ड एक में वर्णित आवास धारियों द्वारा एकमुश्त राशि जमा करवाने के उपरान्त इसमें से जिन आवास धारियों ने लीज मनी जमा नहीं

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

करवायी गयी है उनका विवरण व बकाया लीज राशि मय ब्याज की गणना परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(5) बकाया लीज मनी जमा करवाने पर छूट दिये जाने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(6) इस खण्ड का जवाब खण्ड दो में दिया जा चुका है।

परिशिष्ट 'अ'

क्र. सं.	आबंटी का नाम	आवास संख्या एवं योजना	जमा राशि	जमा की दिनांक
1	श्री के.के. दलेला	50/07 प्रतापनगर	325067/-	03.06.1997
2	श्री नरेन्द्र कुमार	51/125 प्रतापनगर	30000/- 15105/-	02.06.1997 04.06.1997
3	श्री हर्ष द्विवेदी	71/44 प्रतापनगर	17665/-	18.06.1997
4	श्रीमती अर्चना भटनागर	83/185 प्रतापनगर	115510/-	04.06.1997
5	श्री किशन लाल गेहानी	114/100 प्रतापनगर	49041/-	18.06.1997

परिशिष्ट 'ब'

क्र. सं.	आबंटी का नाम	आवास संख्या एवं योजना	बकाया लीज राशि	बकाया ब्याज	कुल बकाया राशि
1	श्री नरेन्द्र कुमार	51/125 प्रतापनगर	9315/-	7546/-	16861/-
2	श्री हर्ष द्विवेदी	71/44 प्रतापनगर	31680/-	31364/-	63044/-
3	श्री किशन लाल गेहानी	114/100 प्रतापनगर	3586/-	3551/-	7137/-

तहसील सांगानेर (जयपुर) में मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की आवासीय योजनाएं

155. **श्री बन्ने सिंह राठौड़** (औसियां) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा तहसील सांगानेर में किस-किस आवासीय कालोनी/योजना के भूखण्ड कब-कब काटे गये? आबंटियों के पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सहकारी समिति द्वारा तहसील ग्राम सांगानेर के खसरा नम्बर 3732, 4623, 4625, 4625/4944, 4925, 4625, 4945 में भी भूखण्ड काटे गये हैं? यदि हां, तो किस-किस को? समिति द्वारा काटे गये उक्त खसरा नम्बरों के नक्शे की प्रति एवं जयपुर विकास प्राधिकरण मे जमा कराये गये अभिलेखों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा तहसील सांगानेर में काटी गई आवासीय योजनाओं की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। आबंटियों के पते सहित विवरण उपलब्ध नहीं है।

(2) ग्राम सांगानेर के खसरा नं. 3732, 4623, 4625, 4625/4944, 4925, 4625/4945 की भूमि पर काटे गये भूखण्डों के संबंध में समिति द्वारा ले आउट प्लान, सदस्यता सूची, भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज जयपुर विकास प्राधिकरण में पेश नहीं किये हैं। अतः इस भूमि के संबंध में वांछित विवरण उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर के वार्डनों को प्रदत्त आवासीय सुविधा

156. **डा. भंवरलाल राजपुरोहित** (मकराना) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में स्थित छात्र एवं छात्रावास के वार्डन एवं गार्डों की नियुक्ति निविदाओं के आधार पर की गई है? यदि हां, तो उन्हें कितना मासिक वेतन दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

(2) क्या छात्रावास में निवास कर रहे छात्र-छात्राओं को निर्धारित मानदण्ड के अनुसार भोजन दिया जा रहा है और उसकी समय-समय पर खाद्य निरीक्षक द्वारा जांच करवाई गई है? यदि हां, तो कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त छात्रावासों में सुरक्षा के क्या-क्या मानदण्ड हैं? यदि कभी इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वार्डनों को क्या आवासीय सुविधा उपलब्ध है? यदि नहीं, तो आवास उपलब्ध न होने पर भी किसी वार्डन से किराया कटौती की जा रही है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत?

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर पर दो छात्रावास चलाये जा रहे हैं :-

छात्रों के छात्रावास में वार्डन का पद स्वीकृत नहीं है। छात्रावास में हास्टल सुपरवाइजर एवं गार्ड है जो निविदित कर्मचारी न होकर परिषद कर्मचारी है। जिन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार मासिक वेतन दिया जाता है।

2. छात्राओं के छात्रावास वार्डन का कार्य अनुबंधित महिला प्रशिक्षक को दिया गया है जिसे 4000/- रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था जयपुर एक्स सर्विसमेन वेलफेयर कोपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, जयपुर के द्वारा की हुई है। जिनके पारिश्रमिक आदि का भुगतान सोसायटी द्वारा नियमानुसार किया जाता है।

(2) जी हां। छात्रावास के भोजन की खाद्य निरीक्षक से जांच नहीं करवायी जाती है अपितु छात्रावास भोजन की जांच हेतु एक समिति बनाई हुई है, जिसमें प्रशिक्षक, परिचालन से दो खिलाड़ी एवं अधिकारी हैं।

(3) बालक/बालिका छात्रावास में सुरक्षा हेतु निम्नांकित कार्यवाहियां की जाती है :-

1- हर समय सुरक्षा गार्ड ड्यूटी पर रहते है।

2- प्रतिदिन छात्रों की उपस्थिति, उपस्थिति पंजिका में दर्ज करवाई जाती है।

(युवा एवं खेलकूद मंत्री)

3- छात्र-छात्राओं के छात्रावास से बाहर जाने एवं वापिस आने के समय एवं कारण के इन्द्राज हेतु रजिस्टर संधारित किया जाता है। सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) जी हां। वार्डन को आवास सुविधा उपलब्ध है। आवास किराये की कटौती नहीं की जाती है।

राज्य में कच्चे-पक्के/सड़क मार्गों का राजस्व रिकार्ड में अंकन

157. **श्री रामचन्द्र सराधना** (जमवारामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कच्चे-पक्के रास्तों और सड़कों का निर्माण किया जाता है? यदि हां, तो क्या इन सभी रास्तों और सड़कों का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जा चुका है? यदि हां, तो जयपुर जिले में वर्ष 2000 से 2007 तक किन-किन रास्तों और सड़कों को नक्शे सहित राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया है?

(2) क्या सरकार पूरे राज्य में बनाये गये इन मार्गों का निर्माण जो खातेदारी और सरकारी भूमियों में किया जा चुका है, का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जहां भू-प्रबन्ध कार्य जैरकार था वहां कच्चे-पक्के रास्तों और सड़कों का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा किया जा चुका है। तथा भू-प्रबन्ध कार्य नहीं हो रहा था वहां संबंधित विभाग द्वारा रास्ते/सड़कों हेतु भूमि अवाप्ति कर अवार्ड जारी कर मुआवजा भुगतान कर दिया गया है। वहां संबंधित तहसीलदार द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल कर दिया है। जिन मामलों में निजी खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में अवाप्ति होकर अवार्ड जारी नहीं हुआ है, उनका अमल होना शेष है। अधिकांश सड़कें राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्तों पर ही बनाई गई हैं इनका राजस्व रिकार्ड में अमल करने की आवश्यकता नहीं है। (सन 2000 से 2007 तक जयपुर जिले की सूची परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है)

(2) उपरोक्त प्रक्रियानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज की कार्यवाही की जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील/उप-तहसीलों का पुनर्गठन

158. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राज्य में बड़ी तहसीलों/उप तहसीलों का पुनर्गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस विषय में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा वर्ष 2004 से अब तक कितने नये ग्रामों/पटवार सर्किलों/कानूनगो सर्किलो/उप-तहसील/तहसील एवं उपखण्डों का गठन किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वर्ष 2004 से अब तक 1368 नवीन राजस्व ग्राम, 4 पटवार सर्किल, 2 तहसील एवं 4 उपखण्डों का गठन किया गया है। सूची परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

परिशिष्ट ''अ''

वर्ष 2004 से अब तक गठित इकाइयों का विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	राजस्व ग्राम	पटवार सर्किल	तहसील	उपखण्ड
1.	अजमेर	47			
2.	अलवर	53			
3.	बांसवाड़ा	56		1	
4	बारां	10			
5.	बाड़मेर	23			
6.	भरतपुर	26			
7.	भीलवाड़ा	36			
8.	बीकानेर	30			
9.	बूंदी	20			
10.	चितौड़गढ़	69			
11.	चूरू	01			

क्र. सं.	नाम जिला	राजस्व ग्राम	पटवार सर्किल	तहसील	उपखण्ड
12.	दौसा	27			
13.	धौलपुर	01			
14.	डूंगरपुर	42			
15.	गंगानगर	00			
16.	हनुमानगढ़	02			
17.	जयपुर	15			
18.	जैसलमेर	88			
19.	जालौर	19			
20.	झालावाड़	06			1
21.	झुन्झुनूं	48			
22.	जोधपुर	224			
23.	करौली	43			
24.	कोटा	05			
25.	नागौर	66			
26.	पाली	61			
27.	राजसमन्द	43			
28.	स. माधोपुर	15			
29.	सीकर	70			
30.	सिरोही	18			
31.	टोंक	62			
32.	उदयपुर	142	4	1	1
33.	प्रतापगढ़				2
	योग	**1368**	4	2	4

पटवारी व राजस्व निरीक्षकों की पदोन्नति

159. श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पटवारी व राजस्व निरीक्षक की पदोन्नति किस वर्ष तक हुई?

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

(2) क्या यह सही है कि इन पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति/जन जाति का बैकलाग भरा गया? यदि हां, तो कितने लोगों को पदोन्नति दी गई?

(3) क्या सरकार शेष रहे पदों पर बैकलाग को पूरा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) जी हां।

परिशिष्ट 'अ'

पटवारी व राजस्व निरीक्षक की पदोन्नति की विवरण तालिका

क्र. सं.	पद	सम्भाग	पदोन्नति वर्ष	बैकलाग भरा गया (संख्या)		शेष बैकलाग		अन्य विवरण
				एस.सी.	एस.टी.	एस.सी.	एस.टी.	
1.	पटवारी से भू.अ. निरीक्षक	अजमेर	2005-06	64	20	-	7	बैकलाग एवं रिक्तिया के केडर स्ट्रेन्थ अनुसार बैकलाग शेष नहीं है।
		जयपुर	2005-06	-	-	-	-	
		कोटा	2007	7	5	-	-	
		भरतपुर	2005-06	-	-	-	-	सूचना भरतपुर सम्भाग के गठन पूर्व की है।
		बीकानेर	2001-02	38	3	-	18	आगे के वर्षों की पदोन्नति पर न्यायालय से स्थगित है।
		जोधपुर	2005-06	2	4	-	-	
		उदयपुर	2006-07	-	-	-	-	बैकलाग शेष नहीं है।
2.	भू.अ. निरीक्षक से नायब तहसीलदार	राजस्व मण्डल के स्तर से	2001-02	15	11	-	-	मा. उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में वर्ष 1994-95 से रिव्यू डी.पी.सी. की जानी है।

उपनिवेशन तहसील क्षेत्र पूगल (बीकानेर) का राजस्व विभाग को हस्तान्तरण

160. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर में उपनिवेशन तहसील पूगल का क्षेत्र उपनिवेशन से राजस्व को हस्तांतरित किया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र हस्तांतरण से पूर्व सरकार द्वारा काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे? यदि हां, तो क्या जारी की गई सभी खातेदारी के नामान्तकरण उपनिवेशन रिकार्ड में दर्ज कर लिये गये? यदि नहीं, तो सरकारी जारी खातेदारी का नामान्तकरण कब तक दर्ज करवाने का विचार रखती है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में तैयार की गई जमाबंदियों में खातेदारी पट्टा जारी होने के बावजूद उपनिवेशन रिकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज कर राजस्व विभाग को रिकार्ड सुपुर्द किया गया? यदि हां, तो क्यों तथा क्या सरकार इस प्रकार के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। जारी किए गए सभी खातेदारी के नामान्तरकरण यथा संभव उपनिवेशन रिकार्ड में दर्ज कर लिए गए थे। रिकार्ड स्थानान्तरण के बाद जारी खातेदारी का नामान्तकरण दर्ज नहीं होने का कोई प्रकरण जानकारी में नहीं आया है।

(3) उक्त क्षेत्र में उपनिवेशन विभाग द्वारा तैयार की गयी जमाबंदियों में उपनिवेशन विभाग द्वारा दी गयी खातेदारी का पट्टा जारी होने के बावजूद उपनिवेशन रिकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज नहीं की गयी है। यदि रिकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज हुई है तो ऐसा प्रकरण ध्यान में आने पर उचित कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा की जा सकेगी।

हिण्डौली एवं नैनवां की काबिल काश्त भूमि की किस्म परिवर्तन आबंटन

161. **श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हरिमोहन शर्मा)

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली एवं नैनवां तहसील के अन्तर्गत विभिन्न पटवार सर्किलों में कुल कितनी-कितनी सिवाय चक भूमि सिंचित एवं असिंचित क्षेत्र की आबंटन हेतु उपलब्ध है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) हिण्डौली और नैनवां तहसील में कुल कितनी खाल, दरडे, बरडे, पठार किस्म की गैर मुमकिन भूमि जिस पर किसान काबिज हैं और वह भूमि काश्त योग्य है, उपलब्ध है, जिसकी किस्म परिवर्तन करने के आदेश के बाद आबंटन किया जा सकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वर्ष 2008 में उक्त कृषि भूमियों को अभियान चलाकर आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के विभिन्न पटवार सर्किलों में 20610 एकड़ सिंचित व 10812 एकड असिंचित तथा विधान सभा क्षेत्र नैनवां के विभिन्न पटवार सर्किलों में 8132 एकड सिंचित व 20153 एकड़ असिंचित भूमि आबंटन हेतु उपलब्ध है। पटवार सर्किलवार विवरण परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(2) तहसील हिण्डौली 5867 एकड़ व तहसील नैनवां में 1566 एकड खाल, दरडे, बरडे, पठार किस्म की गै.मु. भूमि है जो काश्त योग्य एवं आबंटन योग्य उपलब्ध है। परिपत्र क्रमांक पं.6(44)राज/6/01/9 दिनांक 7.4.2007 के अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आबंटन) नियम, 1970 के नियम 4 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमियां तथा मा. उच्च न्यायालय डी.बी. बैंच द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य सिविल रिट पिटिशन नम्बर 1536/03 में दिनांक 2.8.2004 को पारित निर्णय के अन्तर्गत वर्णित भूमियों को छोड़कर शेष अन्य उक्त गै.मु. भूमियां आबंटित की जा सकती हैं।

(3) कृषि योग्य भूमि का आबंटन/नियमन एक सतत् प्रकिया है।

(परिशिष्ट विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

फुलेरा की राजस्व ग्राम योग्य ढाणियां

162. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नवरतन राजोरिया)

(1) सरकार द्वारा नये राजस्व गांव व ढाणियां घोषित करने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं?

(2) उक्त मानदण्डों के अनुसार विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के कौन-कौन से गांव ढाणियां राजस्व गांव घोषित होने योग्य हैं तथा उन्हें कब तक राजस्व गांव घोषित कर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) नवीन राजस्व ग्राम के लिए निर्धारित मापदण्डों का परिपत्र दिनांक 19.3.2007 संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के अन्तर्गत एक नये राजस्व ग्राम जोधपुर का प्रस्ताव जिला कलक्टर, जयपुर को प्राप्त हुआ है, जिसका परीक्षण जिला स्तर पर किया जा रहा है। परीक्षणोंपरान्त नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा

(परिपत्र विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

वन कार्मियों की पदोन्नति

163. **श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वन विभाग में अधीनस्थ कर्मचारियों के सेवा संवर्गों में सुधार एवं पदोन्नति जैसे प्रकरणों के प्रशासनिक स्तर पर देखरेख में किस अधिकारी द्वारा कब-कब क्या-क्या प्रयास किये गये?

(2) अधीनस्थ वन कर्मचारियों की पदोन्नति मामले में संवर्गवार वन रक्षक, सहायक वनपाल, वनपाल क्षेत्रीय प्रथम एवं द्वितीय में कितना लम्बा ठहराव है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा वर्ष 1985 से अब तक आई.एफ.एस. स्तर के कितने अधिकारियों को कौन-कौन से पद पर कब-कब पदोन्नति किया गया तथा वनपाल/रेंजर को कब-कब पदोन्नति दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वन विभाग ने वन अधीनस्थ कर्मचारियों की सेवा में सुधार एवं पदोन्नति के मामलों में यह बताना कठिन है कि किस अधिकारी ने क्या-क्या

(वन राज्य मंत्री)

प्रयास किये। तथापि वन विभाग द्वारा इस संबंध में किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) वन अधीनस्थ कर्मचारियों की पदोन्नति में ठहराव सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) वर्ष 1985 से अब तक आई.एफ.एस. स्तर के अधिकारियों की पदोन्नति का विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

वनपाल एवं रेंजर को वर्ष 1985 से अब तक दी गई पदोन्नतियों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-घ तथा परिशिष्ट-च पर संलग्न है।

(परिशिष्ट विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

मेहन्दीपुर बालाजी की वन भूमि पर भू-माफियों द्वारा अतिक्रमण

164. श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि तीर्थस्थल मेहन्दीपुर बालाजी में भू-माफियाओं द्वारा वन भूमि पर कब्जा कर लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि पर से भू-माफियाओं का कब्जा हटाने पर विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

तीर्थस्थल, मेहन्दीपुर बालाजी में स्थानीय निवासियों द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमण के 68 प्रकरण न्यायालय सहायक वन संरक्षक में दर्ज होकर विचाराधीन हैं। इसके अलावा 21 अतिक्रमणों के प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालयों में दाखिले किये गये हैं। इन प्रकरणों में निर्णयानुसार कार्यवाही की जावेगी।

अतारांकित प्रश्न संख्या-165

(स्थगित)

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-14 के पाली क्षेत्र में रेलवे ओवर ब्रिज/बाइपास हेतु सर्वे

166. श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री सी.डी. देवल)

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 14 फोर लेन बन रहा है? यदि हां, तो कार्यवाही किस स्तर पर चल रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 14 पर दिल्ली-अहमदाबाद रेल लाइन पर ग्राम सबलपुरा एवं आबू रोड पर और जोधपुर व मारवाड़ जंक्शन रेल लाइन पर पाली में रेलवे फाटक बनी हुई है और इन तीनों फाटकों की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 14 में सड़क यातायात में बाधा उत्पन्न होती है? यदि हां, तो क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से इन रेलवे क्रासिंग पर फ्लाई ओवर बनाने के लिए अनुरोध करेगी? यदि हां, तो अब तक इसके लिए क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग 14 पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुरोध कर राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 14 ग्राम बर, चण्डावल व सोजत में बाइपास बनवाने के लिए कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या इसकी सर्वे करवाई गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (रा.रा.प्रा.) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 को पिण्डवाड़ा से आबूरोड होते हुए राज्य सीमा तक 4 लेन करने का निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 14 के शेष लम्बाई यानि कि ब्यावर से पिण्डवाड़ा तक रा.रा.प्रा. द्वारा फिजिब्लिटी रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य प्रगति पर है।

(2) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 पर स्थित समस्त रेलवे लाइनों पर आर.ओ.बी. निर्माण प्रस्तावित है इस हेतु डी.पी.आर. का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा करवाया जा रहा है।

इन लेवल क्रासिंग पर आर.ओ.बी. बनाने का निर्णय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लिया जायेगा जो रेलवे की अनुमति पर निर्भर है।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बर, चण्डावल एवं सोजत में बाइपास बनाने का निर्णय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लिया जायेगा।

मिनी सचिवालय, झालावाड़ के नव निर्मित भवन का उपयोग

167. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा झालावाड़ में मिनी सचिवालय का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो उसके निर्माण में कितनी लागत आई?

(2) उक्त मिनी सचिवालय का निर्माण कार्य कब आरम्भ हुआ और यह भवन कितने माह में बनकर तैयार हुआ?

(3) क्या यह सही है कि मिनी सचिवालय के भवन में विभागों द्वारा काम करना आरम्भ कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। मिनी सचिवालय झालावाड़ के निर्माण में अब तक की लागत लगभग रुपये 1586.18 लाख आयी है।

(2) मिनी सचिवालय झालावाड़ का निर्माण कार्य दिनांक 01.11.2004 को प्रारम्भ हुआ तथा भवन कार्य 33 माह की अवधि में बनकर तैयार हुआ।

(3) जी नहीं। मिनी सचिवालय में विभागों को कार्यालय हेतु जगह का आबंटन कर सम्भलवा दिया गया है, एवं विभागों द्वारा स्थानान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।

किशनगढ़-ब्यावर सड़क मार्ग का उन्नयन

168. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि किशनगढ़ से ब्यावर तक भारी यातायात के दबाव के कम करने के लिये सरकार द्वारा योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। यह योजना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाई गई है, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है। जिसकी स्वीकृति भारत सरकार द्वारा अपेक्षित है।

घाटोल की क्षतिग्रस्त सड़कें

169. श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नवनीत नीनामा)

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र घाटोल में घाटोल ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर से ग्राम पंचायत गोलीया कड़ा व पढ़ोली गोर्धन से पढ़ोली राठौड़ व प्रतापगढ़-बांसवाड़ा मार्ग उदपुरा से मोरड़ी उपली की सड़कें जीर्ण-शीर्ण अवस्था हालत में हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इन सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र घाटोल में ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर से ग्राम पंचायत गोलीयावाडा व पड़ौली गोवर्धन से पडौली राठौड़ एवं प्रतापगढ़ बांसवाड़ा रूट स्थान उदपुरा से मोरडी उपली की सड़क पर पेच रिपेयर का कार्य विभाग द्वारा करवा दिया गया है। उक्त सड़कों की रिन्यूवल हेतु मद 3054 टी.एफ.सी.आर. (आर.एम.यू.पी. फेज-III) के अन्तर्गत स्वीकृति जारी की जा चुकी है। संवेदक को कार्यादेश जारी कर दिया गया है। कार्य माह अप्रैल, 2008 के अन्त तक पूरा किया जाना सम्भावित है।

रानीवाड़ा की क्षतिग्रस्त सड़कें

170. **श्री अर्जुन सिंह देवड़ा** (रानीवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सिरोही बार्डर से रामसीन सड़क क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो इसकी कब तक मरम्मत करा दी जायेगी?

(2) क्या यह भी सही है कि जसवंतपुरा से गजापुरा के मध्य सड़क क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो इसकी कब तक मरम्मत कर दी जायेगी?

(3) क्या रानीवाड़ा से धानोल व रतनपुर सड़क क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो इसकी कब तक मरम्मत कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 2006 में एन.एच.-14 का भारी यातायात सुमेरपुर में पुलिया क्षतिग्रस्त होने से अवरुद्ध हो गया था, जो सिरोही रामसीन (राज्य राज मार्ग सं. 38) होते हुए गुजरा था जिससे 7.5 कि.मी. सड़क में सेटलमेंट हो गये थे। सड़क पर पेच मरम्मत कार्य करवा दिया गया है। वर्तमान में सड़क की स्थिति संतोषजनक है।

(2) जी हां। जसवंतपुरा से गजापुरा-सिलदर (ग्रामीण सड़क) 2.5 कि.मी. लम्बाई का निर्माण वर्ष 1987 में हुआ था। वर्तमान में उक्त सड़क के

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

लिये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सी.यू.पी.एल. (अपग्रेडेशन) के अन्तर्गत 2.5 कि.मी. लम्बाई के लिए रुपये 66.15 लाख की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। यह कार्य माह दिसम्बर, 2008 तक पूरा करवाया जाना सम्भावित है।

(3) जी हां। रानीवाडा से धानोल वाया जाखड़ी (ग्रामीण सड़क) 14.50 कि.मी. का निर्माण वर्ष 1987 में हुआ था। वर्तमान में उक्त सड़क के लिये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सी.यू.पी.एल. (अपग्रेडेशन) के अन्तर्गत 14.50 कि.मी. लम्बाई के लिये रुपये 312.14 लाख की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। यह कार्य माह दिसम्बर, 2008 तक पूरा करवाया जाना सम्भावित है।

रानीवाड़ा से धानोल सड़क पर स्थित जाखड़ी गांव से रतनपुर (ग्रामीण सड़क) 3 कि.मी. आर.यू.पी. प्रथम में वर्ष 2001-02 में नवीनीकरण करवाया गया। रेलवे ब्रोडगेज के निर्माण के लिये सामग्री परिवहन हेतु भारी वाहनों के आवागमन से सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। जिसकी आंशिक मरम्मत करवा दी गई है। शेष लम्बाई की मरम्मत इसी वित्तीय वर्ष में करवा दी जायेगी।

कोआपरेटिव कालोनी/अजमेर रोड, जयपुर की क्षतिगस्त सड़कें

171. **श्री रमेश खींची** (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि को-आपरेटिव कालोनी अजमेर रोड, जयपुर की सड़कें लम्बे समय से क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो सरकार अब उक्त कालोनी की सड़कों की मरम्मत/नवीनीकरण कब तक करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। कालोनी के पार्क के पास लगभग 100 मीटर सड़क जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा तोड़ी गई है, जिसे शीघ्र ठीक करा दिया जायेगा।

करौली में विभिन्न योजनान्तर्गत विद्युत कार्य

172. **श्री सुरेश मीणा** (करौली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र करौली में दिनांक 1 अप्रैल, 2003 से 31 जनवरी, 2008 तक की अवधि में कौन-कौनसी योजनाओं में कितनी-कितनी

(श्री सुरेश मीणा)

राशि के क्या–क्या कार्य कहां-कहां पर कराये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में कौन-कौनसी योजनाओं में कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र करौली में दिनांक 1 अप्रैल 2003 से दिनांक 31 जनवरी 2008 तक की अवधि में भिन्न-भिन्न योजनाओं पर व्यय की गई राशि एवं सम्पन्न कराये गये कार्यों के स्थानों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) वर्तमान में नौ फीडरों का सुधार कार्य किया जाना प्रस्तावित है जिसकी अनुमानित लागत 405.00 लाख रु. है। इन फीडरों का सुधार कार्य प्रगति पर है।

परिशिष्ट 'अ'

करौली विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कराए जा रहे कार्यों का विवरण

1. 11 के.वी. फीडर सुधार कार्यक्रम – विधान सभा क्षेत्र करौली में इक्कीस 11 के वी फीडरों :- भवाली, ममचारी, हरजपुरा, पांचना, गैर, चैनपुर, बरिया, मासलपुर, पेटोली, जंहागीरपुरा, अरिहुदपुरा, टटवाई, गधोली, दीपपुरा, मंच, राजौर, मक्सजाइन, कीरतपुरा, रघुवंशी, नारायणा एवं करसई का सुधार कार्य किया गया है। जिन पर लगभग 911.08 लाख रुपये व्यय हुए।
2. 33 के.वी. फीडर सुधार कार्यक्रम – विधान सभा क्षेत्र करौली में 33/11 के.वी. सब-स्टेशन का निर्माण करौली, सायपुर, करसाई, बरखेडा एवं समरेडा ग्राम में किया गया जिन पर लगभग 249.35 लाख रु. व्यय हुये।
3. बी.पी.एल. कनेक्शन – विधान सभा क्षेत्र करौली में 701 बी.पी.एल. परिवारों को कनेक्शन दिये गये जिन पर लगभग 42.60 लाख रु. का व्यय हुआ।
4. ग्रामों का विद्युतीकरण – विधान सभा क्षेत्र करौली में ग्राम सेवली, सहनपुर, खरवाया, वांसवारी, सजनपुर, ढेकरा, मांगरोल, सिंगनपुर, पुरा औधरखा, मुंशीपुरा, एवं घूमड विद्युतीकृत किये गये जिन पर लगभग 311.90 लाख रु. व्यय हुये।

5. हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण – विधान सभा क्षेत्र करौली में लोहरा, भांकरी, मामचारी एवं चैनुपर हरिजन बस्तियां विद्युतीकृत की गई जिन पर लगभग 4.00 लाख रु. व्यय हुये।

घरेलू बिजली दर में वृद्धि से प्राप्त राजस्व

173. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में घरेलू बिजली की दर में दिनांक 1 जनवरी, 2004 के पश्चात् की गई वृद्धि से घरेलू बिजली से आय में कितनी बढ़ोत्तरी हुई? जिलेवार वर्ष 2008 तक का बढ़ी हुई आय का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में घरेलू बिजली के कितने कनेक्शन काटे गये? संख्या विवरण वर्षवार जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विद्युत निगमों में घरेलू बिजली की दर में दिनांक 1 जनवरी, 2004 के पश्चात् दिसम्बर 2005 तक कोई वृद्धि नहीं की गई। जनवरी, 05 से दरों में वृद्धि से आय में बढ़ोत्तरी का निगमवार वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त अवधि में घरेलू श्रेणी के काटे गये कनेक्शनों का निगमवार वर्षवार एवं जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(परिशिष्ट विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

अलियापाड़ा ग्राम (बांदीकुई) में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन की स्थापना

174. **श्री मुरारी लाल मीणा** (बांदीकुई) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) 132 के.वी. ग्रिड स्टेशन स्थापित करने के क्या मानदण्ड हैं?

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में 33 एवं 132 के.वी. सब ग्रिड स्टेशन कितने हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि 33 के.वी. सब ग्रिड स्टेशन भोजवाड़ा धनावड एवं हिंगोटा स्वीकृत हैं? यदि हां, तो इनका कार्य कब तक शुरू कर दिया जावेगा?

(4) क्या विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के पूर्वी भाग के ग्राम अलियापाड़ा में 132 के.वी. ग्रिड स्टेशन स्थापित करना मानदण्डों को पूरा करता है? यदि हां, तो सरकार इसे कब तक बनाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) नये 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाने के प्रस्ताव साधारणतया निम्नलिखित मापदण्ड के आधार पर परीक्षण उपरान्त स्वीकृत किये जाते हैं :-

I. 33 के.वी. विद्युत तंत्र का वाल्टेज रेग्यूलेशन तथा डिमाण्ड लोस का आंकलन।

II. सामान्यतया वर्तमान 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन से लगभग 30 कि.मी. (ग्रामीण क्षेत्र) की दूरी।

III. क्षेत्र में विद्युत भार की अत्यधिक वृद्धि।

IV. छीजत में कमी से लागत का आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त पाया जाना।

V. वैकल्पिक प्रस्तावों (जैसे अतिरिक्त 33 के.वी. की लाइन बनाना, नया 33 के.वी. सब-स्टेशन बनाना, कम क्षमता के 33 के.वी. लाइन कन्डक्टर को बदलना तथा वोल्टेज सुधार हेतु कैपेसिटर बैंक लगाना) से विद्युत तंत्र में उचित सुधार सम्भव न हो।)

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में एक 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बांदीकुई में स्थापित है तथा 33 के.वी. सब-स्टेशन निम्नानुसार है :-

1. बांदीकुई
2. बढियालकलां
3. प्रतापपुरा
4. आभानेरी
5. मोटूका
6. कोलाना
7. बसवा
8. बिवाई
9. डिगारिया भीम
10. भांवता
11. गुढा कटला
12. गुडलिया।

(3) धनावड (भोजवाडा) 33 के.वी. सब-स्टेशन सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत है तथा तकनीकी स्वीकृति अभी विचाराधीन है। हिंगोटा में 33 के.वी. सब-स्टेशन बनाने की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 13.02.2008 को जारी की जा चुकी है जिसका कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जायेगा।

(4) जी नहीं।

गंगरार में फीडर सुधार कार्यक्रमान्तर्गत आवासीय क्षेत्रों की विद्युत लाइनों का परिवर्तन

175. **श्री अर्जुन लाल जीनगर** (गंगारार) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र गंगरार के पहुंना, जाडाना व रूद ग्रामों में मकानों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र गंगरार के पहुंना, जाडाना व रूद गांव में विद्युत लाइनें पूर्व में ही स्थापित थी परन्तु समय के अन्तराल में कुछ लोगों द्वारा लाइन के नीचे मकान बना लिये गये। पहुंना एवं रूद गांव के कुछ लोगों द्वारा लाइन हटाने हेतु आवेदन किया गया है जिन्हें जोखिम भरा होने पर निगम द्वारा नियमानुसार 50 प्रतिशत का मांग पत्र जारी किया गया है परन्तु उनके द्वारा मांग पत्र की राशि जमा नहीं कराई गई है। मांग पत्र की राशि जमा कराने के पश्चात् ही विद्युत लाइनों को हटाने की कार्यवाही की जा सकेगी। ग्राम जाडाना में लाइन स्थानान्तरित करने हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

बारां जिले में सहकारी बैंकों द्वारा कृषकों की सम्पत्ति की नीलामी

176. **श्री प्रमोद जैन "भाया"** (बारां) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले में वर्ष 2004 से माह जनवरी, 2008 तक ऋण राशि जमा नहीं कराने से किस-किस कृषक की चल एवं अचल सम्पत्ति जब्त एवं नीलाम की गई? कृषक के नाम, पते सहित तहसीलवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कृषकों में से कौन-कौन कृषक अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय का है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चल एवं अचल सम्पत्ति किस-किस सहकारी बैंक द्वारा कितनी-कितनी ऋण एवं ब्याज राशि के पेटे जब्त एवं नीलाम की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में वर्ष 2004 से माह जनवरी, 2008 तक जिन कृषकों की चल एवं अचल सम्पत्ति जब्त एवं नीलाम की गई है उनकी सूची, नाम सहित तहसीलवार एवं वर्षवार परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) बारां जिले में वर्ष 2004 से माह जनवरी, 2008 तक ऋण राशि जमा नहीं करवाने वाले व उनकी चल व अचल सम्पत्ति जब्त व नीलाम वाले अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के कृषकों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। उक्त 102 कृषकों में से 17 अनुसूचित जाति 37 अनुसूचित जनजाति व 47 अन्य जातियों के हैं व अल्पसंख्यक एक है।

(3) बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., बारां एवं बारां सहकारी भूमि विकास बैंक लि. बारां द्वारा ऋण एवं ब्याज राशि के पेटे कुर्क (एटेचमेन्ट) एवं नीलाम की गई एचं अचल सम्पत्ति का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(सूची/विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा जिले की सहकारी समितियों का निरीक्षण

177. **श्री भरत सिंह** (दिगोद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा जिले की कुल कितनी सहाकरी समितियां शक्कर, घासलेट व अनाज वितरण का कार्य कर रही हैं? जिले में कुल सहकारी समितियों का यह कितना प्रतिशत है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभाग यह प्रयास करता है कि आवश्यक वस्तुओं का वितरण सहकारी विभाग के माध्यम से गांवों में करवाया जावे जिससे ग्रामीण उपभोक्ता को सहकारी समितियों के माध्यम से उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुऐं मिल सकें? यदि हां, तो क्या कारण है कि इतनी कम संख्या में सहकारी समितियां आवश्यक वस्तुओं का वितरण कर रही हैं?

(3) क्या सरकार द्वारा समय-समय पर उन सहकारी समितियों का जो वितरण कार्य कर रही है के रिकार्ड की जांच की जाती है जिससे यह जाना जा सके कि समिति के धन का सही उपयोग हो रहा है? यदि हां, तो दो गत वर्षों में किस-किस समिति का निरीक्षण किया गया?

उत्तर

(1) कोटा जिले में कुल 61 सहकारी समितियां शक्कर, घासलेट व अनाज वितरण का कार्य कर रही हैं। जिले में कुल 745 विभिन्न सहकारी

(सहकारिता मंत्री)

समितियां पंजीकृत हैं जिसमें से 305 समितियां उक्त कार्य हेतु उपनियमानुसार पात्र हैं। यह पात्र समितियों का 20 प्रतिशत है।

(2) जी हां, विभाग द्वारा प्रयास किया जाता है कि आवश्यक वस्तुओं का वितरण सहकारी विभाग के माध्यम से गांवों में करवाया जावे, कि ग्रामीण उपभोक्ता को सहकारी के माध्यम से उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं मिल सकें। किन्तु उक्त कार्य का आबंटन रसद विभाग द्वारा किया जाता है। अतः प्राइवेट डीलर्स को भी उक्त कार्य आबंटित किये जाने के कारण सहकारी क्षेत्र की समितियों को कार्य आबंटन कम हो पाता है। समितियों के संचालक मंडल द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रस्ताव पारित किया जाता है।

(3) रसद विभाग द्वारा उक्त कार्य आबंटन किया जाता है। अतः समय-समय पर उनके द्वारा जांच कराई जाती है। सहकारी अधिनियम – 2001 में समितियों के नियमित निरीक्षण का प्रावधान नहीं है।

सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्य-योजना

178. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि किसानों द्वारा सहकारी बैंकों से उनके ऊपर बकाया नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये फीस निर्धारित की हुई है? यदि हां, तो कब से तथा कितनी?

(2) क्या यह भी सही है कि सहकारी संस्थाओं का गठन साहूकारों से मुक्ति दिलाने तथा सदस्यों को सुविधाजनक ढंग से साधारण ब्याज दर पर राशि उपलब्ध कराने के लिए किया गया था? यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? उद्देश्यों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) किसानों द्वारा सहकारी बैंकों से उनके ऊपर बकाया नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु फीस लेने/नहीं लेने एवं फीस की राशि सहकारी बैंकों का आंतरिक मामला होने से कतिपय बैंकों ने प्रशासनिक निर्णय लेकर फीस का निर्धारण किया है। सरकार द्वारा बकाया नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने बाबत् फीस का निर्धारण नहीं किया गया है। फीस लेने अथवा नहीं लेने हेतु संबंधित सहकारी बैंक स्वतंत्र है।

(सहकारिता मंत्री)

(2) यह सही है कि विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थायें भिन्न-भिन्न उद्देश्यों हेतु गठित की गई हैं। सहकारी बैंकों के गठन के अनेक उद्देश्यों में से एक मुख्य उद्देश्य साहूकारों से मुक्ति दिलाने तथा सदस्यों को सुविधाजनक ढंग से उचित ब्याज दर पर राशि उपलब्ध कराने का भी था।

जी हां। भूमि विकास बैंकों के लिए राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 67 में वर्णित उद्देश्य परिशिष्ट-1 व केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं सहकारी भूमि विकास बैंकों के उपनियमों में वर्णित उद्देश्यों की प्रति परिशिष्ट-2 व 3 पर संलग्न है।

(परिशिष्ट विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

सुमेरपुर के भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

179. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? यदि हां, तो कितने व कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, सुमेरपुर में कोई आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन नहीं है। विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति, सुमेरपुर के 83 तथा पाली ग्रामीण के 27 आंगनबाड़ी केन्द्र इस प्रकार कुल 110 आंगनबाड़ी केन्द्र, किराये के भवन में संचालित किये जा रहे हैं। पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) आंगनबाड़ी भवन निर्माण का कार्य चरणबद्ध रूप वित्तीय संसाधन उपलब्धता के आधार पर करवाया जा रहा है।

(परिशिष्ट विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

परबतसर के आंगनबाड़ी केन्द्र

180. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री राकेश मेघवाल)

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में वर्ष 1999 से 2003 तक कितने नये आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये तथा कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन निर्माण करवाये गये? सूची ग्राम पंचायतवार सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में जनवरी, 2004 से अब तक कितने नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये तथा कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन का निर्माण करवाया गया? विवरण ग्राम पंचायतवार सदन की मेज पर रखें।

(3) गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र परबतसर के किन-किन आंगनबाड़ी केन्दों का किन-किन अधिकारियां द्वारा निरीक्षण किया गया? निरीक्षण उपरान्त प्राप्त रिपोर्टों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि परबतसर के महिला बाल विकास कार्यालय में उपलब्ध वाहन वर्तमान में मरम्मत योग्य है? क्या सरकार उक्त वाहन की मरम्मत हेतु बजट आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में वर्ष 1999 से 2003 के दौरान कोई नया आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं खोला गया और न ही आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये।

(2) विधानसभा क्षेत्र, परबतसर में जनवरी, 2004 से जनवरी, 2008 के मध्य कुल 37 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 11 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये हैं।

विधान सभा क्षेत्र परबतसर में जनवरी, 2004 से जनवरी, 2008 के मध्य 5 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भवन निर्माण करवाया गया है।

नवीन खोले गये आंगनबाड़ी केन्द्रों की ग्राम पंचायतवर सूची परिशिष्ट 'अ' पर तथा भवन निर्माण कार्यों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) गत 3 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र परबतसर के आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण विभिन्न अधिकारियों द्वारा किया गया है। विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(4) बाल विकास परियोजना कार्यालय, परबतसर में फिलहाल वाहन चालू हालत में है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

निम्बाहेडा के आंगनबाड़ी विहीन ग्राम

181. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा-छोटी सादड़ी में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2003-04 से वर्ष 2007-08 तक कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र नये खोले गये? वर्षवार एवं पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार आंगनबाड़ी विहीन गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेडा-छोटी सादड़ी में 272 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 28 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं। पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा-छोटी सादड़ी में वर्ष 2003-04 से वर्ष 2007-08 तक कुल 51 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 28 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र नये खोले गये। वर्षवार एवं पंचायत समितिवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	**पंचायत समिति**	**आंगनबाड़ी**	**मिनी आंगनबाड़ी**
2005-06	निम्बाहेडा	6	0
2005-06	छोटी सादड़ी	25	0
2007-08	निम्बाहेडा	20	15
2007-08	छोटी सादड़ी	0	13
	योग	**51**	**28**

(3) भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले ग्रामों में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने जाने की स्वीकृति, भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरांत खोलने की कार्रवाई की जाएगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गोगुन्दा में कालीबोर डैम से सिंचाई सुविधा

182. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की पंचायत समिति कोटड़ा में कालीबोर डेम से नहर द्वारा शिवडिया (बेकरिया) व पिपला, पिलखा को सिंचाई कराये जाने का प्रस्ताव लम्बित है? यदि हां, तो कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की पंचायत समिति कोटड़ा के कालीबोर डेम से शिवडिया (बेकरिया) व पिपला, पिलखा को सिंचाई कराये जाने का प्रस्ताव राशि रुपये 75.06 लाख का प्राप्त हुआ है।

कालीबोर बांध से सिंचाई हेतु पिपला नहर निर्माण की राशि 75.06 लाख का प्रस्ताव इस विभाग को प्राप्त हुआ जिसे सिंचाई विभाग को वित्तीय प्रबन्धन के लिये दिनांक 16.02.2008 को भिजवा दिया गया है।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आयोडाइज्ड नमक वितरण हेतु करार

183. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या जनजातिय क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार द्वारा जनजाति उप योजना क्षेत्र में आयोडाइज्ड नमक का वितरण करवाया गया था? यदि हां, तो :-

1- किस कम्पनी या एजेन्सी को कार्य सौंपा गया?

2– कब व क्या शर्तें थीं?

3– कम्पनी द्वारा कितनी राशि में यह कार्य करना था?

4– नमक का भाव क्या तय किया गया?

5- वितरण व्यवस्था कैसे और कौन करता था?

6– नमक की गुणवत्ता के मानदण्ड क्या थे?

7– नमक कहां से सप्लाई होता था?

8- क्या इस संबंध में सरकार व किसी कम्पनी में एम.ओ.यू. हुआ था? यदि हां, तो एम.ओ.यू. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। वर्तमान सरकार द्वारा अनुसूचित/सहरिया क्षेत्र में आयोडाइज नमक का वितरण करवाया जा रहा है। बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार है :-

1- वर्ष 2005-06 में भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (मर्यादित) जयपुर को तथा वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में हिन्दुस्तान साल्टस लि. (सांभर साल्टस लि.) जयपुर (भारत सरकार का उपक्रम) को नमक आपूर्ति का कार्य सौंपा गया।

2- वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 में नमक आपूर्ति हेतु जो शर्ते निर्धारित की गई थी। विवरण परिशिष्ट अ से स अनुसार संलग्न है।

3- वर्ष 2005-06 में भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (मर्यादित) जयपुर में नमक आपूर्ति हेतु अनुबन्ध सम्पादित किये जाने के कारण उक्त कम्पनी को 1,13,16,150/- रुपये में नमक आपूर्ति कार्य कराना था। वर्ष 2006 -07 में हिन्दुस्तान साल्टस लि. जयपुर (सांभर साल्टस लि. सहायक कम्पनी) को 8168467/- रुपयों में नमक आपूर्ति कार्य करना था। इसी प्रकार वर्ष 2007-08 में भी उक्त कम्पनी हिन्दुस्तान साल्टस लि. से अनुबन्ध होने के कारण 99,89,052/- रुपये में नमक आपूर्ति कार्य किया जा रहा है।

4- नमक आपूर्ति हेतु निम्नानुसार वर्षवार भाव तय किया गया था :-

क्र.	कम्पनी का नाम	वर्ष	दर प्रति किलो
1	भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता	2005-06	1.68
2	हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड (सांभर साल्टस सहायक कम्पनी,	2006-07 2007-08	1.59 1.93

5- आयोडीनयुक्त नमक का वितरण उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से कराया जा रहा है। उदयपुर जिले में जिला रसद अधिकारी द्वारा थोक विक्रेताओं के माध्यम से तथा अन्य जिलों में तहसीलदारों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण कार्य करवाया जा रहा है।

(जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री)

6- नमक की गुणवत्ता के मापदण्ड निम्न प्रकार निर्धारित किये गये :-

1. नमक के पैकिंग के समय आयोडीन की मात्रा 30 पी.पी.एम. तथा उपभोक्ता स्तर पर 15 पी.पी.एम. न्यूनतम पाया जाना आवश्यक है।

2. सप्लाई किये जाने वाला नमक पी.एफ.ए. (Public food Act) मापदण्ड अनुसार होना आवश्यक है।

7- नमक की आपूर्ति वर्ष 2005-06 में भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (NCCF) जयपुर (भारत सरकार का उपक्रम) तथा वर्ष 2006-07 में हिन्दुस्तान साल्टस लि. जयपुर (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा सप्लाई किया गया है। तथा वर्ष 2007-08 में भी हिन्दुस्तान साल्टस लि. जयपुर द्वारा सप्लाई किया जा रहा है।

8- सरकार (विभाग) व कम्पनी में एम.ओ.यू. नहीं हुआ है, बल्कि नियमानुसार निर्धारित निविदा प्रक्रिया अपनाकर कम्पनियों एवं विभाग के मध्य वर्षवार अनुबंध सम्पादित किये गये हैं (वर्ष 2005-06 से 2007-08) जिसकी फोटो प्रतियां संलग्न की जा रही हैं।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परिशिष्ट-1

295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गईं

शेरगढ़ तहसील मुख्यालय पर ग्राम पंचायत बालेसर सत्ता में राजकीय महाविद्यालय खोलने विषयक

महोदय,

मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जिला जोधपुर में मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में क्रमश: बालेसर एवं शेरगढ़ दो पंचायत समितियां हैं। इस विधान सभा क्षेत्र की दोनों पंचायत समितियों में वर्तमान में 10 उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिनमें वर्तमान में लगभग 2000 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

इस तहसील मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, चिकित्सा सुविधा, आवागमन के साधन हेतु पक्की सड़क, दूरसंचार सुविधा के साथ ही पानी व बिजली की उचित व्यवस्था है।

इस विधान सभा क्षेत्र में महाविद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण बालिकाओं का उच्च अध्ययन मात्र बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण पश्चात् समाप्त सा हो जाता है। एवं ग्रामीण क्षेत्र के गरीब छात्र अपनी गरीबी के कारण शहर में जाकर महाविद्यालय में उच्च अध्ययन करने में असमर्थ है।

अत: यदि इस क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खोल दिया जाए तो इस क्षेत्र के अलावा इसके आस-पास की पंचायत समितियां शेरगढ़, औसियां एवं बाप के छात्र-छात्राएं भी लाभान्वित होंगे। एवं बालिकाओं के उच्च अध्ययन के प्रतिशत में भी बढ़ोत्तरी होगी। साथ ही इनको उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित भी किया जा सकेगा।

अत: आपसे अनुरोध है कि शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति बालेसर की ग्राम पंचायत बालेसर सत्ता में राजकीय महाविद्यालय खुलवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने का श्रम करावें।

बाबूसिंह राठौड़

(शेरगढ़)

खातोली ग्राम जिला कोटा में स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा खुलवाने बाबत

महोदय,

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्राम खातोली जिला कोटा में स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की शाखा नहीं खुलवाने से अठारहवा के क्षेत्र के किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों व आम जनता को बैंक में लेन-देन करने हेतु 5 किलोमीटर की दूरी जाकर कस्बा अथवा या ग्राम पीपल्दा में आना जाना पड़ता है। इस कारण आवागमन के साधन भी समय उपलब्ध नहीं होते है। इन गरीबों के पास बस के किराये के पैसे भी नहीं होते हैं अठाहरवा क्षेत्र 90 प्रति. आम जनता खेती कर व मजदूरी कर अपना पेट पालन करती है। यह सदैव भाजपा का गढ़ रहा है इस क्षेत्र की जनता ने पंचायती राज चुनावों में पंच से लेकर जिला प्रमुख तक भाजपा के चुने हैं तथा इनके विकास की किसी भी सरकार ने नहीं सोची है।

अतः मैं पुरजोर अनुरोध करता हूं कि ग्राम खातोली जिला कोटा में स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की अविलम्ब शाखा खुलवाने की उचित कार्यवाही कर अनुगृहित करें।

धन्यवाद।

प्रभुलाल वर्मा
(पीपल्दा)

सीकर जिले के ग्राम सकराय में नीमड़ी घाटी के ऊपर चढाई में परिक्रमा के दौरान उत्पन्न पानी की समस्या

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये सीकर जिले के ग्राम सकराय में नीमड़ी घाटी के ऊपर चढ़ाई में परिक्रमा के दौरान उत्पन्न पानी की समस्या के संदर्भ में निवेदन करना चाहूंगी।

सीकर जिले के ग्राम सकराय में शाकम्बरी माता का मंदिर अवस्थित है जहां पर अनेक श्रद्धालु दर्शन हेतु आते रहते हैं। सीकर जिले में इस चौबीस कोसी परिक्रमा में भादव मास में लाखों लोग परिक्रमा करते हैं, यह चौबीस कोसी परिक्रमा लगभग 84 किलोमीटर की है। मेरे द्वारा भी यह पद यात्रा की

गई थी यह एक पहाड़ी क्षेत्र है। इस पद यात्रा में वृद्धजन भी काफी मात्रा में भाग लेते हैं। यह चौबीस कोसी परिक्रमा सम्भवत गत 100 वर्षों से निरंतर भादव मास में जारी रहती है। इस यात्रा के दौरान कहीं भी कोई आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं रहती हैं। मात्र गैर सरकारी संगठन दान-पुन के स्थान पर जगह-जगह भण्डारे के आयोजन एवं विश्राम हेतु विश्रामालय की व्यवस्था करते हैं। मैं यहां मुख्यत: सदन को यह बताना चाहूंगी कि परिक्रमा में नीमड़ी घाटी के ऊपर चढ़ाई में पीने के पानी का कोई साधन नहीं है श्रद्धालुओं को पानी की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है यहां पर पीने के लिये तकरीबन 50-60 वर्ष पूर्व निर्मित पानी के कुण्ड में अपनी प्यास बुझानी पड़ती थी परन्तु अब यह कुण्ड पूरी तरह से सूख चुका है जिसमें पानी आना बन्द हो गया है तथा यहां पर पानी का अन्य कोई साधन नहीं है। इस स्थान पर वृद्धजनों की ऐसी हालात होती है कि वह नीचे से पानी नहीं ला सकते हैं तथा कुछ लोग बोतलों में पानी ले जाते हैं जिससे अपनी प्यास बुझाते हैं। मेरे द्वारा परिक्रमा के दौरान देखा गया है यहां पर कई लोग काफी देर तक विश्राम करते हैं। परन्तु पानी के अभाव के कारण उनका यहां रहना दूभर हो जाता है। यह परिक्रमा 7 दिनों तक लगातार चलती रहती है तथा तकरीबन दस लाख लोगों द्वारा यह परिक्रमा की जाती है यदि इस स्थान पर इस कुण्ड में बन्द पड़े पानी के स्त्रोत को किसी इंजीनियर द्वारा दिखवाया जाये या फिर पानी की अन्य कोई व्यवस्था किया जाना अति आवश्यक है।

अंत में मैं माननीया अध्यक्ष महोदया से निवेदन करना चाहूंगी कि सीकर जिले के ग्राम सकराय में नीमड़ी घाटी के ऊपर चढ़ाई में परिक्रमा के दौरान उत्पन्न पानी की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये यहां पर अवस्थित कुण्ड को किसी इंजीनियर को दिखवाया जावे या फिर वहां पर एक नये कुण्ड का निर्माण करवाने की कृपा करें ताकि लाखों श्रद्धालुओं को परिक्रमा के दौरान पानी की समस्या से निजात मिल सकें।

जय हिन्द।

राजकुमारी शर्मा

(सीकर)

सूरसागर विधान सभा क्षेत्र की कच्ची बस्ती का नियमन

मैं माननीय मुख्य मंत्री एवं स्वायत शासन राज्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। जिन्होंने अपनी सुदृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करते हुए राज्य में नियमन से वंचित बस्तियों को प्राथमिकता से नियमित करने की

कार्यवाही प्रारम्भ करवाई। जोधपुर शहर में भी यह काफी तेज गति से सम्पादित किया जा रहा है। किन्तु सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में स्थित राजीव गांधी कच्ची बस्ती पाल लिंक रोड का नियमन आज दिनांक तक पूर्ण रूप से नहीं किया गया है। यह कच्ची बस्ती वर्षों पूर्व आबाद हुई थी। इस बस्ती में निवास करने वाले हजारों परिवारों में से कुछ का नियमन गत कांग्रेस नीत सरकार के कार्यकाल में राजनैतिक द्वेष भावना के आधार पर किया गया था। जबकि उस समय भी नियमन से वंचित लोगों के पास वांछित दस्तावेज यथा मतदाता सूची, पानी-बिजली के बिलों की प्रतियां, सर्वे में नाम आदि थे। फिर भी इनको मात्र राजनीतिक द्वेष से ही नियमन से जानबूझ कर वंचित रखा गया जो बहुत ही खेद का विषय है। इस बस्ती के सैकड़ों परिवार आज भी नियमन से वंचित हैं। ये लोग समय-समय पर नगर विकास न्यास, नगर निगम, जोधपुर, जिला प्रशासन, राज्य सरकार को नियमन हेतु निवेदन करते रहे हैं। इसी कडी में राजीव गांधी कालोनी समन्वय हितकारिणी संस्था, जोधपुर ने माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने दिनांक 05.02.2008 को व्यक्तिश: भेंट कर नियमन करने बाबत निवेदन किया। नियमन से वंचित परिवार इस क्षेत्र की आरक्षित दर के 25 प्रतिशत पर भी नियमित करवाने को तैयार हैं। किन्तु नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा इस बाबत् कोई ठोस कार्यवाही आज तक नहीं कर पाई है। इसके अतिरिक्त आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस कच्ची बस्ती पर भूमाफियाओं की नजरें भी गाड़ी हुई हैं जो समय-समय पर इस बस्ती को उजाड़ने की दिशा में कार्यवाहियां करता रहता है।

अध्यक्ष महोदय मैं आपके मार्फत माननीया मुख्यमंत्री महोदया एवं स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजीव गांधी कच्ची बस्ती पाल लिंक रोड में निवास करने वाले सैकड़ों परिवार जो कि आज भी नियमन से वंचित है, उन्हें नियमित करने की दिशा में कोई ठोस निर्णय लेकर प्राथमिकता से नियमित कराने का कष्ट करावें एवं यह सार्वजनिक रूप से प्रचारित कराया जावे कि इस बस्ती को किसी भी रूप में नहीं उजाड़ा जायेगा ताकि भू-माफियाओं की खोटी नियत को बाधित किया जा सके। आशा करता हूं राज्य सरकार इस बस्ती में निवास करने वाले सैकड़ों गरीब, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों के कब्जों को नियमित कर राहत पहुंचाने की दिशा में निर्णय करेंगे।

धन्यवाद।

मोहन मेघवाल

(सूरसागर)

सम्पर्क सड़क फोकानाड़ा से मांडपुर रोड, वाया फूटतालाब के निर्माण की वन विभाग से इजाजत दिलाने बाबत

ग्राम फूटतालाब (तहसील नैनवां) जिला बून्दी रियासती कालीन आबाद ग्राम है। इसके आवागमन का रास्ता राज्य राजमार्ग संख्या 34 पर स्थित फोकानाड़ा नामक स्थान से है। इस रास्ते पर पूर्व में काम के बदले अनाज योजना तथा अकाल राहत में भी कार्य करवाये जा चुके हैं। फोकानाड़ा से फूटतालाब के मध्य स्थित रास्ते में आने वाले नाले में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रपट निर्माण का कार्य पूर्व से ही किया हुआ है तथा पूर्व से ही इस रास्ते पर कच्ची सड़क बनी हुई है। ग्राम फूटतालाब का बून्दी जिला मुख्यालय पर आने-जाने का सीधा रास्ता फोकानाड़ा होकर इस होने से ही रास्ते पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सम्पर्क सड़क निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है। यह आम रास्ता पुश्तैनी एवं कदीमी होते हुये भी वन विभाग द्वारा जानबूझकर रास्ते कार्य को बिना कोई पूर्व जानकारी के रोक दिया है। तथा ठेकेदार पर बिना किसी गलती के जुर्माना भी कर दिया है। ठेकेदार ने कानूनी पचडे से अधिक नहीं उलझने की मंशा के चलते जुर्माना चुका दिया है। रास्ते पर चलने वाले एक ट्रेक्टर को तुगलकशाही तरीके से जप्ती दिखाकर क्षेत्र के ग्रामवासियों को भयभीत करने के लिए ट्रेक्टर मालिक पर ही ट्रेक्टर चोरी का मुकदमा भी दर्ज करने का वन विभाग का यह कार्य विकास को अवरुद्ध करने का है, जब कि इस स्थान की तीन किलोमीटर परिधी में चल रहा गिट्‌टी क्रेशर पर्यावरण की दृष्टि से बेहद हानिकारक है। ग्राम सुसाडिया व आसपास की वन भूमि में वन विभाग के कर्मचारियों के सहयोग एवं मिली भगत से पत्थर निकाले जा रहे हैं जिसके निशान गड्‌ढों के रूप में मौके पर मौजूद है। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा जानबूझकर वन भूमि में अवैध खनन करने वालों के तथा उन्हें सहयोग करने वाले वन कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई है, जबकि फोकानाड़ा से फूटतालाब के बीच की पुरानी कच्ची सड़क के पक्की सड़क में तब्दील करने के लिए वन विभाग इजाजत नहीं दे रहा है। इस सड़क के निर्माण के लिये वन विभाग द्वारा जानबूझकर अवरोध पैदा किया गया है। वन विभाग द्वारा पैदा किए गए अवरोध को खतम किया जाकर सड़क निर्माण की इजाजत दिया जाना जनहित में अधिक आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रकरणों से संबंधित वन विभाग के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाने, मौजूदा कच्ची सड़क को पक्की

सड़क में परिवर्तित किये जाने की इजाजत प्रदान किये जाने तथा सम्बन्धित ठेकेदार से अवैध रूप से वसूला गया जुर्माना वापस दिलाने की कार्यवाही की जाने की कृपा करें।

रामनारायण मीणा

(नैनवां)

बहुमूल्य खनिज डोलोमाइट के व्यवस्थित खनन के क्रम में

माननीय जी

मैं आपके माध्यम से खान मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट कर निवेदन करना चाहती हूं कि पिछले कुछ वर्षों में देश में स्टील उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2005-06 में जहां यह 350 लाख टन था वहीं 2006-07 में 550 लाख टन हो चुका था। माननीय इस्पात मंत्री, केन्द्र सरकार के अनुसार वर्ष 2015 तक इसका उत्पादन 1950 लाख टन हो जाने की सम्भावना है।

स्टील उत्पादन में राजस्थान का भी महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य सरकार द्वारा स्टील उत्पादन हेतु उच्च श्रेणी का चूना पत्थर जैसलमेर से आर.एस.एम.एम. के माध्यम से भेजा जा रहा है जिससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपयों की आमदनी हो रही है वहीं सीमान्त क्षेत्र में, जहां कोई उद्योग नहीं है व रोजगार के अन्य साधन नहीं है, हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है।

स्टील उत्पादन हेतु चूना पत्थर के अतिरिक्त डोलोमाइट की भी बहुत आवश्यकता रहती है। राज्य के फलौदी क्षेत्र के लौहावट गांव के पास बहुत ही उच्च श्रेणी के डोलोमाइट के भण्डार है जिसकी स्टील प्लान्टों में बहुत मांग है। इस क्षेत्र में अभी मारबल के नाम से खनिज पट्टे देकर इन भण्डारों का दुरुपयोग हो रहा है वहीं बहुमूल्य सम्पदा भी नष्ट हो रही है।

मेरी खान मंत्री महोदय से मांग है कि लोहावट क्षेत्र के उच्च श्रेणी के डोलोमाइट खनन हेतु वृहद परियोजना बना कर आर.एस.एम.एम. को निर्देशित करें कि उक्त क्षेत्र में व्यवस्थित खनन् करें जिससे राज्य सरकार को भी करोड़ों की आमदनी हो सके, इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके व बहुमूल्य खनिज सम्पदा का भी सदुपयोग हो सके।

सूर्यकान्ता व्यास

(जोधपुर)

उपखण्ड भादरा (हनुमानगढ़) की उप तहसील छानीबड़ी को पूर्ण तहसील का दर्जा देने बाबत

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उपखण्ड भादरा की उप तहसील छानीबड़ी जो भादरा से 22 कि.मी. दूर पूर्व की ओर आदमपुर हिसार सड़क मार्ग से लगाते हुये स्थित है। उप तहसीलदार छानीबड़ी को सब रजिस्ट्रार की शक्तियां प्राप्त है। इस उप तहसील के राजस्व क्षेत्र में 2 गिरदावर तथा 15 पटवार सर्किल है। इसका 90 प्रतिशत रकबा भाखड़ा व सिद्धमुख कैनाल की सिंचाई की जद में आने के कारण कमाण्ड है, इस अधिक्षेत्र में बड़ी आबादी वाले गांव स्थित हैं तथा यह मुख्यालय आस पास के सभी गांवों से पक्की सड़कों से जुडा हुआ है। उप तहसील का भवन सरकारी बना हुआ है तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखा टेलीफोन एक्सचेंज कार्यालय, डाकघर व रेफरल अस्पताल एवं अन्य सभी आवश्यक मय बिजली पानी की सुचारू सुविधा उपलब्ध है।

मैं सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि छानीबड़ी तहसील किये जाने के सभी आवश्यक शर्तों को पूरी करती है फिर भी इसे अभी तक तहसील का दर्जा नहीं दिया जा सका जिस कारण कोषालय को क्षेत्राधिकार भादरा तहसीलदार को मिला हुआ है इस कारण इस क्षेत्र के लोगों को सम्पत्ति विक्रय एवं अन्य प्रलेखों के लिये स्टाम्प पेपर व सम्बन्धित सामग्री खरीदने हेतु भादरा आना पड़ता है तथा अपने प्रलेखों को लिखित करवाकर तस्दीक करवाने हेतु वापिस छानीबडी जाना पड़ता है जिससे वहां के नागरिकों का समय एवं धन का अपव्यय होता है।

मैं सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि छानीबड़ी को पूर्ण तहसील का दर्जा देने में राज्य के खजाने से विशेष राशि व्यय नहीं की जानी है क्योंकि यहां पर भवन स्टाफ, व अन्य सुविधायें पहिले से ही उपलब्ध हैं जब कि इस क्षेत्र की आम जनता के छानीबाड़ी के तहसील बन जाने से काफी लाभ होंगे तथा प्रशासन को भी सहूलियत मिलेगी।

अतः मैं सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि टिब्बी तहसील का क्षेत्र 73000 हैक्टेयर है तथा पीलीबंगा का 68000 हैक्टेयर है अगर छानीबड़ी के वर्तमान क्षेत्र 38000 हैक्टेयर में उसके समीपवर्ती गांव अजीतपुरा के गिरदावर सर्किल क्षेत्र को मिला दिया जाये तो छानीबड़ी का कुल

क्षेत्र 70000 हैक्टेयर से अधिक हो जाता है। अतः आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये विधान सभा क्षेत्र भादरा की उप तहसील छानीबड़ी को पूर्ण तहसील का दर्जा प्रदान किया जाये।

डा. सुरेश चौधरी
(भादरा)

देश के विभाजन के नाम पर विस्थापितों को आबंटित जमीन का मालिकाना हक देने के संबंध में

माननीय उपाध्यक्ष महोदय उपरोक्त विषयान्तर्गत देश विभाजन के समय जान और इज्जत बचाने के लिए परिवार के साथ आए गुरनाम को विस्थापित के नाते श्रीगंगानगर जिले में जमीन तो आबंटित हो गई, लेकिन आज तक उसे उस जमीन का मालिकाना हक लेने के लिए अदालतों के चक्कर लगाते हुए गुरनाम के बाद उसके लड़के हरनाम की भी मौत हो चुकी है। दादा और बाप के जीवन में जो काम अधूरा रहा उसे पूरा करने के लिए अब वरियाम अदालतों के चक्कर लगा रहा है। इस उम्मीद में कि उसका बेटा उस जमीन का मालिक जरूर बनेगा जो पाकिस्तान में छोड़ी हुई जमीन की एवज में उसके दादा को मिली थी।

देश के विभाजन और विस्थापन से जुडी पीड़ा को भोगने वाला अकेला वरियाम ही नहीं। राज्य में लगभग तेईस हजार ऐसे परिवार हैं जो क्लेम में मिली जमीन का मालिकाना हक पाने के लिए भटक रहे हैं। उनकी पीड़ा राज्य व केन्द्र सरकार के बीच फाइल के रूप में चल रही है। मालिकाना हक नहीं होने से न तो इन जमीनों का इंतकाल होता है और न सनद ही जारी होती है। बैंक से कृषि ऋण भी नहीं मिलता।

विस्थापितों को क्लेम के रूप में जमीन आबंटित करने के लिए भारत सरकार ने 1954 में प्रतिकार एवं पुनर्वास अधिनियम बनाया। इसके लिए जिला स्तर पर पुनर्वास अधिकारियों की नियुक्ति की गई। भारत सरकार से तालमेल रखते हुए इन अधिकारियों ने विस्थापितों के दावों का निस्तारण किया। समस्या तब खड़ी हुई जब भारत सरकार ने 2005 में प्रतिकार एवं पुनर्वास अधिनियम निरसन कर दिया। ऐसा करते समय भारत सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं की, जिससे पुनर्वास का काम चलता रहे। अधिनियम के निरसन के बाद राज्य सरकार ने भी पुनर्वास अधिकारियों के पद समाप्त कर पुनर्वास से संबंधित प्रकरणों को बस्तों में बांध दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय अलवर में 11000, भरतपुर में 7000, हनुमानगढ़ 1500 श्रीगंगानगर 2500 इतने प्रकरण हैं। लगभग पैडिंग पड़े हैं।

अतः राज्य सरकार से प्रस्ताव तैयार करके केन्द्र सरकार को भिजवाए एवं विस्थापितों को आबंटित जमीन को मालिकाना हक दिलवाए, ताकि हजारों परिवार लाभान्वित हो सकें।

धन्यवाद।

धर्मेन्द्र कुमार मोची

(टिब्बी)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाजपुर में Beds की संख्या 75 से बढ़ाकर 100 करवाने हेतु

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम, 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख द्वारा अत्यन्त लोक महत्व का विषय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के जहाजपुर मुख्यालय पर वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है जिसमें कनिष्ट विशेषज्ञों के पद स्वीकृत हैं। काफी वर्षो से इस स्वास्थ्य केन्द्र पर किसी न किसी विशेषज्ञ चिकित्सक के पदस्थापित रहने से क्षेत्र में इसकी अच्छी साख है तथा काफी संख्या में अंतरंग रोगी इलाज करवाते हैं किन्तु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाजपुर में वर्तमान में 75 Beds की ही स्वीकृति होने से कई मरीजों को वार्ड में फर्श पर रहकर भी इलाज करवाना पड़ता है।

मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में जहाजपुर मुख्यालय के अतिरिक्त केवल पण्डेर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द है किन्तु वहां पर भी मात्र एक ही चिकित्सक का पदस्थापन होने से सम्पूर्ण पंचायत समिति क्षेत्र के निवासियों को इलाज हेतु जहाजपुर ही आना पड़ता है। साथ ही पंचायत समिति क्षेत्र में लगभग 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीब व्यक्ति निवास करते हैं, जो यहां से अत्यधिक दूर जिला मुख्यालय पर जाकर इलाज करवाने में भी असमर्थ रहते हैं।

अतः मेरा सरकार से विनम्र शब्दों में आग्रह है कि मेरे क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाजपुर में Beds की संख्या 75 से बढ़ाकर 100 करवाने की स्वीकृति प्रदान करावें।

शिवजीराम मीणा

(जहाजपुर)

अजमेर शहर में राजकीय सुभाष माध्यमिक विद्यालय में भवन बाबत

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से सरकार का ध्यान अजमेर शहर में संचालित राजकीय सुभाष माध्यमिक विद्यालय के किराये के भवन की ओर दिलाना चाहती हूं। स्कूल भवन की मरम्मत समय-समय पर होनी चाहिए किन्तु भवन किराये का होने से सार्वजनिक विभाग इस भवन की मरम्मत पर व्यय नहीं करता। भवन स्वामी की भवन पर व्यय करने की रूचि रहती नहीं है। परिणामस्वरूप ऐसे भवन जीर्ण-शीर्ण स्थिति में आ जाते हैं व परिणाम वहां अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को व कार्यरत कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है।

इसी प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिभावान छात्रों के लिए केन्द्रीय प्रवर्तित योजना व प्रतिभा विकास के अन्तर्गत एक छात्रावास अजमेर के राजकीय उच्च माध्यमिक तोपदड़ा परिसर में संचालित है अजमेर के अतिरिक्त ऐसे छात्रावास उदयपुर व कोटा में भी संचालित है इस छात्रावास की स्थिति भी काफी जीर्ण शीर्ण है विद्यालय प्रशासन ने इसकी मरम्मत हेतु रुपये 6 लाख 87 हजार का तखमीना निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को भेजा है।

मैंने भी अपने पत्र दिनांक 6.11.2007 द्वारा निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को मरम्मत राशि की स्वीकृति हेतु आग्रह किया है महोदय इस छात्रावास की स्थिति बहुत ही खराब है जगह-जगह से पानी टपकता रहता है ऐसे में किसी दुर्घटना की सम्भावना से इन्कार भी नहीं किया जा सकता।

महोदय, यह बात सर्वविदित है कि शिक्षण कार्य अच्छे वातावरण में ही सम्भव है यदि स्कूल भवन टूटे-फूटे होंगे इमारतें पूर्णत: सुरक्षित नहीं होंगी तो विद्यालय में तन्मयता से न तो पढ़ा जा सकता है न पढ़ाया जा सकता है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि राजकीय विद्यालयों के रखरखाव व उनमें आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध कराई जाय ताकि राजकीय विद्यालयों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े।

आज का युग प्रतिस्पर्धा का है हम अगर राजकीय विद्यालयों में सुविधाऐं उपलब्ध करायेंगे तभी निजी शिक्षण संस्थाओं से होड़ में खड़े रह पायेंगे। हम निजी शिक्षण संस्थाओं के आगे नतमस्तक न हो जायें इसके लिए राजकीय विद्यालयों के चहुंमुखी विकास हेतु कुछ करना नितान्त आवश्यक है।

अत: शीघ्र ही राजकीय सुभाष माध्यमिक विद्यालय अजमेर के भवन के अधिग्रहण का कार्य कर भवन शिक्षा विभाग के स्वामित्व में लाया जाये

ताकि भवन का रखरखाव समय-समय पर हो सके व एसी/एसटी के छात्रावास हेतु जो शिक्षा विभाग के स्वामित्व वाला भवन है व शिक्षा विभाग द्वारा ही संचालित है को भी शीघ्र ही आवश्यक धन राशि मरम्मत कार्य हेतु आबंटित की जावे।

धन्यवाद।

अनिता भदेल

(अजमेर पूर्व)

परबतसर विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय परबतसर में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय को यथावत रखवाने के संबंध में

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि परबतसर उपखण्ड मुख्यालय ए.डी.जे. कोर्ट के अधीन मकराना व नावां कुचामन क्षेत्र स्थित है। राज्य सरकार द्वारा इस उपखण्ड के सैशन कैसेज व दीवानी मुकदमों की अधिकता को ध्यान में रखते हुये परबतसर उपखण्ड पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय का न्यायालय दिनांक 30.05.1998 को स्थापित किया गया। जोधपुर स्टेट के समय से परबतसर में जोधपुर स्टेट का हाकिम का पद स्थापित होने से राजस्थान के गठन के साथ ही परबतसर में उपखण्ड मुख्यालय स्थापित किया गया। जिसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण उपखण्ड अर्थात नांवा कुचामन व मकराना क्षेत्र के समस्त गांवों से परबतसर में पहुंचने के लिये यातायात के साधन अर्थात बसों के आवागमन न्यायालय के समय के अनुसार निर्धारित किये हुये हैं। जिससे उन्हें आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। मकराना का पुलिस थाना परबतसर में स्थित था, तहसील मुख्यालय परबतसर था तथा मकराना के लिये मुंसिफ कोर्ट भी परबतसर में ही था एवं उप अधीक्षक पुलिस का मुख्यालय भी परबतसर में ही स्थित होने के कारण परबतसर में अपर जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायालय क्षेत्र की जनता एवं अभिभाषकगण की मांग के आधार पर स्थापित किया गया। शनै-2 मकराना को तहसील को दर्जा दिया जाकर उपखण्ड मुख्यालय बनाया गया है पुलिस स्टेशन नया खोला गया एवं मकराना में मुंसिफ कोर्ट स्थापित किया गया। परन्तु आज भी मकराना क्षेत्र औद्योगिक प्रदूषण, गंदगी व कचरे के कारण यहां पर अधिकारियों व कर्मचारियों का बैठना मुश्किल है। परबतसर में जोधपुर मारवाड़ के समय से ही न्यायिक कार्य का मुख्यालय होने से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं न्यायिक कार्य के लिये आवश्यक पुस्तकालय की

सुविधा है तथा प्रारम्भ से ही परबतसर में समस्त विभागों के उपखण्ड स्तर के पदाधिकारियों के कार्यालय एवं न्यायिक मुख्यालय स्थापित थे तथा परबतसर के स्थान पर अन्यत्र होने से परबतसर पिछड़ रहा है तथा वर्तमान में स्थापित एडीजे कोर्ट को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की परिस्थिति में परबतसर की मूल पहचान उप मुख्यालय के सरकारी विभाग एवं न्यायिक क्षेत्र ही है। लगातार परबतसर से न्यायिक कार्य एवं पुलिस मुख्यालय पूर्णतया उजड़ जायेगा जो विकास की दृष्टि से कदापि उचित नहीं होगा। राज्य सरकार द्वारा इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुये पूर्व निर्मित सब जेल के स्थान पर वर्तमान में 2 करोड़ 29 लाख रुपये की लागत से उप कारागृह के लिये विशाल भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। उक्त सुविधा जिला मुख्यालय के अलावा पूरे जिले में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये भी परबतसर से न्यायिक मुख्यालय हटाया जाना न्यायोचित नहीं होगा। परबतसर उपखण्ड मुख्यालय से मकराना मात्र 13 मील की दूरी पर स्थित है जो किसी एडीजे न्यायालय के लिये तथा पक्षकारान की सुविधा के लिये अपर्याप्त दूरी नहीं परबतसर न्यायालय परिसर में एडीजे कोर्ट स्थापित करने के पूर्व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित व निर्देशित मापदण्डों व निर्देशों के अनुसार जनसहयोग से करीब दस लाख रुपये की लागत से न्यायालय भवन का निर्माण किया गया था जिसके लिये क्षेत्र के सभी नागरिकों का सहयोग रहा है। न्यायालय के विखण्डन की सूरत में जन मानस में काफी आक्रोश होगा व उनकी भावनाओं को ठेस लगने की स्थिति रहेगी। जिसे किसी भी परिस्थिति में नजरअन्दाज किया जाना जन भावनाओं के प्रतिकूल होगा। परबतसर बार का इतिहास पिछले करीब सौ वर्षों से है जब कि मकराना बार स्वतंत्र रूप से अभी भी प्रभावी नहीं है क्योंकि वहां ज्यादातर परबतसर अभिभावक संघ के वकील ही आवश्यक प्रकृति के मुकदमों में पैरवी करते रहे है। परबतसर उपखण्ड मुख्यालय पर संपूर्ण उपखण्ड में स्थित न्यायालय के लिये स्थापित उप कारागृह भी है जब कि इस प्रकार की सुविधा अन्यत्र कहीं नहीं है। परबतसर में स्थापित एडीजे कोर्ट की स्थापना में कुचामन व नांवा बार का भी सहयोग रहा है।

अतः इस सदन के माध्यम से अनुरोध है कि उपरोक्त आंकडों को देखते हुए एडीजे कोर्ट परबतसर को अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया जावे।

राकेश मेघवाल

(परबतसर)

बाण गंगा नदी के सरफेस बेरियर्स की ऊंचाई बढ़ाने विषयक

मेरे विधान सभा क्षेत्र महुवा जिला दौसा में माननीय मुख्य मंत्री एवं सिंचाई मंत्री महोदय ने नाबार्ड योजनान्तर्गत बाण गंगा नदी पर महुवा कस्बा सहित दर्जनों गांवों के पेयजल की भीषण समस्या को दृष्टिगत रखते हुये ग्राम टूडियाना/पाली (महुवा) में सरफेश बैरियर का निर्माण करवाया है। इसके लिये मैं एवं मेरे क्षेत्र की जनता माननीय मुख्य मंत्री एवं सिंचाई मंत्री महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।

मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री एवं सिंचाई मंत्री महोदय का इस ओर पुनः ध्यान आकर्षित कर अनुरोध करना चाहूंगा कि अब इस अपूर्ण कार्य को पूर्ण करवाने हेतु उक्त सरफेश बेरियर की ऊंचाई बढ़ाने का कष्ट करें। इससे महुवा कस्बा सहित दर्जनों गांवों के पेयजल की भीषण समस्या का समाधान होगा तथा सिंचाई/वाटर रिचार्ज की क्षमता बढेगी। कोर्ट के निर्णय अनुसार नदी में 2 मीटर तक की ऊंचाई तक एनिकट बनाकर पानी को रोके जाने का भी प्रावधान है।

अतः मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि उक्त सरफेश बैरियर्स की 2 मीटर ऊंचाई बढ़ाने की स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

हरज्ञान सिंह गुर्जर

महुवा

परिशिष्ट-2

मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-26 मुख्य शीर्षक चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा) :

1. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्राम विनायका में उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दूयवा में रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

2. सी.एच.सी. शेरगढ़, बालेसर व देयूं में चिकित्सक व अन्य कर्मचारियों के रिक्त पद भरने तथा पी.एच.सी. सेतबावा व थामू को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करवाने पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) :

3. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के ग्राम ताला में चिकित्सालय खोलने एवं चन्दवाजी में एक महिला चिकित्सक का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

4. विधान सभा क्षेत्र दीगोद के ग्राम सांगोद में महिला चिकित्सक की नियुक्ति करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़) :

6. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ शहर के चिकित्सालय को अपग्रेड करने तथा नेछवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

7. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में एक हजार से अधिक आबादी के गांवों में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

(श्री अशोक कुमार नवलखां)

8. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ को 50 बैड से 100 बैड में क्रमोन्नत करने हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ को 30 बैड से 50 बैड में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के धोलापानी, करजू तह. छोटी सादड़ी व लसड़ावन, बाड़ी व मांगरोल तह. निम्बाहेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) :

11. जिला नागौर के अधिकांश सरकारी अस्पतालों में व्याप्त गंदगी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) के ग्राम सांजू में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के सरकारी अस्पतालों एवं उपस्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत डाक्टरों और ए.एन.एम. के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर) :

14. विधान सभा क्षेत्र आहोर के मूलेवा, रसियावास, मालगढ़ में नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र आहोर के चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारियों के पद पुन: स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र आहोर के ग्राम शेखावाली, सांकरणा, नौसरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र आहोर के राजकीय चिकित्सालयों में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

18. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आहोर को 50 शय्याओं में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

19. विधान सभा क्षेत्र मावली के सभी उपस्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्मित कर कार्य पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. विधान सभा क्षेत्र मावली की तह. डबोक नेशनल हाइवे 76 पर सी.एच.सी. बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र मावली के ग्राम सालराकलां में पी.एच.सी. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र मावली की तहसील फतहनगर (प्रमुख मंडी) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

23. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के ग्राम कड़ेच (चित्रावास माजोड़ा) बिसाड़ा), भडेर (उखलिया) शिवडिया चौरा (मालवा का चौरा) तथा चांदी की नाल (मेवाडों का मठ), झालरा (गोगरूद) में उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित करने के संबंध के चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के उपस्वास्थ्य केन्द्र तरपाल, चित्रावास में नयी बाउन्ड्रीवाल बनवाये जाने तथा भवन की मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

25. बांगड़ अस्पताल पाली की शैय्या क्षमता 300 से बढ़ाकर 400 करने तथा ट्रोमा सेन्टर की स्वीकृति, प्रसव कक्ष की क्षमता बढ़ाने एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ स्त्री रोग का एक पद और स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

26. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में राजकीय चिकित्सालयों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त स्टाफ, भवन एवं उपकरण उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगारार) :

27. विधान सभा क्षेत्र गंगरार के उपस्वास्थ्य केन्द्रों को उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र गंगरार के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राशमी व गंगरार में 30 बैड से 50 बैड तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राशमी में रोगीवाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

29. विधान सभा क्षेत्र गंगरार के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंना एवं चन्देरिया में भवन एवं चारदिवारी के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र गंगरार में उप स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण एवं प्रसव केन्द्र भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र गंगरार के उच्चीकृत केन्द्र रूद को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) :

32. जिला चिकित्सालय राजसमंद को 100 बैड से 200 बैड में क्रमोन्नत करवाने एवं सीटी स्कैन मशीन स्थापित करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

33. जिला अलवर में रैफरल हास्पिटल, रामगढ़ के विकास के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

34. राज्य के मेडिकल कालेजों से संबंधित अस्पतालों में सुपरम्पेशिलिटी से संबंधित विभागों का विकास न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू :

35. विधान सभा क्षेत्र दूदू के ग्राम उरसेवा झाग, रहलाना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (चिकित्सालय) खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

36. ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सालयों में पदस्थापित अधिकारियों व कर्मचारियों को ग्रामीण भत्ता देने के संबंध में चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र दूदू के चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने एवं प्रतिनियुक्ति पर लगाये कर्मचारियों को पदस्थापित स्थान पर रखने व प्रतिनियुक्ति निरस्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र दूदू के राजकीय चिकित्सालय को रैफरल हास्पीटल में क्रमोन्नत करने एवं प्रत्येक राजस्व गांव में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

39. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में उप स्वाथ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. सुमेरपुर (पाली) में चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के ग्राम मणिहारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

42. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के पंचायत मुख्यालय दांतड़ा बड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाजपुर में 75 बैड्स को बढ़ाकर 100 बैड्स करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शक्करगढ़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के ग्राम ईटून्दा में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना पर चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र के पंचायत मुख्यालय मनोहरपुरा एवं भरणीकलां में उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

47. विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्राम खरेड़ा, झामडोली, सेदरिया में प्रथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा बारेडा हिंगोटिया, भांवता, सजियां, जगसरा, प्रतापपुरा एवं चिरोत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

48. विधान सभा क्षेत्र परबतसर में नवक्रमोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बापवास में चिकित्सा-उपकरण एवं सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र परबतसर के ग्राम पंचयत गांगवा मुख्यालय पर आयुर्वेद चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) :

50. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा के ग्राम बडा महुआ पं.सं. सुवाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया)

51. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा के पुर अस्पताल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा के पं.स. मुख्यालय सुवाणा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा के ग्राम बदनोर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महीपाल यादव (बानसूर) :

54. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के पिछड़े क्षेत्र मण्डीजा इन्द्राड़ा ग्राम एवं बासदयाल में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के उप-स्वास्थ्य केन्द्रों को ऐड-पोस्ट में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के ग्राम चतरपुरा एवं लाडपुर में डिस्पेन्सरी खोलने की स्वीकृति करने पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के सबसे पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बर्डोद को अपग्रेड करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में ग्राम इस्लामपुर, नालोता व भूपखेड़ा, शिमला, गोकुलपुर व नांगलिया में उप स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) :

59. सवाई मानसिंह चिकित्सालय में एण्डोक्रोइनोलोजी वार्ड के निर्माण कराने एवं चिकित्सालय के सभी यूनिटों में बिमारों की संख्या को देखते हुए बैड बढ़ाने, स्टॉफ बढ़ाने एवं जांचों के लिये अतिरिक्त काउन्टर खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) :

60. एस.एम.एस. अस्पताल में इमरजेन्सी में मरीजों की तत्काल देखभाल नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

61. सरकारी अस्पतालों में सफाई व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

62. सरकारी अस्पतालों में खासतौर से एस.एम.एस. में एक्सरे व अन्य मशीनों के खराब होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

63. एस.एम.एस. अस्पताल में समय पर आउटडोर में डाक्टर की गैर हाजरी से हो रही अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

64. सरकार द्वारा एस.एम.एस. अस्पताल में कीमती प्लाज्मा की मंजरी नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

65. विधान सभा क्षेत्र किशनपोल के विद्याधर नगर क्षेत्र में एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र किशनपोल के हरिबक्स कांवटिया चिकित्सालय में दो पद कनिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ के अविलम्ब सृजित कर पदस्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. हरिबक्स कांवटिया चिकित्सालय, शास्त्रीनगर, जयपुर में ब्लड बैंक स्थागित करने एवं शिशु वाहन चिकित्सालय इकाई स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र किशनपोल के हरिबक्स कांवटिया चिकित्सालय में जिला अस्पताल के अनुरूप कनिष्ठ विशेषज्ञों, एम.ओ. और नर्सिंग स्टाफ के नये पदों का सृजन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

69. राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय किशनगढ़ अजमेर में आई.सी.यू. वार्ड की सक्षम स्वीकृति प्रदान कर हृदय रोग विशेषज्ञ सहित आवश्यक नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय किशनगढ़ अजमेर में स्वीकृत ट्रोमा यूनिट का नवीन भवन निर्माण निजी सहभागिता द्वारा कराने हेतु आवश्यक विभागीय सक्षम स्वीकृति जारी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री भागीरथ चौधरी)

71. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रूपनगढ़ (अजमेर) को रैफरल चिकित्सालय में क्रमोन्नत कर आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की पं.स. मुख्यालय सिलोरा पर नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. किशनगढ़ शहर स्थित सिटी डिस्पेन्सरी में मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र की स्वीकृति प्रदान कर महिला चिकित्सक के नये पद सृजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) :

74. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र सिवाना, सिणधरी एवं समदड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर लैब टैक्नीशियन के अतिरिक्त पद स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में इण्डाली (सिणधरी) एवं कुण्डल (सिवाना) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) :

78. अजमेर स्थित गुलाबबाड़ी सिटी चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा भूमि उपलब्ध करवाये जाने हेतु पहल करने पर चर्चा के लिये।

79. अजमेर शहर की कच्ची बस्तियों हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सिटी डिस्पेंसरी शहर के गढ़ी मलीयान, नगरा व कुन्दन नगर में आरम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

80. जिला चिकिल्सालय अजमेर (सैटेलाइट चिकित्सालय) आदर्श नगर में नये चिकित्सकों, पैरा-मेडिकल स्टाफ व नर्सेज के पदों का सर्जन कर पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्रीमती अनिता भदेल)

81. जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर के मेडिकल विभाग की सर्जीकल यूनिट हेतु आवश्यक राशि मुहैया करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

82. गंगापुर चिकित्सालय में नसबंदी शिविर में उल्लई ग्राम की महिला (कुमावत) की मृत्यु के उपरान्त मुआवजे के संबंध में चर्चा के लिये।

83. पी.एच.सी. व उप-स्वास्थ्य केन्द्रों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. गंगापुर रायपुर चिकित्सालय में बैड्स क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के पदराडा सीएचसी को रैफरल हास्पीटल व 76 हाईवे गोगुन्दा पर ट्रोमा हास्पीटल बनवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) :

86. कल्याण चिकित्सालय सीकर को 300 बैड्स से बढ़ाकर 500 बैड्स करने एवं कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने व सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) :

87. राज्य में स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

88. राज्य के चिकित्सालयों में व्याप्त अनियमितता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

89. राज्य में विभाग द्वारा जिन योजनाओं के अंतर्गत निर्मित किये गये अस्पतालों में किये गये भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में ट्रोमा अस्पताल खोलने एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बीपीएल परिवारों के मेडिकल रिलीफ कार्ड नहीं बनाने से इलाज के अभाव में मृत्यु होने पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

91. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में सी.एस.सी. एवं आवासों में घटिया निर्माण सामग्री उपयोग करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री हेमराज मीणा)

92. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (वास) के खण्डेला, रामगढ़ में नवीन पी.एच.सी. क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के भंवरगढ़ में पी.एच.सी. को सी.एस.सी. में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के राजकीय चिकित्सालयों में पी.एच.सी., सी.एस.सी. सभी ठेके (संविदा) पर लगे कर्मचारियों ए.एन.एम., जीएनएम, टैक्नीशियन को स्थाई करने के संबंध में चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में समरानिया तह. शाहबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सी.एस. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) :

96. विधान सभा क्षेत्र शिव में फतेहगढ़ लखा (जैसलमेर) डण्डू एवं चाड़ी तथा खबडाला (शिव) जिला बाड़मेर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीडौरा) :

97. विधान सभा क्षेत्र बागीडौरा की बी.एच.सी. अरथूना को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

98. उदयपुर जोन में जी.एन.एम. व ए.एन.एम. कोर्स के लिए जनजाति छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये अतिरिक्त कोटा (संख्या) उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र बागीडौरा की पी.एच.सी. गांगड़तलाई को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) :

100. विधान सभा क्षेत्र खारची में वर्ष में तीन-चार बार मलेरिया रोकथाम हेतु डी.डी.टी का छिडकाव सुनिश्चित करने व मुफ्त में दवाइयों के वितरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. जननी सुरक्षा योजना को प्रोत्साहन हेतु अस्पतालों में प्रसव कराने वाली महिलाओं से प्रोत्साहन राशि से दुगनी कीमत की दवाइयां बाजार

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

से मंगवाने की तथा उन्हें नि:शुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र खारची में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर लेब-टैक्निशियनों के पद सृजित कर खून, मल-मूत्र की जांच की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. पाली जिले के जोजावर व खिवाड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति मुख्यालय पर रैफरल चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. दवा विक्रेताओं को नकली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने तथा नकली व स्थानीय कम्पनियों की दवाइयां नहीं लिखने हेतु चिकित्सकों को पाबन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के विभिन्न चिकित्सालयों में पर्याप्त पैरामेडिकल स्टाफ व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

106. विधान सभा क्षेत्र बाली की राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेड़ा में समस्त चिकित्सकीय उपकरण व एम्बूलेंस सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र बाली के पंचायत मुख्यालय पर राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाली को 100 रोगी शैय्या सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र बाली के चिकित्सालय, उप-स्वास्थ्य केन्द्रों व आयुर्वेद औषधालयों में रिक्त सभी पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र बाली के ग्राम सादड़ा, बिरोलिया, सादलवा टीपरी, फतापुरा, खेतरली, ठण्डीबेरी में नवीन उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. पंचायत समिति कोटड़ा व गोगुन्दा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम कराये जाने एवं स्वास्थ्य विभाग में पूर्ण दवाइयां देते हुए समय-समय पर दूरगामी क्षेत्रों में शिविर आयोजन के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

112. विभाग द्वारा राज्य में पागल कुत्ते काटने पर प्रत्येक पी.एच.सी. पर इंजेक्शन मुहैया कराये जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

113. जोधपुर के मेडिकल कालेज/चिकित्सालयों एवं राज. चिकित्सालय में रिक्त पदों के भरने पर चर्चा के लिये।

114. जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में एम.आर.आई, मशीन की स्थापना करने पर चर्चा के लिये।

115. महिलाबाग जिला अस्पताल, जोधुपर के अनुरूप भवन विस्तार एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर में दो नई प्रसूति इकाइयों की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. जोधपुर के नवचौकिया अस्पताल में चिकित्सालय सुविधा का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

118. डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा 06 माह व एक वर्ष की ट्रेनिंग करने वाला 42 फर्स्ट एड दवाइयां दे सकता है, जब कि जी.एन.एम. ट्रेनिंग पास (3 साल की) छात्र उपरोक्त फर्स्ट एड दवाइयां नहीं देने से उत्पन्न हालात पर चर्चा के लिये।

119. राज्य में पृथक यूनानी विभाग स्थापित करने एवं 25 नये यूनानी चिकित्सालय स्थापित करने, एवं यूनानी महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. विधायकों को सांसदों की भांति प्राकृतिक चिकित्सा एवं देश के किसी भी राजकीय अस्पताल में इलाज पर व्यय राशि का पुर्नभरण करने पर चर्चा के लिये।

121. सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र नगर (भरतपुर) में नेत्र रोग विशेषज्ञ, महिला एवं शिशु रोग विशेषज्ञ (महिला) एवं फिजिशियन नियुक्त कर रोगी वाहन व पर्याप्त पैरा-मेडिकल स्टाफ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. राजकीय सेवा में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा निजी अस्पतालों में जाकर ऑपरेशन करने पर रोक लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) :

123. विधान सभा क्षेत्र देसूरी में बिजोवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घाणेराव के उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत, चाचोडी के उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत एवं देसूरी में ट्रोमावार्ड खोले जाने पर चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र देसूरी के ग्राम सादड़ी, रानी व देसूरी में शैय्याओं की संख्या 30 से 50-50 करने नाडोल के अस्पताल को क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र देसूरी में काणा और गुडानवा (बालराई) में एएनएम की पोस्ट स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम धोद (धोद) :

126. विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों के पद नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र धोद के लोसल के सोदाणी हास्पीटल में चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

128. विभाग द्वारा राज्य में निजी चिकित्सालयों के नियंत्रण हेतु आवश्यक कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. सीकर के श्री कल्याण चिकित्सालय एवं अन्य जिला अस्पतालों में उपचाराधीन व्यक्ति से मिलने पर दो रुपये पास के वसूलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) :

130. विराटनगर (जयपुर) में नेत्र चिकित्सालय के ऑपरेशन थियेटर का नेत्र—चिकित्सक न होने से उसका उपयोग न होने के संबंध में चर्चा के लिये।

131. शाहपुरा (जयपुर) ट्रोमा अस्पताल खुलने के उपरान्त बैड क्षमता बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

132. राज्य में डी.डी.टी. पावडर के उपयोग से शारीरिक स्वास्थ्य की हानि होने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) :

133. जिला बांसवाड़ा के तहसील घाटोल के गांव गरनावट में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री नवनीत नीनामा)

134. जिला बांसवाड़ा तहसील घाटोल के गांव सोनावासा में उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

135. राजगढ़ (चूरू) में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

136. सब-सैन्टर राधाछोटी तह. राजगढ़ (चूरू) के भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

137. राजगढ़ (चूरू) के राजकीय अस्पताल में बी.पी.एल. परिवारों को दवाइयां उपलब्ध न कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

138. सीएचसी साखू तह. राजगढ़ (चूरू) के जीर्ण-शीर्ण भवन का पुन: निर्माण कराने एवं चारदीवारी बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

139. राजगढ़ (चूरू) में शहर के मध्य स्थित अस्पताल को पुन: चालू करने पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) :

140. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के ग्राम पंचायत मुख्यालय धरोनिया झालावाड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने एवं ग्राम सिरपोई में आयुर्वेदिक औषधालय का भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

141. सिरोही जिले में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य को छोड़कर अन्य गतिविधियों में भाग लेने के संबंध में चर्चा के लिये।

142. सिरोही जिले में जननी सुरक्षा योजना में पैसा हड़पने की शिकायतों की जांच रिपोर्ट के संबंध में चर्चा के लिये।

143. सिरोही में राजकीय मेडिकल कालेज खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

144. सिरोही के सार्वजनिक चिकित्सालय में रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री संयम लोढ़ा)

145. विभाग द्वारा शिवगंज के अस्पताल की क्षमता 50 बिस्तर करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

146. पीबीएम अस्पताल बीकानेर में मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया के नियम के विपरीत अधीक्षक पद पर दन्त चिकित्सक को नियुक्त करने पर चर्चा के लिये।

147. पीबीएम अस्पताल बीकानेर के डायबिटीज रिसर्च सेन्टर में एन्डो-सिनोलोजिस्ट की नियुक्ति करने, रीजनल कैन्सर सैन्टर के निदेशक के रिक्त पद को भरने तथा हार्ट-लंग मशीन की खरीद के बाद भी उसका उपयोग नहीं लिये जाने पर चर्चा के लिये।

148. जिला बीकानेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लूणकरणसर तथा नापासर की बैड क्षमता बढ़ाने और एम्बूलेंस उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

149. विधान सभा क्षेत्र किशनपोल के बनीपार्क सेटेलाइट चिकित्सालय को मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र सिंधी कालोनी जयपुर में नवीन भवन बनाकर स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) :

150. विभाग द्वारा राजस्थान के प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कर प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त करने पर चर्चा के लिये।

151. हर जिला चिकित्सालय में नि:शक्तजन प्रमाण-पत्र उपचार के लिए फिजिकल मेडिसिन एवं रिहेबीलीटेशन में स्नातकोत्तर चिकित्सक की कनिष्ठ विशेषज्ञ का एक-एक पद सृजित कर नियुक्त करने पर चर्चा के लिये।

152. विभाग द्वारा कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित कानून का कड़ाई से पालन कराये जाने हेतु कारगर पहल करने के संबंध में चर्चा के लिये।

153. राज्य के हर उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित सीएचसी या अन्य सरकारी/चिकित्सा संस्थान को एक-एक निश्चेतन विशेषज्ञ या इसको प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सक नियुक्त करने पर चर्चा के लिये।

(डा. सुरेश चौधरी)

154. राज्य के प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर 50 शैय्याओं का अस्पताल करने पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर) :

155. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में सैटेलाइट चिकित्सालयों की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

156. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में आचार्य (कार्डियोलोजी) के रिक्त पदों पर पदोन्नति न किये जाने से चिकित्सकों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) :

157. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में आचार्य (कार्डियोलोजी) के रिक्त पदों पर पदोन्नति न किये जाने से चिकित्सकों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

157. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के पी.एच.सी. कालाडेरा को क्रमोन्नत करने एवं ग्राम पंचायत किशन मानपुरा में पी.एच.सी. खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :

159. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जावदा (नीमड़ी) में खोलने पर चर्चा के लिये।

160. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्स-रे मशीन चालू करने पर चर्चा के लिये।

161. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रावतभाटा में डक्टरों की नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

162. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेगूं में 50 बैड्स से 100 बैड्स करने पर चर्चा के लिये।

163. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेगूं में फिमेल नर्सों के पद भरने पर चर्चा के लिये।

164. पीबीएम अस्पताल बीकानेर में दवाई खरीद में दिनांक 11.01.2006 से 13.08.2006 के मध्य एम.डी.पी. कोलड कीटनाशक दवा की

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

बीआरआईटी बॉम्बे व सैक्शन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली से खरीद राशि में भारी अन्तर के कारण पर चर्चा के लिये।

165. पीबीएम अस्पताल बीकानेर में संचालित नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षणार्थियों को गत अनेक माह से मानदेय नहीं दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) :

166. विधान सभा क्षेत्र मकराना में उपकेन्द्र खोलने, चिकित्सालयों में स्टाफ की पूर्ति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-3

मांग संख्या-37 कृषि पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-37 मुख्य शीर्षक कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) :

1. राज्य में कृषकों की समस्याओ के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

2. जयपुर जिले में धनिये पर हो रहे अनुसंधान के कार्यालय को हाड़ौती के किसी जिले में स्थानान्तरित करने के संबंध में चर्चा के लिये।
3. विधान सभा क्षेत्र दीगोद के सांगोद उपखण्ड में कृषि क्षेत्र अधिक होने के कारण रामगंजमण्डी में कार्यरत कृषि विभाग का कार्यालय सांगोद स्थानान्तरित करने के संबंध में चर्चा के लिये।
4. कृषि विभाग द्वारा देश व विदेश में किसानों को भेजते समय कृषकों के चयन में हुयी अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
5. विभाग द्वारा राज्य में कृषकों के हित को ध्यान में रखकर फसल बीमा योजना की विसंगतियों को दूर करने के संबंध में चर्चा के लिये।
6. प्रदेश की उन समस्त तहसील व उपखण्डों में जहां खेती ही जीवन का आधार है वहां की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कृषि विस्तार हेतु ग्राम सेवक नियुक्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मगणगढ़, सीकर)

7. किसान को सीधी सब्सीडी दिलाने, गिरदावीर के समय किसान को साथ लेना एवं समय पर बीज उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

8. कृषि उपज मण्डी समिति, निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तावित सम्पर्क सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिये।
9. उपखण्ड मुख्यालय छोटी सादड़ी में गौण मण्डी को कृषि उपज मण्डी समिति, छोटी सादड़ी के रूप में स्वतंत्र मण्डी के रूप में दर्जा देने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

10. कृषि उपज मण्डी समिति, निम्बाहेड़ा द्वारा पूर्व में निर्मित सम्पर्क सड़कों को गांव के भाग में सीमेन्ट सड़क या खुरन्जा सड़क निर्मित कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) :

11. जिला नागौर में तहसील स्तर पर कृषि परामर्श केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. जिला नागौर में नकली खाद, बीज की बिक्री पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. जिला नागौर में कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) :

14. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में कृषि मण्डी के अभाव से उत्पन स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर) :

15. विधान सभा क्षेत्र आहोर के ग्राम गुडा-बालोतान, अगवरी, उम्मेदपुर, मालपुरा वेदाना, हरियाली, सुगालिया बालोतान, पावटा पादरली, थूम्बा, चादराई रोडला, रसियावास आदि गांवों को सुमेरपुर कृषि मण्डी से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

16. मावली में कृषि भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

17. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के ग्राम पंचायत चित्रावास में कृषि सहायक का पद स्वीकृत कर एवं कार्यालय निर्माण तथा उन्नत बीज खाद काश्तकारों को दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

18. राजस्थान में किसानों की विभिन्न समस्याओं यथा-सहकारी संस्थाओं एवं बैंकों द्वारा किसानों को समय पर ऋण एवं अनुदान न देने एवं कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगारार) :

19. प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किसान सेवा केन्द्र भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

20. राज्य के प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर कृषि पर्यवेक्षक की नियुक्ति हेतु चर्चा के लिये।

21. कृषि बीमा योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिये ग्राम को इकाई बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. विभाग द्वारा वैज्ञानिक कृषि के लिये कम पानी में अधिक पैदावार के लिये कृषि उपकरणों, फव्वारा योजना, ड्रीप इर्रिगेशन के लिये किसानों की कार्यशाला लगाने के लिये कार्यशालों के आयोजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. विभाग द्वारा कृषि उतपादन बढ़ाने के लिये उत्तम बीज रियायत दर पर उपलब्ध कराने एवं जीवाणु खाद का प्रचलन बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) :

24. रेलमगरा तहसील मुख्यालय पर कृषि अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

25. कृषि अनुसंधान केन्द्र नौगावां (अलवर) को कृषि महाविद्यालय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

26. बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय में कृषि अभियांत्रिक महाविद्यालय एवं डेयरी साइंस कालेज के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :

27. कृषि कार्यों के लिये सरकार द्वारा बीघा के आधार पर सब्सीडी देने, मिट्टी व जलवायु के अनुसार उन्नत बीज उपलब्ध कराने एवं कृषि को उद्योग घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

28. कृषि विभाग में कर्मचारियों/अधिकारियों के रिक्त पदों एवं ग्राम पंचायत वाईज कृषि पर्यवेक्षक नियुक्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

29. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में सहायक कृषि अधिकारी (विस्तार) का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री मदन राठौड़)

30. विभाग द्वारा किसानों को कृषि उपज का सही मूल्य दिलाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

31. विभाग द्वारा किसान की फसल को इकाई मानकर कृषि बीमा योजना लागू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

32. विभाग द्वारा कृषि बीमा के लिये किसान के खेत को इकाई मानकर तर्कसंगत बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

33. विभाग द्वारा सुमेरपुर कृषि उपज मण्डी समिति की क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण व मरम्मत कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

34. गौण मण्डी जहाजपुर को क्रमोन्नत कर कृषि उजप मण्डी जहाजपुर करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों के नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

36. विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई उपखण्ड मुख्यालय पर सहायक निदेशक (कृषि) कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

37. विभाग द्वारा कृषि उपज मण्डी कुचामनसिटी में बाहर से आये किसानों को ठहराने के लिये विश्राम गृह निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र परबतसर में कृषि मण्डी द्वारा पूर्व में बनाई गई सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विभाग द्वारा कृषि उपज मण्डी की आय में से किसानों को पेयजल जैसी सुविधाओं की स्वीकृति देने के संबंध में चर्चा के लिये।

40. विभाग द्वारा परबतसर में कृषि उपज मण्डी का सबयार्ड खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. कृषि एवं राजस्व विभाग में तालमेल के अभाव में पाले की स्थिति का सही मूल्यांकन नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) :

42. कृषि मण्डी भीलवाड़ा में दुकानों का 10 प्रतिशत आबंटन, थोक किराणा व्यापारियों को करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महीपाल यादव (बानसूर) :

43. विभाग द्वारा नगला रुद (बहरोड) में शेष बची हुई भूमि पर कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में भूमि विकास बैंक की शाखा बानसूर तहसील कार्यालय पर खोलने की नितान्त आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. खैरथल कृषि उपज मण्डी समिति में कृषकों से बोरी उतराई एवं तुलाई का खर्चा लेने पर व्याप्त असंतोष से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

46. बहरोड़ कृषि उपज मण्डी के अवार्ड देरी से जारी करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) :

48. काश्तकारों को ओलावृष्टि, पाला, शीतलहर से होने वाले फसलों के नुकसान से काश्तकारों को मुआवजा न देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) :

49. राज्य में खरीफ फसल में डी.ए.पी. व अन्य उर्वरक एवं उत्तम किस्म के बीज समय पर उपलब्ध नहीं कराने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

50. सहकारी क्रय-विक्रय संघ द्वारा उत्पादित घटिया कीटनाशक दवा की सप्लाई करने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

51. सरसों के खरीद केन्द्रों पर सरसों समय पर नहीं खरीदने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

52. किशनगढ़ स्थित थोक सब्जी मंडी में कोल्ड स्टोरेज संयंत्र लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) :

53. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सिवाना एवं सिणधारी पंचायत समिति क्षेत्र में कृषि विभाग के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतराम (मालपुरा) :

54. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में कृषि विपणन के अन्तर्गत सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्य कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में कृषकों को उन्नत किस्म के बीज एवं खाद उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

56. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में कृषि विभाग द्वारा कृषकों को समय पर अनुदान नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र सहाडा में कृषि मंडी द्वारा बनाई गई सड़कों के नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. विभाग द्वारा किसानों की हुई पाले व शीतलहर से फसलों एवं सब्जी के नुकसान से गोगुन्दा, कोटड़ा व उदयपुर जिले को विशेष सहायता पैकेज देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. गोगुन्दा, कोटड़ा में कृषि मृदा जांच कर उचित बीजारोपण के लिये प्रत्येक किसान को जानकारी व खेत इकाई मानकर पैदावार बीज की लिस्ट दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) :

60. विधान सभा क्षेत्र सीकर में कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु कारगर उपाय एवं खाद-बीज समय पर उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

61. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में बड़े नये गांव में मटर एवं सब्जियों की मण्डी तत्काल चालू करने एवं हिण्डौली एवं देई कृषि उपज मण्डी को निर्धारित मानदण्डों के आधार पर विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

62. कृषि विभाग द्वारा मिनी कीट वितरण में व्याप्त अनियमितताऐं एवं कृषि उपज मण्डी की टूटी सड़कों की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

63. विभाग द्वारा फसल बीमा योजना हेतु कारगर कदम उठाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी द्वारा समय पर कार्य नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में समयानिया में जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में कृषि उपज मंडी समिति के बोर्डों को एवं अन्य अध्यक्षों को अधिकार देने के संबंध में चर्चा के लिये।

67. विभाग द्वारा कृषि उपज मंडी समितियों से 30 प्रतिशत अंशदान कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मंगाये जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. जालिम सिंह रावलोत (शिव)

68. विधान सभा क्षेत्र शिव में जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर की कृषि मण्डियों द्वारा बनाई गई सड़कों की मरम्मत कराने की नई सड़कें बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) :

69. विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले की मिट्टी का परीक्षण किया जाकर उन्नत किस्म के फल, बाग-बगीचा फसल की विशेष ट्रेनिंग उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

70. विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले में कृत्रिम खाद की अपार संभावनाओं के अंतर्गत किसानों को इसके उपयोग हेतु विशेष प्रशिक्षण दिलवाये जाने एवं विशेष अनुदान दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

71. बांसवाड़ा जिले में उन्नत किस्म का गन्ना उत्पादन की अपार संभावना को ध्यान में रखते हुए जिले में शुगर मिल खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

72. बांसवाड़ा जिले में कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) :

73. विभाग द्वारा राज्य में किसानों को समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराने तथा नकली खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं की रोकथाम एवं तारबंदी पर अनुदान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

74. कृषि मंडी समिति रानी तथा गोण मंडी खिवाडा की स्थिति तथा किसानों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. राज्य में किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र खारची में रिक्त पड़े कृषि पर्यवेक्षकों एवं अन्य पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. पाली जिले की ग्राम पंचायत साडपुर में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित ग्रेवल सड़क को पुन: डामर सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

78. जोधपुर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

79. नगर (भरतपुर) में सहायक निदेशक कृषि का कार्यालय स्थापित करने अथवा सप्ताह में एक दिन कैम्प कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. राज्य में सभी फसलों का बीमा कराने व सब्जी आदि के लिये मार्केट उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

81. विभाग द्वारा कृषकों को उद्यान लगाने हेतु फलदार पौधों व फव्वारा सैट बल्कि तकनीकी सहायता व रखरखाव हेतु प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. राज्य में किसनों को उसकी उपज का पर्याप्त मूल्य दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. विभाग द्वारा किसानों को आवश्यकतानुसार डीएपी, बीज, कीटनाशक यूरिया पर्याप्त मात्रा में वाजिब दामों पर नहीं मिलने से होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

84. विधान सभा क्षेत्र बाली के शीतलहर पाला पड़ने की आपदा से पीड़ित किसान वर्ग को विशेष आर्थिक पैकेज दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

85. सुमेरपुर क्षेत्र में कृषि हेतु सिंचाई कमाण्ड क्षेत्र में चाही जमीन शामिल करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. राज्य में किसानों द्वारा ट्रैक्टर बैंकों से ऋण लेकर खरीदने पर नगद खरीद से एक लाख रुपये अधिक लगने से किसानों को हो रही लूट के संबंध में चर्चा के लिये।

87. राज्य में नकली बीज एवं खाद बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने, कुचामन पंचायत समिति में मोठ का बीज नकली देने वालों के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

88. कृषि उपज प्रसंस्करण के उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

89. राज्य में पानी मिट्टी परिक्षण प्रयोगशालाओं का उपयोग किसानों के लिए नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

90. विभाग द्वारा राज्य कृषि शिक्षा के विद्यालय नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) :

91. विधान सभा क्षेत्र बैराठ के शाहपुरा-रामपुरा-छापुडा व नायन से त्रिलोकपुरा-बिलोदरपुर सड़कों पर मिसिंग लिंक को पूर्ण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र बैराठ के बैराठ एवं मेड में नवीन कृषि मंडी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

93. राज्य में वैज्ञानिक विधि से विकसित बीजों की गुणवत्ता के संबंध में चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र बैराठ में बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय को पृथक रूप से कृषि महाविद्यालय का दर्जा दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) :

95. विधान सभा क्षेत्र के घाटोल गांव सोनावासा, देवड़ा, चन्दुजी का गढा, देलबाग लोकिया के लैम्पस में मक्का का बीज बोवनी के लिये माह मई महीने में अच्छा बीज दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा) :

96. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) में कृषि पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

97. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के ग्राम चान्दगोणी में कुओं द्वारा सिंचित क्षेत्र में कृषि अधिकारी का कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के ग्राम राजगढ़ में सहायक कृषि निदेशक के कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के ग्राम राजगढ़ में कृषि विकास केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

100. कृषि विभाग द्वारा बीज की दुकानों का निरीक्षण करने पर दुकानदारों द्वारा घटिया बीज बेचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में राजगढ़ (चूरू) में काश्तकारों को समय पर उत्तम किस्म के बीज, खाद एवं कीटनाशक दवायें उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

102. राज्य में प्रति हैक्टेयर कम कृषि उत्पाद प्राप्त होने के संबंध में चर्चा के लिये।

103. सिरोही जिले में किसानों को पाले से हुए नुकसान के संबंध में चर्चा के लिये।

104. गंगानगर जिले में कृषि कार्य के लिये पलायन कर रहे किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान न करने के संबंध में चर्चा के लिये।

105. सिरोही जिले में कृषि विभाग में रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

106. राज्य में कृषि क्षेत्र में अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

107. तहसील लूणकरणसर व तहसील बीकानेर में प्रत्येक किसान को इकाई मानकर जल एवं मृदा की जांच तथा विश्लेषण कर बीजारोपण की प्राथमिकता से अवगत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

108. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में कृषि विपणन विभाग द्वारा निर्मित सम्पर्क सड़कों की रिपेयर करने, औषधीय पौध उत्पादों का निर्यात करने पर चर्चा के लिये।

109. किसानों को सौर ऊर्जा पर आधारित पम्प सैट लगाने हेतु 90 प्रतिशत अनुदान दिये जाने बूंद-बूंद सिंचाई संयंत्र/फव्वारा सिंचाई संयंत्र स्थापित करने पर अनुदान हेतु भूमि की अधिकतम सीमा 5 हैक्टेयर से बढ़ाकर 10 हैक्टेयर करने तथा अनुदान राशि बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने पर चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के कृषकों को फलदार बगीचों हेतु उद्यान विभाग द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिये वर्मी–कम्पोस्ट इकाई की स्थापना तथा जिला बीकानेर को राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जोड़ने पर चर्चा के लिये।

111. कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में डेयरी इंजीनियरिंग व एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्स प्रारम्भ करने की आवश्कयता पर चर्चा के लिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) :

112. किसान जीवन कल्याण योजना के प्रावधानों में संशोधन पर चर्चा के लिये।

113. कृषि स्नातकों/स्नातकोत्तरों को ही खाद/बीज व अन्य कृषि कार्य में उपयोग होने वाली आवश्यक वस्तुओं के विक्रय लाइसेंस देने पर चर्चा के लिये।

114. विभाग द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत देने के लिए इकाई फसल बीघा या किला मानने पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

115. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम बांसा में कृषि उपज मण्डी खोलने एवं किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :

116. कृषि उपज मंडी बेगूं में किसानों के लिए भवन बनाने पर चर्चा के लिये।

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

117. विधान सभा क्षेत्र बेगूं के कृषि उपज मण्डी द्वारा सम्पर्क सड़कों की स्वीकृति देने पर चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में विभाग द्वारा कृषि उपज मण्डी बेगूं में कृषकों हेतु पेयजल व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

119. विभाग द्वारा कृषि उत्पादों का विक्रय मूल्य निर्धारण करने पर चर्चा के लिये।

120. रावतभाटा में कृषि उपज मण्डी चालू करने पर चर्चा के लिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) :

121. विधान सभा क्षेत्र मकराना में उर्वरक खाद एवं बीज सही वितरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-4

मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-39 मुख्य शीर्षक पशुपालन एवं चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) :

1. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के ग्राम भामोद एवं बहलोड में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

2. विधान सभा क्षेत्र दीगोद में पशु चिकित्सालय हेतु नवीन भवन का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. प्रदेश में कुकुट व्यवसाय के विस्तार हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र दीगोद में पशु चिकित्सकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

5. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. विभाग द्वारा चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में पशु चिकित्सालय हेतु आबंटित भूमि पर भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के ग्राम सुषी, कारूण्डा, नाराणी व साटोला में पशु स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) :

9. प्रदेश में तीन वर्ष से कम उम्र के बछडों के राजस्थान से बाहर ले जाने पर लगी रोक हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

10. विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में पशुओं की अधिक संख्या होने से ग्राम दादरिया कलां में पशु स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) :

11. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में पशु उप स्वास्थ्य की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर) :

12. विधान सभा क्षेत्र आहोर के ग्राम रामा, शंखवाली, सांकरणा, पादरली व नौसरा में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

13. विधान सभा क्षेत्र मावली में पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र मावली में पशु चिकित्सालय भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

15. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र चित्रावास हेतु भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

16. प्रदेश में पशुधन के विकास एवं विभिन्न समस्याओं के समाधान पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) :

17. प्रदेश में श्वेत क्रांति लाने हेतु अच्छी नस्ल के पशुपालन हेतु अनुदान की योजना प्रारम्भ करने एवं पशु आहार पर अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. प्रदेश में पशु बीमा योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. प्रदेश में पशु चिकित्सालयों व पशु उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त चिकित्सकों के पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

20. प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु उप केन्द्र खोलने व भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):

21. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में पशुओं हेतु पाली क्लिनिक नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

22. प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों पर वेटरनरी कालेज नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

23. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की तहसील शाहबाद के ग्राम समरानिया के पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

24. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. प्रदेश में पशु चिकित्सालय के भवनों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) :

26. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को नहीं भरने एवं क्षेत्र की गौशालाओं के संचालन हेतु राशि नहीं आबंटित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महीपाल यादव (बानसूर) :

27. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में पंचायत समिति स्तर पर चल रहे पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के ग्राम-लाडपुर, भूपसेड़ा, मांचल, बहराम का बास, नालोता, बासदयाल, नांगलिया, रिवाली, मिटेडा में पशु उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) :

29. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा के 'अ' श्रेणी के पशु चिकित्सालय को पोलो क्लिनिक में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया)

30. भीलवाड़ा जिले में पशु चिकित्सक के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा के पशु स्वास्थ्य केन्द्रों को चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

32. विधान सभा क्षेत्र परबतसर के नये पशु उप केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र परबतसर में पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र परबतसर के क्षतिग्रस्त चिकित्सालय भवनों की स्थिति पर चर्चा के लिये।

35. वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर से होने वाली आय से पशुपालकों व व्यापारियों के लिये विश्राम भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र परबतसर के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पंजीकृत व अनुदानित गौशालायें खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

37. विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्राम डागरथल, बटड़, हाडीकलां एवं किवाडा (खिड़गी) में पशु उप केन्द्र खोलने एवं पशु चिकित्सालय निवाई को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

38. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के पशु चिकित्सालय जहाजपुर को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के पंचायत मुख्यालय घड़ला (कोटडी) में नया पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

40. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के पशु चिकित्सालय भवन की मरम्मत करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

41. प्रदेश के हर पंचायत क्षेत्र में एक पशुधन सहायक की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री मदन राठौड़)

42. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर स्थित पशु औषधालय बांकली एवं भारून्दा को क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के ग्राम नोवी, भांवरी, खिन्दारा, दुजाना लापोद व डेण्डा में नवीन पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. प्रदेश के पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

45. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली एवं नैनवां तहसील में चिकित्सा की उपयुक्त व्यवस्था करने एवं प्रदेश में पशु चिकित्सकों एवं पशुपालन सहायकों की नियुक्ति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :

46. प्रदेश में पशुपालन व्यवसाय को उद्योग घोषित करने एवं पशुपालन के कार्यों हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र दूदू में नये पशु चिकित्सालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) :

48. विधान सभा क्षेत्र सीकर में पशु चिकित्सालय खोलने एवं रिक्त पदों पर चिकित्सक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

49. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की पंचायत समिति किशनगढ़ के मुख्यालय सिलोरा पर नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़-हनुमानगढ़ मेगा हाइवे पर स्थित ग्राम काली डूंगरी में नवीन पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के ग्राम पंचायत कुचील एवं डीडवाड़ा में नवीन पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री भागीरथ चौधरी)

52. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ स्थित पशु चिकित्सालय में अतिरिक्त पशु चिकित्सक का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) :

53. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के ग्राम जूना मीठाखेड़ा (सिणधरी) लाखेरा (सिवाना) एवं कुण्डल (सिवाना) में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. प्रदेश में पशु चिकित्सा कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में पशु बीमारियों की रोकथाम हेतु विशेष शिविर आयोजन करने व उनमें दवाइयां मुहैया कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) :

56. विधान सभा क्षेत्र शिव में नये पशु चिकित्सालय एवं उपकेन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) :

57. प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षण प्राप्त पशुधन सहायकों को मानदेय भुगतान के आधार पर नियुक्त नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

58. बांसवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

59. उदयपुर संभाग में पशुधन सहायकों की नियुक्तियां नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा की पंचायत समिति आनन्दपुरी में नये पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) :

61. प्रदेश में जल ग्रहण संस्थाओं के माध्यम से क्रय की जाने वाली पशुओं की दवाइयों को पशुपालन विभाग के जिला स्तरीय/ब्लॉक

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

स्तरीय चिकित्सकों के द्वारा शिविर लगाकर पशुपालकों के उचित जानकारी देने व टीकाकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. जिला बांसवाड़ा में श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन की अपार संभावना को ध्यान में रखते हुये डेयरी खोलने के लिये युवा बेरोजगारों को सरलीकरण से ऋण उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

63. राज्य में आवारा गायों, बछड़ों तथा बीमार, लूले लंगड़े अपाहिज पशुओं को उचित देखभाल व इलाज के लिये अनुदानित गौशालाओं में रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. राज्य में भेड़ तथा ऊंटों का संरक्षण हेतु समय-समय पर सम्पूर्ण क्षेत्र में शिविर लगाकर टीकाकरण करने तथा समय पर उपचार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विभाग द्वारा पशुओं को होने वाली मौसमी बीमारियों की समय पर प्रभावी रोकथाम नहीं करने तथा उचित उपचार नहीं मिलने से होने वाली पशुधन की हानि से उत्पन्न स्थिति व अस्पतालों में बैक्सीन रखने हेतु रेफ्रीजरेटर की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र खारची के पशु चिकित्सालयों और पशु उपकेन्द्रों में लम्बे समय से रिक्त पड़े चिकित्सकों, पशुधन सहायकों व अन्य पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम)

67. ग्राम पंचायत दलेपुरा तह. नाहौती में पशु चिकित्सालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

68. नगर (भरतपुर) में ए-क्लास पशु चिकित्सालय एवं शोध केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. नगर (भरतपुर) तहसील के गांवों-मूडिया, दुंदावलु, जलालपुर, गुलपाड़ा, उडकी दल्ला, फतेहपुर, नांगल में पशुओं की चिकित्सा को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. पशुओं की नस्ल सुधार एवं सार्वजनिक साण्डों की चिकित्सा करने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करने पर चर्चा के लिये।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

71. पशुपालन विभाग में चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों के रिक्त पद शीघ्र भरने तथा पशुपालकों को मुफ्त टीके उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. बकरी पालन का प्रशिक्षण देने एवं बीमारी के समय गांवों में मोबाइल चिकित्सक दल भेजने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

73. जिला पाली, सिरोही व जालौर में गाय-भैंस व अन्य दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार के कार्यक्रम प्राथमिकता से किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. जिला पाली, जिला जालौर व सिरोही में पशु बीमा व भेड बीमा को विशेष प्रोत्साहन दिये जाने तथा पिछले पांच वर्षों से अब तक प्राप्त क्लेम का शीघ्र भुगतान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र बाली में पशु चिकित्सालयों, पशु औषधालयों व उपकेन्द्रों में रिक्त पड़े पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र बाली के ग्राम कुमटिया, खेतरली भन्दर एवं चामुण्डेरी में नवीन पशु उपकेन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र बाली के ग्राम सेवाडी, खुडाला बीसलपुर में नवीन पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) :

78. विधान सभा क्षेत्र देसूरी के माण्डल एवं खैरवा में पशु चिकित्सालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) :

79. अजमेर स्थित पशु चिकित्सालय नया बाजार को भारी यातायात दबाव क्षेत्र से स्थानान्तरित कर कांजी हाऊस के लिये आबंटित भूखण्ड पर नये भवन निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

80. गायों को देसी नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु एक गौ संरक्षण संवर्धन केन्द्र अजमेर में स्थापित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

81. विभाग द्वारा पुष्कर में आयोजित होने वाले विश्व स्तरीय पशु मेले में की जाने वाली व्यवस्थाओं हेतु विशेष प्रावधान किये जाने पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती अनिता भदेल)

82. विभाग द्वारा पशु पालकों को दुधारू पशुओं की देखभाल, समय-समय पर टीकाकरण उनके पोषाहार की जानकारी देने हेतु प्रतिमाह कैम्प लगाये जाने व नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत दवाइयां उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. अजमेर स्थित ग्राम कल्याणीपुरा व ग्राम बालूपुरा के पशुपालकों के पशुओं की चिकित्सक सेवा हेतु नये पशु चिकित्सालय आरम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम धोद (धोद) :

84. राज्य में पशु चिकित्सकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

85. सीकर जिले में गौशालाओं के लिये भूमि आबंटन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

86. राज्य में भेड़ बकरियों के गोस्त के निर्यात की व्यवस्था नहीं होने से पशुपालकों को हो रही हानि के संबंध में चर्चा के लिये।

87. राज्य से बाहर बछड़ों को भेजने पर लगी रोक नहीं हटने से पशुपालकों को हो रही हानि एवं गौवंश की बर्बादी के संबंध में चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र धोद में गोठड़ा तगेलान, भीमा, बोसाना, माण्डोता ग्रामों में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) :

89. विधान सभा क्षेत्र घाटोल जिला प्रतापगढ़ के गांव केलामेला, केसरपुरा, पृथ्वीपुरा, सेमलिया एवं साडेलपुर में पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के गांव रूजिया, डागल, मियासा, कान्ठाव, गोलीया बाग, बामनपाड़ा एवं बडाना में पशु चिकित्सालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (दानपुर) :

91. विधान सभा क्षेत्र दानपुर में दूर-दराज बिखरी आबादी में नये पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) :

92. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) के ग्राम सिरपोई में पशु चिकित्सालय भवन निर्माण कराये जाने एवं रिक्त चल रहे विभिन्न पदों को भरने, गोविंदपुरा में सब-सेंटर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

93. ग्राम-नेसल तह. राजगढ़ (चूरू) में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्कयता पर चर्चा के लिये।

94. ग्राम गालड तह. राजगढ़ (चूरू) में पशु चिकित्सालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

95. बी.पी.एल. परिवारों के पशुओं को नि:शुल्क दवाइयां एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

96. ग्राम हमीरवास तह. राजगढ़ (चूरू) के पशु सब सेंटर को अपग्रेड करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. राजगढ़ (चूरू) पशु चिकित्सालय को भूमि आबंटन कर भवन बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

98. सिरोही जिले के आदिवासी क्षेत्र में चिकित्सालय के अभाव में पशुओं को चिकित्सा सुविधा न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

99. सिरोही जिले में वेटनरी कालेज खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

100. सिरोही जिले में पशुपालन विभाग में रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

101. सिरोही जिले में पशुपालकों को पशुओं की विभिन्न योजनाओं में बीमें का भुगतान न मिलने के संबंध में चर्चा के लिये।

102. राज्य में पशुओं की घटती संख्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

103. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम घिनोई व मण्डा भिण्डा में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं ग्राम पंचायत जाटावाली में पशु औषधालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :

104. पशु औषधालयों में प्राथमिक उपचार हेतु पट्टी-दवाइयां उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में पशु औषधालय में चिकित्सक के रिक्त पद पर नियुक्ति करने पर चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में मंडेसरा, ठुकराई, बरखेडा, जावदा में पशु औषधालय खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

107. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की पंजीकृत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से सम्बद्ध पशुपालकों को पशुधन (गाय, ऊंट, भेड़, बकरी) की खरीद पर अनुदान उपलब्ध करवाने एवं प्रमाणित चारा बीज व पशु आहार अनुदान पर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में प्रति 10 किलोमीटर या प्रति 7,500 पशुधन इकाई पर एक पशु चिकित्सा संस्था खोले जाने, रिक्त पदों को भरे जाने तथा भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाइयों की संख्या बढ़ाये जाने पर चर्चा के लिये।

109. जिला बीकानेर में उरमूल डेयरी के सहयोग से राठी नस्ल गौ संवर्धन पर चर्चा के लिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) :

110. विभाग द्वारा दूध देने वाले पशुओं के लगाये जाने वाले प्रतिबंधित टीके (Oxytocin) पर प्रभावी रोक पर चर्चा के लिये।

111. भादरा जिला-हनुमानगढ़ के 'अ' श्रेणी पशु चिकित्सालय को नये स्थान पर स्थानान्तरित करने पर चर्चा के लिये।

112. प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर पशु उपकेन्द्र खोलने पर चर्चा के लिये।

113. गौशालाओं का अनुदान बढ़ाने/अनुदान प्रक्रिया सरलीकरण पर चर्चा के लिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) :

114. राज्य में पशु मेले में अदन्त एवं दन्त बछड़ों की बिक्री की अनुमति देने के संबंध में चर्चा के लिये।
